विनियम

पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट विनियमों को अधिसूचित किए जाने के साथ ही एक महत्वपूर्ण उपाय किए जाने की शुरुआत की गई थी। बी.वि.वि.प्रा. (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 का भी संशोधन किया गया था और बीमा कंपनियों से वर्ष 2001-02 के लिए पुनरीक्षित प्ररूप में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। बाजार परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए वर्ष के दौरान निवेश विनियमों को भी उपांतरित किया गया था। प्राधिकरण अपने दो वर्ष की कार्यावधि में अनुभवहीन उद्योग के विकास की गति को तीव्र करने की आवश्यकता के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहा है। संभवत: देश में पिछले दो वर्ष में विनियामक ढांचे के विकास की व्यापकता, गति और संगतता की मिसाल विश्व में कहीं नहीं होगी।

चालू वित्तीय वर्ष (2002-2003) में अनेक विनियमों को अधिसूचित किया गया है, जो प्राधिकरण की उस वातावरण के, जिसमें विभिन्न मध्यवर्ती कार्य करते हैं, उदारीकरण की दिशा में प्रगति को दर्शित करता है। ये विनियम निम्नानुसार हैं :

- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगम अभिकर्ताओं का अनुज्ञप्तिकरण) विनियम, 2002
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रीमियम के संदाय की रीति) विनियम, 2002
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्त्ताओं की बाध्यताएं) (संशोधन) विनियम, 2002 और

उपरोक्त अधिसूचनाएं चिर प्रतीक्षित बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अधिनियम के परिणामस्वरूप जारी की गईं, जो सहकारिताओं द्वारा बीमा कारबार चलाने, निगम अभिकर्त्ताओं के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण अपेक्षाओं में उपांतरण करने, बीमा दलाल को बीमा मध्यवर्ती के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 का संशोधन करने ; शेयरधारकों के बीच अधिशेष के एक हिस्से के वृहत वितरण का उपबंधकरने के लिए बीमा अधिनियम की धारा 49 का उपांतरण करने और नकद से भिन्न अन्य ढंगों द्वारा प्रीमियम का संदाय अनुज्ञात करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 फ ख का संशोधन करने का विचार करता है।

प्राधिकरण ने विनियम बनाने में आम सहमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों और हितबद्ध निकायों से पूर्व परामर्श करने की अपनी परिपाटी का निरंतर पालन किया है। इससे बनाए गए विभिन्न विनियमों की शीघ्र स्वीकृति और बाजार की युक्तियुक्त वृद्धि सुनिश्चित हुई है। निस्संदेह, प्राधिकरण का उद्देश्य, बीमा उद्योग से संबंधित, पूरे विश्व में स्वीकृत मानक प्राप्त करने का है। प्राधिकरण की बीमा पर्यवेक्षकों की अंतर्राष्ट्रीय सभा (आई ए आई एस) की सदस्यता भी भारतीय बाजार में अपनाई जाने वाली प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विश्व मानकों के सामंजस्य में लाने की प्रक्रिया में सहयोगी सिद्ध हुई है।

विनियमों के परिणाम

जैसा कि इस कथन के पूर्ववर्ती भागों में कहा गया है, नए बीमाकर्त्ताओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्रियाकलाप अब गौण हो गए हैं और यह वर्ष पहले से स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण का रहा है इसके अतिरिक्त बाजार में मध्यस्थता का विकास, इसका विभिन्न रूपों में आविर्भाव और उनका बाजार में प्रवेश इस वर्ष का मुख्य क्रियाकलाप रहा है। साधारण बीमा क्षेत्र में, तीसरा पक्षकार प्रशासक जैसी नई संस्थाओं की मान्यता ने मध्यवर्ती बाजार को सुदृढ़ किया है और इससे बीमाकृत जनता के लिए एक अपेक्षित सुविधा का उपबंध करने का एक उपाय किया गया। इस वर्ष आरंभ किया गया स्थल पर निरीक्षण आने वाले वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। निम्नांकन और निवेश क्रियाकलाप अंत: संबंधित हैं और अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। जहां स्थल पर निरीक्षण में समुचित निम्नांकन कौशल की आवश्यकता होती है वहीं निवेश क्रियाकलापों की लेखा परीक्षा, प्राधिकरण का यह समाधान करने में मदद करती है कि किसी बीमाकर्त्ता के क्रियाकलापों में एकीकृत विकास हुआ है। हालांकि निवेश संबंधी दिशा-निर्देश बनाए गए हैं और बीमाकर्त्ताओं से धारित निवेशों के संबंध में आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, प्राधिकरण ने निवेशों की लेखा-परीक्षा का प्रस्ताव अकाउंटेंट की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

वृत्तिकों/वृत्तिक निकायों की भूमिका

बीमा क्षेत्र में व्यवसायिकता लाने और उसमें उत्कृष्टता का संवर्धन करने के अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हैदराबाद में बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान की नींव रखी है इस संस्थान से वित्तीय क्षेत्रों, विशेषकर बीमा के क्षेत्र से संबंधित विषयों में अनुसंधान करने की अपेक्षा की जाती है। आई आई आर एम का विकास उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में किया जाएगा और यह एशिया-पेसिफिक क्षेत्र के लिए आदर्श

बनेगा। इसके साथ ही प्राधिकरण बीमा की वृत्ति के संवर्धन के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के प्रयासों को भी प्रोत्साहन दे रहा है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्राधिकरण ने बीमा में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले चार संस्थानों की पाठ्यचर्या को अनुमोदित किया है।

पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय क्षेत्र में बीमांककों की भूमिका काफी बढ़ी है। कभी इक्का दुक्का की संख्या में होने वाले बीमांकक अब संपूर्ण विश्व में जोखिम का लाभप्रद मूल्य तय करने, निगम कार्य योजना और विपणन के निबंधनों में बीमाकर्त्ताओं को प्रतिस्पध र्ात्मक श्रेष्ठता प्रदान कर रहे हैं। और फिर भी निम्नांकक और कर्मचारी की हैसियत में बीमांकक और किसी मूल्य निर्धारण करने वाले के बीच संबंधों में दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वृत्ति को अभिजातों के ऐसे पुनर्विलोकन के निबंधनों में विकसित होना है, जिसमें बीमांकक एक दूसरे के कार्य के मूल्य निर्धारण या उस पर टिप्पणियां करने के लिए एक उदार मनोवृत्ति रखते हैं। उदार वृत्तिक परिपाटियां बनाने के लिए ऐसे व्यवहार अपरिहार्य हैं। ऐसे वृत्तिक आदर्शों से जनता का इस वृत्ति पर विश्वास बढ़ेगा, विशेषकर ऐसे कठिन समय में जब वित्तीय क्षेत्र में होने वाले घोटालों के कारण, जो इन क्षेत्रों के आचार और परिपाटियों को संदेहास्पद बनाते हैं, जनता का भरोसा डगमगा गया है।

नियत बीमांककों के रूप में इस क्षेत्र में नए वृत्तिकों का आविर्भाव हुआ है क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व तक उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता था। बीमा कारबार को खोले जाने के साथ यह वृत्ति यकायक ही महत्वूपर्ण हो गई है। इसीलिए अब भारतीय बीमांकिक सोसायटी, मुंबई को, जो अभी भी एक अनिगमित निकाय है, कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने की मांग की जा रही है।

वृत्तिक व्यवहारों का मानकीकरण न केवल वृत्ति के विकास में मदद करता है अपितु आचार संबंधी व्यवहारों के विकास के लिए एक सुदृढ़ नींव प्रदान करता हैं इस संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने, जीवन और गैर-जीवन, दोनों प्रकार की कंपनियों की लेखा-परीक्षा करने के लिए अपने सदस्यों को मार्गदर्शक टिप्पण जारी किए हैं। संस्थान के इन प्रयासों में प्राधिकरण ने अंतरंग सहयोग किया था।

देश में जीवन और गैर जीवन दोनों प्रकार के जोखिमों के बीमा के संबंध में जनता को जानकारी देने और उसमें जागरूकता लाने के लिए उपभोक्ता संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। प्राधिकरण उपभोक्ता संगठनों के निरंतर संपर्क में रहता है और उनके प्रतिनिधि ऐसी बीमा सलाहकार समितियों के अंग बनाए गए हैं, जो प्राधिकरण को विनियम बनाने में सहयोग देती हैं और साथ ही उन्हें शासन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बनाई गई सभी समितियों और समूहों में सम्मिलित किया गया है। प्राधिकरण ने साधारण जनता और बीमा उपभोक्ता की नब्ज पकड़ने में समर्थ बनने के लिए एक उपभोक्ता सलाहकार समिति बनाई है।

शोधन क्षमता से संबंधित विषय

नई बीमा कंपनियों के संप्रवर्तकों ने, उनके द्वारा संप्रवर्तित कंपनियों में नई पूंजी लगाने जैसे उपायों के माध्यम से बाजार के प्रति अपने दीर्घकालिक संकल्प और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। यह स्वीकार करते हुए कि संकर्म आरंभ करने के पहले कुछ वर्षों में हानि होगी (उस समय तक जब तक बीमाकर्त्ता अपने संकर्मों को स्थायी करता है और उद्योग में अपने पांव जमा लेता है) बीमाकर्त्ता को प्रारंभिक वर्षों में अपने विकास के समर्थन में निरंतर संसाधनों को झोंकना चाहिए। यह विषय ऐसे समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब बीमाकर्त्ता आरंभिक वर्षों के दौरान देश में कठिन बाजार परिस्थितियों को समझने की चेष्टा करता है और शोधन क्षमता अंतरों पर अधिक बोझ पड़ने की संभावना होती है। इस संबंध ा में स्वत: अधिरोपित अनुशासन बहुत महत्वूपर्ण हो जाता है। घटती ब्याज दरों के समय में बाजार पर पकड़ बनाने के लिए प्रवर्तनीय प्रतिस्पर्धातमक स्कीमें, विशेषकर निश्चित फायदों वाली स्कीमें न केवल बीमाकर्त्ता की शोधन क्षमता पर बोझ डालती हैं अपितु दीर्घकाल में पालिसीधारक के हितों पर भी चोट करती है। प्राधि ाकरण ने समय-समय पर जीवन बीमाकर्त्ताओं को, यदि वे घटती ब्याज दरों के समय में प्रत्याभू फायदों वाली स्कीमों को आरंभ करते हैं तो उनके सामने आने वाली कठिनाईयों के बारे में आगाह किया है और यह संतोषप्रद है कि बीमाकर्त्ताओं ने सलाह पर ध्यान दिया है।

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विषय

एक पूर्णत: विनियमित और नियंत्रित क्षेत्र को बाजार की मांग द्वारा शासित क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए विनियामक पर्यावरण का तंत्र नियत करने के पश्चात् विनियामक यह सुनिश्चित करने के लिए चिंतित है कि विद्यमान प्रणालियां और तंत्र ग्राहक को उसकी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए प्रस्तावित पैकेजों, दावों का शीघ्र समाधान और उसके हितों की संरक्षा के निबंधनों में सर्वोत्कृष्ट प्राप्त करने में समर्थ बनाए। हालांकि बीमाकर्त्ताओं के पास घरेलु ग्राहक शिकायत प्रकोष्ठ हैं, फिर भी ओमबड्समेन की विद्यमान संस्था के साथ पालिसीधारकों की संरक्षा से संबंधित विनियम ऐसी बाजार परिपाटियों को अपनाने में सहयोग करेंगे जो इस जानकारी को विचार में लेंगी कि ग्राहक को पर्याप्त शस्तिक उपबंधों से युक्त शिकायत समाधान तंत्र उपलब्ध हैं।

रिपोर्ट करने की पद्धति

सभी बीमाकर्त्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकरण को किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर विहित प्ररूप में अपने कार्य पालन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें। यह अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र के अन्य खंडों में प्रचलित परिपाटी के अनुरूप है। इसका उद्देश्य वित्तीय संव्यवहारों और वित्तीय रिपोर्टिंग में एक उच्च स्तरीय निष्ठा और पारदर्शिता लाने के लिए आवधिक रिपोर्टिंग, चाहे यह छमाही, तिमाही अथवा मासिक हो, की परिपाटी आरंभ करना है। प्राधिकरण सर्वप्रथम, अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखाओं का छमाही सीमित पुनर्विलोकन आरंभ करना चाहता है।

इसके अलावा, सभी बीमाकर्त्ताओं से 'फाइल और उपयोग' की, जो एक अनूठा प्रयोग है, जिसके अधीन बीमाकर्त्ता प्राधिकरण को आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादों की जानकारी देता है, परिपाटी का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। अपवाद द्वारा प्रबंध का दर्शन विद्यमान परिस्थितियों में सफल सिद्ध हुआ है दूसरी ओर, प्राधिकरण 'उपयुक्त और उचित' उक्ति के दर्शन द्वारा आबद्ध बीमाकर्त्ताओं पर कड़ी निगाह रखता है। प्रबंधन और संप्रवर्तकों के प्रोफाइल पर भी कड़ी निगाह रखी जाती है और उससे किसी विचलन को हतोत्साहित किया जाएगा और असम्मत ठहराया जाएगा।

नए बीमाकर्त्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऐसे बीमाकर्त्ताओं की, जिन्हें देश में बीमा कारबार आरंभ करने के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था, संख्या दस थी ; जीवन बीमा में छः और गैर जीवनबीमा में चार। जीवन बीमा खंड में छः और कंपनियों को और गैर-जीवन बीमा खंड में पांच और कंपनियों को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है। इस प्रकार आज तक ऐसी कंपनियों की संख्या छब्बीस हो गई है, जिन्हें रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, यद्यपि इनमें से कुछ कंपनियों ने अभी अपना कार्यकरण आरंभ नहीं किया है।

अभिकर्त्ता और बीमा मध्यवर्ती

ऐसे देश में जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, बीमा घनत्व और पहुंच, जो 9.9 अमरीकी डालर और सकल घरेलू उत्पाद का 2.32 प्रतिशत है, के निबंधनों में यह प्रतिशत बहुत ही कम है। प्राधिकरण, बीमा की पहुंच में वृद्धि करने के विचार से बीमा उत्पादों के वितरण के अतिरिक्त मार्गों का उपयोग करने के लिए कार्य कर रहा है। बाजार में दलालों और निगम अभिकर्त्ताओं को उतारने का कदम इस प्रक्रिया में सहयोग करेगा। सर्वोत्तम वृतिकों के रूप में कार्य करने के लिए ये वृत्तिक न केवल न्यूनतम अर्हता प्राप्त होने चाहिएं, अपितु उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। तारीख 31 मार्च, 2002 तक जीवन और गैर जीवन दोनों खंडों में अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों और निगमों की कुल संख्या 510647 थी। इनमें से 197646 अभिकर्त्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है। विशेषकर अभिकर्त्ताओं की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से देश में बीमा बारकार का विकास न केवल सकल घरेलु उत्पाद से प्रीमियम के अनुपात को प्रभावित करेगा अपितु देश के नौजवानों को लाभप्रद रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इन अभिकर्त्ताओं ने बीमाकृत व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विहित प्रशिक्षण के नए पैटर्न को स्वेच्छा से अपनाया है प्राधिकरण अभिकर्त्ताओं के लिए अर्हक परीक्षाओं का संचालन करने और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें और प्रशिक्षण सामग्री निकालने के लिए पहले ही भारतीय बीमा संस्थान को मान्यता दे चुका है, और अब राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को भी अभिकर्त्ताओं की ऑन लाईन परीक्षा का संचालन करने की अनुज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक अधिकृत अभिकर्त्ता प्रशिक्षण संस्थान हैं।

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

प्राधिकरण ने इस वर्ष सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के सुव्यवस्थीकरण के लिए भी उपाय किए। इन विशेषज्ञों का वर्गीकरण करने के भी प्रयास किए गए और अब इन्हें तीन वर्गों में रखा गया है, अर्थात् क, ख और ग। प्रसंगवश, मैं यहां यह उल्लेख कर सकता हूं कि वर्गीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने एक बेहद पारदर्शी रीति में पूरी की और व्यथित सर्वेक्षकों को, यदि कोई हों, उन्हें दिए गए वर्गीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। 31 मार्च, 2002 तक 23069 व्यष्टियों और 1137 फर्मों को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तथापि, वृत्तिक निकायों को प्राधिकार प्रत्यायोजित करने की मनोवृत्ति से प्राधिकरण स्वयं को अपवाद द्वारा प्रबंधन करने तक सीमित रखने और स्वतः विनियमित संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देने को अधिमानता देगा। सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को कानूनी स्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक लाने की भी योजना बनाई जा रही है।

तीसरा पक्षकार प्रशासक

बीमा बाजार में आरंभ की जाने वाली एक अन्य मध्यवर्ती पद्धति तीसरा पक्षकार प्रशासक स्वास्थ्य सेवा (टी पी ए) पद्धति थी। इस संबंध में विहित की गई प्रवेश स्तर की कड़ी अपेक्षाओं के आधार पर 21 मार्च, 2002 तक चौदह कंपनियों को स्वास्थ्य सेवाओं में टी

पी ए के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। आज तक प्राधिकरण ने 20 टी पी ए की अनुज्ञप्ति मंजूर की है, और उनसे न्यूनतम शुद्ध मूल्य, अपने बोर्डों में अर्हता प्राप्त चिकित्सकों को रखने, अस्पतालों/नर्सिंग होमों/निदान केन्द्रों से संपर्क स्थापित करने, सेवाओं के न्यूनतम भाव सुनिश्चित करने और सी ई ओ/ सी ए ओ द्वारा न्यूनतम वृत्तिक अर्हता और प्रशिक्षण अभिप्राप्त करने संबंधी अपेक्षाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। टी पी ए सेवाएं आरंभ करने से न केवल स्वास्थ्य बीमा स्कीमों को लोकप्रिय बनाने अपितु ग्राहक सेवा मानकों में सुधार लाने की भी अपेक्षा की जाती है।

टैरिफ सलाहकार समिति (टी ए सी)

प्राधिकरण की अगुवाई में टी ए सी ने सांख्यिकीय जानकारी, चाहे वह कारबार, उसकी व्यापकता, राज्य क्षेत्र, प्रीमियम या संदत्त और बकाया दावों से संबंधित हो, उपलब्ध कराने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए हैं। इलैक्ट्रानिक रूप में जानकारी को मिलाने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है ; टी ए सी के शब्दों में, उसे यह आशा है कि वह शीघ्र ही उद्योग के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का भंडार बन जाएगी। मोटर यान टैरिफ को 1 जुलाई, 2002 से पुनरीक्षित किया गया था, इससे पूर्व समुद्री पेटा टैरिफ की बाबत विद्यमान दर निर्धारण दिशा निर्देशों को, समुद्र में जाने वाले सभी पोतों को, उनके मूल्यों पर ध्यान न देते हुए, इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर लाने के लिए पुनरीक्षित किया गया था। अग्नि कारबार की बाबत टैरिफ को संगत बनाया गया है और पेट्रोरसायनों से संबंधित टैरिफ का भी पुनरीक्षण किया गया है। बाजार में अनुशासन के संवर्धन के लिए टी ए सी की टैरिफ उल्लंघन समिति, व्यतिक्रम करने वालों को दंडित करने में काफी सक्रिय है।

स्वत: विनियमित निकाय

प्राधिकरण स्वयं को एक ऐसी पुलिस के रूप में नहीं देखता, जिससे बाजार के बीमाकर्त्ताओं और अन्य मध्यवर्तियों के कार्यों की बारीकी से जांच करने की अपेक्षा की जाती है। इसकी बजाय प्राधिकरण परामर्श की प्रक्रिया का प्रस्ताव करता रहा है, जिसमें विनियामक और बीमाकर्त्ता के बीच समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है और आम सहमति बनाई जाती है। हस्तक्षेपों, यदि कोई हों, को नियमित होने की बजाय अपवाद होना चाहिए। साथ ही बीमा अधिनियम की धारा 64ग के अधीन गठित उद्योग परिषदों–भारतीय बीमा सभा की जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद ने बाजार संव्यवहारों के और उद्योग के लिए उचित आचार व्यवहार अपनाने के क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों पर राय बनाने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के सभी रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्त्ताओं के सी ई ओ के प्रतिनिधियों को उनकी परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि समय के साथ ये परिषदें कई विकसित देशों की भांति मध्यवर्तियों के कार्यपालन को विनियमित करेंगी और जानकारी के प्रसार का मंच बनेंगी और उद्योग के बीमाकर्त्ताओं के बाजार आचार से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

ग्रामीण और सामाजिक बाध्यताएं

भारत जैसे विकासशील देश में निगम क्षेत्र को भी अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने में मुख्य भूमिका अदा करनी होती है। इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण 'सामाजिक क्षेत्र' और 'ग्रामीण क्षेत्र' पदों को परिभाषित करते हुए यह अपेक्षा करता है कि सभी बीमाकर्त्ता वार्षिक आधार पर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए अपनी बाध्यताओं की पूर्ति करें, इसमें इनके अननुपालन के लिए कड़े शास्तिक उपबंधों को विहित किया है। यह देखकर काफी संतोष होता है कि जीवन और गैर-जीवन, दोनों कारबारों के बीमाकर्त्ता अपनी बाध्यताओं को गंभीरतापूर्वक लेरहे हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नवीन मार्ग अपना रहे हैं। प्राधिकरण ने हाल ही में विनियमों के संशोधनों को अधिसूचित किया है। संशोधनों में 'ग्रामीण क्षेत्र' को पुन: परिभाषित किया गया है और 'कृषि लक्ष्य' शब्दों को व्यापक बनाया गया है। संशोधनों में 'औपचारिक क्षेत्र' पर भी विचार किया गया है साथ ही जीवन बीमाकर्त्ता की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति बाध्यताओं में वृद्धि की गई है। बीमाकर्त्ताओं द्वारा समाज के प्रति बाध्यताओं को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने यह और उपबंधित किया है कि कारबार की मात्रा के निबंधानों में कोई भी बीमाकर्त्ता, 21 मार्च, 2002 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र के लिए अभिलिखित किए गए कारबार से कम कारबार नहीं करेगा।

जीवन बीमाकर्त्ता की बाध्यताएं

ग्रामीण क्षेत्र

नई कंपनियां : व्यष्टि बीमाकर्त्ताओं द्वारा फाइल किए गए आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 11 में से 10 कंपनियों ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है और उनकी ग्रामीण क्षेत्र में जारी की गई पालिसियों का प्रतिशत, संकर्म के पहले वर्ष के लिए नियत 5 प्रतिशत के स्तर से अधिक है। कुछ मामलों में कंपनियों ने पिछले लेखा वर्ष की समाप्ति के आस-पास कारबार आरंभ किया था। जहां पालिसी जारी करने की अपेक्षा 5 प्रतिशत से अधिक थी, उसे भी पूरा किया गया था। एक मामले में थोड़ी सी कमी थी और उस कंपनी की सूचना जारी कर दी गई है।

पब्लिक सेक्टर : पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी से इस रीति में विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई थी कि किसी वर्ष में जारी की गई पालिसियों का प्रतिशत पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त किए गए प्रतिशत से कम न हो। बीमाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में यह देखा गया है कि इस शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धि में कमी थी। संभवत: कार्यपालन में अंतर का कारण बीमाकर्त्ता द्वारा 'ग्रामीण क्षेत्र' पद का गलत निर्वचन किया जाना था। जैसा कि इस पैरे के आरंभ में कहा गया है, बीमाकर्त्ता से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर और भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर द्वारा किए गए एक अनुसंधान अध्ययन के आधार पर प्राधिकरण ने हाल ही में (अक्टूबर 2002) 'ग्रामीण क्षेत्र' पद को पुन: परिभाषित किया है। अन्य शब्दों में, जीवन बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने की बाध्यताओं को उनके द्वारा सारवान रूप से पूरा किया जा रहा है।

सामाजिक क्षेत्र : इस क्षेत्र में कार्यपालन का मापदंड था, बीमाकर्त्ता द्वारा बीमाकृत किए जाने वाले जीवनों की कुल संख्या। इस क्षेत्र में बीमा कंपनियों का कार्यपालन उतना संतोषप्रद नहीं रहा, जितना कि ग्रामीण क्षेत्र में। ग्यारह कंपनियों में से पांच कंपनियां अपेक्षित संख्या में बीमा नहीं कर पाई हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने वर्ष के दौरान कार्य आरंभ किया था और कुछ कंपनियों ने रजिस्ट्रीकरण मंजूर होने के पश्चात् भी अपने अभिकरणों को प्रशिक्षण देने में काफी समय लगाया। इस क्षेत्र की कमियों के बारे में उनसे सूचना मांगी गई है और जांच पूरी होने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

गैर-जीवन बीमाकर्त्ता की बाध्यताएं

ग्रामीण क्षेत्र : एक कंपनी के अलावा, जिसे इस क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने में कठिनाईयां आई थी, अधिकांश कंपनियों ने इस क्षेत्र से प्रीमियम के 2 प्रतिशत का आधारिक स्तर प्राप्त कर लिया था। दूसरे वर्ष के कार्यपालन के संबंध में कुछ मामलों में, लेखा वर्ष के भी पश्चात् संकर्म आरंभ करने के कारण थोड़ी सी कमी है। इस क्षेत्र में एक कंपनी द्वारा सारवान कारबार किया गया है इस क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का कार्यपालन शिथिल रहा है। संतोष का स्तर 1.5 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत के बीच है। इन कंपनियों से ऐसी बाध्यकर परिस्थितियों के विषय में पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने उनके कार्यपालन को प्रभावित किया है।

सामाजिक क्षेत्र : सामाजिक क्षेत्र के संबंध में निजी क्षेत्र की छ: में से दो कंपनियों ने इस खंड की ओर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें कार्यपालन न करने का स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। अन्य मामलों में विनियमों की अपेक्षाओं का सारवान रूप से पालन किया गया है।

सामाजिक क्षेत्र बाध्यताओं के अधीन पब्लिक सेक्टर कंपनियों का कार्यपालन अच्छा रहा है।

तकनीक की भूमिका

जिन लोगों ने पूर्व में तकनीक को अपनाया है, वे इस बात की गवाही देंगे कि इसने सेवाओं के उन्नयन में तथा प्रभावी और दक्ष प्रदाय प्रणाली की स्थापना करने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है और इससे उत्पाद और अधिक प्रचलन में आए हैं और पारदर्शिता बढ़ी है। कारबार के आरंभ में ही सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए अधिकांश बीमाकर्त्ताओं ने राष्ट्रीय स्तर के कॉल सेंटरों, इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस प्रणालियों और वेबसाइट का, ग्राहकों को अपनी आवश्यकतानुसार योजना बनाने में सहायता देने के लिए अंतरसक्रिय औजार उपलब्ध कराते हुए, उपयोग करने के लिए उपाय किए हैं। दूसरी ओर प्राधिकरण ने स्वयं अभिकर्त्ताओं सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के हाथ के हाथ रजिस्ट्रीकरण को और अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन को सुकर बनाया है। प्राधिकरण, न केवल अपने सभी संकर्मों का कंप्यूटरीकरण करने में, अपितु यह सुनिश्चित करने में भी अग्रणी रहा है कि बीमाकर्त्ताओं द्वारा उसे प्रस्तुत की गई सभी विवरणियां इलैक्ट्रानिक प्ररूप में हों, जिससे कि यह प्रस्तुत जानकारी का ऑनलाईन पुनर्विलोकन और शीघ्र विश्लेषण कर सके।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अन्य देशों और विनियामकों के अनुभवों से फायदा उठाने की दृष्टि से प्राधिकरण अपने अधिकारियों को विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजता है। प्राधिकरण के अधिकारी जीवन बीमा और पेंशन, बीमा मानकों, मोटर यान पोर्टफालियो के विशिष्ट प्रतिनिर्देश से गैर-जीवन उद्योग के अनुभव, विकसित हो रही परिस्थितियों में बीमा उद्योग का विनियमन, ग्राहक सेवा, बीमाकर्त्ताओं की शोधन क्षमता, स्थल पर निरीक्षण, बीमा बैंकिंग, आदि जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों से अवगत हुए थे। इन कार्यक्रमों का आयोजन विश्व बैंक बीमा पर्यवेक्षकों की अंतराष्ट्रीय सभा, एशिया विकास बैंक, सिंगापुर के वित्तीय प्राधिकरण, बैंक नेगारा मलेशिया, आस्ट्रेलियाई ए पी ई सी अध्ययन केन्द्र, बीमा आयुक्तों की राष्ट्रीय सभा, वित्तीय सेवा प्राधिकरण और एशिया पेसिफिक जोखिम और बीमा सभा ने किया था। यह संतोषजनक है कि इन पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने वाले हमारे सभी अधिकारियों के कार्यपालन की सराहना की गई है।

दिसम्बर, 2001 में दक्षिण एशियाई देशों के विनियामकों की एक बैठक कोलंबों में आयोजित की गई थी, जिसमें दक्षिण एशिया बीमा विनियामक मंच की स्थापना की गई थी। इस समय श्रीलंका

इस मंच का अध्यक्ष है और भारत इसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित करने की भी पहल की थी। प्राधिकरण ने ऐसा पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्क (दक्षिण एशिया) देशों के विनियामकों के अधिकारियों के लिए आयोजित किया था। भारत के साथ-साथ श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव के विनियामकों ने अपने अधिकारियों को इस चार सप्ताह के कार्यक्रम के लिए नाम निर्दिष्ट किया था। हाल ही में आई आई आर एम और प्राधिकरण ने आई ए आई एस के मूल सिद्धांतों पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें सार्क और एशियाई देशों के विनियामक कार्यालयों के मध्य क्रम के कार्यपालकों ने भाग लिया था। इसके पश्चात् पेंशन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में जीवन बीमाकर्त्ताओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को यह अहसास कराना था कि इस क्षेत्र में शीघ्र सुधारों की आवश्यकता है। दोनों सम्मेलनों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों/वक्ताओं ने संबोधित किया था, जिन्हें अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त थी।

प्राधिकरण का मुख्यालय

बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 3 के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार के, प्राधिकरण के मुख्यालय को आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद में अवस्थित करने के निर्णय और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 दिसम्बर, 2001 को कार्यालय परिसर का शिलान्यास किए जाने के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के बीमांकक विभाग ने 1 अप्रैल, 2002 से हैदराबाद के परिश्रम भवनम् से कार्य करना आरंभ कर दिया था। कार्यालय को नई दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 12 अगस्त, 2002 को पूर्ण हो गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्राधिकरण को, उसके कार्यालय अवस्थित करने के लिए हाई-टेक नगर के वित्तीय जिले में 5 एकड़ भूमि आबंटित की है। स्थल पर विकास कार्य को मानीटर करने के लिए प्राधिकरण के तीन सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई है। समिति ने प्रस्तावित निगम मुख्यालय के डिजाइन से संबंधित परामर्शी कार्य के लिए कुछ वास्तुकारों को सूचीबद्ध कर लिया है इसने प्रस्तावित मुख्यालय के लिए स्थान की वर्तमान आवश्यकताओं को भी अंतिम रूप दे दिया हैं यह आशा की जाती है कि 2004 के आरंभ में पूरा होने वाला निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा।

गृह जर्नल

प्राधिकरण के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना देने के विचार से शीघ्र ही एक गृह जर्नल निकालने का प्रस्ताव है। जर्नल में अन्य बातों के साथ बीमा उद्योग के बारे में सांख्यकीय आंकड़े होंगे। जर्नल के संपादकीय बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों और विशेषज्ञताओं के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हैं।

आभार पूर्ति

प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति, पुनः बीमा सलाहकार समिति, बीमा प्रभाग (वित्त मंत्रालय) के सभी सदस्यों, सभी बीमाकर्त्ताओं और मध्यवर्त्तियों को, इसके समुचित कार्यकरण में मूल्यवान सहायता और सहयोग के लिए और उसके अधिकारियों के संगठित दल तथा प्राधिकरण के कर्मचारियों को उनके कर्त्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आभार व्यक्त और धन्यवाद देना चाहता है। प्राधिकरण जनता, प्रेस, बीमा वृत्ति से जुड़े सभी वृत्तिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों को, उनके द्वारा समय-समय पर किए गए मूल्यवान सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद देता है।

मैं इस रिपोर्ट को एक व्यक्तिगत टिप्पण के साथ समाप्त करना चाहता हूं। मैं सरकारी आदेश के अनुसार, जून 2003 के आरंभ में अपना पदभार छोड़ूंगा। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र के विनियमन के कर्त्तव्य से सात वर्ष लम्बा साथ समाप्त हो जाएगा। यह अवधि सरकार के कार्यपालक आदेश के अधीन संगठन की स्थापना और एक कानूनी निकाय के रूप में बराबर-बराबर बंटी हुई थी। इस अवधि के दौरान जटिलताओं, दबावों और समस्याओं के बावजूद अद्वितीय विकास हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि मूलभूत परिवर्तनों के इस समय में मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूं और मुझे यह देखकर संतोष है कि प्राधिकरण ने विनियामक के रूप में पूरे विश्व में प्रत्यय और विश्वसनीयता अर्जित की है यह कोई छोटी बात नहीं है और इसके पीछे सभी संबद्ध व्यक्तियों-भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, विश्व बीमाकर्त्ताओं, पुनः बीमाकर्त्ताओं, शिक्षाविदों और अंत में किन्तु किसी भी रूप में कमतर नहीं बीमा करने वाली जनता और विवेकी ग्राहकों के प्रतिनिधियों की समझदारी, मार्गदर्शन और धैर्य का हाथ है। मैं इन सभी का ऋणी हूं और आभारी हूं तथा धन्यवाद करता हूं।

तारीख 31 अक्तूबर, 2002 **एन. रंगाचारी**

हैदराबाद

बी.वि.वि.प्रा. के मिशन का कथन

- पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना और उन्हें निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित कराना;
- आम आदमी के फायदे के लिए बीमा उद्योग में त्वरित और सुव्यवस्थित वृद्धि करना (जिसके अंतर्गत वार्षिकी और अधि ावार्षिता संदाय भी हैं) और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को तेज करने के लिए दीर्घकालिक निधियां उपलब्ध कराना;
- जिन्हें यह विनियमित करता है उनका गठन, संवर्धन, मानीटर करना और उनमें अखंडता, वित्तीय मजबूती, ईमानदारी और सक्षमता के उच्च मानक प्रवर्तित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि बीमा ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के विषय में यथार्थ, स्पष्ट और सही जानकारी प्राप्त हो और उन्हें इस संबंध में उनके उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना;
- सच्चे दावों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना, बीमा कपटों और अन्य अनाचार को रोकना तथा प्रभावकारी शिकायत तंत्र की स्थापना करना;
- बीमा के संबंध में कार्यवाही करने वाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित संचालन का संवर्धन करना और बाजार के बीमाकर्त्ताओं के बीच वित्तीय मजबूती के उच्च मानक प्रवर्तित करने के लिए विश्वसनीय प्रबंध सूचना पद्धति बनाना।
- जहां ऐसे मानक अपर्याप्त हैं या अप्रभावी रूप से प्रवर्तित हैं, वहां कार्रवाई करना;
- उद्योग के दिन प्रतिदिन के कार्यकरण में विवेकपूर्ण विनियमन की अपेक्षाओं से सुसंगत स्वत: विनियमन की सर्वोत्तम भावना लाना।

भाग 1

नीतियां और कार्यक्रम

भारतीय जनता को बीमा की आवश्यकता महसूस होती है। इस आवश्यकता को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बी. वि.वि.प्रा.) अधिनियम 1999 पारित किए जाने के साथ बीमा सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करने की एक सुनिश्चित कार्रवाई द्वारा पूरा किया गया है। इसके साथ-साथ सुधार प्रक्रिया ने विनियमन की पारंपरिक धारणा के विकास की आवश्यकता के अतिरिक्त इस क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को भी पहचाना और इसलिए इस क्षेत्र के विकास की बाध्यता भी प्राधिकरण को सौंपी। प्राधिकरण की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत उस विकास के संबंध में जानकारी है, जो पिछले एक वर्ष के दौरान उद्योग में हुआ है ; इसमें इसके द्वारा उद्योग की विश्व मानकों पर वृद्धि को धारा प्रवाह में लाने के लिए किए गए प्रयासों का भी ब्यौरा है। विनियमन और विकास के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों में यह आशा की जाती है कि इनके परिणामस्वरूप बीमा कारबार में राष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित वृद्धि होगी। प्रक्रिया के दौरान इनसे ग्राहकों के हितों की दीर्घकालिक संरक्षा भी होगी।

प्राधिकरण का कार्य राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उद्योग में उस रीति में उदार प्रतियोगिता को स्थापित करना और उसका संवर्धन करना है, जो भारतीय बीमा बाजार में एक दीर्घकालिक वृद्धि करेगी। अंतिम विश्लेषण में इससे राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा। प्राधिकरण, ग्राहकों विशेषकर ग्रामीण, सामाजिक और असंगठित क्षेत्र के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उत्पादों के साथ बीमा सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

प्राधिकरण के प्रारंभिक प्रयासों का उद्देश्य विवेकपूर्ण विनियमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीति दिशा-निर्देश विहित करना है। इसके पश्चात् बाजार में विभिन्न स्तरों पर मध्यस्थता को आरंभ किया गया है, जो उपभोक्ताओं की सहायता करेंगे और उनकी बीमा जागरूकता के स्तर को बढ़ाने को सुकर बनाएंगें। इस संबंध में प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में तीसरा पक्षकार प्रशासकों की स्थापना और सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के वृत्तिकरण को सुकर बनाया है हाल ही में दलाली और निगम अभिकरणों की पद्धतियों को मान्यता प्रदान की गई है।

विनियम बनाने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और बाजार की आवश्यकताओं को दर्शित किए जाने को पूर्विक्ता दी जाती है। जैसाकि प्राधिकरण द्वारा प्रवृत्त किए गए विनियम साक्षी हैं, मध्यवर्तियों के साथ बीमाकर्त्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों की इस खेल के नियमों से धीरे-धीरे अभिज्ञता ने कभी-कभार वर्तमान विनियमों के पुनर्विलोकन की मांग की है। इसे किसी अवधि के दौरान बाजार को संतोषजनक रूप में विकास प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए समय रहते किया गया है। वर्ष के दौरान ऐसी कोई अनियमितताएं नोट नहीं की गई, जिनके प्रति विनियामक चिंतित हो।

पिछले वर्ष के दौरान उद्योग की स्थिति और इसके कार्यपालन के पुनर्विलोकन को, जिसे आगे दिया गया है, इस दृष्टि से तैयार किया गया है कि यह उद्योग का आधार विस्तृत होने के पश्चात् इसमें हुए विकास और विहित मापदंडों की पृष्ठभूमि में इसकी उपलब्धियों के स्तर को ठीक-ठीक उपदर्शित करे।

क. साधारण आर्थिक परिस्थितियों का पुनर्विलोकन

विश्व गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था भी कष्ट और दबाव की ऐसी अवधि से गुजर रही है जिसमें घरेलू और बाहरी दोनों प्रकार के कई कारक इसके कार्यपालन को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले वर्ष की 4 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि एक महत्वपूर्ण सुधार था। इस वृद्धि को कृषि और सहयोगी क्षेत्रों में 5.7 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 3.3 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि ने सुकर बनाया। कृषि क्षेत्र के खराब परिणामों ने जी डी पी की वृद्धि को प्रभावित किया है (विश्व में, इस क्षेत्र ने मात्र 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की)। 11 सितंबर की आतंकवादी कार्रवाई के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन और निर्यात दोनों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ा। साथ ही वस्तुओं और उत्पादों के मूल्य भी प्रभावित हुए। दिलचस्प बात यह है कि घरेलु जी डी पी में असंतोषप्रद वृद्धि के बावजूद वर्तमान वृद्धि वर्ष 2001-02 में विश्व में अधिकतम है। प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर दलालों के रूप में कई निरोधों के बावजूद इस वृद्धि स्तर को प्राप्त करना स्वयं में एक चमत्कार है।

ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनके प्रति हम चिंतित हैं, अर्थात् अर्थव्यवस्था में धीमा सुधार, औद्योगिक उत्पादन में कमी (8.5 प्रतिशत के औसत का पिछले कुछ वर्षों में केवल 5.8 प्रतिशत रह जाना) कृषि क्षेत्र में

मूल्यवर्धन वृद्धि में कमी, अवसंरचना के, विशिष्टतया विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वांछित विकास न होना है। उच्चतर आर्थिक विकास स्तरों को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना वितपोषण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निधियां जुटाना। इस संबंध में बीमा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

किसी को भी सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिसका सुव्यवस्थित विकास देश में सुपात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों के हाथ में धन का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। इससे सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

तथापि हाल ही की गतिवधियां हमें थोड़ा चिंतामुक्त करती हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष 2002-03 की प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान की 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आर्थिक वृद्धि हुई है। पारंपरिक क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, खनन, विनिर्माण और संनिर्माण से भी अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास का सूचक है, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 2.7 प्रतिशत विकास दर की तुलना में 3.8 प्रतिशत की दर से विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त दसवीं योजना के दस्तावेजों को योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् सुधार प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है। आयोग ने सुधार की कार्यसूची का, जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर उद्यमों का विनिवेश, कर-सुधार, राष्ट्रीय बाजार का सृजन और देश में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए मुख्य संसाधन अनुपूरक के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है, पूरजोर समर्थन किया है।

सारणी - 1
भारत की प्रोफाइल

कुल क्षेत्र	3287590 वर्ग किलोमीटर
भूमि क्षेत्र	2973190 वर्ग किलोमीटर
तट क्षेत्र	7000 किलोमीटर
राज्य	29
संघ राज्य क्षेत्र	6
जिले	463
जनसंख्या	104 करोड (2002 जुलाई को)
शहरी जनसंख्या	27 प्रतिशत
जनसंख्या वृद्धि	(1.51 प्रतिशत 2002)
लिंग अनुपात 2002 (1.07 पुरूष / स्त्रियाँ)	927 महिलायें प्रति 1000 पुरूष पर
जनसंख्या घनत्व	312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
साक्षरता दर	52.10 प्रतिशत (पुरूष 65.5 प्रतिशत स्त्रियाँ. 37.7 प्रतिशत)
जीवन प्रत्यांशा (2002 स्था)	जनसंख्या - 63.23 स्त्रियाँ 63.93 पुरूष 62.55

सारणी -2

सकल घरेलू बचत और निवेश

मदें	जी.डी.पी. प्रतिशत के रूप में विद्यमान बाजार कीमतों पर बचत दरें				रू. करोड में		
	2000-01*	1999-00 @	1998-99@	1994-95 से 1997-98	2000-01*	1999-00 @	1998-99 @
1	2	3	4	5	6	7	8
1 घरेलू बचत जिसमें से	20.9	20.3	18.9	18.1	4,35,926	3,92,632	3,29,414
क) वित्तीय संपत्तियां	11	10.7	10.5	10.2	2,28,862	2,07,538	1,82,958
ख) भौतिक संपत्तियाँ	9.9	9.6	8.4	7.9	2,07,064	1,85,094	1,46,456
2 निजी निगमित क्षेत्र	4.2	3.7	3.7	4.3	86,881	71,882	65,026
3 सार्वजनिक क्षेत्र	-1.7	-0.9	-1.0	1.7	-34,479	-17,326	-17,169
4 सक्ल घरेलू बचत	**23.4**	**23.2**	**21.7**	**24.1**	**4,88,328**	**4,47,188**	**3,77,271**
5 शुद्ध पूँजी आगमन	0.6	1.1	1.0	1.4	12,977	21,988	18,090
6 सकल घरेलू बचत विरंचना	**24**	**24.3**	**22.7**	**25.5**	**5,01,305**	**4,69,176**	**3,95,361**
7 सकल घरेलू बचतें गलतियाँ तथा भूल	1.1	1	1.3	1.9	23,113	20,025	23,152
8 सकल पूंजी विरचना जिसमें से :	**22.9**	**23.3**	**21.4**	**23.6**	**4,78,192**	**4,49,151**	**3,72,209**
(क) सार्वजनिक क्षेत्र	7.1	7.1	6.6	7.5	1,48,106	1,37,670	1,14,545
(ख) निजी निगमित क्षेत्र	5.9	6.5	6.4	8.1	1,23,022	1,26,387	1,11,208
(ग) घरेलू क्षेत्र	9.9	9.6	8.4	7.9	2,07,064	1,85,094	1,46,456

*द्रूत अनुमान @ अंतरिम अनुमान

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सारणी 3

(घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचत) प्रतिशत विवरण

मदें	2000-01*	1999-00@	1998-99@	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वित्त बचतें (सकल)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	(12.7)	(12.6)	(12.0)	(11.3)	(11.6)	(10.5)	(14.4)	(12.8)
ए) मुद्रा	6.4	8.6	10.4	7.4	8.6	13.3	10.9	12.2
	(0.8)	(1.1)	(1.3)	(0.8)	(1.0)	(1.4)	(1.6)	(1.6)
बी) निक्षेप	44.3	39.2	39.2	46.6	48.1	42.5	45.5	42.6
	(5.6)	(4.9)	(4.7)	(5.3)	(5.6)	(4.5)	(6.5)	(5.4)
बैंक के साथ	38.8	35.1	32.1	37.8	25.7	26.3	35.3	27.9
गैर बैंकिंग कंपनियों के साथ	3.4	2.6	3.7	3.9	16.4	10.6	7.9	10.6
सहकारी बैंक तथा समितियों के साथ	2.5	1.9	3.9	5.3	6.4	5.8	3	5.2
व्यापार कर्ज (शुद्ध)	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.2	-0.8	-1.1
(सी) हिस्से और डिवेंचर	2.7	6.4	3.6	2.9	6.6	7.3	11.9	13.5
	(0.3)	(0.8)	(0.4)	(0.3)	(0.8)	(0.8)	(1.7)	(1.7)
निजी निगमित व्यापार	1.3	1.4	1.6	1.3	3.6	6.6	8	7.5
सहकारी बैंक तथा समिति	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
यू.टी.आई के यूनिट	-0.5	0.7	0.9	0.3	2.4	0.2	2.7	4.3
पी.एस. यू के बांड	–	–	–	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
म्युचुअल बांड (यू.टी.आी के अतिरिक्त)	1.8	4.2	1	1.1	0.3	0.3	1.1	1.2
(डी) दावे सरकार से	13.1	11.9	13.5	12.9	7.4	7.7	9.1	6.3
	(1.7)	(1.5)	(1.6)	(1.5)	(0.9)	(0.8)	(1.3)	(0.8)
सरकारी प्रतिभूति में निवेश	1.6	0.9	0.6	1.6	0.4	0.4	0.1	0.4
छोटे फंडों में निवेश	11.6	11	12.8	11.3	7	7.4	9	5.9
(ई) बीमा फंड	12.8	11.8	11.2	11.3	10.2	11.2	7.8	8.7
	(1.6)	(1.5)	(1.3)	(1.3)	(1.2)	(1.2)	(1.1)	(1.1)
जीवन बीमा फंड	12.2	11.1	10.5	10.6	9.5	10.4	7.2	8
डाक बीमा	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
राज्य बीमा	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
(एफ) भविष्य और पेंशन निधि	20.7	22.2	22.1	18.8	19.2	18	14.7	16.7
	(2.6)	(2.8)	(2.7)	(2.1)	(2.2)	(1.9)	(2.1)	(2.1)

*द्रूत अनुमान @अंतरिम अनुमान

टिप्पणी

1. कोष्टक आंकडे प्रतिशत में जबकि जीडीपी चालू बाजार दरें
2. प्रर्णांक करने के कारण अंको के योग में अंतर हो सकता हैं

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सारणी - 4
भारत कुल भुगतान शेष

मदें	(रू. करोड में)				(यू एस डॉलर रू. मिलियन)			
	2001-02	2000-01	1999-00	1998-99	2001-02	2000-01	1999-00	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. चालू खाता								
निर्यात एफ औ बी	2,14,351	2,05,287	1,62,753	1,44,436	44,915	44,894	37,542	34,298
आयात सी आई एफ	2,74,778	2,70,663	2,40,112	1,99,914	57,618	59,264	55,383	47,544
व्यापार शेष	-60,427	-65,376	-77,359	-55,478	-12,703	-14,370	-17,841	-13,246
अदृश्य शुद्ध	67,146	53,945	57,028	38,689	14,054	11,791	13,143	9,208
ए) गैर कारक सेवायें	20,141	11,401	17,670	9,114	4,199	2,478	4,064	2,165
उनमें से सॉफ्टवेयर निर्यात	34,215	29,014	17,412	11,064	7,174	6,341	4,015	2,626
बी) आय	-12,663	-17,414	-15,431	-14,967	-2,654	-3,821	-3,559	-3,544
सी) निधि स्थानांतरण	57,821	58,412	53,132	43,242	12,125	12,798	12,256	10,280
डी) आधिकारिक स्थानांतरण	1,847	1,546	1,657	1,300	384	336	382	307
चालू खाता शेष	6,719	-11,431	-20,331	-16,789	1,351	-2,579	-4,698	-4,038
बी. पूँजी खाता								
विदेश निवेश (शुद्ध)	28,275	23,267	22,501	10,169	5,925	5,102	5,191	2,412
प्रत्यक्ष निवेश	18,658	10,672	9,396	10,388	3,905	2,342	2,167	2,480
पोर्टफोलियो निवेश	9,617	12,595	13,105	-219	2,020	2,760	3,024	-68
शुद्ध बाह्य सहायता	5,830	2,079	3,915	3,484	1,204	427	901	820
संवितरण	16,073	13,527	13,339	11,506	3,352	2,942	3,074	2,726
परिशोधन शुद्ध	-10,243	-11,448	-9,424	-8,022	-2,148	-2,515	-2,173	-1,906
शुद्ध वाणिज्यिक	-5,432	18,832	1,360	18,557	-1,147	4,011	313	4,362
संवितरण	14,940	43,091	13,823	30,624	3,125	9,324	3,187	7,226
कमिक उपाकरण	-20,372	-24,259	-12,463	-12,067	-4,272	-5,313	-2,874	-2,864
कम समय अवधि की ऋण,शुद्ध	-4,236	321	1,633	-3,116	-890	105	377	-748
बैंकिंग पूँजी	21,883	3,517	9,217	3,129	4,607	811	2,127	698
उसमें स एनआरआई जमा शुद्ध	13,127	10,567	6,709	4,060	2,754	2,317	1,540	960
रुपये सेवा ऋण	-2,458	-2,763	-3,059	-3,308	-519	-617	-711	-802
अन्य शुद्ध पूँजी	1,862	-3,654	9,761	6,967	365	-816	2,246	1,693
पूँजी खाता	45,724	41,599	45,328	35,882	9,545	9,023	10,444	8,435
सी. गलतियाँ तथा भूलें	4,149	-2,506	2,773	-848	861	-588	656	-175
डी. कुल शेष (ए5+ बी8+ सी)	**56,592**	**27,662**	**27,770**	**18,245**	**11,757**	**5,856**	**6,402**	**4,222**
इ. वित्तीय प्रवर्तन (एफ+ जी)	-56,592	-27,662	-27,770	-18,245	-11,757	-5,856	-6,402	-4,222
एफ. आई एम एफ, शुद्ध	0	-115	-1,122	-1,652	0	-26	-260	-393
जी. विदेश विनिमय भंडार (कमी – बढोतरी +)	**-56,592**	**-27,547**	**-26,648**	**-16,593**	**-11,757**	**-5,830**	**-6,142**	**-3,829**

शामिल है : निर्यात प्राप्ति में देरी, अग्रिम भुगतान, आयात के लिये, निवासियों द्वारा अनिवासियों को ऋण

टिप्पणी

- लौटते भारतीयों के द्वारा लाया गया सोनाव, चाँदी आयात में शामिल किया गया साथ ही उसकी प्रविष्टि निजी स्थानांतरण रसीद में की गयी।
- डीजीसीआई व एस द्वारा उपलब्ध आयात तथा निर्यात के आंकडे अलग है जिसका कारण मूल्यांकन समय तथा आवरण है।

सारणी - 5

वृहत - आर्थिक औसत (चालू दरों पर)

रू. करोड में

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	जीडीपी कारक लागत	नियत पूँजी का उपभोग	एन डी पी कारक लागत	सहायता घटाकर अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी बाजार दर पर	एन डी पी बाजार दरों पर	विदेश से शुद्ध फंक्टर आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नई श्रंखला आधार **1993-94**								
1950-51	359	9547	364	9183	387	9934	9570	-41
1960-61	434	16220	944	15276	947	17167	16223	-72
1979-80	664	108927	10449	98478	11914	120841	110392	153
1989-90	822	438020	46560	391460	48159	486179	439619	-5731
1999-00(क्यू ई)	991	1786459	180727	1605732	170538	1956997	1776270	-15431
2000-01(आर ई)	1007	1978042	–	1782001	–	–	–	–

वर्ष	जीएनपी कारक लागत	एनएनपी कारक लागत	जीएनपी बाजार दरें	एनएनपी बाजार दरें	निजी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफ सी ई)	सरकारी अंतिम उपभोग खर्च (जी एफसी ई)	जीडीपी जनता क्षेत्र की	एनडीपी जनता क्षेत्र की	व्यक्तिगत निपटान आय
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
नई श्रंखला आधार **1993-94**									
1950-51	9506	9142	9893	9529	–	592	–	–	8876
1960-61	16148	15204	17095	16151	16166	1206	1609	1392	14638
1979-80	109080	98631	120994	110545	98264	12481	21344	20217	97634
1989-90	432289	385729	480448	433888	338750	57909	112276	90930	392223
1999-00(क्यू ई)	1771028	1590301	1941566	1760839	1265432	251516	459858	387919	1649228
2000-01(आर ई)	1961279	1765238	–	–	–	–	–	–	–

वर्ष	जीडीसीएफ	एनडीसीएफ	जीडीएस	एनडीएस	प्रतिव्यक्ति जीएनपी कारक लागत पर(रूपये)	प्रतिव्यक्ति एनएनपी कारक लागत पर (रूपये)
1	19	20	21	22	23	24
नई श्रंखला आधार **1993-94**						
1950-51	866	502	887	523	265	255
1960-61	2470	1526	1989	1045	372	350
1979-80	24894	14445	24314	13865	1643	1485
1989-90	119258	72698	106979	60419	5259	4693
1999-00(क्यू इ)	455228	274501	435572	254845	17871	16047
2000-01(आर ई)	–	–	–	–	19476	17530

आर ई : संशोधित अनुमान

क्यू ई : जल्द अनुमान @:मध्य वित्तीय वर्ष से संबंधित

उत्पादक द्वारा दिये गये फीस, दंड, इत्यादि पर आंकडे उपलब्ध नही हैं इस हद तक व्यक्तिक प्रयोज्य आय को अनुमानतः शामिल किया गया है।

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सारणी - 6

मुख्य बाजार सूचक

जीवन तथा गैर जीवन बाजार का आकार	9.94 अरब डॉलर			
कुल विश्व का बीमा प्रीमियम	2422 अरब डॉलर			
वर्ष 2001-02 में वार्षिक वृद्धि की दर	जीवन - 43 प्रतिशत गैर जीवन 13.65 प्रतिशत			
नये बीमाकर्ताओं के लिये भौगौलिक निवर्धन	कोई नही, बीमाकर्ता पूरे देश में परिचालन कर सकता है।			
नये बीमाकर्ता के लिये साम्या निवर्धन	विदेशी प्रवर्तक से इक्विटी का 26 प्रतिशत तक धारण कर सकता है।			
पंजीकरण निवर्धन	सम्मलित पंजीकरण उपलब्ध नही।			
पंजीकृत कंपनियों की संख्या	कारोबार का प्रकार	सार्वजनिक	निजी	कुल
	जीवन बीमा	01	12	13
	गैर जीवन	04	09	13
	पुनर्बीमा	01	00	01
	कुल	**06**	**21**	**27**

जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1. अलायंस बजाज जीवन बीमा कं. लि. 2. बिरला सनलाइफ जीवन बीमा कं. लि. 3. एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ बीमा कं. लि. 4. आई सी आई सी आई प्रूडेंश्यिल लाइफ बीमा कं. लि. 5. आई एन जी वैश्या लाइफ बीमा कं. लि. 6. मैक्स न्यूयार्क लाइफ बीमा कं. लि. 7. मेटलाइफ इंश्योरेंस कं. लि. 8. ओम कोटक महेन्द्रा लाइफ बीमा कं. लि. 9. एस बी आई लाइफ बीमा कं. लि. 10. टाटा ए आई जी बीमा कं. लि. 11. ए एम पी सनमार्न इंश्योरेंस कं. लि. 12. डाबर सी जी यू लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

साधारण बीमा

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1. न्यू इंडिया एश्योरेंस क. लि.	1.बजाज अलायंस साधारण बीमा कं. लि.
2. नेशनल इंश्योरेंस क. लि.	2.आई सी आई सी आई लाम्बार्ड साधारण बीमा कं. लि.
3. ओरियेंटल इंश्योरेंस क. लि.	3.इफ्को - टोकियो साधारण बीमा कं. लि.
4. युनगइटेड इंश्योरेंस क. लि.	4.रिलायंस साधारण बीमा कं. लि.
	5.रॉयल सुन्दरम एलायंस बीमा कं. लि.
	6.टाटा ए आई जी साधारण बीमा कं. लि.
	7.चोलमंडलम साधारण बीमा कं. लि.
	8.एयसपोर्ट क्रेडिट गारंटी निगम
	9.एच डी एफ सी चब्ब साधारण बीमा कं. लि.

पुनर्बीमाकर्ता

भारतीय साधारण बीमा निगम	
नये व्यवसायियों का व्यापार -	जीवन 4 से 5 प्रतिशत
अनुमानित आज से तीन साल की समाप्ति पर :	गैर जीवन 10 से 12 प्रतिशत

स्त्रोत : एफ आई सी सी आई सर्वे - 2002
*31.3.2002 के बाद पंजीकृत बीमाकर्ता

सारणी - 7

आर्थिक व सामाजिक सूचक

जनसंख्या 10 लाख में (2002)	1045
धरातलीय क्षेत्रफल 1000 वर्ग कि.मी.	3288
जनसंख्या का घनत्व	312
जीएनपी अरब डॉलर में (2002)	320
जीएनपी के आधारानुसार विश्व में स्थान	11
जीएनपी में वार्षिक औसत वृद्धि	6.8
जीडीपी में वार्षिक औसत वृद्धि (प्रतिशत)	05
स्वास्थ्य पर जीडीपी का लोकव्यय (प्रतिशत) (1998)	0.6
शिक्षा पर जीएनपी का लोकव्यय (प्रतिशत)	3.2
शिशु मृत्यु प्रति 1000 जन्म पर	61.467 मृत / 1000 जीवित जन्म (2002)

स्त्रोत : सी आई ए

सारणी - 8 (i)

जनसांख्यिक प्रवृतियाँ और प्रक्षेपण - 1*

	1996	2001	2006	2011
कुल जनसंख्या (10 लाख)	934.22	1012.39	1094.13	1178.89
शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)	27.23	28.77	30.35	31.99
लिंग अनुपात (प्रति महिलाओं पर पुरूष)	107.9	107.2	106.6	106

सारणी - 8(ii)

जनसांख्यिक प्रवृतियाँ और प्रक्षेपण - 2**

	1996-2001	2001-2006	2006-2011
जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.62	1.57	1.5
जन्म पर जीवन की प्रत्यंशा (पुरूष/वर्ष)	62.36	63.87	65.65
जन्म पर जीवन की प्रत्यंशा (स्त्री/वर्ष)	65.27	66.91	67.67

** स्त्रोत : जनगणना सांख्यिकी

ख. बीमा बाजार का मूल्यांकन

आधी सदी से भी कम समय में देश में बीमा क्षेत्र, जो आरंभ में खुला प्रतियोगी बाजार था, का पूर्णतया राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर पुन: उदारीकरण हुआ और अब इसमें निजी और पब्लिक सेक्टर कंपनियां समान स्तर पर कार्य कर रही हैं। उद्योग में अधिकांश नई कंपनियों ने विदेशी भागीदारों के, जो कुल समादत साम्या पूंजी के 26% को धारित करते हैं, सहयोग से संयुक्त उद्यम के रूप में प्रवेश किया है। जहां वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान चार निजी क्षेत्र की कंपनियों ने जीवन बीमा कारबार आरंभ किया था वहीं वर्ष 2001-02 के दौरान उनकी संख्या ग्यारह हो गई थी। इसी अवधि के दौरान गैर-जीवन खंड में निजी बीमाकर्त्ताओं की संख्या चार से बढ़कर छ: हो गई।

क्षेत्र को निजी बीमाकर्त्ताओं के लिए खोलने से ऐसे कई नए उत्पाद सामने आए हैं जो ग्राहकों द्वारा ध्यान दिए जाने योग्य हैं और संभवत: भारतीय बीमा बाजार तेजी से विकसित हो रहे बाजारों में से एक है। उभरते हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, धन में वृद्धि, शिक्षा और बीमा आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता, ये ऐसे कारक हैं जो भारतीय बीमा बाजार की पहुंच में वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। स्वयं उद्योग, वृद्धि के लिए कर प्रोत्साहनों के एकमात्र सामान्य कारक से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। उद्योग आज धीरे-धीरे जीवन बीमा निगम का पर्यायवाची होने की स्थिति से बाहर रहा है।

नए बीमाकर्त्ताओं के आ जाने से यह आशा की जाती है कि बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) और बीमा की पहुंच (बीमा सेवाओं के लिए व्यय आय के प्रतिशत के रूप में) में वृद्धि होगी। स्विस रे द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर ये क्रमश: 9.9 अमरीकी डालर और सकल घरेलू उत्पाद का 2.32% थे। भारत बीमा घनत्व के निबंधनों में 78वें और बीमा की पहुंच के निबंधनों में 58वें स्थान पर आता है। इसकी तुलना में औद्योगिक राष्ट्रों में वर्ष 2000में बीमा दर औसतन 2384 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति थी और उन्होंने संयुक्त जी डी पी का 9.1% खर्च किया। बीमा की पहुंच, जिसका निर्धारण बीमा प्रीमियम के सकल घरेलू बचत (जी डी एस) से अनुपात द्वारा भी किया जाता है, 1999में इंग्लैंड के लिए 58%, अन्य यूरोपीय और अमरीकी देशों के लिए 35% थी, जबकि भारत के लिए यह मात्र 9% थी। सकल बीमा प्रीमियमों के निबंधनों में विश्व बाजार में भारत का अंश केवल 0.3% है, जबकि जापान का अंश 31%, यूरोपीय संघ का अंश 25%, दक्षिण अफ्रीका का अंश 2.3% और कनाडा का अंश 1.7% है।

प्राधिकरण द्वारा हाल ही में अधिसूचित दलालों और निगम अभिकर्त्ताओं से संबंधित विनियमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश में बीमा पहुंच का स्तर बढ़ाने में सहायता करेंगे और अनुज्ञात तीसरा पक्षकार प्रशासक पद्धति आरंभ करने से स्वास्थ्य बीमा खंड का संवर्धन होगा। प्राधिकरण बीमा क्षेत्र को निजी बीमाकर्त्ताओं के लिए खोलने के साथ ही अपनी विचारधारा में यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान है कि केवल उन्हीं कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण किया जाए, जिनकी भारत के प्रति गहन प्रतिबद्धता है और जिनमें लंबे समय तक बने रहने की क्षमता है यह तथ्य कि नए बीमाकर्त्ताओं के पास सह-प्रवर्तक के रूप में एक सुविख्यात और लंबे समय से कारबार कर रही (अधिकांश मामलों में 100 वर्ष से अधिक) बीमा कंपनी है, इस विश्वास को दृढ़ करता है कि भारत में बीमा कारबार के विकास के प्रति संयुक्त उद्यम की प्रतिबद्धता एक दीर्घकालिक कार्य योजना है,जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह विश्वास वास्तविक और निष्पाद्य है।

नई जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों में अभी तक 624.56 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है।

सारणी 9(i) और (ii) हाल ही में समाप्त हुए वर्ष में उद्योग के विकास को उपदर्शित करती हैं।

सारणी - **9 (i)**
अंतर्राष्ट्रीय तुलना (बीमा प्रवेशन)

	बीमा प्रवेशन (**1999** में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत प्रीमियम)			बीमा प्रवेशन (**2000** में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत प्रीमियम)		
देश	योग	गैर जीवन	जीवन	योग	गैर जीवन	जीवन
संयुक्त राज्य अमेरिका	8.55	4.32	4.23	8.76	4.28	4.48
कनाडा	6.49	3.31	3.19	6.56	3.28	3.27
ब्राजील	2.01	1.66	0.35	2.11	1.75	0.36
मैक्सिको	1.68	0.86	0.82	1.72	0.85	0.86
चीली	3.78	1.13	2.65	4.07	1.15	2.92
युनाइटेड किंग्डम	13.35	3.05	10.30	15.78	3.07	12.71
जर्मनी	6.52	3.55	2.96	6.54	3.55	3.00
फ्रांस	8.52	2.82	5.70	9.40	2.81	6.59
रूस	2.13	1.34	0.78	2.42	1.29	1.13
जापान	11.17	2.30	8.87	10.92	2.22	8.70
दक्षिण कोरिया	11.28	2.89	8.39	13.05	3.16	9.89
चीन	1.63	0.61	1.02	1.79	0.67	1.12
भारत	**1.93**	**0.54**	**1.39**	**2.32**	**0.55**	**1.77**
मलेशिया	3.88	1.72	2.16	3.72	1.59	2.13
इंडोनेशिया	1.42	0.76	0.66	1.18	0.64	0.54
दक्षिण अफ्रीका	16.54	2.62	13.92	16.86	2.83	14.04
नाइजीरिया	0.95	0.88	0.07	0.66	0.53	0.13
केन्या	3.26	2.48	0.78	2.63	1.91	0.72
आस्ट्रेलिया	9.82	3.39	6.43	9.41	3.37	6.04

स्त्रोत : स्वीस री सीगमा अंक -9-2000 तथा 6 / 2001

सारणी - **9(ii)**
अंतर्राष्ट्रीय तुलना (बीमा प्रवेशन)

	बीमा प्रवेशन (**1999** में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत प्रीमियम)			बीमा प्रवेशन (**2000** में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत प्रीमियम)		
देश	योग	गैर जीवन	जीवन	योग	गैर जीवन	जीवन
संयुक्त राज्य अमेरिका	2921.1	1474.4	1446.6	3152.1	1540.7	1611.4
कनाडा	1375.3	700.6	674.6	1516.8	759.6	757.2
ब्राजील	68.6	56.7	11.8	75.6	62.7	12.9
मैक्सिको	84.6	43.3	41.3	101.2	50.4	50.8
चीली	163.0	48.7	114.3	175.8	49.7	126.0
युनाइटेड किंग्डम	3244.3	741.5	2502.8	3759.2	730.7	3028.5
जर्मनी	1675.7	913.5	762.2	1491.4	808.5	683.0
फ्रांस	2080.9	688.6	1392.3	2051.1	613.7	1437.4
रूस	26.8	17.0	9.9	41.8	22.3	19.5
जापान	3908.9	805.5	3103.4	3973.3	808.2	3165.1
दक्षिण कोरिया	1022.8	262.3	760.5	1234.1	298.5	935.6
चीन	13.3	5.0	8.3	15.2	5.7	9.5
भारत	**8.5**	**2.4**	**6.1**	**9.9**	**2.3**	**7.6**
मलेशिया	140.4	62.3	78.1	150.9	64.6	86.4
इंडोनेशिया	9.5	5.1	4.4	8.6	4.6	4.0
दक्षिण अफ्रीका	490.9	77.9	413.0	472.1	79.1	392.9
नाइजीरिया	2.6	2.4	0.2	2.0	1.6	0.4
केन्या	9.9	7.5	2.4	8.9	6.5	2.4
आस्ट्रेलिया	2037.4	703.8	1333.6	1859.3	665.8	1193.5

स्त्रोत : स्वीस री सीगमा अंक -9-2000 तथा 6 / 2001

बीमा की पहुंच–जी.डी.पी. प्रतिशत के रूप में प्रीमियम–2000

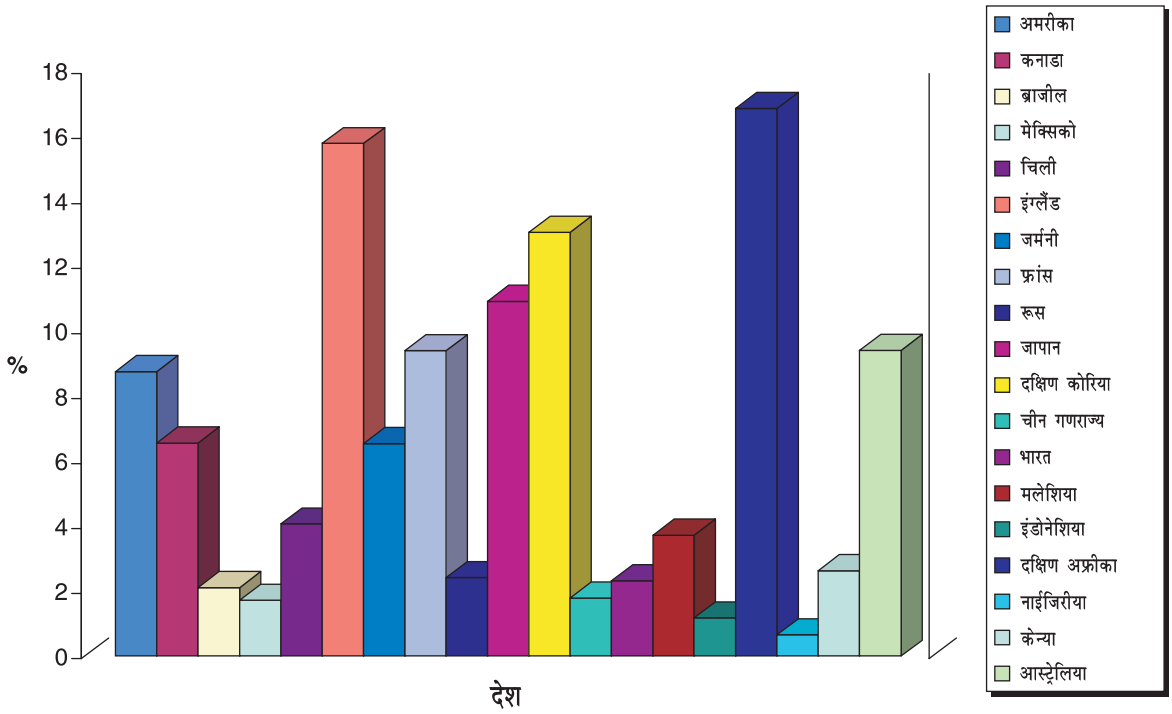

प्रतिव्यक्ति बीमा घनत्व प्रीमियम अमरीकी डॉलर में 2000

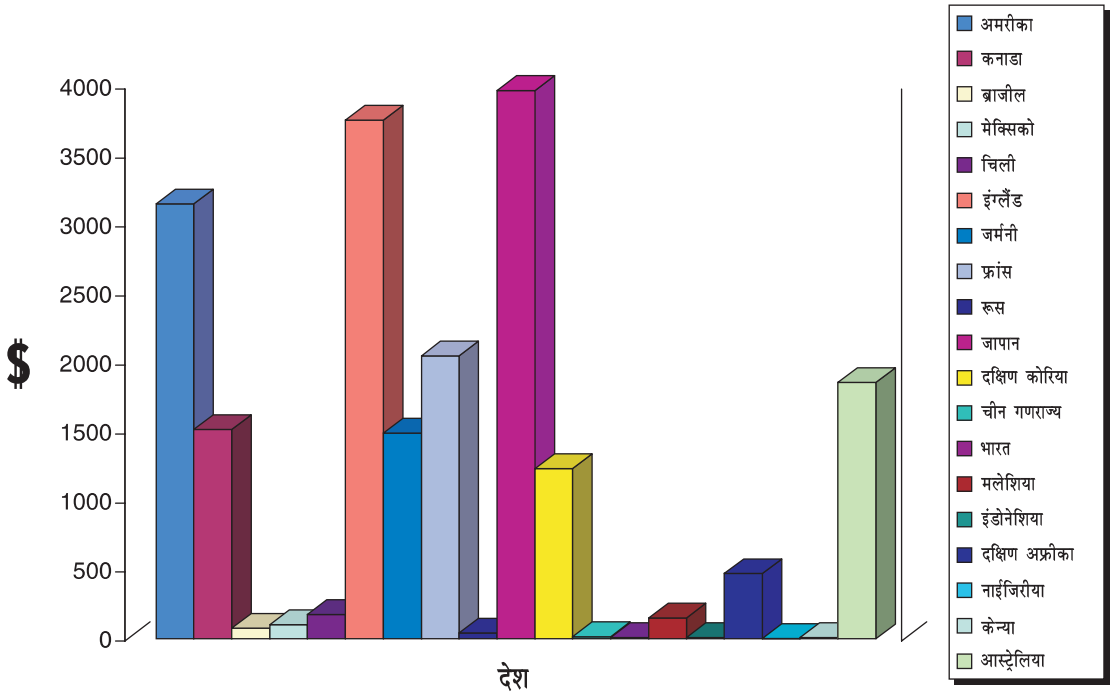

(i) जीवन बीमा

नई जीवन बीमा कंपनियों के लिए वर्ष 2001-02 संकर्मों का पहला पूर्ण वर्ष था; वित्तीय वर्ष के अंत तक ऐसी निजी कंपनियों की संख्या ग्यारह हो गई थी और वे एकाश्म पब्लिक सेक्टर भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रतियोगी थीं। कुल मिलाकर उद्योग ने पिछले वर्ष की 25.26% की विकास दर की तुलना में निम्नांकित सकल प्रीमियम के निबंधनों में 43.03 की विकास दर दर्ज की थी। जीवन खंड में कंपनियों के कुल कार्य पालन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने पिछले वर्ष की 25. 08% की तुलना में इस वर्ष प्रीमियम आय में 42.79% की वृद्धि दर्शित की। प्रथम प्रीमियम आय में पिछले वर्ष की 35.96% वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 50.69% की भारी वृद्धि हुई और निम्नांकित कुल प्रथम वर्ष प्रीमियम 10492.72 करोड़ रुपए रहा। निगम द्वारा निम्नांकित नवीकरण प्रीमियम 30233.14 करोड़ रुपए था और यह पूर्ववर्ती वर्ष से 20% अधिक था। निम्नांकित एकल प्रीमियम और मंजूर की गई वार्षिकी का प्रतिफल (सी ए जी) (जिसके अंतर्गत बीमा निवेश भी हैं) जो पिछले वर्ष 2737.73 करोड़ रुपए था, इस वर्ष बढ़कर 9096.05 करोड़ रुपए हो गया। एल आई सी की पेंशन योजनाओं, अर्थात् जीवनधारा और जीवन अक्षय, ने भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की और इस वर्ष इनके अधीन, पूर्ववर्ती वर्ष के 264.91 करोड़ रुपए के निम्नांकित प्रीमियम की तुलना में 2322.69 करोड़ रुपए का प्रीमियम निम्नांकित हुआ। जीवन सुरक्षा योजना के अधीन पिछले वर्ष के 669.54 करोड़ रुपए के कारबार की तुलना में इस वर्ष 842.24 करोड़ रुपए का कारबार निम्नांकित किया गया और इसने लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की। पेंशन और समूह स्कीमों (पी एंड जी एस) का प्रीमियम पूर्ववर्ती वर्ष के 3134.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 4033.43 करोड़ रुपए हो गया, अर्थात् इसमें पिछले वर्ष से 29% से भी अधिक वृद्धि हुई।

इस वर्ष निगम द्वारा निम्नांकित कुल प्रीमियम, जिसके अंतर्गत व्यष्टि पेंशन योजनाएं, पी एंड जी एस और जीवन सुरक्षा है, पिछले वर्ष के 34892.02 करोड़ रुपए की तुलना में 49821.91 करोड़ था, अर्थात् इसमें कुल 42.79% की वृद्धि हुई। निगम की कुल आय जो पिछले वर्ष 54766.60 करोड़ रुपए थी, इस वर्ष बढ़कर 73780.07 करोड़ रुपए हो गई, अर्थात् इसमें 34.71% की वृद्धि हुई। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में निगम के लिए वर्ष 2001-02 में दर्ज की गई अभूतपूर्व वृद्धि को बनाए रखना कठिन होगा। एल आई सी ने नेपाल और श्रीलंका में भी बीमा कारबार आरंभ करने के लिए एक पब्लिक कंपनी का गठन करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने संकर्म आरंभ किए है। यह अमरीकी बाजार में प्रवेश करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है और इसकी योजना अमरीका में अनिवासी भारतीयों के निम्नांकन कारबार के लिए निगम अभिकर्त्ता के रूप में कारबार आरंभ करने की है।

निजी क्षेत्र में चार कंपनियों अर्थात् बिरला सनलाईफ, आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल, मेक्स न्यूयार्क और एच डी एफ सी स्टेंडर्ड लाईफ ने पूरे 12 मास की अवधि के लिए कारबार निम्नांकित किया है अन्य कंपनियां इस वित्तीय वर्ष में भिन्न-भिन्न समय पर अपने-अपने उत्पाद सामने लाई। कुछ बीमाकर्त्ताओं ने तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के निकट ही बाजार में प्रवेश किया। निजी बीमाकर्त्ता सतत बढ़ते मध्यवर्ग, बढ़ती धन शक्ति और सामाजिक सुरक्षा पद्धति न होने के मद्देनजर, देश में जीवन बीमा कारबार की भारी संभावनाएं देखते हैं। बीमाकर्त्ता, जो उत्पाद विषयक जानकारी, कारबार प्रक्रियाओं और प्रमाणित विक्रय आदर्शों के क्षेत्र में अपने विदेशी भागीदारों के तकनीकी समर्थन से सज्जित हैं, जीवन बीमा पालिसियों के विक्रय के लिए मात्र ''उत्पादों'' का प्रस्ताव करने के स्थान पर ''जीवन समाधान'' के पूरे पैकेज का प्रस्ताव कर रहे हैं।

जीवन बीमाकर्त्ता अनेक उत्पादों का प्रस्ताव कर रहे हैं, इनमें अन्य उत्पादों के साथ-साथ, संपूर्ण जीवन पालिसियां, विन्यास योजनाएं, धन वापसी पालिसियां, अनुवृद्धि सहित टर्म पालिसियां सम्मिलित हैं। बीमाकर्त्ता, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को गंभीतर से ले रहे हैं ; इन विशेष क्षेत्रों में कारबार निम्नांकित करने के लिए अनेक उत्पादों का प्रस्ताव किया जा रहा है। बीमाकर्त्ताओं ने देश के भिन्न ग्रामों में, विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम सेवकों को नियुक्त किया है। स्थानीय परिस्थितियों के बारे में उनकी जानकारी और बातचीत करने की योग्यता को देखते हुए इन सेवकों का उपयोग जनता को जीवन बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। जीवन बीमा उपलब्ध कराने के लिए कम प्रीमियम दर वाली आसान टर्म पालिसियों का प्रस्ताव किया जा रहा है। एक निजी जीवन बीमाकर्त्ता एस ओ एस बालक ग्रामों से जुड़ा है, एक अन्य ने विनिर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों को अपनाया है और अपने ग्रामीण विकास दल के पर्यवेक्षण के अधीन बीमा उत्पाद आरंभ किए हैं। ये पद्धतियां, आने वाले वर्षों में अपनाए जाने वाले अपने रूपांतरों सहित इस विशेष बाजार के विकास में सहयोग करेंगी।

विद्यमान बीमाकर्त्ताओं से मुकाबला करने के लिए नए बीमाकर्त्ता देश में पहली बार उच्चतर ग्राहक सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और ग्राहकों के लिए नवीन उत्पाद और सेवाएं ला रहे हैं। भारत के बड़े कारबार घरानों और सुस्थापित विदेशी बीमाकर्त्ताओं के संयोजन से इस अवधि में अवसंरचना प्रसुविधाओं का विकास हुआ है। नए बीमाकर्त्ता व्यापक अभिकरण नेटवर्क के साथ-साथ वितरण ने नए मार्गों की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं : निगम अभिकरण और बैंकाश्योरेंस ऐसे नए मार्ग हैं, जिन्हें विकास के लिए अपनाया गया है। दलाल प्रणाली भी एक ऐसा अन्य मध्यवर्ती है, जिसके निकट भविष्य में महत्वपूर्ण हो जाने की संभावना है।

पिछले दो वर्षों, विशेषकर चालू वर्ष में निजी बीमाकर्त्ताओं का कार्यपालन, उनकी नए बाजारों का सृजन करने और उनका पोषण करने की क्षमता उपदर्शित करता है। हालांकि वर्ष 2001-02 में निम्नांकित कुल कारबार में निजी बीमाकर्त्ताओं का अंश 1% से भी कम था, किन्तु महत्वपूर्ण रूप से जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा निम्नांकित कुल कारबार में वृद्धि हुई है। वास्तव में नए बीमाकर्त्ताओं ने विद्यमान कारबार से अंश प्राप्त नहीं किया अपितु कुल कारबार में वृद्धि हुई। नए मार्गों का सृजन किया गया है और कारबार की नई संभावनाएं सामने आई हैं। इस सबसे देश में एक प्रगतिशील और ग्राहकोन्मुख बीमा कारबार की परिस्थितियां स्थापित होने की संभावना है।

यद्यपि निजी क्षेत्र के अधिकांश बीमाकर्त्ता समूह स्कीमों से अलग रहे, किन्तु कई बीमाकर्त्ताओं ने समूह कारबार पर पकड़ बनाने के लिए उत्पादों का प्रस्ताव किया, इनमें टर्म और समूह बचतों से जुड़ी बीमा स्कीमें सम्मिलित हैं। एल आई सी ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जनश्री बीमा योजना का प्रस्ताव किया और इस स्कीम की अनुवृद्धि के रूप में 31 दिसम्बर 2001 को शिक्षा सहयोग योजनाआरंभ की। जनवरी से मार्च 2002 तक की तीन मास की अवधि के दौरान 765 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इससे पूर्व एल आई सी ने सामाजिक क्षेत्र को अधिवर्षिता फायदे उपलब्ध करानेके लिए जुलाई, 2001 में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 आरंभ की थी। इसके 9 मास की प्रवर्तन अवधि में 101209 जीवनों को बीमा कवर के अधीन लाने के लिए 2814 टर्म स्कीमों का प्रस्ताव किया गया और इस अवधि में 211.49 लाख रुपए प्रीमियम के रूप में एकत्रित किए गए।

बीमाकर्त्ता, अपने उत्पादों के विक्रय के लिए पब्लिक सेक्टर/विदेशी बैंकों, निगम घरानों और अन्य खुदरा विक्रेताओं से भी गठबंधन कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि वे इनके माध्यम से काफी बड़ी मात्रा में कारबार का सृजन करेंगे। निगम अभिकरणों और दलालों से संबंधित विनियमों की अधिसूचना से वितरण नेटवर्क को विकसित करने में बीमाकर्त्ताओं के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस वर्ष जीवन बीमा कारबार के विकास में जो उल्लेखनीय किन्तु चिन्ताजनक कारक सामने आया वह है प्रत्याभू फायदों वाली स्कीमों का बोलबाला। घटती ब्याज दरों के समय में विनियामक को इन स्कीमों की शोधन क्षमता संदेहास्पद लगी और उसने बीमाकर्त्ताओं को इन स्कीमों में समुचित उपांतरण करने की सलाह दी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बीमाकर्त्ताओं ने ऐसी योजनाओं का पुनरीक्षण किया और अब इनमें प्रत्याभू फायदों की मात्रा को काफी कम कर दिया गया है।

सारणी-10 : राजस्व लेखा सभी जीवन बीमाकर्ता पालिसी धारकों का लेखा (तकनीक लेखा)

(लाख रु में)

	बिरला सनलाईफ		आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल		आईएनजी वस्या	एलआईसी		एचडीएफसी सटेंडर्ड		मेक्स न्यूयार्क		एएमपी सनमार	एलाएंज बजाज	एसबीआई लाईप	ओम कोटक	टाआ एआईजी	मेटलाईफ	योग	
विशिष्टियां	**2001-02**	**2000-01**	**2001-02**	**2000-01**	**2001-02**	**2001-02**	**2000-01**	**2001-02**	**2000**	**2001-02**	**2000-01**	**2001-02**	**2001-02**	**2001-02**	**2001-02**	**2001-02**	**2001-02**	**2001-02**	**2000-01**
अर्जित प्रीमियम-शुद्ध																			
(क) प्रीमियम	2826	32	11637	597	419	4982191	3489202	3346		3895	16	28	714	1468	758	2114	48	**5009444**	3489847
(ख) अभ्यर्पित पुन: बीमा	(146)		(3)		(2)	(1676)	(1530)	(138)		(35)			(11)		(21)	(6)	(1)	**(2039)**	(1530)
(ग) स्वीकृत पुन:बीमा						79	59											**79**	59
निवेशों से आय																			
(क) कुल ब्याज, डिविडेंड और किराया	61		170			2286190	1877700	105	1	77				21				**2286624**	1877701
(ख) निवेशों के विक्रय/विमोचन पर लाभ	26		117			112377	104882	5										**112525**	104882
(ग) (निवेशों के विक्रय/विमोचन पर हानि)	(1)					(13618)												**(13619)**	
(घ) उचित मूल्य के पुन: मूल्यांकन/ परिवर्तन पर अंतरण/लाभ	4406	988											2400				631	**7437**	988
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	2		18			12464	6346	4460	200	1								**16945**	6546
कुल (अ)	**7174**	**1020**	**11939**	**597**	**417**	**7378007**	**5476659**	**7778**	**201**	**3938**	**16**	**28**	**3103**	**1489**	**737**	**2108**	**678**	**7417396**	5478493
दलाली	440	6	1447	108	135	451791	316939	662		1186	5	7	235	19	181	576	16	**456695**	317058
बीमा कारबार से संबंधित संचालन व्यय	4816	995	8485	2061	2312	426040	370656	4126	54	8488	1793	1123	2511	1127	3698	4034	653	**467413**	375559
संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध						17987	12409											**17987**	12409
अपलिखित दूषित ऋण कर के लिए उपबंध			(965)			86817	70965											**85852**	70965
उपबंध (कराधान से भिन्न)																			
(क) निवेश के मूल्य में कमी (शुद्ध)						8397												**8397**	
(ख) अन्य विनिर्दिष्ट करें					1417	859	2041								1			**2277**	2041
कुल (ख)	5256	1001	8967	2169	3864	991891	773010	4788	54	9674	1798	1130	2746	1146	3880	4610	669	**1038621**	778032
संदत्त फायदे (शुद्ध)	30		65			1747664	1403684	3		67						123		**1747952**	1403684
संदत्त अंतरिम बोनस						19538												**19538**	
जीवन बीमा पालिसियों की बाबत दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन																			
(क) सकल**	1943	16	12825	494	354	3403227	2539251	3062	99	2037	16	11	341	1435	347	451	9	**3426042**	2539876
(ख) पुन:बीमा में अभ्यर्पित राशि	(56)				(1)			(372)		(16)								**(445)**	
(ग) पुन:बीमा में स्वीकृत राशि																			
(घ) लिंक्ड निधि का अंतरण			725															**725**	
कुल (ग)	1917	16	13615	494	353	5170429	3942935	2693	99	2088	16	11	341	1435	347	574	9	**5193812**	3943560
अधिशेष/(कमी) (घ)=(क)-(ख)-(ग)		3	(10643)	(2066)	(3800)	1215687	760714	297	48	(7824)	(1798)	(1113)	16	(1092)	(3490)	(3076)		**1184962**	756901
विनियोग																			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण			(12417)		(3800)	43325	28066	25			(1798)			(1092)	(1146)	(3076)		**21819**	26268
अन्य आरक्षितियों के अंतरण (विनिर्दिष्ट करे)*			1774	(2066)		822144	722648			(7824)		(1113)						**814981**	720582
अतिशेष जो भावी विनियोग के लिए निधि है		3				350218	10000	272	48				16		(2344)			**348162**	10051
कुल (घ)		3	(10643)	(2066)	(3800)	1215687	760714	297	48	(7824)	(1798)	(1113)	16	(1092)	(3490)	(3076)		**1184962**	756901

टिप्पण :

1. आई.एन.जी. वस्या, ए एम पी सनमार, एलाएंज़ बजाज ने 2001-02 से संकर्म आरंभ किया।
2. एस.बी.आई., ओम कोटक, टाटा ए.आई.जी. ने मार्च 2001 में संकर्म आरंभ किए किन्तु 2000-01 में लेखे प्रस्तुत नहीं किए।
3. *आईसीआईसीआई प्रू के लिए 1774 लाख रुपए में प्रारंभिक (2066) लाख रुपए की बीमा आरक्षिती भी है।
4. **बोनस आबंटन के पश्चात् गणितीय आरक्षितियां बताता है।
5. एल आई सी की दशा में प्रस्तुत विनियोग विहित प्ररूप के अनुसार नहीं है। अन्य आरक्षितियों को अंतरण में पालिसीधारकों को अंतरण है। यह प्रतीत होता है कि पालिसीधारकों को अंतरण में अधिशेष को पालिसीधारकों से शेयर करना है, और यह भी कि मूल्यांकन दायित्व अंकों में परिवर्तन बोनस आबंटन के पश्चात् गणितीय आरिक्षिती प्रतीत नहीं होती।
6. एचडीएफसी सटेंडर्ड की 2001-2002 के आंकड़े 1.1.2001 से 31.3.2002 तक की अवधि के हैं, अर्थात् 15 मास और पिछले वर्ष के आंकड़े 31 दिसम्बर 2000 तक थे।
7. संलग्न टिप्पण देखें।

सारणी–11 : राजस्व लेखा सभी जीवन बीमाकर्ता पालिसी धारकों का लेखा (गैर–तकनीक लेखा)

(लाख रु में)

विशिष्टियां	बिरला सनलाईफ		आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल		आईएनजी वस्या	एलआईसी		एचडीएफसी सटेंडर्ड		मेक्स न्यूयार्क		एएमपी सनमार	एलाएंज बजाज	एसबीआई लाईप	ओम कोटक	टाआ एआईजी	मेटलाईफ	योग	
	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2001-02	2000-01	2001-02	2000	2001-02	2000-01	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2000-01
पालिसीधारकों के लेखा में से/																			
को अंतरित राशि (तकनीकी लेखा)*	(4406)	(988)	(12417)		(3800)	81391	31665	(4460)	(200)		(1798)		(2400)	(1092)	(1146)	(3076)	(631)	**47963**	28679
निवेश से आय																			
(क) कुल–ब्याज, डिविडेंड और किराया	598	94	1073	613	551	788		1574	271	1263	331	206	846	1105	1409	828	607	**10848**	1309
(ख) निवेशों के विक्रय/विमोचन पर लाभ	44	11	1123	46	258			936		42	14		209	155				**2767**	71
(ग) (निवेशों के विक्रय/विमोचन पर हानि)								(2)	(1)				(15)		(8)	273	(12)	**236**	(1)
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	195	51	11	10						2					2			**210**	61
कुल (अ)	(3569)	**(832)**	**(10210)**	**669**	**(2991)**	**82179**	**31665**	**(1952)**	**70**	**1307**	**(1453)**	**206**	**(1360)**	**168**	**257**	**(1975)**	**(36)**	**62024**	30119
बीमा कारबार से सीधे जुड़े हुओं से भिन्न व्यय	41		111	647	66			558	205	169	148		204	197	2	549	248	**2145**	1000
अपलिखित दूषित ऋण																			
कर के लिए उपबंध															253			**253**	
उपबंध (कराधान से भिन्न)																			
(क) निवेश के मूल्य में कमी (शुद्ध)																			
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध																			
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करे)																			
कुल (ख)	41		**111**	**647**	**103**			**558**	**205**	**169**	**152**		**204**	**197**	**257**	**549**	**248**	**2437**	1004
लाभ हानि कर से पूर्व	(3610)	**(832)**	**(10321)**	**22**	**(3094)**	**82179**	**31665**	**(2510)**	**(135)**	**1138**	**(1605)**	**206**	**(1564)**	**(29)**		**(2524)**	**(284)**	**59587**	29115
कराधान के लिए उपबंध			(188)										1					**(188)**	
लाभ/(हानि) कर के पश्चात्	(3610)	(832)	(10509)	22	(3094)	82179	31665	(2510)	(135)	1138	(1605)	206	(1565)	(29)		(2524)	(284)	**59399**	29115
विनियोग																			
(क) वर्ष के आरंभ में अतिशेष			22							(1605)				18	12	(358)		**(1911)**	
(ख) वर्ष के दौरान संदत्त अंतरिम डिविडेंड						28066	31665											**28066**	31665
(ग) प्रस्तावित अन्तिम डिविडेंड						43325												**43325**	
(घ) कर पर डिविडेंड वितरण																			
(ङ) आरक्षितियों/अन्य लेखों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			(45)			10788												**10743**	
तुलन पत्र को ..... लाभ	**(3610)**	**(832)**	**(10532)**	**22**	**(3094)**			**(2510)**	**(135)**	**(467)**	**(1605)**	**206**	**(1565)**	**(11)**	**12**	**(2882)**	**(284)**	**(24737)**	(2550)

टिप्पण :

1. आई.एन.जी. वस्या, ए एम पी सनमान, एलाएंज़ बजाज ने 2001–02 से कार्य करना आरंभ किया।
2. बिरला सन लाईफ, एच डी एफ सी स्टेंडर्ड लाईफ ने (क) में 'विनियोग' शीर्ष के अधीन प्रारंभिक अतिशेष दर्शित नहीं है।
3. एल आई सी ने वित्तीय वर्ष के लिए भिन्न व्यवहार अपनाए।
4. एचडीएफसी सटेंडर्ड की 2001–2002 के आंकड़े 1.1.2001 से 31.3.2002 तक की अवधि के हैं, अर्थात् 15 मास और पिछले वर्ष के आंकड़े 31 दिसम्बर 2000 तक थे।
5. संलग्न टिप्पण देखें।

सारणी-12 : राजस्व लेखा सभी जीवन बीमाकर्ता पालिसी धारकों का लेखा (गैर-तकनीक लेखा)

(लाख रु. में)

	बिरला सनलाईफ		आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल		आईएनजी वस्या	एलआईसी		एचडीएफसी सटेंडर्ड		मेक्स न्यूयार्क		एएमपी सनभार	एलाएंज बजाज	एसबीआई लाईफ	ओम कोटक	टाआ एआईजी	मेटलाईफ	योग	
निधि के स्रोत	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2001-02	2000-01	2001-02	2000	2001-02	2000-01	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2001-02	2000-01
शेयरधारकों की निधि																			
शेयर पूंजी	14908	11908	19000	15000	11000	500	500	16618	16618	24963	10453	12436	14872	12500	10058	18335	11000	**166190**	54479
आरक्षितियां और अधिशेष				22		10788		25				206			5216			**16235**	22
ऋण/(विकलन) उचित मूल्य परिवर्तन लेखा																			
कुल योग	14908	11908	19000	15022	11000	11288	500	16643	16618	24963	10453	12642	14872	12500	15274	18335	11000	**182425**	54501
उधार					77							232					59	**368**	
पालिसीधारकों की निधि																			
ऋण/(विकलन) उचित मूल्य परिवर्तन लेखा	74					304142	17061											**304216**	17061
पालिसी दायित्व	287		13320	494	353	22939514	18752237			2036	16	11	341	1436	349	451	9	**22958107**	18752747
बीमा आरक्षितियां				(2065)		239429	42	2789	99	(7822)		(1114)			(2344)			**230938**	(1924)
लिंक्ड दायित्वों के लिए उपलब्ध	1616	16	754			362	219									117		**2849**	235
कुल-योग	1977	16	14074	(1571)	430	23483447	18769559	2789	99	(5786)	16	(871)	341	1436	(1995)	568	68	**23496478**	18768119
भावी विनियोग के लिए निधियां	3	3				350218		321	48				16					**350558**	51
योग	**16888**	**11927**	**33074**	**13451**	**11430**	**23844953**	**18770059**	**19753**	**16765**	**19177**	**10469**	**11771**	**15229**	**13936**	**13279**	**18903**	**11068**	**24029461**	18822671
निधियों का उपयोजन																			
निवेश																			
शेयरधारक	9578	9960	5159	12154	7501	10500		9731	11980	14125	7516	11975	10985	10944	10031	10276	9833	**120638**	41610
पालिसीधारक	290	4	13258		354	18641460	14249243	3016	141	2053			357	462	349	451		**18662050**	14249388
लिंक्ड दायित्वों के लिए धारित आस्तियां	1616	15	754													117		**2487**	15
ऋण					3426790	3169685	67											**3426857**	3169685
नियत आस्तियां	2074	1380	2819	1418	1037	94450	89777	3273	279	2292	1186	694	1939	141	1003	1543	106	**111371**	94040
चालू आस्तियां																			
नकद और बैंक जमा	693	445	1071	341	165	716962	478706	1452	4460	958	36	37	737	652	2059	3203	574	**728563**	483988
अग्रिम और अन्य आस्तियां	894	363	2221	638	792	1642983	1264053	1088	711	1308	796	129	1294	2291	869	1478	533	**1655880**	1266561
कुल योग (क)	1587	808	3292	979	957	2359945	1742759	2540	5171	2266	832	166	2031	2943	2928	4681	1107	**2384443**	1750549
चालू दायित्व	2664	1072	2740	1100	1592	377682	315397	1519	941	2024	670	1060	1647	564	1032	1284	262	**394070**	319180
उपबंध	35					310510	166008			2		4	1	1				**310553**	166008
कुल योग (ख)	2699	1072	2740	1100	1592	688192	481405	1519	941	2026	670	1064	1648	565	1032	1284	262	**704623**	485188
शुद्ध चालू आस्तियां (ग) = (क-ख)	(1112)	(264)	552	(121)	(635)	1671753	1261354	1021	4230	240	162	(898)	383	2378	1896	3397	845	**1679820**	1265361
प्रकीर्ण व्यय					79											237		**316**	
(समायोजित या अपलिखित न होने की सीमा तक)																			
लाभ हानि लेखा में विकलन अतिशेष	4442	832	10532		3094			2645	135	467	1605		1565	11		2882	284	**25922**	2572
*(शेयरधारकों का खाता)																			
योग	**16888**	**11927**	**33074**	**13451**	**11430**	**23844953**	**18770059**	**19753**	**16765**	**19177**	**10469**	**11771**	**15229**	**13936**	**13279**	**18903**	**11068**	**24029461**	18822671

टिप्पण :

1. आई.एन.जी. वस्या, ए एम पी सनमार, एलाएंज़ बजाज ने 2001-02 से संकर्म आरंभ किया।
2. ऋणों और अग्रिम में आस्थगित कर भी हैं।
3. *यह वर्ष के लिए कुल हानि 25,922 लाख है, जो पी. एंड एल.लेखा की 24737 लाख रुपए की राशि से भिन्न हैं क्योंकि बीमाकर्त्ता ने पी. एंड एल. लेखा में ''विनियोग'' शीर्ष के मद (क) से भिन्न हैं क्योंकि बीमाकर्त्ता ने पी. एंड एल. लेखा में ''विनियोग'' शीर्ष के मद (क) के अधीन भिन्न व्यवहार अपनाया।
4. एचडीएफसी डर्ड की 2001-2002 के आंकड़े 1.1.2001 से 31.3.2002 तक की अवधि के हैं, अर्थात् 15 मास और पिछले वर्ष के आंकड़े 31 दिसम्बर 2000 तक थे।
5. संलग्न टिप्पण देखें।

सारणी - 13

भारतीय जीवन बीमा निगम :

पूंजी विमोचन और वार्षिकी अभिनिश्चय (सी आर ए सी) कारबार

राजस्व खाता

(रू. लाख में)

विवरण	**2001-02**	2000-01
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**(121)**	349
लाभ / हानि बिक्री / पुनर्खरीद द्वारा		
अन्य (वर्णित होने)		16
ब्याज, लाभांश व किराया सकल	**472**	484
योग	**351**	**849**
अन्य दावे (शुद्ध)	**355**	329
कमीशन	**2**	7
परिचालन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	**16**	27
अन्य परिशोधन, कुल हानि	**177**	174
विदेशी कर		
कुल (ब)	**550**	537
परिचालन - लाभ / हानि अग्नि / मैरिन / विविध व्यापार से	**(199)**	312
विनियोजन		
अंशधारक खाते का स्थानांतरण	**(199)**	312
महाविपदा आरक्षण का स्थानांतरण		
अन्य आरक्षण का स्थानांतरण (विवरण दें)		
योग (सी)	**(199)**	312

(यह 2001-02 से 'बंद प्रकीर्ण बीमा कारबार' है)

सारणी - **14**

भारतीय जीवन बीमा निगम :

पूंजी विमोचन और वार्षिकी अभिनिश्चय (सी आर ए सी) कारबार

लाभ व हानि खाता

(रू. लाख में)

विवरण	**2001-02**	2000-01
परिचालन लाभ / हानि		
क. अग्नि		
ख. मैरिन		
ग. विविध	**(199)**	312
निवेश से आय		
ब्याज लाभांश तथा किराया सकल		
निवेश की बिक्री से लाभ		
घटायें - निवेश से हानि	**(12)**	
अन्य आय (वर्णित की जायेगी)		
योग (अ)	**(211)**	312
प्रावधान (कर के अतिरिक्त)		
निवेश के मूल्य में कमी		
अप्राप्त ऋण		
अन्य आय (वर्णित की जायेगी)		
अन्य		
(क) बीमा कारबार से जुड़े भिन्न आय व्यय		
(ख) अपलिखित दूषित ऋण		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग (ब)		
कर पूर्व लाभ	**(211)**	312
कर के लिये प्रावधान		
कर के बाद लाभ	**(211)**	312
विनियोजन		
अतिरिक्त लाभांश		
प्रस्तावित लाभांश		311
लाभांश वितरण कर		
आरक्षित या अन्य खाते में स्थानांतरित किया गया (वर्णन किया जायेगा)		
सा. आरक्षित का स्थानांतरण		
अंतिम वर्ष से लाभ / हानि शेष लाया गया	**1**	
तुलना पत्र में शेष जाया गया	**(210)**	1

(यह 2001-02 से 'बंद प्रकीर्ण बीमा कारबार' है)

सारणी - **15**

भारतीय जीवन बीमा निगम :

पूंजी विमोचन और वार्षिकी अभिनिश्चय (सी आर ए सी) कारबार

तुलना पत्र

निधि का स्त्रोत	**2001-02**	2000-01
अंश पूंजी	**0**	0
आधिक्य तथा आरिक्षित	**36**	34
उचित मूल्य बदलाव खाता	**840**	7
पॉलिसी देयगी	**4725**	5035
लिया गया		
योग	**5601**	5076
विनियोजन निधि		
निवेश	**5072**	4846
ऋण		5
फिक्सड संपत्ति		
करंट संपत्ति		
नगद तथा बैंक बैलेंस	**10**	16
पूर्व भुगतान तथा अन्य संपत्ति	**1032**	555
योग (ए)	**1042**	569
करंट दायित्व	**63**	**56**
प्रोविजन	**450**	288
योग (बी)	**513**	**344**
कुल करंट संपत्ति	**529**	**225**
विविध खर्च		
लाभ / हानि खाता		
योग	**5,601**	5,076

(यह 2001-02 से 'बंद प्रकीर्ण बीमा कारबार' है)

तालिका - **16**

वर्ष **2001-2002** में जारी नये उत्पाद

जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम उत्पाद के ब्रांड का नाम	उत्पाद के साथ लगी लक्ष्किाएँ
अलायंस बजाज जीवन बीमा कं. लि.	बजाज अलायंस सेव केयर बजाज अलायंस केश केयर बजाज अलायंस लाइफ टाइम केयर बजाज अलायंस टर्म कवर बजाज अलायंस ग्रुप क्रेडिट केयर बजाज अलायंस ग्रुप ईडीएल केयर सेव केयर इक्नोमिक्स एस पी	गंभीर रोग लाभ दुर्घटना मृत्यु लाभ दुर्घटना परमानेंट पूर्ण/आंशिक प्रीमियम माफ लाभ अस्पताल नगद लाभ जीवन लाभ का प्रारंभ
एएमपी सनमार एश्योरेंस कं. लि.	धन श्री सुबह श्री युवा श्री नितया श्री रक्षा श्री	दुर्घटना मृत्यु लाभ तथा संपूर्ण तथा स्थायी आशक्ता लाभ गंभीर स्थिति लक्ष्किा
बिरला सन लाइफ जीवन बीमा कं. लिमिटेड	सेवानिवृत्ति योजना बिरला सनलाइफ फ्लैक्सी परिवार सुरक्षा टर्म पॉलिसी बिरला सनलाइफ एकल प्रीमियम समूह टर्म पॉलिसी बिरला सनलाइफ विशेष एंडोमेंट पॉलिसी बिरला सनलाइफ वर्ग सुरक्षा समाधान बिरला सनलाइफ यंग स्कॉलर बिरला सनलाइफ ग्रुप सेवानिवृत्ति उत्पाद	गंभीर बीमारी दुर्घटना मृत्यु तथा आशक्ता लक्षिका टर्म राइडर
एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	टर्म बीमा प्रोटेक्शन सीरिज तुरंत एनविटी व्यक्तिगत पेंशन ग्रुप टर्म बीमा	गतिशील बीमित मूल्य दुर्घटना मृत्यु लाभ गंभीर बीमारी लाभ
आईसी आईसीआई प्रूडेश्यिल बीमा कं. लि.	रीएश्योर एश्योर इंवेस्ट लाइफ लिंक लाइफ लिंक एश्योर इंवेस्ट (संशोधित) री एश्योर (संशोधित) स्मार्ट किड सेव एन प्रोटेक्ट (संशोधित)	लेवल टर्म बीमा दुर्घटना तथा आश्कता लाभ महत्वपूर्ण सर्जिकल सहायता आय लाभ लक्षिका

जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम उत्पाद के ब्रांड का नाम	उत्पाद के साथ लगी लक्ष्किाएँ
आई एन जी वैश्या जीवन बीमा क. लि.	रीएशोरिंग लाइफ एंडोमेंड प्लान	टर्म लाभ दुर्घटना मृत्यु व आशक्ता राइडर प्रीमियम अधित्याग
भारतीय जीवन बीमा निगम	खेतिहर मजदूर बीमा योजना शिक्षा सहयोग योजना बीमा निवेश नयी बीमा निवेश नयी जीवन अक्षय नयी जीवन धारा / जीवन सुरक्षा एल आई सी बीमा प्लस - युनिट लिंक बीमा पॉलिसी जीवन आंनद न्यू बीमा किरण न्यू जीवन श्री	टर्म लक्षिका
मैक्स न्यूयार्क लाइफ	ग्रुप टर्म बीमा आशक्ता लक्षिका ६० आयु तक एंडोमेंट चिल्ड्रन एंडोमेंट	विकराल रोग, राइडर दुर्घटना मृत्यु तथा
मेटलाईफ बीमा कं. लि.	लिमिटेड पेमेन्ट होल लाईफ नोन पार्टिसीपेटिंग एनडोमेन्ट एश्योरेंस-नोन पार्टिसीपेटिंग मनीबैक-नोक पार्टिसीपेटिंग	दुर्घटना मृत्यु अनुवृद्धि टर्म अनुवृद्धि प्रीमियम का अधित्यजन सीमित संदाय/गंभीर बीमारी
ओम कोटक महेन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	कोटक एनडोमेन्ट प्लान कोटक मनी बैक प्लान कोटक इनश्योरेंस बांड कोटक ग्रामीण बीमा योजना कोटक टर्म एश्योरेंस प्लान कोटक इनश्योरेंस बांड-न्यू वर्जन कोटक क्रेडिट टर्म ग्रुप प्लान कोटक टर्म ग्रुप प्लान कोटक इनवेस्टमेंट एश्योरेंस प्लान	टर्म कवर दुर्घटना मृत्यु कवर स्थायी निशक्तता कवर प्रीमियम का अधित्यजन
एसबीआई जीवन बीमा कं. लि.	यंग संजीवन सुख जीवन एसबीआई लाईफ स्कॉलर एसबीआई लाईफ-सुपर सुरक्षा स्वर्ण गंगा एसबीआई लाईफ-क्रेडिट गाड	दुर्घटना मृत्यु और अंग भंग स्थायी नि:शक्तता गंभीर बीमारी

जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम उत्पाद के ब्रांड का नाम	उत्पाद के साथ लगी लक्ष्किाएँ
टाटा एआईजी जीवन बीमा कं. लि.	ग्रुप टर्म लाईफ ग्रुप क्रेडिट कार्ड टर्म इनश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान एश्योर वन ईयर लाईफलाईन प्लान-ईयर्ली रिन्यूएबल कनवर्टेबल टर्म प्लान टू ऐज़ 60 प्लान एश्योर फाईव ईयर्स लाईफलाईन प्लान-5 इयर्ली रिन्यूएबल कनवर्टेबल टर्म प्लान एश्योर 10 ईयर्स/15 ईयर्स/20 ईयर्स 25 ईयर्स लाईफलाईन प्लान्स-10/15/20/25 ईयर्स टर्म प्लान एश्योर 15 ईयर्स लाईफलाईन (विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स) प्लान एश्योर 5/10 ईयर्स प्लान-एस पी ग्रुप रेगुलर प्रीमियम मोर्टगेज़ रिडयूसिंग टर्म इनश्योरेंस प्लान ग्रुप रेगुलर प्रीमियम मोर्टगेज़ रिडयूसिंग टर्म इनश्योरेंस प्लान ग्रुप सिंगल प्रीमियम पर्सनल लोन रिडयूसिंग टर्म इनश्योरेंस प्लान ग्रुप रेगुलर प्रीमियम पर्सनल लोन रिडयूसिंग टर्म इनश्योरेंस प्लान गारंटिड ईशू 10 ईयर्स एनडोमेंट प्लान नोन पार्टिसीपेटिंग (एश्योर हमराही) टाटा ए आई जी कामप्रिहेनसिव ग्रेच्युटी स्कीम टाटा ए आई जी कामप्रिहेनसिव सुपरऐनुएशन पालिसी-डिफाईंड कंट्रीब्युशन सिंगल प्रीमियम इमिडियेट एनयूटी ऑपशन विदे रिटर्न ओफ प्रीमियम द अचीवर एट 21 एश्योर केरियर बिल्डर द अचीवर एट 18 एश्योर पे मास्टर	टर्म कवर अनुवृद्धि दुर्घटना मृत्यु फायदा अल्पकालिक स्थायी निशक्तता गंभीर बीमारी फायदा-एक्सेलेरेटिड फायदा गंभीर बीमारी फायदा-एकमुश्त फायदा एडीडी अनुवृद्धि दीर्घकालिक टर्म से 60 अनुवृद्धि 10/15/20/25 वर्ष टर्म अनुवृद्धि

सारणी 17 (i)

भारतीय जीवन बीमा निगम में वार्षिक ग्राहियों की मृत्यु दर - एलआईसी (94-96) अल्टीमेट

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
14	0.00071	57	0.01029
15	0.00077	58	0.01103
16	0.00082	59	0.01195
17	0.00087	60	0.01307
18	0.00092	61	0.01439
19	0.00096	62	0.01590
20	0.00100	63	0.01761
21	0.00103	64	0.01952
22	0.00106	65	0.02162
23	0.00109	66	0.02272
24	0.00111	67	0.02562
25	0.00113	68	0.02882
26	0.00115	69	0.03237
27	0.00116	70	0.03629
28	0.00117	71	0.04062
29	0.00117	72	0.04539
30	0.00117	73	0.05064
31	0.00117	74	0.05640
32	0.00120	75	0.06273
33	0.00125	76	0.06966
34	0.00131	77	0.07723
35	0.00139	78	0.08550
36	0.00148	79	0.09452
37	0.00159	80	0.10433
38	0.00172	81	0.11499
39	0.00187	82	0.12655
40	0.00205	83	0.13907
41	0.00225	84	0.15108
42	0.00242	85	0.16230
43	0.00260	86	0.17415
44	0.00283	87	0.18664
45	0.00311	88	0.19978
46	0.00344	89	0.21356
47	0.00382	90	0.22800
48	0.00424	91	0.24307
49	0.00472	92	0.25878
50	0.00524	93	0.27511
51	0.00582	94	0.29203
52	0.00644	95	0.30952
53	0.00712	96	0.32755
54	0.00784	97	0.34607
55	0.00861	98	0.36505
56	0.00943	99	0.38444

सारणी 17 (ii)

भारतीय जीवन बीमा निगम में वार्षिक ग्राहियों की मृत्यु दर - एलआईसी (96-98) अल्टीमेट

आयु	मृत्यु दर	जीवन प्रत्यंशा	आयु	मृत्यु दर	जीवन प्रत्यंशा
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

सारणी 18

जीवन बीमाकर्ताओं के लिये नियुक्त बीमांकक (31 मार्च 2002 को)

एलआईसी	एन. एस. शास्त्री, एफ.ए.एस.आई
बीएसएलआईसी	पीटर अकेरास, एफ.ए.एस.आई
आई. पी. एलआईसी	वी राजगोपालन, एफ.ए.एस.आई
एम एन वाई आईसी	के पी शर्मा, एफ.ए.एस.आई
एच एस एल आई सी	निकोलस डेविड, एफ.ए.एस.आई
ओम कोटक	एंड्रीयू कार्थराइड, एफ.ए.एस.आई
आईएन जी वैश्या	एन.ए.चीमा, एफ.ए.एस.आई
डाबर सी जी यू	के के वाधवा, एफ.ए.एस.आई
ए एम पी सनमार	आर एस राजन, एफ.ए.एस.आई
मेट लाइफ	आर पी शर्मा, एफ.ए.एस.आई
एस बी आई लाइफ	आर कानन, एफ.ए.एस.आई
अलायंस बजाज	ए वी गंगोपाध्याय
टाटा एआईजी	जी बी युग, एफ.ए.एस.आई

टिप्पणी

एलआईसी : भारतीय जीवन बीमा निगम

बी एस एल आई सी : बिरला सन लाइफ बीमा कंपनी लिमिटेड

आई पी एल आई सी : आई सी आई सी आई प्रूडेंश्यिल लाइफ बीमा कंपनी लिमिटेड

एम एन वाई एल आई सी : मैक्स न्यूयार्क लाइफ बीमा कंपनी लिमिटेड

एच एस एल आई सी : एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ बीमा कंपनी लिमिटेड

2001-02 में निजी बीमकर्त्ताओं की प्रीमियम आय
(लाख रुपए में)

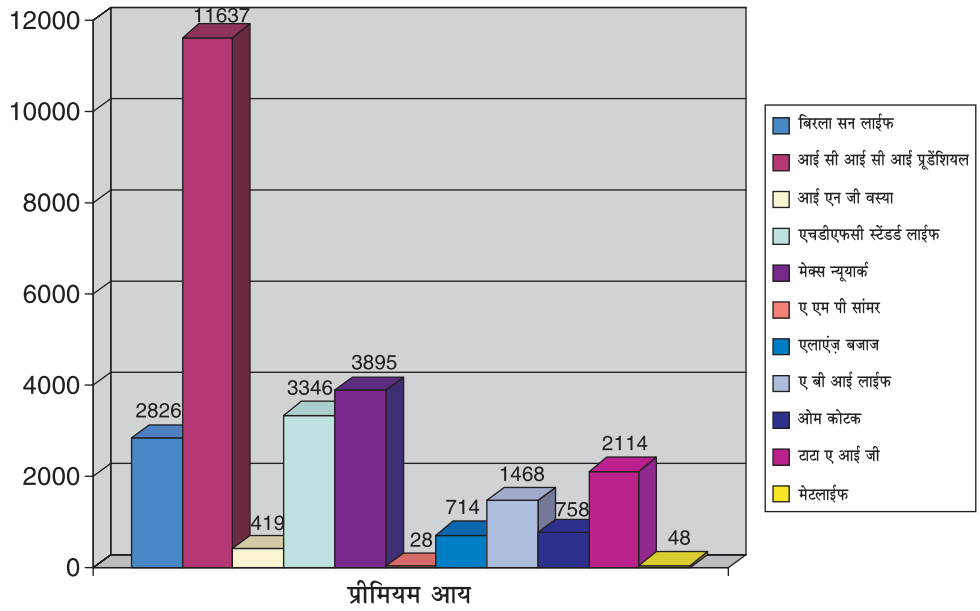

2001-02 में एल आई सी और निजी बीमाकर्त्ताओं की प्रीमियम आय
(लाख रुपये)

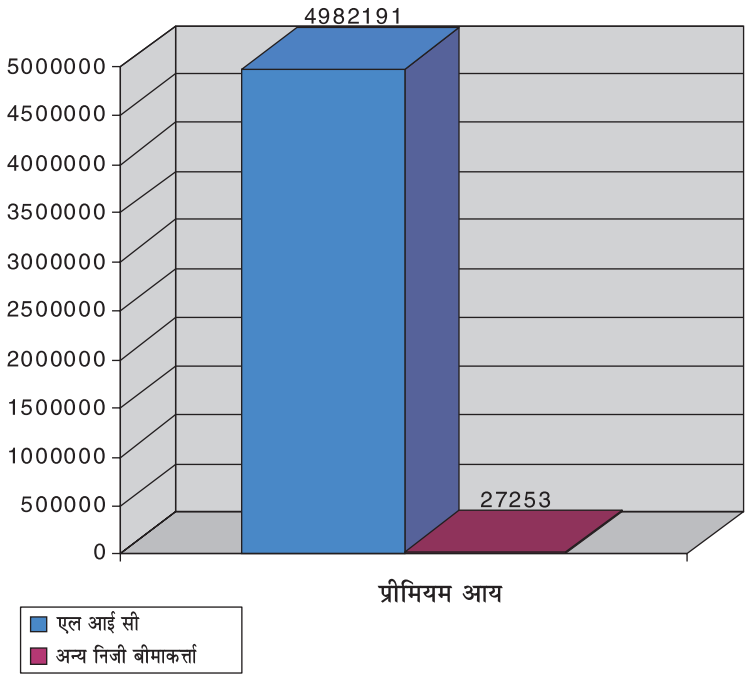

(ii) साधारण कारबार

वर्ष की समाप्ति पर, निजी क्षेत्र के ऐसे गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं की, जिन्हें देश में कारबार निम्नांकित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है, संख्या छः थी। वर्ष की समाप्ति के पश्चात् और इस रिपोर्ट की तारीख तक तीन ओर कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत किया गया था। 1 अप्रैल, 2001 से पांच और बीमाकर्त्ताओं ने प्रवेश किया है। चोलामंडलम, रिलायंस साधारण बीमा कंपनियों ईसीजीसी ऑफ इंडिया के अलावा सभी कंपनियों ने अपने विदेशी भागीदारों के सहयोग से गैर-जीवनबीमा बाजार में प्रवेश किया है।

पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्त्ताओं ने गैर-जीवन कारबार का प्रमुख भाग निम्नांकित किया। पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की कंपनियों को वर्ष 2001-02 के दौरान सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से 11917.58 करोड़ रुपए की आय हुई, जो 21.61% अधिक थी। तथापि, इन कंपनियों का लाभ सभी कारबारों के लिए शुद्ध उपगत दावा अनुपात 90.20% तक जाने के कारण, दबाव में रहा। पब्लिक सेक्टर कंपनियों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन अधिक निम्नांकन हानियों के कारण दर्शित करता है। इतनी अधिक हानि के कारण हैं मोटर तीसरा पक्षकार दावों की बाबत ऊंची रकमों के पचाट ;कांडला चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं, उड़ीसा का तूफान और गुजरात का भूकंप, 1 मई, 2001 से प्रभावित अग्नि टैरिफों के सुव्यवस्थीकरण के परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अंतर्गत भी कम वसूली हुई। तथापि, जुलाई, 2002 से मोटर टैरिफ के पुनरीक्षण और मेडिक्लेम प्रीमियमों में वृद्धि से कुछ राहत मिली।

पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों के प्रबंधन व्यय कानूनी रूप से विहित सीमाओं से अधिक बने रहे। कंपनियों ने इसका कारण उनके द्वारा नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि बताया। प्राधिकरण ने इन कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को इन व्ययों को विहित स्तर तक कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है। यह समझा जाता है कि इन सीमाओं का अनुपालन या तो प्रीमियम आय में वद्धि या फिर कुल व्ययों को नियंत्रित करके किया जा सकता है। कंपनियों को इस संबंध में राहत दी गई है और उन्हें नियमों का यथासंभव शीघ्र समय में अनुपालन करने को कहा गया है इन बीमाकर्त्ताओं ने रिपोर्ट के अनुसार इस दिशा में आवश्यक उपाय आरंभ किए हैं और शीघ्र ही परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।

पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा आरंभ किए गए उपायों के अंतर्गत विवेकपूर्ण निम्नांकन मार्गदर्शनों को विकसित करना तथा प्रीमियम की हानि रोकने के लिए नियंत्रण; मेडिक्लेम पालिसियों के प्रीमियमों का पुनरीक्षण, व्यक्तिगत रूपरेखा उत्पादों के विपणन पर जोर, आवश्यक प्रतियोगिता से, जिसके परिणामस्वरूप अव्यवहारिक दरें आती हैं, बचने के लिए जी आई पी एस ए (सरकारी गैर जीवन कंपनियों की एक अनौपचारिक सभा) के माध्यम से पब्लिक सेक्टर कंपनियों में बेहतर सहयोग ; सेवा क्षमताओं के उन्नयन के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग, व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए संगठनात्मक पुनः संरचना ; और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सह गतिशीलता पालिसी हैं।

100 करोड़ रुपए की समादत्त साम्या पूंजी वाली चार राष्ट्रीयकृत कंपनियों में से न्यू इंडिया और युनाइटिड इंडिया ने वर्ष 2001-02 के लिए क्रमशः 20% और 30% डिविडेंड की घोषणा की है। पिछले वर्ष, अर्थात् 2000-01 में ओरिएंटल इंश्योरेंस ने भी 30% डिविडेंड की घोषणा की थी।

पब्लिक सेक्टर की गैर जीवन बीमा कंपनियों ने तीस देशों में स्थित अपनी शाखाओं या अभिकरणों या सहयुक्तों/अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से विदेशी संकर्म आरंभ किए। 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान चार अनुषंगी कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी संकर्मों से 938.29 करोड़ रुपए की सकल प्रीमियम आय हुई, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 35% अधिक थी। पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा प्राप्त शाखा शुद्ध प्रीमियम आय 835.65 करोड़ रुपए थी, अर्थात् पिछले वर्ष से 25% अधिक। साथ ही शाखा शुद्ध दावों में भी पिछलेवर्ष के शुद्ध प्रीमियम के 60% के विरुद्ध लगभग 70% की वृद्धि हुई।

जी आई सी और केन्या में इसकी अनुषंगी एल आई सी की संयुक्त उद्यम कंपनी केन इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी अच्छा कार्यपालन किया। कंपनी का कुल लेखांकित प्रीमियम 227.354 करोड़ केन्याई मुद्रा था, यह 6.72% की विकास दर थी। दीर्घकालिक (जीवन कारबार) ने 57.22 करोड़ केन्याई मुद्रा का प्रीमियम एकत्रित किया, यह पिछले वर्ष से 61.34% अधिक था।

जी आई सी और चार पब्लिक सेक्टर की गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित इंडिया इंटरनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर ने पिछले वर्ष से 23% अधिक विकास दर अर्जित करते हुए, 4.92 करोड़ डालर की शुद्ध प्रीमियम आय निम्नांकित की। कंपनी के शुद्ध लाभ में 1.38 करोड़ डालर पर 14% की वृद्धि हुई।

यद्यपि निजी बीमाकर्त्ताओं का अनुभव कारबार के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित कारबार के निबंधनों में उत्साहजनक है, फिर भी उनके द्वारा कारबार के विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टित निम्नांकित हानियों को देखते हुए उन्हें कारबार के विभिन्न क्षेत्रों में पुन: अनुस्थापन की आवश्यकता है निजी क्षेत्र के बीमाकर्त्ताओं को भी पिछले एक वर्ष के अनुभवों से सीख लेने की आवश्यकता है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब वे कारबार को बढाएं तो वे सुचारू और भिन्न बीमा पोर्टफोलियो बनाने के लिए विभिन्न रूपरेखाओं पर विविधता लाने का विवेक रखें।

वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान छ: निजी क्षेत्र की कंपनियों ने गैर जीवन कारबार निम्नांकित किया। इनमें से पांच बीमाकर्त्ता विदेशी साम्या भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में बनाए गए थे, रिलायंस साधारण बीमा कं. लि. के मामले में कंपनी रिलायंस समूह की अनुषंगी कंपनी के रूप में प्रवर्तित है। गैर जीवन निजी सेक्टर बीमाकर्त्ताओं द्वारा निम्नांकित कुल प्रीमियम, जो पिछले वर्ष 7.14 करोड़ रुपए था, इस वर्ष बढ़कर 465.77 करोड़ रुपए हो गया। इन बीमाकर्त्ताओं द्वारा निम्नांकित सकल प्रीमियम कुल बाजार का 3.74%, यह पिछले वर्ष मात्र 0.07% था।

निजी बीमाकर्त्ताओं के वर्गवार कारबार आंकड़ों का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि इन बीमाकर्त्ताओं को कारबार के प्रत्येक खंड (दो कंपनियों के मामले में अग्नि बीमा और कंपनी के मामले में समुद्री बीमा को छोड़कर) में हानि हुई है। दो कंपनियों ने वर्ष 2001-02 के दौरान शुद्ध लाभ दर्ज किया। सकल निम्नांकन हानियों का मुख्य कारण मोटर दावा बीमा है। निजी सेक्टर गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा शुद्ध उपगत दावे 38.72% थे।

गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में कारबार के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है और ग्रामीण ग्राहकों के लिए नई और अभिनव स्कीमें ला रहे हैं। उनके द्वारा आरंभ किए गए उत्पादों में फाउंडरी कर्मकारों, कृषि श्रमिकों, निर्माण कर्मकारों, दर्जियों और दरजिनों के लिए समूह बीमा है। कृषकों और साथ ही कृषि तंत्र के लिए स्कीमें आरंभ की गई हैं। इस पृष्ठ भूमि में ईफको टोकियो मरीन द्वारा आरंभ की गई एक स्कीम काफी दिलचस्प है (विक्रय किए गए प्रत्येक खाद के थैले पर कृषक के लिए जोखिम का बीमा कवर)।

मोटर बीमा, जो कुल बीमा कारबार का लगभग एक तिहाई है, निरंतर हानि देने वाला पोर्टफोलियो है। नई निजी कंपनियां इस खंड के प्रति काफी सतर्क हैं। वे वाणिज्यिक औरपुराने यानों का बीमा करने से कतरा रहे हैं। ट्रक, टैंकर, टैक्सी और पुराने यानों जैसे वाणिज्यिक यानों के निम्नांकन को व्यवहार्य नहीं समझा जाता है क्योंकि उनके कारण प्रत्येक वर्ष भारी हानि होती है। भारत में चलने वाले सभी यानों के लिए तीसरा पक्षकार बीमा अनिवार्य होने के कारण बीमा कंपनियां टी ए सी से तीसरा पक्षकार बीमा पर सीमा लगाने की आशा करती हैं। इस समय कुछ हजार रुपए के प्रीमियम के लिए बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए के दावे उपगत होने का जोखिम बना रहता है। यह 100 करोड़ रुपए की समादत पूंजी वाली नई कंपनियों द्वारा वहन करने योग्य नहीं है।

मोटर पोर्ट फोलियो को सुव्यवस्थीकरण की आवश्यकता को देखते हुए टी ए सी ने प्राधिकरण के पूर्व सदस्य श्री एच.ए. अंसारी की अध्यक्षता में विभिन्न हितों के व्यापक प्रतिनिधित्व वाली एक समिति गठित की है। समिति ने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने देश को चार प्रभागों में बांटने की सिफारिश की है, जो जोखिम पहलु, यान की आयु और आकार के आधार पर भिन्न मूल्य अपनाने, उपयोग, आदि के आधार पर किया जाएगा ; और समिति ने स्वैच्छिक आधार पर तीसरे पक्षकार की संपत्ति को क्षति की सीमा में वृद्धि करने का भी सुझाव दिया है। प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि समिति द्वारा सुझाव की गई प्रीमियम संरचना में साधारण वृद्धि, कुछ खंडों, जैसे दुपहिया वाहनों का स्वत: हानि भाग, निजी कारों, आदि की बाबत काफी अधिक थी और इसलिए इसे थोड़ा कम किया गया। इस वृद्धि को 1 जुलाई, 2002 से प्रवृत्त किया गया था। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वालों सहित कुछ प्रचालकों ने वृद्धि को, विशेषत: उस रीति को चुनौती दी है, जिसमें बीमाकर्त्ताओं ने वृद्धि को क्रियान्वित किया और कानूनी रूप से अनिवार्य तीसरे पक्षकार जोखिम को कवर करने से इंकार किया है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने रिटों को, प्राधिकरण की कार्रवाई को मान्य ठहराते हुए, नामंजूर किया है। कुछ याचिकाएं मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों में विभिन्न प्रक्रमों पर लंबित हैं। मोटर प्रीमियम संरचना के सुव्यवस्थीकरण से बीमाकर्त्ताओं को कुल 600 से 750 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने की संभावना है, जो इस पोर्टफोलियो को स्वत: पोषणीय बनाएगा।

साधारण बीमा निगम को पुन: अभिहित किए जाने के पश्चात् जी आई सी ने भारत में फसल बीमा के अलावा प्रत्यक्ष कारबार करना बंद कर दिया है। वर्ष में इसकी सकल प्रीमियम आय 311.57 करोड़ रुपए थी। निगम विमानन बीमा कारबार निम्नांकित कर रहा है और राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन क्रियान्वयन अभिकरण है और बीज व फसल की अग्रणी स्कीम के अधीन कारबार निम्नांकित कर रहा है। कारबार के विमानन वर्ग से इसे 23.52 करोड़ रुपए का

प्रीमियम प्राप्त हुआ, जो जी आई सी द्वारा नया प्रत्यक्ष कारबार के अभ्यर्पण के कारण 55% से भी अधिक कम था और जो इंडियन एयरलाईन्स की बाबत केवल बची हुई किश्तों का संग्रहण था। विमानन कारबार पर विदेशी प्रीमियम यह दर्शित करते हैं कि उच्च प्रीमियमों और कारबार विकास में कमी के कारण यह बाजार काफी मुश्किल है। वर्ष 2001-02 के दौरान देश का संपूर्ण विमानन कारबार प्रीमियम जी आई सी के खाते में गया था। निगम के विमानन कारबार के दावे सकल आधार पर पूर्व वर्ष के 4.62 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 15.64 करोड़ रुपए थे।

2000-01 तक भारतीय साधारण बीमा निगम चार राष्ट्रीयकृत कंपनियों के स्वामी क` रूप में संपूर्ण भारतीयबाजार के लिए पुन: बीमा की व्यवस्था कर रहा था। जी आई सी को अब भारतीय पुन: बीमाकर्त्ता घोषित किया गया है और उसे संपूर्ण देश के बीमा बाजार के लिए कार्य करने की आबद्धकर स्थिति में रखा गया है। प्रत्येक बीमाकर्त्ता के लिए यह आबद्धकर है कि वह अपने सकल प्रीमियम का 20% जीआई सी को अभ्यर्पित करे। जी आई सी बीमा उद्योग की ओर से समुद्री पैटा पूल के प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर रहा है। 2001-02 के लिए जी आई सी के पुन: बीमा कार्यक्रम को देश के भीतर अधिकतम प्रतिधारण रखने, पर्याप्त क्षमता विकसित करने, उपगत पुन: बीमा लागतों का सर्वोत्तम संभव संरक्षण सुनिश्चित करने और कारबार के प्रशासन के सरलीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया था।

वर्ष के दौरान जी आई सी को भारतीय बीमाकर्त्ताओं को ऊपर दर्शित उद्देश्यों से संगत अधिकतम समर्थन देना था। वित्तीय वर्ष 2001-02 के परिणाम, भारतीय मोटर बाजार पोर्टफोलियो के नकारात्मक परिणामों और गुजरात दंगों के बावजूद, जिनमें लगभग 149 करोड़ रुपए की सकल हानि हुई, जी आई के लिए अच्छे रहे। इस घटना ने जी आई सी के संकट आधिक्य के हानि कार्यक्रम को प्रभावित नहीं किया।

इस वर्ष की अन्य प्रमुख गतिविधि न्यूयार्क के विश्व व्यापार केन्द्र के दो टावरों के 11 सितम्बर 2001 के विनाश से संबंधित है। इस घटना से पूर्व भी पुन: बीमा बाजार पिछले छ: वर्षों के मुकाबले महंगा हो रहा था। न्यूयार्क की इस त्रासदी से पुन: बीमा दरें आकाश छूने लगीं। विद्यमान कठिनईयों और दबाव में वृद्धि करते हुए विश्व पुन: बीमाकर्त्ताओं ने आतंकवाद जोखिमों का पुन:बीमा करने से इंकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े-बड़े जोखिम, जिन्होंने टी ए सी दर संरचना को स्वीकार नहीं किया था, बिना कवर के रह गए। आतंकवाद जोखिम को, जो अब तक किसी अग्नि पालिसी के अधीन सारवान क्षति कवर का अभिन्न अंग था, उसमें से हटा कर पृथक कवर बनाया गया, जिसके लिए प्रीमियम की पृथक दरें कोट की जानी थी। समुचित बीमा कवर के न होने पर अत्यावश्यक आधार पर कुछ अन्य व्यवस्थाएं करनी थी।

प्राधिकरण ने प्रारंभ में प्रीमियम पर अधिभार उद्गृहीत करने और उस अधिभार को विशेष व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए एकत्रित करने का प्रस्ताव किया। चूंकि स्कीम के प्रारंभ में ऐसा एकत्रण, किसी दावे के मामले में होने वाले भारी संदायों की तुलना में बहुत कम होना था इसलिए प्राधिकरण ने सरकार से, जो दावों की पूर्ति के अंतिम पक्षकार है, इस बाबत परामर्श किया। यह समझा गया था कि कुछ अवधि के लिए उद्योग ऐसे दावों को सरकार को सौंप देगा। सरकार के साथ, किसी ऐसी संकट आरक्षिती की बाबत, जिसे साधारण बीमाकर्त्ताओं को अपनी बहियों में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, कर मान्यता और कटौती मंजूर करने पर भी साधारण सहमति थी। तथापि, उद्योग, प्राधिकरण से चर्चा के पश्चात् आतंकवाद बीमाकवर के लिए प्रीमियम के रूप में उद्ग्रहण करना चाहता था। यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे संग्रहणों से जी आई सी द्वारा प्रशासित एक पूल सृजित किया जाए। यह पूल व्यवस्था 1.4.2002 से कार्य कर रही है। प्राधिकरण कुछ अवधि तक इस व्यवस्था द्वारा कार्यपालन का अध्ययन करना चाहता है और इसमें ऐसे परिवर्तन करना चाहता है जो प्रणाली के कार्यकरण के लिए आवश्यक हों। प्राधिकरण ने बीमाकृतों को आश्वासन दिया है कि उनके जोखिम यथा संभव बिना बीमा के नहीं रहेंगे और उद्योग अपेक्षित उपाय करेगा।

सारणी 19

राजस्व खाता साधारण बीमा - सार्वजनिक क्षेत्र

विवरण	न्यू इंडिया								ओरियेंटल							
	2001-02				2000-01				2001-02				2000-01			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
उपार्जित प्रीमियम (शुद्ध)	67924	18812	199151	285887	62768	19212	175666	257646	39282	17921	124869	182072	40307	13208	114872	168387
लाभ /हानि निवेश की बिक्री पर	551	264	2521	3336	503	256	2146	2906	336	167	1671	2174				0
अन्य	(151)	(373)	(3274)	(3798)	(793)	(376)	(3163)	(4332)						6	33	39
ब्याज लाभांश किराया सकल	7827	3751	35834	47413	7535	3839	32125	43499	4862	2421	24185	31468				0
जोड (ए)	76151	22455	234232	332838	70014	22931	206775	299719	44480	20509	150725	215714	40307	13214	114905	168426
उपार्जित दावे (शुद्ध)	37177	13134	205203	255514	39269	14175	174529	227973	19275	7427	156089	182791	26628	9135	114443	150206
कमीशन	850	(1034)	8167	7982	(126)	(1722)	2327	480	(1894)	(465)	24	(2336)	(1958)	(689)	(1873)	(4520)
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च	21969	5275	50209	77454	20128	5385	48548	74060	14541	4118	42244	60903	13349	3348	33601	50298
अन्य				0				0	30			30	3			3
विदेशी कर	56	9	261	327	56	12	389	457								
जोड (बी)	60052	17384	263840	341276	59327	17850	225793	302970	31952	11080	198357	241389	38022	11794	146171	195987
परिचालन हानि / लाभ																
अग्नि / मैरिन / विविध व्यापार विनियोजन	16099	5071	(29608)	(8438)	10686	5081	(19019)	(3252)	12528	9429	(47632)	(25675)	2285	1420	(31266)	(27561)
अंशधारक खाते का स्थानांतरण	16099	5071	(29608)	(8438)	10686	5081	(19019)	(3252)	12528	9429	(47632)	(25675)	2285	1420	(31266)	(27561)
महाविपदा आरक्षण का स्थानांतरण																
अन्य आरक्षण का स्थानांतरण (विवरण दें)																
योग (सी)	**16099**	**5071**	**(29608)**	**(8438)**	**10686**	**5081**	**(19019)**	**(3252)**	**12528**	**9429**	**(47632)**	**(25675)**	**2285**	**1420**	**(31266)**	**(27561)**

राजस्व खाता साधारण बीमा - सार्वजनिक क्षेत्र

विवरण	युनाइटेड								नेशनल								योग	
	2001-02				2000-01				2001-02				2000-01					
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग		
उपार्जित प्रीमियम (शुद्ध)	44630	14278	138372	197280	44999	14950	122255	182204	36655	14912	130131	181698	38051	13927	118493	170471	846937	778708
लाभ /हानि निवेश की बिक्री पर	878	540	5129	6547					200	136	1101	1437					13494	2906
अन्य	(7)	47	804	844	(129)	(34)	28	(135)		7	263	270			252	252	(2684)	(4176)
ब्याज लाभांश किराया सकल	5515	3393	32205	41113			226	226	4256	2905	23399	30560					150554	43725
जोड (ए)	**51016**	**18258**	**176510**	**245784**	**44870**	**14916**	**122509**	**182295**	**41111**	**17960**	**154894**	**213965**	**38051**	**13927**	**118745**	**170723**	**1008301**	**821163**
उपार्जित दावे (शुद्ध)	17560	8164	152357	178081	28819	11885	136989	177693	19236	7809	145465	172510	17903	5694	122566	146163	788896	702035
कमीशन	(3745)	(1529)	3521	(1753)	(3834)	(1898)	114	(5618)	(1765)	(651)	1403	(1013)	(1198)	(911)	1928	(181)	2881	(9840)
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च	14874	4136	38777	57787	13534	4445	34275	52254	12647	3829	39958	56434	12103	3505	33622	49230	252578	225842
अन्य	1141	703	6664	8508					37			37	35	13		48	8575	51
विदेशी कर																	327	457
जोड (बी)	**29830**	**11474**	**201319**	**242623**	**38519**	**14432**	**171378**	**224329**	**30155**	**10987**	**186826**	**227968**	**28843**	**8301**	**158116**	**195260**	**1053256**	**918546**
परिचालन हानि / लाभ अग्नि / मैरिन / विविध व्यापार	21186	6784	(24809)	3161	6351	484	(48869)	(42034)	10956	6973	(31932)	(14003)	9208	5626	(39371)	(24537)	(44955)	(97383)
विनियोजन																		
अंशधारक खाते का स्थानांतरण	21186	6784	(24809)	3161	6351	484	(48869)	(42034)	10956	6973	(31932)	(14003)	9208	5626	(39371)	(24537)	(44955)	(97383)
महाविपदा आरक्षण का स्थानांतरण																		
अन्य आरक्षण का स्थानांतरण (विवरण दें)																		
योग (सी)	**21186**	**6784**	**(24809)**	**3161**	**6351**	**484**	**(48869)**	**(42034)**	**10956**	**6973**	**(31932)**	**(14003)**	**9208**	**5626**	**(39371)**	**(24537)**	**(44955)**	**(97383)**

सारणी - 20

साधारण बीमा सार्वजनिक क्षेत्र

(रू. लाख में)

विवरण	न्यू इंडिया		ओरियेंटल		यूनाइटेड		नेशनल		योग	
	2001-02	**2000-01**	**2001-02**	**2000-01**	**2001-02**	**2000-01**	**2001-02**	**2000-01**	**2001-02**	**2000-01**
परिचालन लाभ/हानि										
(a) अग्नि बीमा	16099	10686	12528	2285	21186	6351	10956	9208	**60769**	28530
(b) मैरिन बीमा	5071	5081	9429	1420	6784	484	6973	5626	**28257**	12611
(c) विविध बीमा	(29608)	(19019)	(47632)	(31266)	(24809)	(48869)	(31932)	(39371)	**(133981)**	(138524)
	(8438)	**(3252)**	**(25675)**	**(27561)**	**3161**	**(42034)**	**(14003)**	**(24537)**	**(44955)**	**(97383)**
विनिवेश से आय									**0**	0
(a) ब्याज, लाभांस व किराया सकल	32669	31102	9466	39571	12742	48338	11448	38177	**66325**	157188
(b) निवेश के विक्रय पर लाभ	2298	2078	654		2118		549	2152	**5619**	4230
घटायें निवेश के विक्रय पर हानि					(89)		(16)		**(105)**	0
अन्य आय (वर्णित की जानी है)	916	743	526	798	374	424	669	559	**2485**	2524
कुल (ए)	**27445**	**30671**	**(15029)**	**12808**	**18306**	**6728**	**(1353)**	**16351**	**29370**	**66559**
उपलब्ध (कर के अलावा)									**0**	0
(a) विनिवेश के मूल्य में कमी	2114	1814	1186	1876	433		3171	1949	**6904**	5639
(b) शक योग्य ऋण	2008	1066	2739		877	2898	599	1	**6223**	3965
(c) अन्य (वर्णन योग)	579	(29)	4529	3472					**5108**	3443
अन्य खर्च									**0**	0
(a) बीमा व्यापार के अतिरिक्त खच					28	102	534	483	**562**	585
(b) बंद किये गये (अप्रर्याप्त ऋण)							3738	2748	**3738**	2748
(c) अन्य वर्णित किये जायें	1926	(1046)	2		1299	2912		81	**3227**	1947
योग (ब)	**6627**	**1805**	**8456**	**5348**	**2637**	**5912**	**8042**	**5262**	**25762**	**18327**
कर से पहले लाभ	20818	28866	(23485)	7460	15669	816	(9395)	11089	**3608**	48232
कर का प्रावधन	6619	6500	63	42	330	(1042)	(350)	831	**6662**	6331
लाभ कर के बाद	14199	22366	(23548)	7418	15339	(226)	(9045)	10258	**(3054)**	39817
विनियोग									**0**	0
(a) अंतरिम लाभांश वर्ष में देय									**0**	0
(b) अंतिम लाभांश प्रस्तावित	2000	2000		2755	3000			2000	**5000**	6755
(c) कर लाभांश वितरण		204						204	**0**	408
(d) अन्यकर पर लाभांश स्थानांतरण		(621)	1084	580					**1084**	(41)
साधारण आरक्षण का स्थानांतरण			(24632)	4083	12339	(226)	(9045)	8054	**(21338)**	11911
पिछले वर्ष से लाया गया लाभ/ हानि										
तुलना पत्र में ले जाया गया शेष	12199	20783							**12199**	**20783**

सारणी - 21

साधारण बीमा - सार्वजनिक क्षेत्र

(रू. लाख में)

निधि का स्त्रोत	न्यू इंडिया		ओरियेंटल		यूनाइटेड		नेशनल		योग	
	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01
अंश पूंजी	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	40000	40000
आरक्षित व आधिक्य	308945	296775	57279	82723	120325	107985	86392	95437	572941	582920
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा	273046		175599		120236		178438		747319	0
ऋण										
योग	**591991**	**306775**	**242878**	**92723**	**250561**	**117985**	**274830**	**105437**	**1360260**	**622920**
निधि का उपयोग										
निवेश	869935	514195	470843	276472	519719	372618	444680	244175	2305177	1407460
अचल संपत्ति	101344	107997	53537	57188	75568	77709	52924	55987	283373	298881
चालू संपत्ति	10727	7785	5686	6040	7650	5892	6819	4545	30882	24262
योग	**982006**	**629977**	**530066**	**339700**	**602937**	**456219**	**504423**	**304707**	**2619432**	**1730603**
चालू संपत्तियाँ										
नगद या बैंक शेष	115286	115469	54272	48465	49583	39860	68248	70830	287389	274624
अग्रिम व अन्य संपत्ति	130008	110247	59677	57203	99187	70449	71504	65149	360376	303048
योग (ए)	**245294**	**225716**	**113949**	**105668**	**148770**	**110309**	**139752**	**135979**	**647765**	**577672**
चालू देयता	**451989**	**391214**	**293089**	**248007**	**369986**	**333578**	**262029**	**229112**	**1377093**	**1201911**
व्यवस्था	183320	157704	108048	104638	131160	114965	107316	106137	529844	483444
योग (ब)	**635309**	**548918**	**401137**	**352645**	**501146**	**448543**	**369345**	**335249**	**1906937**	**1685355**
शुद्ध चालू संपत्तियाँ	**(390,015)**	**(323,202)**	**(287,188)**	**(246,977)**	**(352,376)**	**(338,234)**	**(229,593)**	**(199,270)**	**(1,259,172)**	**(1,107,683)**
विविध खर्च लाभ / हानि खाता										
लाभ व हानि खाता (ऋण शेष)										
योग	**591,991**	**306,775**	**242,878**	**92,723**	**250,561**	**117,985**	**274,830**	**105,437**	**1,360,260**	**622,920**

सारणी - 22
साधारण बीमा निजी

विवरण	रॉयल सुन्दरम					बजाज अलायंज #				टाटा ए आई जी				
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	2001-02	2000-01	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	2001-02	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	2001-02	2000-01
प्रीमियम आय (शुद्ध)	67	18	1223	1308	9	68	15	899	982	(46)	184	1129	1267	0
लाभ - हानि निवेश के विक्रय से	1	1	12	14	0	10		41	51	0	0	0	0	0
अन्य (वर्णित किये जायेंगें)			0	0				15	15		0	0	0	0
ब्याज, लाभांस तथा किराया - सकल	13	5	112	130	0	23	1	94	118	0	0	0	0	0
कुल (ए)	**81**	**23**	**1347**	**1451**	**9**	**101**	**16**	**1049**	**1166** 0	**(46)**	**184**	**1129**	**1267**	**0**
दावें (शुद्ध)	63	49	1051	1163	2	103	17	1154	1274	23	122	875	1020	0
कमीशन	(366)	(11)	(239)	(615)	(1)	(663)	(22)	(596)	(1281)	(430)	(78)	(141)	(649)	(18)
परिचालन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	876	136	3189	4200	1484	424	19	3270	3713	237	526	3817	4579	558
प्रीमियम कमी									0					
कुल (ब)	**573**	**174**	**4001**	**4749**	**1484**	**(136)**	**14**	**3828**	**3706**	**(170)**	**569**	**4551**	**4950**	**540**
परिचालन लाभ - हानि अग्नि मैरिन विविध व्यापार	(493)	(151)	(2654)	(3298)	(1475)	237	2	(2779)	(2540)	124	(386)	(3422)	(3683)	(540)
विनियोजन														
अंशधारक खाते में स्थानांतरण	(493)	(151)	(2654)	(3298)	(1475)	237	2	(2779)	(2540)	124	(386)	(3422)	(3683)	(540)
महाविपदा आरक्षित का स्थानांतरण									0					
अन्य आरक्षितियाँ का स्थानांतरण (वर्णित किये जायेंगें)									0					
कुल (सी)	**(493)**	**(151)**	**(2654)**	**(3298)**	**(1475)**	**237**	**2**	**(2779)**	**(2540)**	**124**	**(386)**	**(3422)**	**(3683)**	**(540)**

व्यापार परिचालन 2001-02 में शुरू किया।

साधारण बीमा निजी

विवरण	रिलायंस					इफ्को - टोकियो					आई सी आई सी आई लाम्बार्ड #			कुल	
	अग्नि	**समुद्री**	**प्रकीर्ण**	2001-02	2000-01	**अग्नि**	**समुद्री**	**प्रकीर्ण**	2001-02	2000-01	**अग्नि**	**प्रकीर्ण**	2001-02	2001-02	2000-01
प्रीमियम आय (शुद्ध)	39	14	69	121	0	94	2	279	374	1	21	121	141	4193	10
लाभ - हानि निवेश के विक्रय से	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	66	
अन्य (वर्णित किये जायेंगें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
ब्याज, लाभांस तथा किराया - सकल	56	2	37	95	0	18	3	38	58	0	3	38	42	443	
कुल (ए)	**95**	**16**	**106**	**217**	**0**	**112**	**5**	**317**	**433**	**1**	**24**	**160**	**183**	**4717**	**10**
दावें (शुद्ध)	29	44	87	161	0	36	37	335	428	0	12	166	179	4225	2
कमीशन	(697)	(13)	(104)	(814)	(11)	(1027)	(51)	(459)	(1537)	(153)	(316)	(88)	(404)	(5301)	(183)
परिचालन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	859	33	560	1451	431	1210	112	1043	2365	273	333	867	1200	17509	2746
प्रीमियम कमी												515	515	515	
कुल (ब)	**191**	**64**	**543**	**798**	**420**	**220**	**97**	**939**	**1256**	**120**	**29**	**1461**	**1490**	**16948**	**2564**
परिचालन लाभ - हानि अग्नि मैरिन विविध व्यापार	**(96)**	**(48)**	**(437)**	**(581)**	**(420)**	**(108)**	**(92)**	**(622)**	**(823)**	**(119)**	**(6)**	**(1301)**	**(1307)**	**(12231)**	**(2554)**
विनियोजन															
अंशधारक खाते में स्थानांतरण	(96)	(48)	(437)	(581)	(420)	(108)	(92)	(622)	(823)	(119)	(6)	(1301)	(1307)	(12231)	(2554)
महाविपदा आरक्षित का स्थानांतरण									0						
अन्य आरक्षितियाँ का स्थानांतरण (वर्णित किये जायेंगें)									0						
कुल (सी)	**(96)**	**(48)**	**(437)**	**(581)**	**(420)**	**(108)**	**(92)**	**(622)**	**(823)**	**(119)**	**(6)**	**(1301)**	**(1307)**	**(12231)**	**(2554)**

आई सी आई सी आई लाम्बार्ड के द्वारा वर्ष 2001-02 में कोई मैरिन व्यापार नही किया गया।
आई सी आई सी आई लाम्बार्ड ने अपना व्यापार परिचालन 2001-02 में शुरू किया।

सारणी - 23

लाभ - हानि खाता : निजी - साधारण बीमा

विवरण	रॉयल सुन्दरम		बजाज	टाटा ए आई जी		रिलायंस		इफ्को - टोकियो		आई सी आई सी आई लाम्बार्ड		कुल	
	2001-02	2000-01	2001-02	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01
परिचालन लाभ - (हानि)													
ए. अग्नि बीमा	(493)	(4)	237	124	(102)	(96)	(367)	(108)	(81)	(6)		(340)	(554)
बी. मैरिन बीमा	(151)	0	2	(386)	(73)	(48)	0	(92)	(1)			(675)	(74)
सी. विविध बीमा	(2654)	(1471)	(2779)	(3422)	(365)	(437)	(53)	(622)	(37)	(1301)		(11215)	(1926)
निवेश से आय													
ए. ब्याज, लाभांश, किराया -सकल	785	395	871	1219	234	1348	469	1012	366	520		5755	1465
बी. निवेश के विक्रय से लाभ (सकल)	82	2	395	0	8	336	39	0	0	6		820	49
घटायें : निवेश के विक्रय (हानि)	0	0	(6)	0	0	(330)	0	0	0	0		(336)	
सी. अन्य (वर्णित किये जायेंगें)	3	0	1	7	0	2	0	0	0	0		13	
कुल ए	**(2428)**	**(1077)**	**(1279)**	**(2457)**	**(298)**	**776**	**88**	**189**	**247**	**(780)**		**(5979)**	**(1040)**
प्रावधान (कर के अतिरिक्त)													
ए. निवेश के मूल्य में कमी							5						5
बी. डूबत खाता													
सी. अन्य (वर्णित किये जायेंगें)										25		25	
अन्य खर्चे													
खर्चे - बीमा व्यवसाय से संबंधित नही		10	2	0	0	0	0	17	0	291	120	311	130
डूबत खाता													
अन्य	25	0	45	301	44	37	37	0	0	16	7	423	88
कुल बी	**25**	**10**	**47**	**301**	**44**	**37**	**43**	**17**	**0**	**332**	**127**	**759**	**224**
कर पूर्व लाभ	(2453)	(1088)	(1326)	(2758)	(342)	738	45	173	247	(1113)	(127)	(6739)	(1263)
कर का प्रावधान	0	0	(365)	0	0	61	0	6	95	(265)	0	(563)	95
कर के बाद लाभ	(2453)	(1088)	(961)	(2758)	(342)	678	45	167	152	(848)	(127)	(6176)	(1358)
विनियोजन													
ए. वर्ष के दौरान दिया गया लाभांश													
बी. अंतिम लाभांश													
सी. लाभांश वितरण कर													
डी. स्थानांतरण अंतिम वर्ष के आरक्षित या स्थगित कर में						(13)				(47)		(60)	
ई. महाविपदा आरक्षित									12				12
	0	0	0										
लाभ - हानि का शेष - पिछले वर्ष से लिया गया	(1088)	0	0	(342)	0	45	0	141	0	(127)	0	(1370)	
लाभ - तुलना पत्र में भेजा गया	**(3540)**	**(1088)**	**(961)**	**(3100)**	**(342)**	**735**	**45**	**307**	**141**	**(928)**	**(127)**	**(7487)**	**(1370)**

बजाज अलायंस ने अपना परिचालन 2001-02 में शुरू किया

सारणी - 24
साधारण बीमा - निजी क्षेत्र

(रू. लाख में)

निधि का स्त्रोत	रॉयल सुन्दरम		बजाज अलायंस	टाटा एआईजी		रिलायंस		इफ्को टोकिया		आईसीआईसीआई लांबार्ड		योग	
	2001-02	2000-01	2001-02	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01
अंश पूंजी	13,000	10,100	10,928	12,350	12,350	10,200	10,200	10,000	10,000	10,944	(71)	**67,423**	42,579
आरक्षित व आधिक्य	-	-	-	-	-	735	45	319	152	-	-	**1,054**	197
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
ऋण												**-**	-
अन्य	85	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	**88**	-
योग	**13,085**	**10,100**	**10,928**	**12,350**	**12,350**	**10,938**	**10,245**	**10,319**	**10,152**	**10,944**	**(71)**	**68,565**	**42,776**
निधि का उपयोग													
नवेश	10,900	7,618	16,682	10,327	10,851	14,966	9,745	7,549	4,720	11,290	-	**71,713**	32,934
अचल संपत्ति				13	15							**13**	15
चालू संपत्ति	886	759	1,186	2,196	1,268	162	143	1,142	132	233	11	**5,805**	2,314
योग	11,785	8,377	17,868	12,536	12,134	15,128	9,888	8,691	4,852	11,523	11	**77,532**	35,263
चालू संपत्तिया													
नगद या बैंक शेष	2,027	646	2,334	1,574	526	338	85	6,846	6,138	1,258	-	**14,377**	7,395
*अग्रिम व अन्य संपत्ति	891	479	3,332	1,369	622	1,286	260	882	251	2,819	91	**10,579**	1,702
योग (ए)	2,919	1,125	5,666	2,943	1,147	1,623	345	7,728	6,388	4,077	91	**24,956**	9,097
चालू देयता	**2,814**	**522**	**5,330**	**4,422**	**1,947**	**5,803**	**137**	**5,138**	**1,064**	**4,113**	**301**	**27,620**	**3,971**
व्यवस्था	2,376	9	8,237	2,345	4	123	1	963	24	1,470	-	**15,514**	38
योग (ब)	5,191	531	13,567	6,767	1,952	5,926	138	6,101	1,088	5,584	301	**43,134**	4,009
शुद्ध चालू संपत्तियाँ	**(2272)**	**594**	**(7901)**	**(3824)**	**(804)**	**(4303)**	**207**	**1,628**	**5,300**	**(1507)**	**(209)**	**(18178)**	**5,088**
विविध खर्च लाभ / हानि खाता	31	41	-	538	678	112	150	-	-	-	-	**681**	869
लाभ व हानि खाता (ऋण शेष)	3,540	1,088	961	3,100	342	-	-	-	-	928	127	**8,530**	1,556
योग	**13,085**	**10,100**	**10,928**	**12,350**	**12,350**	**10,938**	**10,245**	**10,319**	**10,152**	**10,944**	**(71)**	**68,565**	**42,776**

*अग्रिम और अन्य आस्तियों में अस्थगित कर आस्तियां सम्मिलित हैं।

सारणी–25
राजस्व लेखा : जी आई सी

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2001–02				2000–01			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्न	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	50708	22675	170463	243846	41512	23328	139128	203968
निवेशों के विक्रय/विमोचन पर लाभ/हानि	1332	1143	9038	11513	1258	1165	6909	9332
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	161	25	(117)	69	(34)	(40)	(239)	(313)
कुल ब्याज, डिविडेंड और किराया	5256	4510	35654	45420	5681	5260	31200	42141
कुल (क)	**57457**	**28353**	**215038**	**300848**	**48417**	**29713**	**176998**	**255128**
उपगत दावे (शुद्ध)	35624	13101	180783	229508	23076	8987	153120	185183
दलाली	21205	4305	38123	63633	12932	3606	33072	49610
बीमा कारबार से संबंधित संचालन व्यय	765	171	1577	2513	734	203	1485	2422
विदेशी कर								
कुल (ख)	57594	17577	220483	295654	36742	12796	187677	237215
अग्नि/समुद्री/प्रकीर्ण कारबार से प्रचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)								
विनियोग								
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(137)	10776	(5445)	5194	11675	16917	(10679)	17913
संकट आरक्षितियों को अंतरण								
अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)								
कुल योग (ग)	(137)	10776	(5445)	5194	11675	16917	(10679)	17913

सारणी - **26**

लाभ व हानि का लेखा : साधारण बीमा सार्वजनिक क्षेत्र

(रू. लाख में)

विवरण	2001-02	2000-01
प्रचालन लाभ/(हानि)		
(a) अग्नि बीमा	(137)	11675
(b) मैरिन बीमा	10776	16917
(c) प्रकीण बीमा	(5445)	(10679)
	5194	17913
निवेशों से आय		
(a) ब्याज, लाभांश और किराया सकल	31310	29363
(b) निवेशो के विक्रय पर लाभ	7936	6503
निवेशों के विक्रय पर हानि	(1)	
अन्य हानि	**1544**	**923**
योग (ए)	**45983**	**54702**
उपलब्ध (कराधान से अन्य)		
(a) निवेशो के मूल्यों में कमी के लिये	3308	2927
(b) अन्य	6940	3806
(c) अन्य खर्च	43	
अन्य व्यय		
(a) बीमा व्यवसाय में अन्य जुडे खर्चे		111
(b) अप्राप्त ऋण बंद किये गये		
(c) अन्य (वर्णित किये जाये)	22	257
कुल (ख)	**10313**	**7101**
कर से पूर्व लाभ	35670	47601
कराधान के लिये उपलब्ध	4453	5895
कर के पश्चात लाभ	31217	41706
विनियोग		
(a) वर्ष के दौरान प्रदत्त अंतरिम लाभांश		
(b) प्रस्तावित अंतिम लाभां श	4300	4300
(c) लाभांश वितरण कट		4386
(d) आरक्षितियों / अन्य खातों के अंतरण		
साधारण आरक्षितियों को अंतरण	26915	36968
आरक्षितियों / अन्य खातों के अंतरण	1	
शेष ले जाया गया तुलना पत्र में।		1

सारणी - 27
साधारण बीमा - सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना पत्र

निधियाँ स्त्रोत	2001-02	2000-01
शेयर पूँजी	21500	21500
रक्षित तथा आधिक्य	271622	244704
उचित मूल्य परिवर्तन	153903	
ऋण		
कुल	447025	266204
निधि का उपयोग		
निवेश	713282	471893
ऋण	81589	83391
चल संपत्तियाँ	4111	2589
कुल	**798982**	**557873**
चालू संपत्तियाँ		
नगद व बैंक शेष	111080	121126
अग्नि, व अन्य संपत्तियाँ	127822	98367
वि कुल (ए)	238902	219493
चालू देयत्ता	**394677**	**339468**
प्रावधान	196182	171694
वि कुल (बी)	590859	511162
शुद्ध चालू संपत्ति	(351957)	(291669)
अन्य खर्च जिन्हें समायोजित अथवा बंद नही किया गया है।		
लाभ - हानि खाता (ऋण शेष)		
कुल	**447025**	**266204**

सारणी - 28

सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय

(रू. करोड में)

		अग्नि		विविध		मैरिन		कुल	
संख्या	कंपनी	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01
1	नेशनल	496.16	408.09	1732.04	1505.99	211.2	203.80	2439.4	2117.88
2	न्यू इंडिया	1106.70	654.24	2728.64	2073.09	362.73	313.84	4198.07	3041.17
3	ओरियेंटल	531.03	471.28	1753.00	1540.49	214.60	187.90	2498.63	2199.67
4	यूनाइटेड इंडिया	636.99	526.11	1889.28	1635.42	255.21	279.56	2781.48	2441.09
	वि - कुल	2770.88	2059.72	8102.96	6754.99	1043.74	985.10	11917.58	9799.81
5	रॉयल सुन्दरम	17.9	0.0006	50.44	0.235	2.78		71.12	0.2356
6	रिलायंस	45.84	0.9356	29.07	0.1317	1.74		76.65	1.0673
7	इफ्को - टोकिया	36.15	3.7013	31.02	2.086	3.34	0.0451	70.51	5.8324
8	टाटा एआईजी	19.36		49.91		9.18		78.45	
9	आईसी आईसी आई लाम्बार्ड	10.98		16.12				27.1	
10	एलायंस बजाज	27.88		112.71		1.35		141.94	
	वि - कुल	158.11	4.6375	289.27	2.4527	18.39	0.045	465.77	7.1353
	कुल	2928.99	2064.36	8392.23	6757.44	1062.13	985.15	12383.35	9806.95

सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय

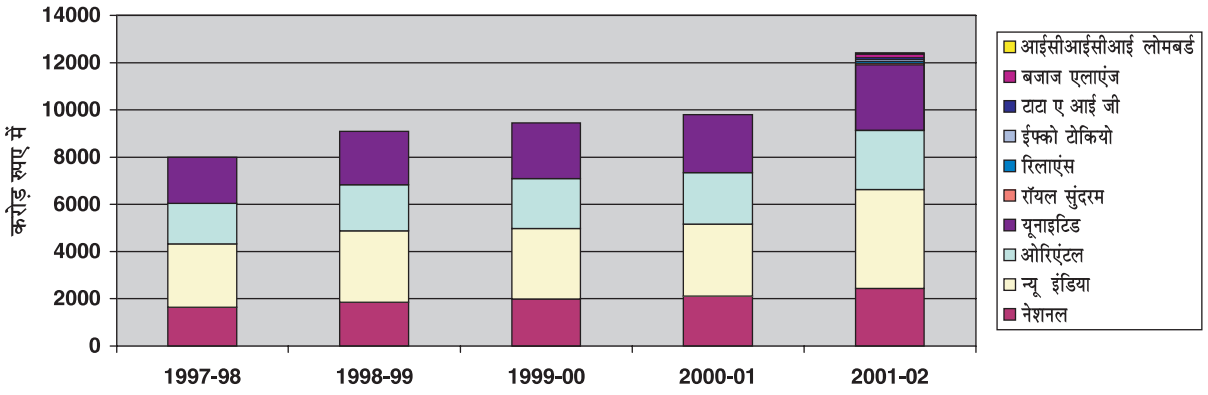

सारणी - 29

शुद्ध प्रीमियम आय

(रू. करोड में)

संख्या	कंपनी	अग्नि		विविध		मैरिन		कुल	
		2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01
1	नेशनल	367.6	365.51	1312.71	1289.92	132.81	149.12	1813.12	1804.55
2	न्यू इंडिया	758.84	599.64	2099.3	1883.72	210.09	188.12	3068.23	2671.48
3	ओरियेंटल	392.22	393.43	1287.17	1210.21	139.11	121.71	1818.5	1725.35
4	यूनाइटेड इंडिया	480.28	412.23	1438.18	1329.27	126.61	142.78	2045.07	1884.28
	वि - कुल	**1998.94**	**1770.81**	**6137.36**	**5713.12**	**608.62**	**601.73**	**8744.92**	**8085.66**
5	रॉयल सुन्दरम	3.33	0.0004	32.18	0.1859	1.23		36.74	0.1863
6	रिलायंस	0.76		1.32		0.27		2.35	
7	इफ्को - टोकियो	2.07	0.1029	9.52	0.1446	1.53	0.0014	13.12	0.2489
8	टाटा एआईजी	0.49		31.41		4.17		36.07	
9	आईसी आईसी आई लाम्बार्ड	1.3		9.66		0.003		10.963	
10	एलायंस बजाज	3.44		80.01		0.61		84.06	
	वि - कुल	**11.39**	**0.1033**	**164.10**	**0.3305**	**7.81**	**0.0014**	**183.30**	**0.4352**
	संपूर्ण कुल	**2010.33**	**1770.91**	**6301.46**	**5713.45**	**616.43**	**601.73**	**8928.22**	**8086.10**

शुद्ध प्रीमियम

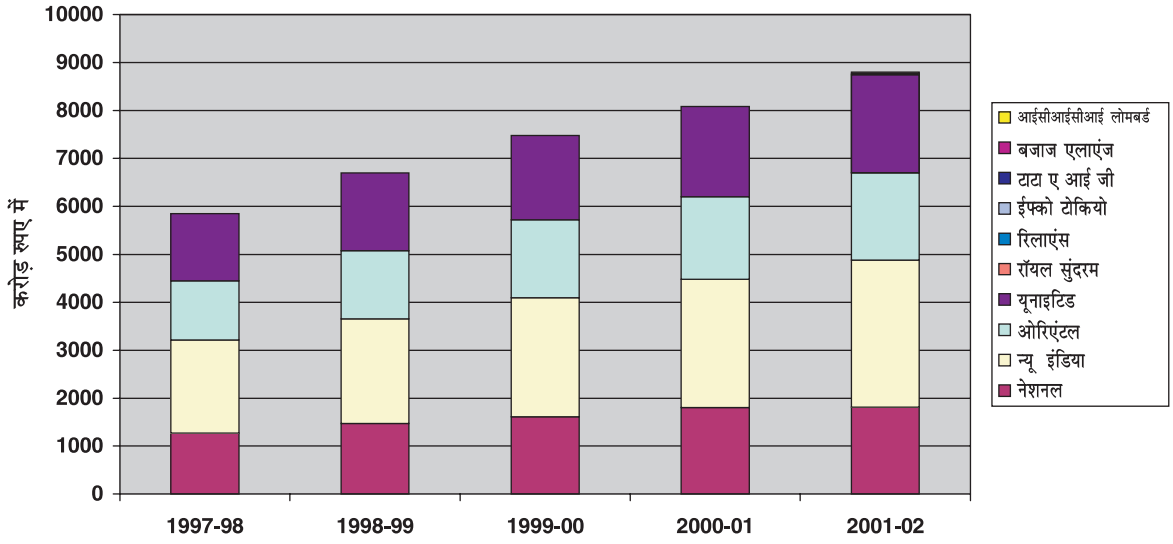

सारणी - 30 (क)

सार्वजनिक क्षेत्र के लिये बीमालेखन अनुभव तथा अनुभवी कंपनियों के लाभ

रू. करोड में

	नेशनल		न्यू इंडिया		ओरियेंटल		युनाइटेड इंडिया		कुल	
	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	**2001-02**	2000-01
शुद्ध प्रीमियम	1813.12	1804.55	3068.23	2671.48	1818.50	1725.35	2045.07	1884.38	**8744.92**	8085.76
शुद्ध देय दावा	1724.93	1461.63	2554.18	2279.74	1827.66	1502.06	1780.47	1776.93	**7887.24**	7020.36
	95.14%	81.00%	83.25%	85.34%	100.50%	87.06%	87.06%	94.30%	**90.19%**	86.82%
कमीशन प्रबंध के खर्च व अन्य खर्च	554.58	490.97	857.62	749.97	585.98	457.81	645.42	466.36	**2643.60**	2165.11
	30.59%	27.21%	27.95%	28.07%	32.22%	26.53%	31.56%	24.75%	**30.23%**	26.78%
असमाप्त जोखिम के लिये आरक्षित	(3.87)	99.84	209.35	95.02	(2.23)	41.48	72.26	62.33	**275.51**	298.67
	-0.21%	5.53%	6.82%	3.56%	-0.12%	2.40%	3.53%	3.31%	**3.15%**	3.69%
बीम लेखन लाभ / हानि	(462.52)	(247.89)	(552.92)	(453.25)	(592.91)	(276.00)	(453.08)	(421.24)	**(2061.43)**	(1398.38)
	-25.51%	-13.74%	-18.02%	-16.97%	-32.60%	-16.00%	-22.15%	-22.35%	**-23.57%**	-17.29%
सकल निवेश आय	439.78	403.29	857.16	795.85	437.62	395.71	624.31	485.64	**2358.87**	2080.49
अन्य आय अन्य जावद्ध से कम	(71.21)	(44.51)	(96.06)	(53.94)	(79.56)	(45.11)	(14.54)	(56.23)	**(261.37)**	(199.79)
कर से पूर्व लाभ	(93.95)	110.89	208.18	288.66	(234.85)	74.60	156.69	8.17	**36.07**	482.32
स्त्रोत पर आयकर कटौती तथा कर के लिये व्यवस्था	(3.50)	8.30	66.19	65.00	0.63	0.42	3.30	(10.42)	**66.62**	63.30
शुद्ध लाभ	(90.45)	102.59	141.99	223.66	(235.48)	74.18	153.39	(2.25)	**(30.55)**	398.18

स्त्रोत : संबन्धित कंपनी की वर्षिक रिर्पोट

सारणी - 30 (ख)

निजी क्षेत्र के लिये बीमालेखन अनुभव तथा अनुभवी कंपनियों के लाभ

(रू. करोड में)

	रॉयल सुन्दरम		रिलायंस		इफ्को टोकियो		टाटा एआईजी		बजाज		आईसीआईसीआई लाम्बार्ड		कुल	
	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	**2001-02**	2000-01
शुद्ध प्रीमियम	36.75	0.19	2.35	0	13.13	0.25	36.07	0	84.06	0	10.97		**183.33**	0.44
शुद्ध देय दावा	11.63	0.02	1.6	0	4.28	0	10.2	0	12.74	0	1.79		**42.24**	0.02
	31.65%	10.53%	68.09%		32.60%	0.00%	28.28%		15.16%		16.32%		**23.04%**	4.55%
कमीशन प्रबंध के खर्च व अन्य खर्च	35.86	14.85	6.37	3.67	8.28	1.2	39.3	5.2	24.33	0	13.11		**127.25**	24.92
	97.58%	7815.79%	271.06%		63.06%	480.00%	108.95%		28.94%		119.51%		**69.41%**	5663.64%
असमाप्त जोखिम के लिये आरक्षित	23.67		1.15		9.39		23.4		74.24	0	9.55		**141.4**	0
	64.41%		48.94%		71.52%		64.87%		88.32%		87.06%		**77.13%**	
बीम लेखन लाभ / हानि	(34.41)	(14.75)	(6.77)	(4.20)	(8.82)	(1.19)	(36.83)	(5.20)	(27.25)	0.00	(13.48)		**(127.56)**	(25.34)
	-93.63%	-7763.16%	-288.09%		-67.17%	-476.00%	-102.11%		-32.42%		-122.88%		**-69.58%**	-5759.09%
सकल निवेश आय	10.11	4.02	14.49	5.08	10.7	3.66	12.19	1.82	14.29	0	5.69		**67.47**	14.58
अन्य आय अन्य जावद्ध से कम	(0.22)		(0.35)	(0.43)	(0.17)		(2.94)		(0.30)	(1.27)	(3.32)		**(7.30)**	(1.70)
कर से पूर्व लाभ	(24.52)	(10.88)	7.37	0.45	1.71	2.47	(27.58)	(3.58)	(13.26)	(1.27)	(11.11)		**(67.39)**	(12.81)
स्त्रोत पर आयकर कटौती तथा कर के लिये व्यवस्था			0.6		0.06	0.95			(3.65)		(2.65)		**(5.64)**	0.95
शुद्ध लाभ	(24.53)	(10.88)	6.77	0.45	1.67	1.52	(27.58)	(3.58)	(9.61)	(1.27)	(8.48)		**(61.76)**	(13.76)

स्त्रोत : संबन्धित कंपनी की वर्षिक रिर्पोट

सारणी - 31(ए)

सार्वजनिक क्षेत्र व्यवसायी - गैर जीवन का उपगत दावा अनुपात

(रू. करोड में)

	नेशनल				न्यू इंडिया				ओरियेंटल				युनाइटेड			
	अग्नि	मैरिन	विविध	योग	अग्नि	मैरिन	विविध	योग	अग्नि	मैरिन	विविध	योग	अग्नि	मैरिन	विविध	योग
शुद्ध प्रीमियम	367.60	132.81	1312.71	1813.12	758.84	210.09	2099.30	3068.23	392.22	139.11	1287.17	1818.50	480.28	126.61	1438.18	2045.07
शुद्ध दावे	192.36	78.09	1454.48	1724.93	371.83	131.33	2051.02	2554.18	192.58	74.28	1560.80	1827.66	175.78	81.66	1523.03	1780.47
दावों का अनुपात	52.3%	58.8%	110.8%	95.1%	49.0%	62.5%	97.7%	83.2%	49.1%	53.4%	121.3%	100.5%	36.6%	64.5%	105.9%	87.1%

सारणी - 31(बि)

सार्वजनिक क्षेत्र व्यवसायी - गैर जीवन का उपगत दावा अनुपात

(रू. करोड में)

	रॉयल सुन्दरम				रिलायंस				इफ्को टोकियो			
	अग्नि	मैरिन	विविध	योग	अग्नि	मैरिन	विविध	योग	अग्नि	मैरिन	विविध	योग
शुद्ध प्रीमियम	3.33	1.23	32.18	36.74	0.76	0.27	1.32	2.35	2.07	1.53	9.52	13.12
शुद्ध दावे	0.63	0.49	10.51	11.63	0.29	0.44	0.87	1.6	0.36	0.36	3.55	4.27
दावों का अनुपात	19%	40%	33%	32%	38%	163%	66%	68%	17%	24%	37%	33%

	टाटा एआईजी				बजाज अलायंस				आईसीआईसीआई लाम्बार्ड			
	अग्नि	मैरिन	विविध	योग	अग्नि	मैरिन	विविध	योग	अग्नि	मैरिन	विविध	योग
शुद्ध प्रीमियम	0.49	4.17	31.41	36.07	3.44	0.61	80.01	84.06	1.3	0.003	9.66	10.963
शुद्ध दावे	0.23	1.22	8.75	10.2	1.03	0.17	11.53	12.73	0.12	0.001	1.66	1.781
दावों का अनुपात	47%	29%	28%	28%	30%	28%	14%	15%	9%	33%	17%	16%

उपगत दावा दर

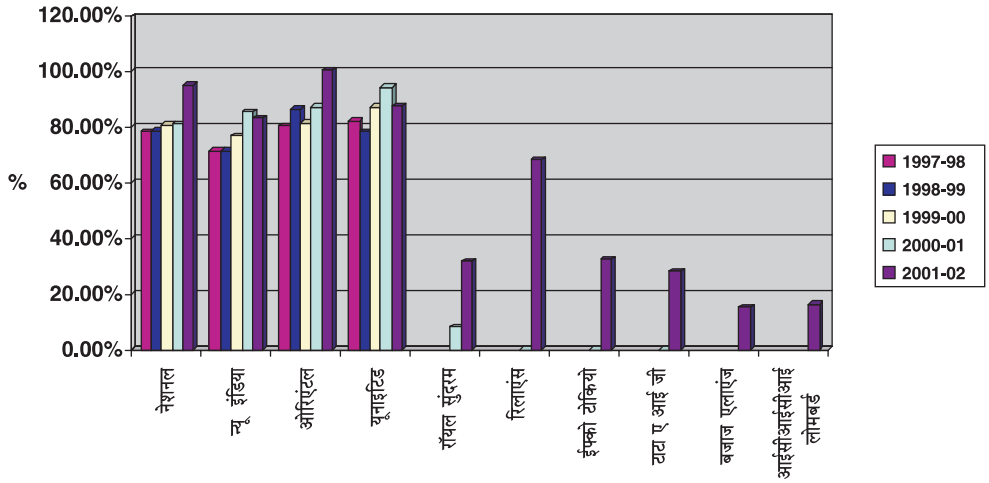

लाभ/हानि का निम्नांकन

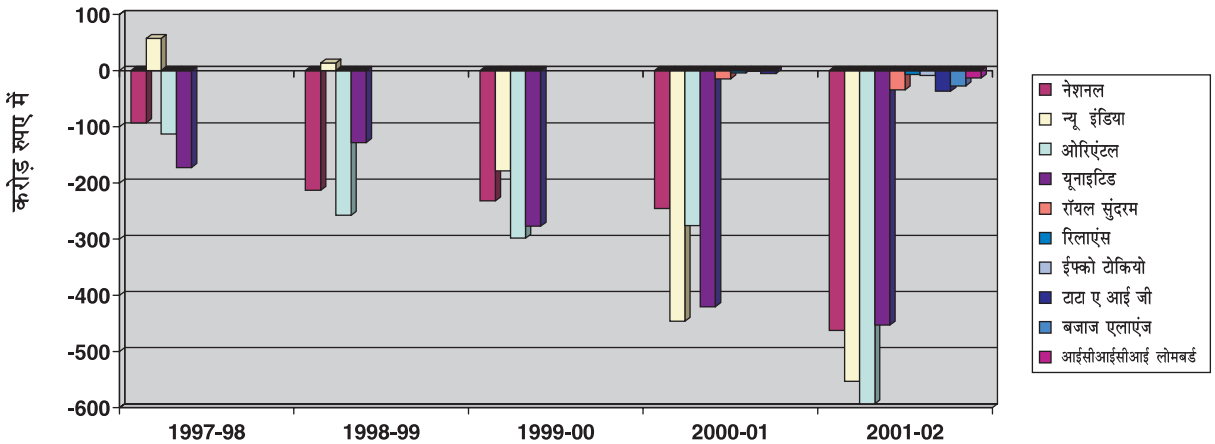

निवेश आय

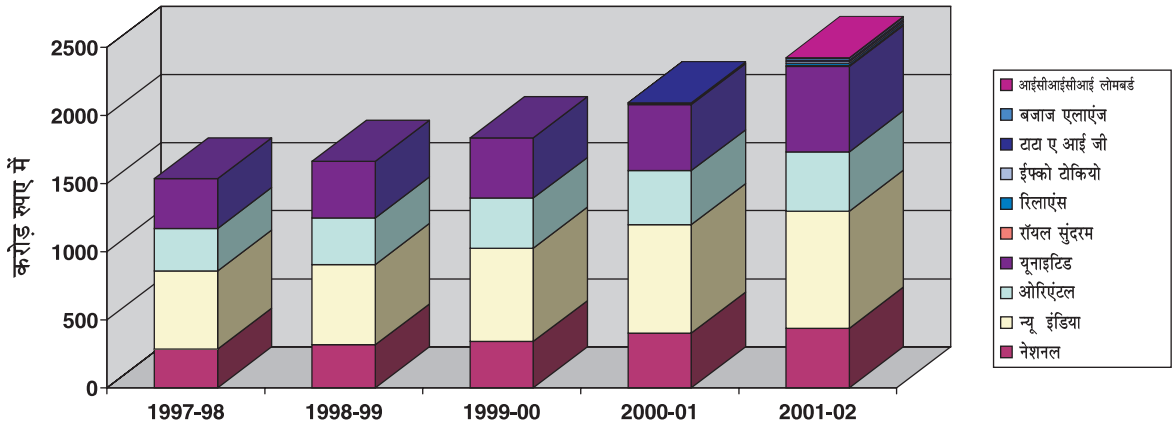

कर के पश्चात् लाभ

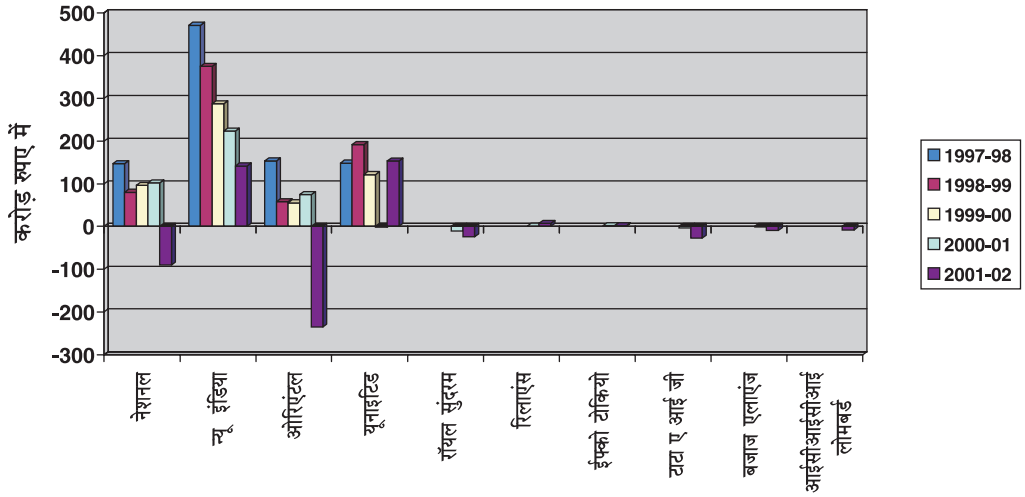

सारणी - 32
2001 - 02 में नये उत्पाद

गैर जीवन बीमाकर्त्ता का नाम	उत्पाद का नाम
आई सी आई सी आई लाम्बार्ड साधारण बीमा क. लि.	मैरिन ट्रासिट बीमा (इनलैंड) मैरिन विश्वसता गारंटी बीमा सार्वजनिक दायित्व बीमा (सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के अधीन) सार्वजनिक देयता बीमा (औद्योगिक जोखिम) सार्वजनिक देयता बीमा (गैर औद्योगक जोखिम) सर्वजोखिम बीमा पॉलिसी सेंधमारी बीमा ग्रुप मेडीक्लेम बीमा ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मनी बीमा - विविध कृषि पंप सेट (विविध) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना ग्रुप हेल्थ पॉलिसी ग्रुप हेल्थ (प्रवर्तन) पॉलिसी (विविध 12) सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा विविध (संशोधित) मैरिन - निर्यात आयात बीमा गृह बीमा पॉलिसी
न्यू इंडिया एश्योरेंस क. लि.	व्यक्तिगत व समूह मेडीक्लेम पॉलिसी ओवरसीज मैडीक्लेम पॉलिसी हेल्थ बीमा पॉलिसी - पूर्व सैनिकों के लिये साख बीमा (संशोधन)
नेशंल इंश्योरेंस क. लि.	व्यक्तिगत समूह मेडीक्लेम पॉलिसी लंबी अवधि समूह मेडीक्लेम पॉलिसी
ओरियेंटल इंश्योरेंस क. लि.	नागरिक सुरक्षा पॉलिसी कार्यालय छतरी पॉलिसी
इफ्को - टोकियो जनरल इंश्योरेंस क. लि.	मानक अग्नि व विशेष जोखिम पॉलिसी परिणामी हानि (अग्नि) पॉलिसी कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी मशीनरी ब्रेकडाउन बीमा ठेकेदार प्लाट व मशीनरी बीमा

गैर जीवन बीमाकर्त्ता का नाम	उत्पाद का नाम
	बॉयलर व प्रेशर प्लांट बीमा इलेक्टॉनिक इक्विपमेंट बीमा उद्योग सार्वजनिक बीमा मशीनरी लाभ की हानि पॉलिसी मोटर निजी कार विस्तृत पॉलिसी मोटर साइकिल स्कूटर बी पॉलिसी मैरिन कार्गो जनता देयता (गैर उद्योग जोखिम) बीमा पॉलिसी कृषि बीमा पॉलिसी ट्रेडर पैकेज बीमा पॉलिसी सेंधमारी व हाउस ब्रेकिंग बीमा धन बीमा पॉलिसी बैंकर क्षतिपूर्ति पॉलिसी मैडीशिल्ड पॉलिसी फैडल्टी गारंटी पॉलिसी जनता देयता बीमा (अधिनियम पॉलिसी) उत्पाद देयता पॉलिसी व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जनता देयता (उद्योग व स्टोर जोखिम बीमा) सार्वजनिक बीमा पॉलिसी व्यावसायिक जोखिम गलती व भूल पॉलिसी व्यावसायिक वाहन बीमा पॉलिसी संकट मोचक पॉलिसी लोक स्वास्थ्य बीमा योजना पशु धन बीमा किसान मित्र बीमा योजना संकट हरण (किसान ग्रामीण बीमा योजना) गंभीर बीमारी बीमा पॉलिसी ट्रेवल प्रोटेक्टर पॉलिसी ट्रेड प्रोडेक्शन बीमा पॉलिसी ट्रांसपोर्ट व संबंधित दायित्व सुरक्षा घर व परिवार सुरक्षा पॉलिसी गैर मानक कवर - बीमा पॉलिसी

गैर जीवन बीमाकर्त्ता का नाम	उत्पाद का नाम
रॉयल सुन्दरम बीमा क. लि.	मानक अग्नि तथा विशेष परिणामी हानि (अग्नि) पॉलिसी औद्योगिक सर्वजोखिम पॉलिसी निर्माण सर्वजोखिम व निर्माण बीमा मशीनरी ब्रेक डाउन बीमा कोंट्रेक्टर सर्व जोखिम इलेक्ट्रॉनिक इक्वीप्मेंट बीमा कोंट्रेक्टर प्लाट व मशीनरी बीमा बायलर व प्रेशर प्लाट बीमा कर्मकार क्षतिपूर्ति बीमा मोटर बीमा, व्यावसायिक वाहन बीमा पॉलिसी कारशील्ड उत्पाद मशीनरी व लाभ की हानि बीमा विंड मील पैकेज बीमा सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी (दुर्घटना मृत्यु केवल) व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी (दुर्घटना मृत्यु केवल) मैरिन कार्गो बीमा पॉलिसी मैरिन कार्गो अंतर्राष्ट्रीय क्लाज शब्दश: मैरिन कार्गो इनलैंड ट्रांसिट गृह बीमा पॉलिसी ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी सेंधमारी (व्यापार परिसर) बीमा मनी बीमा पॉलिसी निष्ठा गारंटी पॉलिसी उत्पाद दायित्व बीमा सार्वजनिक दायित्व बीमा (गैर औद्योगिक जोखिम) सार्वजनिक दायित्व बीमा सर्वजोखिम पॉलिसी जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कुकुट बीमा पशुधन बीमा सार्वजनिक दायित्व हेल्थ प्रीमियम प्लेटिनम बीमा हेल्थ शील्ड गोल्ड बीमा

गैर जीवन बीमाकर्त्ता का नाम	उत्पाद का नाम
	ट्रेवल शील्ड गोल्ड बीमा अस्पताल कैश बीमा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किसान पैकेज बीमा पॉलिसी कार्ड खो जाना बीमा विशेष परिस्थिति बीमा क्रय सुरक्षा बीमा हेल्थ शील्ड अतिरिक्त हेल्थ शील्ड प्लेटेनियम हेल्थ प्रीमियम प्लेटेनियम (अतिरिक्त) सुरक्षित सफर बीमा पेट प्लान नियोन साइन बीमा प्लेट ग्लास बीमा बैगेज बीमा फ्रिक्वेंट ट्रैवल शील्ड बीमा क्रय का केन्द्र बीमा व्हीलपूल खरीद सुरक्षा बीमा हेल्थ प्रीमियम प्लैटिनम एक्सटेंशन लाभ की हानि अग्रीम (निर्माण) बीमा 360 व्यापार शील्ड बीमा ग्लोब ट्रेवल बीमा रॉयल ट्रडर्स शील्ड बीमा रॉयल होटल शील्ड बीमा रायल कार्यालय शील्ड बीमा निवेशक व कार्यालय देयत्ता बीमा तथा कंपनी पुनःभुगतान देयता शील्ड बीमा पॉलिसी महिला कल्याण सुरक्षा व्यावसायिक एकीकृत बीमा पॉलिसी विविध पैकेज पॉलिसी बैंकर्स क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी शक्ति सुरक्षा शील्ड बाल सुरक्षा शील्ड

गैर जीवन बीमाकर्त्ता का नाम	उत्पाद का नाम
टाटा एआईजी	फैमिली गार्ड - व्यक्तिगत दुर्घटना कार्यकारी गार्ड - व्यक्तिगत दुर्घटना सिक्योर आय प्लान (कम) सिक्योर्ड आय प्लान (अधिक) परिवार गार्ड - व्यक्तिगत दुर्घटना क्रेसिस प्रबंध उत्पाद जमानती बांड राजनेतिक जोखिम व्यावसायिक साख संपत्ति ग्रुप विविध गार्ड व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी दुर्घटना व हेल्थ उत्पाद - परिवार गार्ड तथा पॉलिसी गृह सुरक्षा (गृहस्थ) पॉलिसी दुर्घटना व हेल्थ - ग्रुप अस्पताल नगद पॉलिसी दुर्घटना व हेल्थ - एचएसबी सी ग्रुप अस्पताल नगद पॉलिसी व्यापार गार्ड ज्योति व्यापार गार्ड - संजीवनी ओवरसीज ट्रेवल दुर्घटना एकल तथा वार्षिक विविध बीमा ओवरसीज दुर्घटना - एकल ट्रिप वार्षिक विविध ट्रिप बीमा ओवरसीज ट्रैवल दुर्घटना - सिल्वर व गोल्ड प्लेटिनम व वार्षिक विविध ट्रिप बीमा दुर्घटना तथा हेल्थ उत्पाद - व्यक्तिगत व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी - वृहद बाजार उत्पाद (शांति) दुर्घटना तथा हेल्थ उत्पाद - व्यक्तिगत व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी तथा व्यापार ट्रेवल एजेंसी व्यापार गार्ड - कार्यालय

सारणी - 33

परामर्शदाता बीमांकक की सूची - गैर जीवन बीमाकर्ता

बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस	नियुक्ति नहीं
आई सी आई सी आई लाम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस	पी. आई. मजूमदार
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस	ए पी पीतांबरा
नेशनल इंश्योरेंस क. लि.	बुद्धदेव चटर्जी
न्यू इंडिया इंश्योरेंस क. लि.	ए आर प्रभु
ओरियेंटल इंश्योरेंस क. लि.	पी सी गुप्ता
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस क. लि.	एन जी पै
रॉयल सुन्दरम अलायंस जनरल इंश्योरेंस क. लि.	औ. लक्ष्मीनारायण
टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस क. लि.	के हनुमंत राव
युनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस क. लि.	एस कृष्णन
जनरल इंश्योरेस कार्पो ऑफ इंडिया	नियुक्ति नही
चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस क. लि.	नियुक्ति नही

(iii) ग्राहक सेवा

पालिसीधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अभिकर्ताओं के सशक्त दल की आवश्यकता को महसूस करते हुए अभिकर्त्ताओं के प्रशिक्षण को अभिकर्त्ताओं की भर्ती के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में विहित किया गया था। तद्नुसार बीमाकर्त्ताओं ने मंडलीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों को प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मानों के अनुसार अभिकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत किया हैं आज, अधिकांश बीमाकर्त्ताओं के लिए ग्राहक सेवा सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त पालिसीधारकों से संबंधित विनियमों की अधिसूचना ने ग्राहक सेवा के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित किए हैं।

अधिकांश बीमाकर्त्ता, पालिसी बीमा, रिपोर्ट किए गए दावों, बकाया दावों, दावा निपटान दर, गैर-वाद दावा निपटान दर, प्रीमियम का प्रतिदाय, पृष्ठांकन और शिकायत समाधान दर जैसे पहलुओं पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रिपोर्टें बनाते हैं। बीमाकर्त्ताओं ने अपने ग्राहक सेवा केन्द्रों के लिए ग्राहक नातेदारी प्रबंध परियोजनाएं आरंभ की हैं। इसके अतिरिक्त बीमा अधिनियम, 1938 में नए संशोधनों के साथ ही बीमाकर्त्ता खुदरा बिक्री और मध्य-बाजार उत्पादों के लिए तेल आधारित बीमाकर्त्ताओं ने शिकायत प्रकोष्ठ भी स्थापित किए हैं और उनके कार्यपालन को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

बीमाकर्त्ताओं ने ''क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं'' बूथों और सूचना सुविधा काउंटरों को भी खोला है इसके अतिरिक्त दावों का शीघ्र समाधान करने के लिए जल्द राहत योजना और निधि मेला जैसे बूथों का आयोजन किया जाता है।

एल आई सी ने अपनी सभी 2048 शाखाओं को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपाय किए हैं। कंपनी ने विभिन्न इंटरनेट गेटवेजो से ऐसी व्यवस्था की है जिससे इंटरनेट के माध्यम से प्रीमियमों के संदाय को अनुज्ञात किया जा सके। इसने देश के विभिन्न भागों में कुइस्को को भी स्थापित किया है जहां पालिसीधारकों को पालिसी संबंधी जानकारी दी जाती है। एल आई सी ने अपने कर्मचारियों को मानव संसाधन विकास, विपणन, निवेश और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए भारत की एक प्रमुख शैक्षिक संस्था को नियोजित किया है।

बीमा उद्योग बड़ी तेजी से क्रेता बाजार के रूप में उभर रहा है, और इसके लिए बीमाकर्त्ताओं को उच्च गुणवता वाली ग्राहक सेवा उपलब्ध करानी होगी जो प्रस्तावित उत्पादों और पश्चातवर्ती सेवाओं, दोनों ही क्षेत्रों में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो, और विकासशील प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में बाजार के अगुआ सिद्ध हो।

पंजीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के ब्यौरे

सारणी - 34

जीवन बीमकर्ता के ब्यौरे

पंजी-करण सं.	कंपनी का नाम	मुख्य अधिकारी का नाम (31.3.2002)	दूरभाष, फैक्स, ईमेल व वेब पता	कारोबार की प्रकृति	कारोबार प्रारंभ की तिथि
116	अलायंस बजाज जीवन बीमा कं. लि. जी ई प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, येरावडा, पुणे- 411 006	मार्क पुस्लो	फोन: 020-4026777 फैक्स: 020-4026789 ई-मेल:**mark.purslow@allianz.co.in** WEB:www.allianzbajaj.co.in	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	01.10.2001
109	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. पहला माला, अहुरा सेंटर, बी विंग, महाकाली कैव्स रोड, अंधेरी (पू) मुबंई-400 093	नेनी जावेरी	फोन: 022-6928300 फैक्स: 022-6928301 ई-मेल: **njaveri@birlasunlife.com** WEB:www.birlasunlife.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	19.03.2001
101	एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. पांचवा माला, प्लाट - सी 22, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांदा (पू) मुंबई - 400 051	डी एम सेतवालकर	फोन: 022-6533666, 6533660 फैक्स: 022-6533655/654 ई-मेल: **dms@hdfcinsurance.com** WEB :www.hdfcinsurance.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	12.12.2000
105	आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. आईसीआईसीआई प्रू लाइफ टावर, 1089, आपासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुबई- 400 025	शिखा शर्मा	फोन:022-462 1600 फैक्स: 022-4376638, 4622031 ई-मेल: **sharmas@iciciprulife.com** WEB:www.iciciprulife.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	19.12.2000
114	आईएनजी वैश्या लाइफ इंश्योरेंस क. लि. सदाशिवनगर, बैंगलोर -560 006	श्री टान वैन डेर स्टार	फोन: 080-3318300-312 फैक्स: 080-3318305 **ton.vanderstar@ingvysyalife.com** WEB:www.ingvysyalife.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	01.09.2001
512	भारतीय जीवन बीमा निगम लि. योगेक्ष्मा, जीवन बीमा मार्ग, पो.बा. सं. 19953, मुंबई - 400 021	श्री ए. रामामुर्ति	फोन:022-2020997 फैक्स:022-2810680 ई-मेल:**liccoeos@bom3.vsnl.net.in** WEB : www.licindia.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	
104	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. 11वी. मंजिल, डीएलएफ स्ववायर, जंगरनंदा मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेस-2, गुडगांव -122 002	श्री अनुरूप सिंह	फोन: 0124-6561717 फैक्स: 0124-6561764, 6561740 **anuroop.singh@maxnewyorklife.com** WEB: www.maxnewyorklife.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	26.03.2001

पंजी-करण सं.	कंपनी का नाम	मुख्य अधिकारी का नाम (31.3.2002)	दूरभाष, फैक्स, ईमेल व वेब पता	कारोबार की प्रकृति	कारोबार प्रारंभ की तिथि
117	मैटलाइफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस क. लि. बिग्रेड शीशामहल, नं. 5, वाणी विलास रोड, वसवनगुडी, बैंगलोर- 560 004	श्री वेंकटेश एस मैसूर	फोन: 080-6678617/18 फैक्स: 080-6521970 ई-मेल: **vmysore@metlife.com** WEB:www.metlife.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	04.01.2002
107	ओम कोटक महिन्द्रा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड छठा माला, पैंनुंसला चैम्बर्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पारेल,। मुंबई -400 013	श्री शिवाजी दाम	फोन: 022-4635000 फैक्स: 022-4635111 ई-मेल: **shivajid@kotakmahindra.com** WEB:www.omkotakmahindra.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	17.05.2001
111	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. टुर्नर मेंशन भवन, 16, बैंक स्ट्रीट, दूसरा माला, फोर्ट, मुबंई	श्री आर. कृष्णमूर्ति	फोन: 022-2351000 to 1007 फैक्स: 022-2351009 ई-मेल: **rkrishna@cobom.sbimail.com** **info@sbilife.co.in** WEB:www.sbilife.co.in	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	15.06.2001
110	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस क. लि. अहुरा सेन्टर, 4 मंजिल, अंधेरी (पू), मुबंई - 400 093	श्री इयान जे वाट्स	फोन: 022-6930000 फैक्स: 022-6938265 WEB:www.tata-aig.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	02.04.2001
121	ए एम पी सनमार एश्योरेंस क. लि. 9, कैथीडरल रोड, चैन्नै -600 086	श्री एस वी मोनी	फोन:044-8118411 फैक्स:044-8117669 ई-मेल: **sankara_mony@amp.com.au** WEB:ampsanmar.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों	03.01.2002
122	डाबर सीजीयू लाइफ इंश्योरेंस क. लि. पांचवा माला, जे एम डी रिजेंट स्कवायर बिल्डिंग, गुडगांव - महरोली रोड, गुडगांव-122 001 रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस क. लि.	श्री स्टुअर्ट पुडि	फोन:0124-6804141 फैक्स: 0124-6804151 ई-मेल: **stuart.purdy@avivaindia.com** WEB:www.avivaindia.com	सम्बंध व्यवसाय, असंबध व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत सथा सामूहिक दोनों सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान की गयी है। उनके आग्रह पर उनके परिचालन को एक वर्ष बाद प्रारंभ करने की अनुमति है। जिसको बाद में एक वर्ष के लिये और आगे बढाया गया	06.06.2002

सारणी - 35

साधारण बीमाकर्ताओं का विवरण

पंजी-करण सं.	कंपनी का नाम	मुख्य अधिकारी का नाम (31.3.2002)	दूरभाष, फैक्स, ईमेल व वेब पता	कारोबार की प्रकृति	कारोबार प्रारंभ की तिथि
113	बजाज अलायंस सा.बी.कं. लि. जी.ई.प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, चेरावाडा, पुणे - 411006	श्री शाम घोष	फोन: 020-402 6666 फैक्स:020-402 6667 ई-मेल: **sam.ghosh@allianzindia.com** WEB:www.bajajallianz.co.in	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	08.05.2001
115	आई सी आई सी आई लंबार्ड, आई सी आई सी आई टावर, बांद्रा कुर्ला रोड, बांद्रा (पूर्व) मुंबई -400 051	श्री संदीप बक्षी	फोन: 022-6537931 फैक्स: 022-6531111 **sandeepbakshi@icicilombard.com** WEB:www.icicilombard.com	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	31.08.2001
106	इफ्को - टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पामकोर्ट, चौथी मंजिल, प्लाट 20-4, सुखराली चौक, महरौली, गुडगांव मार्ग, गुडगांव, हरियाणा -122001	श्री अजित नारायण	फोन: 0124-6220889, 6220893 6220897, 6220895 फैक्स: 0124-6220887 ई-मेल:**tokiomarine.hemmi@nifty.ne.jp** WEB:www.itgi.co.in	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	16.01.2001
58	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., 3 मिडिलटन स्ट्रीट, प.बा. 9229 कोलकता - 700 071	श्री हेच. एस. वधवा	फोन: 033-2472130, 2401634, 2402139 फैक्स: 033-2402369 /2408744/2408404 **hswadhwa@national.insuranceindia.com** www.nationalinsuranceindia.com	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	
90	न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 87, एम जी रोड, फोर्ट , मुंबई - 400 001	श्री आर. बेरी	फोन: 022-2674617 - 22 फैक्स: 022-2672286, 2622355 ई-मेल: **cmd@niacl.com** WEB:www.niacl.com	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	
556	ओरियेंटल इंश्योरेंस कं लिमिटेड ए 25-27, आसफ अली रोड, नयी दिल्ली - 110 002	श्री अजित शरन	फोन: 3279221 to 3279225, 3283969, 3282973, 3283899 फैक्स: 3287193, 3271947 WEB:www.orientalinsurance.nic.in	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	

साधारण बीमाकर्ताओं का विवरण

पंजी-करण सं.	कंपनी का नाम	मुख्य अधिकारी का नाम (31.3.2002)	दूरभाष, फैक्स, ईमेल व वेब पता	कारोबार की प्रकृति	कारोबार प्रारंभ की तिथि
103	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस 909, नवीं मंजिल, रिजेंट चैंबर, नरिमन प्वाइंट, मुंबई -400 021	श्री विजय पवार	फोन: 022-2885687, 2828195 फैक्स: 022-2819558 ई-मेल: **vijay_pawar@ril.com**	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	23.03.2001
102	रॉयल सुन्दरम अलाइस बीमा कंपनी लिमिटेड 46 व्हाइट रोड, रायपेट्टा, चैन्नई - 600 014	श्री मिक्क मिश्रण	फोन: 044-8517387 फैक्स: 044-8517376 ई-मेल: **antonym.jacob@royalsun.com** WEB:www.royalsun.com	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	23.10.2000
108	टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस, चौथी मंजिल महर्षि कर्वे मार्ग, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 093	श्री दिलीप वर्मा	फोन: 022-6930000 फैक्स: 022-8305888 ई-मेल: **dalip.verma@tata-aig.com** WEB: www.tata-aig.com	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	22.02.2001
545	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. 24, व्हाइटस रोड, चैन्नई - 600 014	श्री वी जगन्नाथन	फोन: 044-8520161, 8528019 फैक्स: 044-8523402 ई-मेल: **srinivasan@united.nic.in** **svps@vsnl.net**	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	
123	चौलामंडलम जनरल इंश्योरेंस*, टी आई एएम हाउस, 28 राजाजी सलै, चैन्नई - 1	श्री अरूण अग्रवाल	फोन:044-5230033,7166000,2-9 फैक्स: 044-5242377, 7166001 **arunagarwal@cholamandalam.co.in** WEB:www.cholainsurance.com	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	-------
124	ई सी जी सी ऑफ इंडिया*, एक्सप्रेस टावर, दसवां माला, नरिमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021	श्री पी एम ए हाकिम	फोन: 022-2845452/71/72 फैक्स: 022-2045253 ई-मेल: **ecgcdp@bom2.vsnl.net.in** WEB:www.ecgcindia.com	ऋण जोखिम बीमा	-------
125	एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस पांचवी मंजिल, एक्सप्रेस टावर, नरिमन प्वाइंट, मुबंई - 21	श्री एस वी सावंत	फोन: 022-2383600 फैक्स:022-2383699	अग्नि, मैरिन कार्गो, मैरिन हल, विविध मोटर, इंजीनियरिंग, देयता, स्वास्थ्य	-------

सारणी **36**

पुनर्बीमाकर्ता का ब्यौरा

पंजीकरण सं.	कंपनी का नाम	मुख्य अधिकारी का नाम	दूरभाष, फैक्स, ईमेल व वेब पता	कारोबार की प्रकृति	कारोबार प्रारंभ की तिथि
544	भा.सा.बीमा निगम सुरक्षा 170, जे टाटा मार्ग, चर्च गेट, मुबंई - 400 020	श्री डी. सेन गुप्ता	फोन: 022-2833046, 2833452, Tel : 2843897 फैक्स: 022-2822337 Fax : 022-2046772 **E-mail:pcghosh@gicofindia.com** WEB:www.gicindia.com	पुनर्बीमा	

* कंपनियां 31 मार्च 2002 के पश्चात् प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत हुई।

घ. बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम

अपने प्रथम वर्ष में आधार बनाने के पश्चात्, प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कई पहल कीं। इनमें से कुछ को नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

1. आतंकवादी वारदातों से उद्भूत होने वाले जोखिमों को पूरा करने के लिए आतंकवाद पूल का सृजन। हालांकि आगामी 5-10 वर्षों में इस पूल का आकार बढ़ने की संभावना है, प्रारंभिक वर्षों के दौरान यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय सरकार उद्भूत होने वाली हानियों का शमन करने के लिए आगे आएगी।
2. वर्ष 2001-02 के लिए वार्षिक नवीकरण फीस को वित्तीय वर्ष 2001-02 के सकल प्रीमियम के 1% के 20% से घटाकर 10% करना। बीमा सलाहकार समिति ने इस फायदे को दो और वर्ष, अर्थात् 2002-03 और 2003-04 तक विस्तारित करने का अनुमोदन किया था, जिसे प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है।
3. निवेश विनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन करना कि बीमाकर्त्ता केवल उन्हीं कंपनियों की साम्या में निवेश करें, जिनके शेयरों का संक्रिय रूप से व्यापार होता है और जो नकद लिखत हों। विनियमों को, सक्रिय रूप से क्रय-विक्रय किए जा रहे साम्या का, उन्हें विद्यमान बाजार दिशा-निर्देशों के सामंजस्य में लाने के लिए, निर्वचन करने हेतु उपांतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक्सपोजर मानों की संगणना करते हुए संगणना के प्रयोजनों के लिए मुक्त आरक्षितियों को भी सम्मिलित किया जाता है।
4. बीमा कंपनियों का वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित विनियमों को भी, रिपोर्ट करने वाले क्षेत्र की अपेक्षाओं को सम्मिलित करने और विनियमों को सुस्पष्ट और सरल बनाने के लिए उपांतरित किया गया था।
5. आसानी से समझ आने वाली भाषा में पालिसी का प्रस्ताव करने वाले दस्तावेजों, जीवन और गैर जीवन, दोनों क्षेत्रों के लिए दावा करने की प्रक्रिया, शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना, दावों के शीघ्र समाधान और पालिसीधारकों की सेवाओं का उपबंध कने के लिए पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा, विनियम 2002 को अधिसूचित किया गया था। ये उपबंध 'फाइल और उपयोग' के अधीन उत्पादों को फाइल करने से संबंधित पहले से विद्यमान उपबंधों के अतिरिक्त हैं। दावों के विलंब से संदाय पर ब्याज और संभावित ग्राहक/पालिसीधारक द्वारा 15 दिन की नि:शुल्क लुक इन अवधि इन विनियमों की अतिरिक्त विशेषताएं हैं।
6. तीसरा पक्षकार प्रशासक-स्वास्थ्यसेवा को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विनियम अधिसूचित किए गए थे, और मार्च, 2002 में 14 कंपनियों को टी पी ए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी। आज तक 20 टी पी ए अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं।
7. बीमाकर्त्ता द्वारा किए गए कुल कारबार को सम्मिलित करने के लिए शोधन क्षमता से संबंधित विनियमों का संशोधन किया गया था, ग्रामीण बीमाको पुन: परिभाषित किया गया था और गैर-जीवन कारबार की बाबत कारबार के विभिन्न वर्गों के समनुदेशित संघटकों को उपांतरित किया गया था।

यह सुनिश्चित करने के विचार से कि वह विधायी ढांचा, जिसके भीतर आज बीमा बाजार कार्य कर रहा है, उदार अर्थव्यवस्था के सामंजस्य में है, विधि आयोग ने प्राधिकरण के अनुरोध पर बीमा अधिनियम, 1938 का और अन्य संबंधित विधानों का पुनर्विलोकन आरंभ किया है। आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है और उसने एक व्यापक जन-चर्चा को सुकर बनाने के लिए अगले कुछ मासों में इस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करने का प्रस्ताव किया है। प्राधिकरण ने इस संबंध में विधि आयोग का सहयोग करने के लिए एक कोर समूह की स्थापना की है।

हाल ही में बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रवृत्त हो जाने पर प्राधिकरण ने निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित किया है :

- बीमा उत्पादों के वितरण मार्गों में वृद्धि कने के लिए निगम अभिकर्ता और बीमा दलालों का अनुज्ञापन विनियम, 2002 यह विनियम बीमा उत्पादों के विक्रय और वितरण के क्षेत्र में बैंकों, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों, सहकारिताओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रवेश को सुकर बनाएगा।
- ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड, मनी आर्डर और इंटरनेट के माध्यम से बीमा प्रीमियमों के संदाय की सुविधा देने का उपबंध करने वाला प्रीमियम के संदाय की रीति विनियम।
- 'ग्रामीण' शब्द को पुन: परिभाषित करते हुए तथा 'औपचारिकक्षेत्र' की परिभाषा को अंत:स्थापित करते हुए, बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के प्रति बाध्यताएं (संशोधन) विनियम। वर्ष 2002-03 और आगे से जीवन बीमाकर्त्ताओं की बाध्यताओं में वृद्धि की गई है।

ड. आरंभ किए गए अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप

प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों का संवर्धन करने के अपने प्रयासों के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हैदराबाद में बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आई आई आर एम) की नींव रखी है। आई आई आर एम को वित्तीय क्षेत्रों में अनुसंधान करने की आज्ञा दी गई है और इसे उत्कृष्टता के

केन्द्र और एशिया–पेसिफिक क्षेत्र के लिए आदर्श के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आई आई एम, बंगलौर में स्थापित बीमा अनुसंधान और शिक्षा केन्द्र बीमा के विशेष पहलुओं पर आधारिक अनुसंधान कार्य करता है। प्राधिकरण ने हाल ही में, केन्द्र द्वारा ग्रामीण बीमा पर किए गए अनुसंधान अध्ययन के आधार पर बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति बाध यताओं से संबंधित विनियमों में संशोधन अधिसूचित किया है।

बीमाकर्त्ता, जनसंख्या के विनिर्दिष्ट वर्गों को ध्यान में रखकर, तैयार उत्पादों को आरंभ करने के लिए या तो आंतरिक रूप से या वृत्तिक अभिकरणों के माध्यम से बाजार अनुसंधान कराते रहे हैं। किसी भी समय, किसी विशिष्ट स्थान पर जोखिम के संचयन का लेखा–जोखा करने के लिए जोखिम निर्धारण अध्ययन आरंभ किए जा रहे हैं। कार्यशालाओं का आयोजन करने, साहित्य का वितरण करने, आदि के माध्यम से बीमा साक्षरता के स्तर में सुधार करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ बीमाकर्त्ताओं ने चेयर प्रोफेसरी को प्रायोजित किया है, छात्रवृत्तियों की घोषणाएं की हैं और संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों के आयोजन के साथ–साथ बीमांकिक निपुणता के विशेषनिर्देश से बीमा वृत्ति के विकास के लिए अनुदान दिया है। इसी प्रकार, बीमा की वृत्ति का संवर्धन करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर की अन्य संस्थाओं को बीमा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राधिकरण ने हाल ही में, ऐसे चार संस्थानों की पाठ्यचर्या को अनुमोदित किया है।

आई एन जी समूह ने फिक्की के सहयोग से एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र ने हाल में एक चलचित्र बनाया है, जो बीमा और पेंशन बीमा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है।

च. पुनर्विलोकन

(i) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण

पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा करना प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण से निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- बीमाकर्त्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शोधन क्षमता में अंतर बनाए रखें, जिससे कि वे दावों के संदाय की बाबत पालिसीधारकों के प्रति अपने बाध्यताओं को पूरा कर सकें।
- बीमा कंपनियों के लिए यह आबद्धकर है कि वे पालिसी के अधीन फायदों, निबंधनों और शर्तों को सुस्पष्ट रूप से प्रकट करें। बीमाकर्त्ताओं द्वारा दिए गए विज्ञापन बीमा कराने वालों के लिए भ्रामक नहीं होने चाहिए।
- व्यष्टि पालिसीधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए ओमबड्समेन स्कीम आरंभ की गई है।
- पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया गया था। विनियम ग्राहक सेवा पर दिशा–निर्देश अधिकथित करते हैं। नि:शुल्क लुक इन और दावों के विलंब से समाधान पर ब्याज की अवधारणाओं को पहली बार भारतीय बाजार में उतारा गया है।
- सभी बीमाकर्त्ताओं से उनके प्रधान और अन्य कार्यालयों में समुचित शिकायत निवारणतंत्र स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है।
- सभी बीमा कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं के एक प्रतिनिधि को अपने बोर्ड में सदस्य के रूप में रखें।
- उपभोक्ताओं के एक प्रतिनिधि को बीमा सलाहकार समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- प्राधिकरण, पालिसीधारकों से, उन्हें बीमा संविदा के अधीन मिलने वाली सेवाओं के संबंध में प्राप्त होने वाली किसी शिकायत के संबंध में बीमाकर्त्ता से बातचीत करता है।
- सभी बीमाकर्त्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बीमा उत्पाद, बाजार में उतारने से पूर्व प्राधिकरण को प्रस्तुत करें, जिससे कि उनकी यह जांच की जा सके कि इनसे पालिसीध ाारकों के हितों पर कोई आंच न आये।
- अभिकर्त्ताओं को एक बड़े उत्तरदायित्व वाली भूमिका सौंपी गई है संबंधित क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं दिए जाने के लिए अभिकर्त्ताओं के लिए एक आचार संहिता विहित की गई है। अभिकर्त्ताओं से यह आशा की जाती है कि वे बीमा कराने वाले से प्रभारित किए जाने वाले प्रीमियम को उपदर्शित करें और संभावित ग्राहक को प्रस्ताव प्ररूप में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना की प्रकृति के विषय में और किसी बीमा संविदा के क्रय में सारवान सूचना को प्रकट करने के महत्व के विषय में स्पष्टीकरण दें।
- बेहतर स्वास्थ्य बीमा सेवाएं, अर्थात् नकदी रहित बीमा और अन्य योजक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में तीसरा पक्षकार प्रशासकों को अनुज्ञात किया गया है।
- साधारणतया और विशिष्ट रूप से बीमा उद्योग में बीमा कराने वाली जनता के हितों की बेहतर रूप से देखभाल करने के लिए दलालों को मध्यवर्तियों के रूप में अनुज्ञात किया गया है। दलाल उपयुक्त बीमा कवर और उसके निबंधनों के बारे में सलाह देंगे, उपलब्ध बीमा बाजार की ब्यौरेवार जानकारी रखेंगे और ग्राहक द्वारा विचार किए जाने के लिए बीमाकर्त्ताओं से प्राप्त कोटेशनों को प्रस्तुत करेंगे।

बीमाकर्त्ता, उसके अभिकर्त्ता या मध्यवर्ती बीमा कवर के संबंध में संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी देंगे और ग्राहक के सर्वोत्तम हित के लिए उसकी सिफारिश करेंगे।

इन सभी विनियमों के प्रवर्तन से पालिसीधारकों के हितों का व्यापक संरक्षण सुनिश्चित हुआ है। ग्राहकों को अपने बीमाकर्त्ताओं से पारदर्शिता और आसान पहुंच के साथ अधिक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। प्राधिकरण, पालिसीधारकों के हितों के संरक्षा के अपने उद्देश्य की पूर्ति में विभिन्न समूहों से प्राप्त होने वाले सुझावों के प्रति सकारात्मक रूख अपनाता है।

(ii) बीमाकर्त्ताओं की शोधन-क्षमता के अंतरों को बनाए रखना

बी.वि.वि.प्रा. (बीमकर्त्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधन क्षमता में अंतर) विनियम, 2000 सभी बीमाकर्त्ताओं से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने दायित्वों के 50 करोड़ रुपए से अन्यून की सीमा तक अधिक आस्तियों का मूल्य या गणितीय आरक्षितियों के 5% से अनधिक और ऐसी पालिसिो के लिए, जिन पर जोखिम की राशि शून्य है, जोखिम राशि के 1% से अनधिक, इनमें जो भी अधिक हो, विहित सूत्र पर आधारित एक समतुल्य राशि को बनाए रखें।

इसी प्रकार प्रत्येक साधारण बीमाकर्त्ता से, शुद्ध प्रीमियम और शुद्ध उपगत दावों की संगणना में पुन: बीमा के लिए ऋण के अधीन रहते हुए, शोधन क्षमता में 50 करोड़ रुपए (पुन: बीमाकर्त्ता की दशा 100 करोड़ रुपए) का न्यूनतम अंतर या शुद्ध उपगत दावों के 30% के समतुल्य राशि, इनमें जो भी अधिक हो, बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाएं यह अनुबंधित करती हैं कि सभी बीमाकर्त्ता सामान्य अध्यपेक्षा से डेढ़ गुणा शोधन क्षमता अनुपात बनाए रखें।

वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान, सभी बीमाकर्त्ताओं ने शोधन क्षमता में अंतर की अपेक्षा को पूरा किया है। रजिस्ट्रीकरण के समय यह परिकल्पना की गई थी कि नए बीमाकत्ताओं को बाजार में सुस्थापित होने में लगभग पांच वर्ष लगेंगे और उन्हें अपनी प्रारंभिक निम्नांकन हानियों को, अतिरिक्त निधियों का प्रबंध करके पूरा करना होगा। तथापि, बीमाकर्त्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी समयों पर शोधन क्षमता में अंतर बनाए रखें और प्राधिकरण इसे बीमाकर्त्ता की मजबूती और उसके हाथों में पालिसी धारकों के हितों के संरक्षण के सूचक के रूप में काफी महत्व देता है।

(iii) पुन: बीमा को मानीटर करना

9 सितम्बर की घटना के पश्चात् पुन: बीमा उद्योग में आमूल परिवर्तन हुआ है। पुन: बीमा की दरों में वृद्धि हुई है और बहुत से पुन: बीमाकर्त्ता आतंकवाद जोखिम का बीमा करने के इच्छुक नहीं हैं। 9 सितम्बर की घटना से अंतरराष्ट्रीय बीमा समुदाय को भारी हानि हुई और इसके प्रभावों को भारतीय उपमहाद्वीप में महसूस किया गया। पुन: बीमा और बीमा बाजार ने एक साथ यह विनिश्चय किया कि संपत्ति बीमा कारबार में आतंकवाद जोखिम का बीमा न किया जाए। भारतीय बीमाकत्ताओं से पुन: बीमा व्यवस्थाओं में भागीदारी करने वाले पुन: बीमाकर्त्ता 1 जनवरी, 2002 से संपत्ति पर आतंकवाद जोखिम का बीमा करने के लिए इच्छुक नहीं थे। प्राधिकरण की पहल पर भारतीय बीमाकर्त्ता अपनी प्रतिधारण क्षमताओं को इकट्ठा करने और संपत्ति पर आतंकवाद जोखिम के लिए किसी एक स्थान पर अधिकतम 200 करोड़ रुपए की हानि तक का बीमा करने के लिए आगे आए।

पूल व्यवस्था के अधीन, भारतीय साधारण बीमा निगम इस पूल का प्रबंधक है। अग्नि और इंजीनियरी कारबार में आतंकवाद जोखिम के बीमा निम्नांकित करने वाले प्रत्येक बीमाकर्त्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आतंकवाद जोखिम के 100% का आतंकवाद के लिए भारतीय बीमाकर्त्ताओं के पूल से पुन: बीमा कराए। पूल के पत्राधान की, हानि बीमा कवर द्वारा संरक्षा की जाती है। जो आई सी सहित सभी बीमाकर्त्ताओं को पूल में से एक अंश स्वीकार करना पड़ता है, जिससे इसे इसके अंशधारकों की निधियों पर आधारित युक्तियुक्त हानि प्रतिधारिता दी जा सके। यह आशा की जाती है कि पूल के सृजन से आरक्षितियां बनेंगी और बीमाकर्त्ता की आतंकवाद जोखिम के लिए बीमा उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ेगी तथा साथ ही प्रीमियम दरें भी उपयुक्त स्तरों पर आ जाएंगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने, ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार काफी महंगा है, भारतीय पोत स्वामियों को युद्ध जोखिम बीमा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ही कदम उठाए हैं।

बीमाकर्त्ताओं के आतंकवाद जोखिम के लिए भारतीय बीमाकर्त्ताओं का पूल सृजन करने के प्रयास प्रशंसनीय राष्ट्रीय प्रयास हैं और इससे देश बीमा क्षेत्र में स्वावलंबी बनेगा। बीमाकर्त्ताओं के प्रयासों को और सुदृढ़ करने के विचार से प्राधिकरण सरकार से बीमा उद्योग के लिए कर छूटों की मांग कर रहा है।

प्राधिकरण ने पुन: बीमा के लिए विनियम विहित करते हुए, इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक बीमाकर्त्ता अपनी वित्तीय हैसियत और कारबार की मात्राा के अनुरूप, अधिकतम संभव प्रतिधारण बनाए रखेगा। इस संदर्भ में प्राधिकरण बीमाकर्त्ता से अपनी प्रतिधारण नीति का न्यायोचित्य सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसे ऐसे निदेश दे सकेगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं कि भारतीय बीमाकर्त्ता किसी विदेशी बीमाकर्त्ता के लिए मात्र कोई ओट नहीं है। साधारण बीमा कारबार करने वाले

प्रत्येक बीमाकर्त्ता के पुन: बीमा कार्यक्रम से यह अपेक्षा की जाती है कि यह देश के भीतर प्रतिधारण को अधिकतम बनाने, पर्याप्त क्षमता विकसित करने, उपगत पुन: बीमा लागतों के सर्वोतम संरक्षण को सुनिश्चित करने और कारबार के प्रशासन को सरल बनाने के आधारित सिद्धांतों द्वारा शासित हो।

जीवन पुन: बीमाकर्त्ता के मामले में प्रत्येक जीवन बीमाकर्त्ता उसके द्वारा बीमकृत जीवनों के पुन: बीमा की बाबत एक कार्यक्रम बनाएगा और उसे नियत बीमांकक से सम्यक रूप से प्रमाणित कराएगा। इसके अतिरिक्त वह, नियत बीमांकक से सम्यक रूप से प्रमाणित ऐसे कार्यक्रम के प्रोफाइल को, उसमें ऐसे पुन: बीमाकर्त्ता (बीमाकर्त्ताओं) के नाम (नामों) को दर्शित करते हुए, जिनके साथ वह कारबार करने का प्रस्ताव करता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ से कम से कम चालीस दिन पूर्व प्राधिकरण को फाइल करेगा। प्राधिकरण, यदि वह आवश्यक समझता है तो बीमाकर्त्ता से समय-समय अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और बीमाकर्त्ता उसे प्रस्तुत करेगा।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ख के अधीन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से गठित की गई बीमा सलाहकार समिति ने बीमा से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित की। समिति के विचाराधीन विषयों में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन के भीतर पुन: बीमाकर्त्ता द्वारा अपना पुन: बीमा कार्यक्रम फाइल करना, बीमाकर्त्ताओं द्वारा अपनी शुद्ध हैसियत और कारबार की मात्रा से सुसंगत अधिकतम प्रतिधारण बनाए रखना, राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्त्ता द्वारा, यदि वह अंतरराष्ट्रीय दरों के बराबर या उससे बेहतर निबंधनों पर प्रस्ताव करता है, प्रस्तावित अवसरों का फायदा उठाना, एक-दूसरे का पुन: बीमा करना, संधि और वैकल्पिक दोनों प्रकार के विदेशी नियोजनों को, देश के भीतर अंशों की सीमा तक हस्ताक्षरित करने के अधीन रहने की आवश्यकता, विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए पुन: बीमा के लिए अनुकूल निबंधन अभिप्राप्त करना, नियोजन के पश्चात् शीघ्र दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना और प्राधिकरण को विहित प्ररूपों के अनुसार पुन:बीमा से संबंधित सांख्यिकीय सूचना देना है।

वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

(क) सी.एन.एस. शास्त्री, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम और बैंक नेगारा, मलेशिया के पूर्व सलाहकार।

(ख) ए.सी. मुखर्जी, भूतपूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.।

(ग) पी.सी. घोष, अध्यक्ष, साधारण बीमा निगम।

(घ) एस.वी. मोनी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ए.एम.पी. सनमार और पूर्व अध्यक्ष, साधारण बीमा निगम।

श्री एन.के. शिंकर,अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रिती हैं।

प्राधिकरण इस विषय के प्रति विचारशील है कि बीमाकर्त्ता राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के पश्चात् ही विदेशों में अभ्यर्पण हो और वह भी प्रतिस्पर्धात्मक अंतरराष्ट्रीय दरों पर और यह भी कि किसी एक पुन: बीमाकर्ता को बहुत ज्यादा कारबार न दिया जाए।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101क के अधीन भारतीय साधारण बीमा निगम (जी आई सी) को भारतीय पुन: बीमाकर्त्ता के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त पुन: बीमा सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण यह अपेक्षा करता है कि साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्त्ता, अग्नि, इंजीनियरी और ऊर्जा कारबार में सीमाओं के अधीन रहते हुए 20% का अनिवार्य अभ्यर्पण करें। पब्लिक और उत्पाद दायित्व कारबार की बाबत अभ्यर्पणों को, बिना किसी सीमा के कोटा अंश आधार पर 20% पर दर्शित किया गया है। लेखाओं को रखे जाने की प्रक्रियाओं और उनके समाधान की रूपरेखा देने के साथ-साथ कारबार के प्रत्येक वर्ग के लिए दलाली और लाभ में से दलाली को भी विनिर्दिष्ट किया गया है। लाभ दलालियां, कानूनी अभ्यर्पण पत्राधान के सकल परिणामों पर 20% की दर से लागू हैं। इसके अतिरिक्त विवेकपूर्ण व्यवहारों को विकसित करने के लिए प्राधिकरण यह अपेक्षा करता है कि अभ्यर्पण केवल ऐसे पुन: बीमाकर्त्ताओं को किया जाए, जिनकी (स्टेंडर्ड एंड पुअर के अनुसार) पिछले पांच वर्षों से कम से कम बी.बी.वी. रेटिंग है या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग अभिकरण की समतुल्य रेटिंग है। अन्य नियोजनों के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित होगा। बीमाकर्त्ता, यह ध्यान रखने के पश्चात् कि व्यष्टि सिंडीकेटों के पास नियोजन, उनकी हैसियत के अनुरूप सीमित हैं, लायड सिंडीकेट के साथ पुन: बीमा कर सकेगा। घरेलु वर्गवार पुन: बीमा व्यवस्थाओं से अधिक अधिशेष को बीमाकर्त्ता द्वारा भारत से बाहर किसी एक पुन: बीमाकर्त्ता के पास अभ्यर्पित कुल पुन: बीमा प्रीमियम 10% से अधिक न रखे जाने के शर्त की अधीन रहते हुए, स्वतंत्र रूप से नियोजित किया जा सकता है। जहां किसी विशिष्ट पुन: बीमाकर्त्ता को ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक शेयर अभ्यर्पित करना आवश्यक है वहां बीमाकर्त्ता प्राधिकरण से विनिर्दिष्ट अनुमोदन ले सकेगा। पुनर्विलोकन के अधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

सारणी 37

साधारण बीमा निगम से प्राप्त बाध्यताकारी अध्यपर्ण

वर्ग	प्रतिशत	जोखिम अनु अधिकतम देय प्रति जोखिम	पुनर्बीमा कमीशन		लाभ कमीशन		आरक्षितियाँ
			बाध्यताएँ	निकाय	बाध्यताएँ	निकाय	
अग्नि	20 प्रतिशत	रू. 0.50 करोड पी.एम.एल	30 प्रतिशत	शून्य		शून्य	शून्य
मैरिन कार्गो		20 प्रतिशत बी. राशि	रू. 0.10 करोड	22.50 प्रतिशत		शून्य	शून्य
युद्ध - एस आर सी डी	20 प्रतिशत	सीमा नही	10 प्रतिशत	शून्य		शून्य	शून्य
एस आर सी सी	20 प्रतिशत	सीमा नही	10 प्रतिशत	शून्य		शून्य	शून्य
मैरिन हल	20 प्रतिशत	रू. 0.16 करोड बी.रा.	17.5 प्रतिशत	17.5 प्रतिशत	लाभ कमीशन होगा	यू/डब्लू वर्ष तीसरे वर्ष के 3 वर्ष पहले	शून्य
मोटर डब्लू सी	20 प्रतिशत	सीमा नही	25 प्रतिशत	शून्य	लागू	शून्य	शून्य
विमानन हल	20 प्रतिशत	सीमा नही	10 प्रतिशत	शून्य	पर	शून्य	शून्य
विमानन दायित्व	20 प्रतिशत	सीमा नही	15 प्रतिशत	शून्य	औसत परिणाम में	शून्य	शून्य
तेल तथा उर्जा	20 प्रतिशत	रू. 2 करोड	2.5 प्रतिशत	शून्य	विधायी	शून्य	शून्य
दायित्व (सार्वजनिक तथा उत्पाद)	20 प्रतिशत	सीमा नही	25 प्रतिशत	शून्य	पोर्ट-फोलियो @ 20 प्रतिशत	शून्य	शून्य
अन्य विविध	20 प्रतिशत	सीमा नही	25 प्रतिशत	शून्य		शून्य	शून्य
एमबी / बी ई एल ओपी	20 प्रतिशत	रू. 15 करोड पी एम एल या 45 करोड बी. रा.	25 प्रतिशत	शून्य		शून्य	शून्य
सीएआर / ईएआर	20 प्रतिशत	रू. 30 करोड	25 प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एएलओपी / डी एस यू		पीएमएल अथवा 90 करोड बी.रा.					

गैर मानक दायित्व निम्नलिखित में आते हैं -

- उत्पाद रद्द करना :
- डी तथा औ : मामलो के आधार पर 20 प्रतिशत
- ई तथ औ : अधिकतम अनिवार्य अध्यपर्ण राशि से 2 -5 करोड रूपये तक
- वृत्तिका क्षतिपूर्ति :
- विस्तृत साधारण दायित्व :
- अन्य दायित्व :

सारणी - **38**
वर्गवार प्रतिधारण (साधारण बीमा)

वर्ग	भारत में कुल प्रतिधारण
अग्नि	92.42 प्रतिशत
मैरिन कार्गो	96.25 प्रतिशत
मैरिन हल	60.75 प्रतिशत
विमानन	34.21 प्रतिशत
इंजीनियरिंग	86.16 प्रतिशत
मोटर	99.90 प्रतिशत
विविध	96.91 प्रतिशत
योग	92.05 प्रतिशत

IV. बीमाकर्त्ताओं के निवेशों की मानीटरिंग

निवेश आय, विभिन्न बीमा नीतियों/स्कीमों के अधीन किसी बीमा कंपनियों के लिए तथा जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा बोनसों की घोषणा के लिए प्रीमियम दरों की गणना करने में मुख्य निर्धारक है यह बीमा कंपनी का एक मुख्य कृत्य है जिसे बीमाकर्त्ता द्वारा छोड़ा नहीं जा सकता है। साधारण बीमा की दशा में, निवेश आय बीमा कंपनी की हामीदारी हानियों, यदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति करती है जो उनको उनकी प्रीमियम दरों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में समर्थ बनाती हैं इसलिए, बीमा कंपनियां, द्रवता, अधिकतम सुरक्षा के संयुक्त उद्देश्यों के साथ इन निधियों में आवश्यक रूप से निवेश करती है। लेखा वर्ष आरंभ होने से पूर्व, बीमाकर्त्ता ने प्राधिकरण को निवेश नीति प्रस्तुत कर दी है चूंकि, बीमा कंपनियां पालिसीधारकों का धन अपनी न्यासीय हैसियत से रखती हैं इसलिए, उनसे पालिसीधारकों की युक्तियुक्त आशाओं को पूरा करने के लिए शोधन क्षमता की न्यूनतम स्तर को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

इसके लिए, प्राधिकरण ने, बीमा कंपनियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले निवेश पैटर्न को आज्ञापक बनाया है। सरकारी प्रतिभूतियों, अनुमोदित प्रतिभूतियों, अनुमोदित निवेशों और अवसंरचना और सामाजिक सेक्टरों में निवेश को बीमा अधिनियम 1938 में विहित किया गया है। प्राधिकरण ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि जीवन बीमा का कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्त्ता निवेश करेगा तथा सभी समय अपनी नियंत्रित निधि को (पेंशन और साधारण वार्षिकी कारबार तथा यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा कारबार के सिवाय) निम्नलिखित रीति से विहित करेगा :

तालिका **39**

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट निवेशों की रीति - जीवन बीमा

क्र. सं.	निवेश का प्रकार	प्रतिशतता
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ	25 प्रतिशत
2.	सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपरोक्त (1) सहित)	50 प्रतिशत से कम नही
3.	अनूची - 1 में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदित निवेश	15 प्रशित से कम नहीं
(क)	अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर	15 प्रशित से कम नहीं
(ख)	अभिदर्शित सन्नियमों द्वारा शासित किये जाने वाले निवेश (अनुमोदित विनिधानों से भिन्न में निवेश किसी भी तरह से निधि से 15 प्रतिशत से अधिक नही	35 प्रतिशत से अधिक नही

पेंशंन और साधारण वार्षिकी व्यवसाय की दशा में प्रत्येक बीमाकर्ता निवेश करेगा और सदैव निम्नलिखित रीति से निवेशित निधि को रखेगा : -

तालिका **40**

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट निवेशों की रीति - पेंशन और साधारण वार्षिकी

क्र. सं.	निवेश का प्रकार	प्रतिशतता
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	20 प्रतिशत से कम नही
Ii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ उपरोक्त (**i**) के रहित	40 प्रतिशत से कम नही
iii)	अतिशेष अनुमोदित निवेशों में लगांना और यह अभिदर्शिते / वाणिज्यिक मानक के अनुसार हे	60 प्रतिशत से अधिक नही

यूनिट आधारित जीवन बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में प्रत्येक बीमाकर्ता निवेश करेगा और सभी समयों में पॉलिसी धारकों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित निवेश की रीति के अनुसार, यूनिट आधारित जीवन बीमा व्यवसाय की अपनी अलग निधि में निवेश करेगा। यूनिट पॉलिसियाँ केवल वही प्रस्तावित की जा सकेगी जहाँ यूनिट ऐसी परिसंपत्तियों के वर्गों से जुडे होते हैं जो बिक्री योग्य और आसानी से वसूली योग्य दोनों होते हैं। तथापि निवेशों के अनुमोदित वर्ग से अलग कुल निवेश किसी भी समय निधि का 25 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

जहाँ तक साधारण बीमा या पुनर्बीमा का संबंध है प्रत्येक बीमाकर्ता निवेश करेगा और हमेशा अपनी समस्त परिसंपत्तियों को नीचे वर्णित विधि से निवेश करेगा -

तालिका **41**

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट निवेशों की रीति - साधारण बीमा और पुनर्बीमा

क्र. सं.	निवेश का प्रकार	प्रतिशतता
i)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	20 प्रतिशत से कम नहीं
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और अन्य गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ जिसमें उपरोक्त (i) भी सम्मिलित है।	30 प्रतिशत से कम नहीं
iii)	गृह और अग्निशामक उपकरणों के लिये राज्य सरकार को गृह और अन्य ऋण	5 प्रतिशत से कम नहीं
iv)	अनुमोदित विनिधानों में निवेश (क) अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र (ख) अभिदर्शित सन्नियमों द्वारा शासित किये जाने वाला अन्य। तथापि किसी भी दशा में अनुमोदित निवेश से भिन्न ये विनिधान कुल परिसंपत्तियों के 25 प्रतिशत से अधिक नही होगें।	 10 प्रतिशत से कम नहीं 55 प्रतिशत से अधिक नहीं

बाजार पद्धति के अनुसार रेटिंग किए जाने योग्य सभी निवेश स्वतंत्र सुविख्यात और मान्यताप्राप्त भारतीय या विदेशी रेटिंग अभिकरणों की रेटिंग पर आधारित होंगे।

निवेशों की गुणवत्ता और मात्रा बीमा कंपनी के कार्यनिष्पादन को प्रतिबिंबित करती है निवेशों की क्वालिटी उस लाभ के, जिसे कोई बीमाकर्त्ता अपने पोर्टफोलियो पर प्राप्त करता है और यह उस सीमा तक मापी जाती है जिस तक उसके पोर्टफोलियो में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां हैं। प्राधिकरण ने विस्तृत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं अधिकथित की हैं जिनमें निवेश पोर्टफोलियो-कुल निवेश की गई रकम, विभिन्न निवेशों की विवरणी, निम्न श्रेणी निवेश और अभिदर्शन/विवेकपूर्ण सन्नियमों के अनुपालन का लेखा जोखा रखा जाता है।

अभिदर्शन/विवेकपूर्ण सन्नियमों को हाल में ही इस प्रकार संशोधित किया गया है जिससे कि सामूहिक निवेश स्कीमों–''निधियों'' और ''व्युत्पतियों'' में निवेश को भी इसके अंतर्गत लाया जा सके। चूंकि जोखिम के निबंधनों में निवेशों की जटिलता समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए प्राधिकरण यह महसूस करता है कि उन्हें जोखिम के प्रशमन से संबंधित सन्नियमों का संशोधन करके मान्यता दी जाए।

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएं और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बीमा कंपनी समग्र लिखतों/प्रतिभूतियों में निवेश करती है, सरकारी प्रतिभूतियों में पर्याप्त निवेश किया जाए। प्राधिकरण ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि आस्तियां/लिखतें सामान्यत: निवेश श्रेणी के ''कक'' से अन्यून नहीं होनी चाहिए। तथापि, प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि निवेश पर विचार करने में लिखत की रेटिंग एक महत्वूपर्ण तत्व है। फिर भी बीमा कंपनी की निवेश समिति को पूर्ण राय नहीं लेनी चाहिए और उपलब्ध सुसंगत जानकारी के आधार पर अपना निर्णय करना चाहिए।

जहां तक पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं का संबंध है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निवेश विनियम, 2000 की अधि ासूचना के पूर्व, विभिन्न सेक्टरों में उनके द्वारा किए गए निवेश, सरकार के निदेशों के अनुसार थे। प्राधिकरण ने, उनके निवेश पोर्टफोलियो को बदलने में विद्यमान बीमाकर्त्ताओं की किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उक्त विनियमों का अनुपालन किया और उस स्थिति को स्वीकार करने का विनिश्चय किया जिसमें निवेश, विनियमों को जारी करने से पूर्व किए गए निवेशर विनियमों

का पालन करने के लिए समझे जाएंगे और केवल नए निवेश और निवेशों के विक्रय से प्राप्त आगम ही विनियमों के अनुसार निवेश किए जाने के लिए अपेक्षित होंगे।

प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम के कुछ उपबंधों और निवेश विनियमों के उपबंधों पर बीमा कंपनियों को छूट देने और विनिर्दिष्ट सलाह देने की शक्ति का प्रयोग किया है। प्राधिकरण ने ऐसे सभी बीमाकर्त्ताओं को, जिन्हें निवेश समिति द्वारा सलाह देना अपेक्षित है, सलाह देने के अतिरिक्त, प्राधिकरण को अपनी वार्षिक निवेश नीति प्रस्तुत करने के अलावा, जीवन और साधारण बीमाकर्त्ताओं की अनुमोदित निवेशों की सूची को विस्तारित करके इन शक्तियों का और प्रयोग किया।

अपने विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने यह विहित किया कि बीमाकर्ता की निवेश समिति दो गैर-कार्यपालक निदेशकों, नियुक्त बीमांकक, मुख्य निवेश अधिकारी आदि से मिलकर गठित की जाय। इस समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति को लागू करे ओर अनुमोदित नीति को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्त्ता के निवेश कार्यक्रम पर ध्यान दे। एक शर्त यह भी विहित की गई है कि बोर्ड द्वारा निवेश नीति का छमाही पुनर्विलोकन किया जाए और पुनर्विलोकन की एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाए। इसलिए, सभी समयों पर, प्राधिकरण इन मुख्य क्रियाकलापों को लागू करने के बारे में, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।

जीवन और गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों से यह पता चलता है कि वे मोटे तौर पर प्राधिकरण द्वारा अधिकथित निवेश विनियमों का पालन कर रहे हैं। व्यष्टि मामलों में बीमाकर्त्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्त्ताओं के लिए विहित किए गए ब्यौरेवार विनियमों से यह पता चलता है कि वह बीमाकर्त्ता के अधिकार में रखी निधियों के विवेकपूर्ण निवेश को कितना अधिक महत्व देता हैं निवेश निर्णयों के परिणामस्वरूप बीमाकर्त्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पोर्टफोलियो का लगातार मानीटर करें और पोर्टफोलियों में किसी व्यष्टि निवेश में किसी विकृति के लिए पर्याप्त उपबंध करें। प्राधिकरण ने, बीमाकर्त्ताओं के निवेश निर्णयों, विनियमों के अनुपालन, निधियों के विवेकपूर्ण निवेश और नियमित आधार पर पर्याप्त उपबंधों का मानीटर करने के लिए आवधिक रूप से निवेश लेखा परीक्षा के लिए उपाय आरंभ किए हैं। लेखा-परीक्षा प्राधिकरण द्वारा रखे गए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल में से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी और प्राधिकरण का एक तकनीकी अधिकारी भी निरीक्षण दल का भाग होगा।

सारणी - 42

कंपनी वार निवेश ब्यौरे - जीवन बीमा

31 मार्च 2001 को समाप्त हुये वर्ष का निवेश ब्यौरा

(रू. करोड में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति	राज्य सरकार व अन्य प्रतिभूति	ढाँचागत विनिवेश	सामाजिक क्षेत्र विनिवेश	अनुमोदीत विनिवेश	अनुमोदित अन्य विनिवेश	कुल निवेश
1	आईएनजी वैश्या लाइफ	42.98	47.98	14.99	--	17.44	--	**80.41**
2	एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ	86.43	86.43	32.12	--	23.67	9.18	**142.22**
3	बिरला सन लाइफ	42.48	61.57	15.18	--	32.72	5.26	**114.72**
4	आई सी आई सी आई प्रूडेंश्यिल लाइफ	117.94	117.94	32.55	-	35.72	14.10	**200.31**
5	एस बी आई लाइफ	76.32	76.32	26.93	--	12.38	15.70	**131.33**
6	ओम कोटक लाइफ	59.82	73.71	23.57	--	45.83	12.64	**143.11**
7	मैटलाइफ	57.59	57.59	15.23	--	15.66	15.50	**103.98**
8	अलायंस बजाज लाइफ	73.45	73.45	24.44	--	38.51	0.26	**136.66**
9	मैक्स न्यूयार्क लाइफ	42.19	106.93	27.17	--	27.67	7.00	**168.76**
10	जीवन बीमा निगम	128,139.04	131,400.71	20,498.72	--	77,046.29	16,442.00	**245,387.72**
11	टाटा एआईजी लाइफ	74.86	74.86	29.98	--	34.76	--	**139.59**
12	ए एम पी सनमार	--	--	--	--	119.75	--	**119.75**
	योग	**128,813.10**	**132,177.48**	**20,740.87**	**--**	**77,450.38**	**16,521.65**	**246,868.56**

टिप्पण: भारतीय जीवन बीमा निगम का 6793.59 करोड रूपये का निवेश जो सामाजिक क्षेत्र में निवेशित है को अनुमोदित निवेश से अलग रखा गया है।

31.3.2002 को क्षेत्रवार निवेश-जीवन बीमाकर्त्ता (लाख रुपये में)

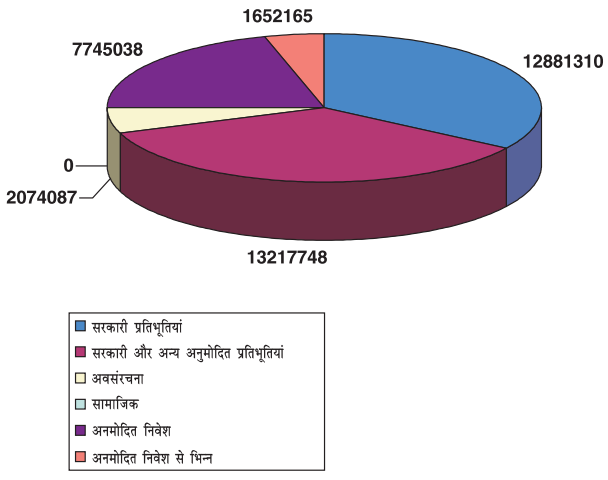

31.3.2002 को कुल निवेश-जीवन बीमाकर्त्ता

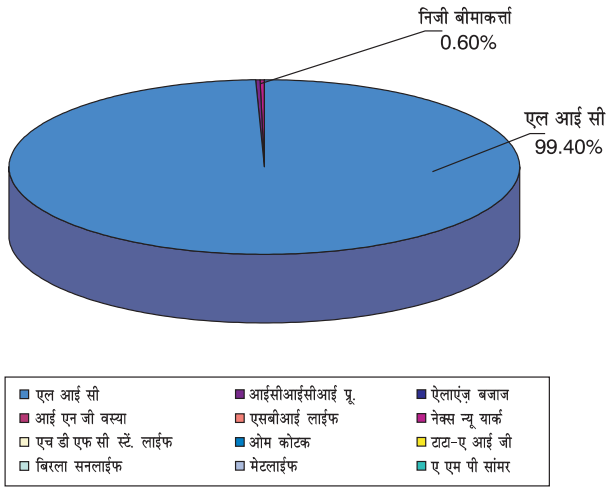

सारणी - 43

कंपनीवार निवेश ब्यौरे - साधारण बीमा

31 मार्च 2001 को समाप्त हुये वर्ष का निवेश ब्यौरा

(रू. करोड में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति	राज्य सरकार व अन्य प्रतिभूति	गृह और अग्नि रक्षक उपकरण	ढाँचागत विनिवेश	सामाजिक क्षेत्र विनिवेश	पारित विनिवेश	अनुमोदित अन्य विनिवेश	कुल निवेश
1	सी एच एन एच बी एसौ.	1.34	1.34	0.30	0.78	--	5.14	1.80	**9.36**
2	आई सी आई सी आी लाम्बार्ड	42.03	42.03	8.86	19.82	--	47.10	--	**117.81**
3	बजाज अलायंस	84.47	89.52	13.41	21.26	--	34.34	60.63	**219.16**
4	टाटा ए आई जी	53.92	53.92	8.85	30.23	--	21.80	39.99	**154.79**
5	इफ्को टोकियो	50.63	50.63	8.39	16.46	--	26.15	--	**101.64**
6	रॉयल सुन्दरम	44.67	56.29	9.56	17.64	--	37.80	--	**121.28**
7	रिलायंस	--	59.56	10.10	15.92	--	29.14	34.94	**149.66**
8	ओरियेंटल	809.09	1,053.29	274.65	410.36	--	1,528.32	420.23	**3,686.85**
9	युनाइटेड इंडिया	1,460.91	1,868.15	368.61	550.28	--	1,178.96	824.00	**4,790.00**
10	नेशनल इंश्योरेंस	1,080.34	1,391.52	189.83	232.98	--	1,227.12	304.84	**3,346.29**
11	न्यू इंडिया	1,679.54	2,240.83	443..69	431.07	--	2,483.32	1,285.66	**6,884.57**
12	जी आई	1,600.98	2,095.49	556.71	3,399.13	--	739.79	--	**6,791.12**
	योग	**6,907.92**	**9,002.56**	**1,892.97**	**5,145.93**	**--**	**7,358.97**	**2,972.10**	**26,372.53**

टिप्पण: जी आई सी संबंधित आंकडे प्रावधानित हैं।

31.3.2002 को क्षेत्रवार निवेश-साधारण बीमाकर्ता (लाख रुपये में)

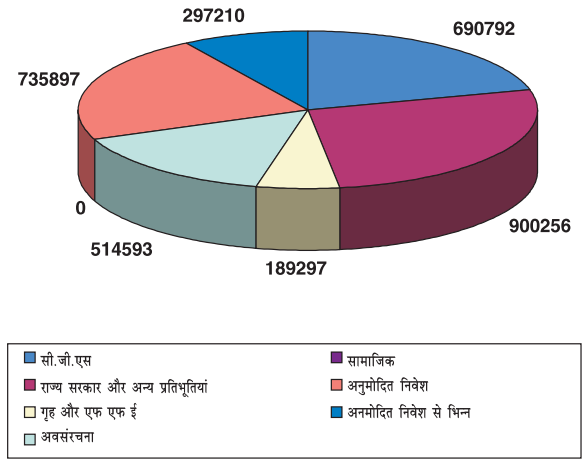

31.3.2002 को कुल निवेश-साधारण बीमाकर्त्ता (लाख रुपए में)

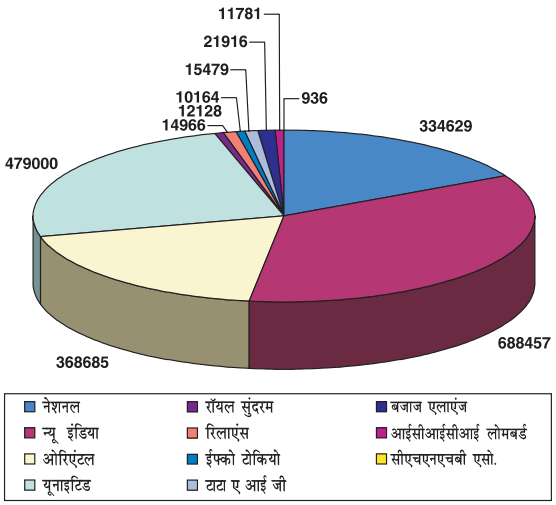

(v) स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें बीमा उद्योग समाज, विशेषकर समाज के विकलांग खंड के लिए बहुत कुछ कर सकता है और इसे करना भी चाहिए।

बीमा उद्योग में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और संवर्धन करने के लिए तीसरे पक्षकार प्रशासकों-स्वास्थ्य सेवा (टी पी ए) को मध्यवर्तियों के रूप में अनुज्ञात किया गया है, जो बीमाकर्त्ता और बीमा कराने वालों के बीच साध्यकर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रभाव के विनियमों को अधिसूचित किया गया है और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आज तक 20 टी पी ए को (31 मार्च 2002 तक 14) को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। इससे बीमाकृत व्यक्तियों को नगदी रहित उपचार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और दावों के समाधान की गति तीव्र होगी और साथ ही इससे बीमाकर्त्ता के प्रशासनिक कार्य में भी कमी आएगी। टीपी ए के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए उनके सी ए ओ/सी ई ओ को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे समादत्त पूंजी और कार्यकरण पूंजी का एक विशिष्ट स्तर बनाए रखें।

अब तक बाजार में ऐसी सेवा उपलब्ध कराने वाले उपलब्ध नहीं थे। विनियम जारी करके और टी पी ए को अनुज्ञप्ति जारी करके ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को प्राधिकरण के विनियमन के अंतर्गत लाया गया है। टी पी ए के लिए भी आचार संहिता विहित की गई है, जिससे कि पालीसीधारकों के हितों की संरक्षा की जा सके।

चूंकि यह एक नया क्षेत्र है, इसलिए इसका भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि टी पी ए किस प्रकार बीमाकृत व्यक्तियों और बीमाकर्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इससे बीमाकर्त्ता की, पद्धति की साध्यता के प्रति विचारधारा में परिवर्तन की मांग सामने आती है ताकि मूल्यवर्धित सेवाओं में वृद्धि की जा सके। यह आशा की जाती है कि बीमा उद्योग के विकास के साथ टी पी ए (स्वास्थ्य सेवाएं) पद्धति भी वृत्तिक रूप से विकास होगा।

(vi) ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में किए जाने वाले कारबार का विनिर्दिष्ट प्रतिशत

प्राधिकरण प्रत्येक बीमाकर्त्ता से यह आशा करता है कि वह बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्त्ता की ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के प्रति बाध्यताएं) विनियम, 2000 में यथा अधिकथित ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति अपनी बाध्यताएं पूरी करे। विनियम यह उपबंध करते हैं कि बीमाकर्त्ता प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में कारबार का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत निम्नांकित करेगा। यह विनिर्दिष्ट प्रतिशत सुसंगत वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लेखांकित कुल सकल प्रीमियम आय का प्रतिशत होगा। इसी प्रकार विनियम बीमाकर्त्ता द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कारबार को, उसके प्रथम पांच वर्षों के संकर्मों के दौरान बीमाकृत जीवनों की संख्या के निबंधनों में विहित करता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत असंगठित सेक्टर, औपचारिक सेक्टर, आर्थिक रूप से असुरक्षित या पिछड़े वर्ग भी हैं। विनियम यह और उपबंध करते हैं कि यदि बीमाकर्त्ता का प्रथम वर्ष 12 मास से कम अवधि का है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, आनुपातिक प्रतिशत या जीवनों की संख्या निम्नांकित की जाएगी।

विनियम यह और उपबंध करते हैं कि प्राधिकरण आवधिक रूप से बीमा कारबार की मात्रा का पुनर्विलोकन कर सकेगा और बीमाकर्त्ता को विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निदेश दे सकेगा।

निरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान बीमाकर्त्ता ने सरकार द्वारा प्रायोजित दोनों स्कीमों और गैर सरकारी स्कीमों के लिए भी ग्रामीण बीमा कारबार निम्नांकन करने के लिए आवश्यक उपाय किए।

प्राधिकरण इन क्षेत्रों में बीमाकर्त्ताओं के कार्यपालन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन कर रहा है और समय-समय पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आदर्श उत्पाद विकसित करने के लिए परामर्श भी देता है। इस विषय में एक मामला ऐसी गैर-जीवन कंपनी का है जिसने कृषकों के लिए विशेष बीमा उत्पाद विकसित किया है जो खाद के क्रय से जुड़ा है।

यह जानकर अच्छा महसूस होता है कि सभी बीमा कंपनियों ने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी बाध्यताओं को सारवान रूप से पूरा किया है भारत की 70 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वर्ष 2002-02 में कृषिऔर सहबद्ध क्षेत्रों में 5.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ती आय ने उनकी आकांक्षाओं में वृद्धि की है और आज वे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बेहतर उत्पादों और सेवाओं को वहन करने की स्थिति में हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच को व्यापक बनाने की काफी संभावनाएं हैं। बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताओं से संबंधित विनियमों को हाल ही में इस प्रकार संशोधित किया गया था जिससे कि 'ग्रामीण क्षेत्र' की बेहतर परिभाषा के आधार पर उद्योग की अपेक्षाएं और वित्तीय क्षेत्र में भी समरूप अपेक्षाएं होने की वांछनीयता प्रतिबिंबित हो सकें। इन संशोधनों के ब्यौरे रिपोर्ट के किसी अन्य भाग में दिए गए हैं।

(vii) पेंशन

सुसंगत पेंशन पद्धति का विकास समय की आवश्यकता है। देश अपने निवासियों को, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के स्तर के अंतरों को और ऐतिहासिक अनुभव को प्रतिबिंबित करते हुए, उल्लेखनीय रूप से भिन्न ढंगों से सामाजिक सुरक्षा फायदे उपलब्ध कराते हैं। कई देशों में पेंशन योजनाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रणालियां बनाई गई हैं।

पूरे विश्व में पेंशन को एक दीर्घकालिक वित्तीय संविदा के रूप में महसूस किया जाता है, जिसके अधीन कर्मचारियों के वर्तमान के अभिदायों से भविष्य के फायदे सुनिश्चित किए जाते हैं। भारत

सरकार ने प्राधिकरण से एक उपयुक्त पेंशन योजना की सिफारिश करने के लिए कहा है। प्राधिकरण ने अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन विषय पर एक रिपोर्ट दी है उक्त रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी और वर्तमान में इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रस्तावित पेंशन प्रणाली

किसी पेंशन योजना के चार मूल कृत्य हैं, अभिदायों का प्राप्त होना, अभिलेखों का अनुरक्षण, धन का प्रबंधन और फायदों का संदाय। भारतीय संदर्भ में पेंशन सुधार का उद्देश्य इन घटकों का उचित मिश्रण प्राप्त करना और इन भूमिकाओं के चित्रण सहित योजना डिजाईन करना है। इसे ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सुव्यवस्थित सुधार पहल करने की आवश्यकता है।

किसी पेंशन प्रणाली का डिजाइन करने के लिए यह महत्वूपर्ण है कि पेंशन प्रणाली में भागीदार के रूप में परिकल्पित विभिन्न संस्थागत खिलाड़ियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से विहित किया जाए। किसी पेंशन उपलब्ध कराने वाले को, ऐसे न्यासियों के तंत्र के माध्यम से, जो स्पष्ट रूप से भाग लेने वालों से जुड़े हैं और उनके प्रति न्यासीय कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं, कार्य कर रहे विवेकपूर्ण उपायों के एक समूह से स्पष्ट निदेश प्राप्त करने चाहिए।

प्राधिकरण ने पेंशन सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित विशेषताओं का प्रस्ताव किया है :

- परिकल्पित प्रणाली पूर्णत: स्वैच्छिक हो, जिसमें भागीदारी और अभिदाय दोनों ही स्वैच्छिक हों।
- प्रणाली मुख्यत: ऐसे असंगठित क्षेत्र के लिए है, जो किसी विद्यमान पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है।
- प्रणाली ऐसे संगठन को सुनिश्चित करती है जिसके पास अभिदायकर्त्ताओं और विनियामक के मध्य का अंतरापृष्ठ हो।
- निम्न और स्पष्ट प्रभारों पर बल दिया गया है, जिससे ग्राहक आसानी से विभिन्न योजनाओं की तुलना कर सके।
- बहुविद उपलब्ध कराने वालों की पद्धति से प्रतिस्पर्धा पर बल दिया गया है, जिससे लागतों के न्यूनतम किए जाने और आशाजनक निधि प्रबंध तथा ग्राहक सेवा को सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रणाली, सेवा उपलब्ध कराने वालों तथा उत्पाद और साथ ही विक्रय प्रक्रिया को भी विनियमित करे। इसका उद्देश्य लोगों की निधियों की सुरक्षा करते हुए लागतों और जटिलताओं को कम करना है।
- कतिपय अवसीमा के स्तर पर अनिवार्य वार्षिकी योजना ; विनिर्दिष्ट कारणों के लिए एकत्रित संग्रह से प्रत्याहरण/विनिमय अनुज्ञात करना।

पेंशन सुधारों और बीमा बाजार के बीच संबंध, उत्तर जीवियों और नि:शक्तता फायदों के क्षेत्रों में, वृद्धावस्था स्कीम के वार्षिकी भाग और संभावनाओं, दोनों के भीतर जुड़ते हैं। बीमा क्षेत्र का सामर्थ्य ऐसे मामलों में प्रभावकारी रूप से वार्षिकी बीमा कवर उपलब्ध करा सकता है और यह पेंशन सुधारों में सफलता को अवधारित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

ढांचा

चूंकि पेंशन प्रणाली स्वैच्छिक है, इसलिए इसे ऐसे मानक स्थापित करने चाहिए, जो आवश्यकतानुसार पेंशन प्रणाली के अन्य स्तंभों को अंगीकार करने में समर्थ हों और जो अंतत: नई प्रणाली में ही अंतरित हो जाएं। पेंशन स्कीमें, नियोजन हैसियत पर ध्यान न देते हुए प्रत्येक को उपलब्ध होनी चाहिएं। पति या पत्नी की ओर से अभिदाय करना संभव होना चाहिए। इसी प्रकार माता-पिता को अपने बालकों तथा बालकों को अपने माता-पिता के लिए पेंशन स्कीमों में अभिदाय करने की अनुज्ञा होनी चाहिए। यह प्रणाली एक बहुविद प्रकार की सुवाह्यता की परिकल्पना करती है,जो परिस्थितियों से स्वाभाविक हो। बार-बार प्रत्याहरण की सुविधा ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है, जिसमें सेवानिवृत्ति के समय संसाधनों की आवश्यकता सामने आती है तो अंशदाता के पास कुछ भी नहीं रहता। इससे इसका मूल प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। इस समस्या का समाधान यह है कि संपूर्ण प्रत्याहरण अनुज्ञात करने के स्थान पर अतिशेष को गिरवी रखकर अल्प अवधि ऋणों को अनुज्ञात किया जाए। इसके अतिरिक्त, बन रहे विनियमों के द्वारा, विशेष परिस्थितियों में में निधियों के कुछ भाग के प्रत्याहरण के लिए एक भोगाधिकार उपबंधित किया जा सकता है।

नई पेंशन प्रणाली को लचीला और ऐसे व्यष्टियों के लिए उपयोगी होना चाहिए, जिनकी नियमित मासिक आमदनी नहीं है और जो इसलिए मासिक पेंशन अभिदाय का संदाय नहीं कर सकते। अत:, नई पेंशन प्रणाली को कोई न्यूनतम वार्षिक अभिदय आज्ञापक नहीं बनना चाहिए और अभिदायों के बीच के अंतराल को लचीला रखा जाना चाहिए। सदस्यों को ऐसे वार्षिक अभिदाय स्तर के प्रति सलाह दी जानी चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो पर्याप्त सेवानिवृत्ति फायदों को अर्जित कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति की एकत्रण केन्द्रों तक पहुंच होनी चाहिए।

प्रस्तावित विनिमक ढांचा मापदंडों के एक समूह को विहित करता है, जिसमें किसी भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा ''रजिस्ट्रीकृत'' प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं और पूर्व अनुभव भी सम्मिलित हैं। भागीदारी करने वाले व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे अपना ध्यान अनन्य रूप से पेंशन संबंधी क्रियाकलापों पर केन्द्रित करें। कराधान/छूटों को भी पहचान किए गए संव्यवहार बिन्दुओं अर्थात (i) पेंशन निधि में अभिदाय पर (ii) निधि को होने वाली निवेश आय और पूंजी अभिलाभों पर ; और (iii) सेवानिवृति पर फायदा प्राप्त करने वाले सदस्यों पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत की संविदाकारी बचतों के प्रति कर पद्धति सुसंगत नहीं है। प्रस्तावित कर संरचना को, बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कर प्रोत्साहन समाविष्ट करने की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण ने उपांतरित टी ई ई कर पद्धति

का सुझाव दिया है, जिसमें पेंशन की प्रति अभिदायों का संदाय कर योग्य आय में से किया जाता है ; पेंशन निधि और वार्षिकी निधि की आय को कर से छूट प्राप्त होगी ; पेंशन के संराशिकृत मूल्य को भी छूट प्राप्त बने रहना चाहिए और वार्षिकी के रूप में प्राप्त की गई राशियों को भी कर से छूट प्राप्त होनी चाहिए। प्राधिकरण ने यह सिफारिश भी की कि कर पद्धति में दीर्घकालिक बचतों को अधि ामानता दी जानी चाहिए।

प्राधिकरण ने पेंशन सुधार लाने के साथ-साथ विनियामक की भूमिका पर भी विचार किया, इस संबंध में बी.वि.वि.प्रा. ने निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है :

- भारत के पेंशन सेक्टर के सभी खंडों के कार्यकरण और विकास का पर्यवेक्षण।
- पेंशन प्रणाली में साझेदारी धारण करने वालों का रजिस्ट्रीकरण और पर्यवेक्षण।
- निवेश दिशा-निर्देशों, लेखा-मानकों और निधि प्रबंधकों के लिए प्रकटीकरण सन्नियमों को तैयार करना।
- पर्यवेक्षण और लघु ऋणों, समयपूर्व प्रत्याहरण के लिए नियम और कराधान।
- कपट, अंतरणों में देरी के विरुद्ध प्रवर्तन, विवाद समाधान और शिकायत निवारण।
- आनुपातिक फायदों की गारंटी का कार्यान्वयन जिसके अंतर्गत सहवर्त्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंध भी है।
- सेवानिवृत्ति बचत के संबंध में लोगों को और संभावी सदस्यों को नई पेंशन प्रणाली के संबंध में शिक्षित करना।
- निधि के कार्यपालन के बारे में जानकारी का मानकीकरण और निधि के प्रबंधकों और उपलब्ध कराने वालों के बारे में आसानी से सम्मिलित किए जाने वाले कार्यपालन उपायों का प्रसार।
- भारत की पेंशन प्रणाली के संबंध में सतत अनुसंधान और पालिसी पहलों का विकास।

विनियामक का ध्यान आकर्षित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- वित्तीय योजना सलाह और निवेशकों की शिक्षा क्योंकि आम निवेशक अक्सर वित्तीय मामलों का अच्छा जानकार नहीं होता।
- पेंशन प्रवाहों, निवेशों का पैटर्न, संदायों और व्ययों को दर्शित करते हुए वार्षिक मानकीकरण रिपोर्ट का अनिवार्य प्रकाशन।
- प्रारंभिक लागतों को प्रणाली में स्थायी रूप से सम्मिलित होने से रोकने के लिए पुन: निर्धारण करने हेतु विभिन्न सेवा उपलब्ध ा कराने वालों द्वारा प्रभारित फीसों का पुनर्विलोकन।
- एक ऐसा तंत्र स्थापित करना, जिसके द्वारा ग्राहक के समाधान, ग्राहकों के सवालों का शीघ्र प्रत्युत्तर देने, दावाकर्त्ता को फायदा प्राप्ति आरंभ होने में लगने वाले समय को मानीटर किया जा सके, और प्रणाली स्तर पर कपट का पता लगाने और उसे ठीक करने के तंत्र को स्थापित करना।

(viii) लेखा और बीमांकिक मानक

(i) लेखा मानक

प्राधिकरण ने, वर्ष 2000 में बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विनियम जारी किए थे। तथापि बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सुव्यवस्थित करने और समय-समय पर उन पर जारी किए गए विभिन्न स्पष्टीकरणों को समाविष्ट किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तद्नुसार विनियमों को उपांतरित किया गया था और मार्च, 2002 में अधिसूचित किया गया था। ये विनियम मोटे तौर पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों की रूपरेखा के अनुरूप हैं। तथापि निम्नलिखित लेखा मानकों के संबंध में उपांतरण किया गया है।

- लेखा मानक 3–नकद प्रवाह विवरण-केवल प्रत्यक्ष पद्धति के अधीन प्रस्तुत किया जाएगा।
- लेखा मानक 17–किसी भाग को रिपोर्ट करना-लेखा मानकों में यथा उल्लिखित सूचीबद्ध होने और आवर्त्त की अपेक्षाओं पर ध्यान न देते हुए सभी बीमाकर्त्ताओं पर लागू होगा।

उक्त उपांतरण प्राधिकरण की विनिर्दिष्ट सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए हैं और यह आई सी ए आई द्वारा विहित मानकों को कम नहीं करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आई सी ए आई ने आज तक 28 लेखा मानक जारी किए हैं।

विनियम यह और अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय विवरण के साथ इस संबंध में विहित प्ररूप में ऐसी प्रबंधन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए, जो बीमाकर्त्ता के प्रबंधन द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो। कंपनी अधि ानियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अधीन निगम शासन के भाग रूप में यथा अपेक्षित उत्तरदायित्व विवरण भी प्रबंधन रिपोर्ट का भाग होना चाहिए।

प्राधिकरण ने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्ररूप भी विहित किया है और यह अपेक्षा भी अधिकथित की है कि लेखा की दो लेखा-परीक्षकों द्वारा संयुक्त परीक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त बीमाकर्त्ता द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पेनल में से होने चाहिए। प्राधिकरण ने लेखापरीक्षकों को पेनलित करने के लिए दिशा-निर्देश विहित किए हैं।

सुचारू निगम शासन व्यवहार अपनाने के विचार से प्राधिकरण ने यह और विहित किया है कि प्रत्येक पांच वर्षों में लेखा परीक्षकों का आवर्तन होना चाहिए और किन्हीं दो लेखा-परीक्षकों को चार वर्ष से अधिक समय तक संयुक्त रूप से लेखा-परीक्षा नहीं करनी चाहिए। प्राधिकरण के अधिकारी, आई सी ए आई द्वारा साधारण या जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की लेखा परीक्षा पर दिशा-निर्देश

टिप्पण बनाने के लिए बनाए गए अध्ययन समूह के प्रयासों से भी जुड़े हैं।

(ii) (क) नियत बीमांकिक प्रणाली

प्राधिकरण ने भारत में किए जा रहे जीवन बीमा और साधारण बीमा कारबार के लिए नियत बीमांकिक की प्रणाली आरंभ की है और भारत में बगैर नियत बीमांकक के कोई बीमाकर्त्ता जीवन बीमा कारबार नहीं कर सकता। नियत बीमांककों की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करते हुए प्राधिकरण ने नियत बीमांककों (एए) के विशेषाधिकारों और बाध्यताओं को परिभाषित किया है और साथ ही विनियमों में उनके लिए पात्रता मापदंड भी विहित किए हैं। विनियम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक जीवन बीमाकर्त्ता एक ए ए को पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में रखेगा। तथापि गैर जीवन कंपनियों को इस रूप में छूट दी गई है कि वह एक परामर्शी बीमांकक नियुक्त कर सकता है।

प्रत्येक जीवन बीमाकर्त्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को अपनी शोधन क्षमता का विवरण प्रस्तुत करे, जो ए ए द्वारा सम्यकत: प्रमाणित हो। गैर जीवन बीमा के दशा में ए ए से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आंतरिक गैर-टैरिफ उत्पादों और आई बी एन आर (उपगत किन्तु रिपोर्ट नहीं की गई) आरक्षितियों की दरों को प्रमाणित करें।

पिछले दो वर्ष में निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ बीमा उद्योग के विकास से नियत बीमांकिक प्रणाली का विकास हुआ है। बीमांककों की वृत्ति की मुख्य बातें अभिजात पुनर्विलोकन से जुड़ी हैं। उद्योग के वृतिक इस विचार से सहमत हैं कि अभिजात पुनर्विलोकन से बीमा उद्योग में दी जा रही बीमांकन सेवाओं का सुधार होगा। हालांकि इस विषय पर वृत्ति को विचार करके कार्रवाई को अभिनिश्चित करना होगा, किन्तु प्राधिकरण, इसे नियत बीमांककों द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वृत्तिक पेनल बनाना विवेकपूर्ण समझता है वृत्ति से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार, इस संबंध में पहलों का स्वागत किया गया है प्राधिकरण ने इस संबंध में पहला कदम बढ़ाते हुए बीमांकक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित हैं :

- श्री एन.के. शिंकर-परामर्शी बीमांकक, बी.वि.वि.प्रा.
- श्री एन.के. नरसिम्हन-पूर्व अध्यक्ष, ए एस आई
- श्री पी.ए. बालासुब्राह्मणियन-सदस्य (बीमांकिक) बी.वि.वि.प्रा.

समिति का कार्य इस संबंध में विनियमों में अधिकथित अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि में बीमाकर्त्ताओं की कानूनी विवरणियों का पुनर्विलोकन और ए ए के कृत्यों की परीक्षा करता है।

यह उल्लेखनीय है कि अभिजात पुनर्विलोकन के प्रति प्रयासों का लक्ष्य विनियामक को बीमांकिक कार्य, जैसा कि यह पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण से जुड़ा है, के प्रति आश्वस्त करना है।

भारतीय बीमांकिक संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्तावित विधान, बीमांककों की भूमिका के वृत्तिकरण की दिशा में एक और कदम है। भारत में बीमांकिक वृत्ति के उन्नयन के लिए भारतीय बीमांकिक सोसायटी का गठन किया गया था, जो वृत्ति के सदस्यों के बीच परस्पर संपर्क जोड़ रही है, अनुसंधान को सुकर बना रही है, सुसंगत विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन कर रही है, पत्र प्रस्तुत कर रही है और उन पर चर्चा करा रही है, तथा बीमांकिक परीक्षाओं के लिए अध्ययन करने वालों को सुविधा और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही हैं प्रारूप बीमांकिक संस्थान विधेयक, 2002 का लक्ष्य भारतीय बीमांकिक सोसायटी को, बीमांकिक वृत्ति के विनियमन और विकास के लिए कानूनी शक्तियां प्रदान करना है।

(ii) (ख) बीमांकिक मानक

भारतीय बीमांकिक सोसायटी को प्राधिकरण की सहमति से बीमांककों के लिए मार्गदर्शक टिप्पण (बीमांकिक मानक) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय बीमांकिक सोसायटी ने ''नियत बीमांकिक और जीवन बीमा'' पर ऐसे पहले मार्गदर्शक टिप्पण (जी एन 1) जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत बीमाकर्त्ता की शोधन क्षमता बनाए रखने पालिसी धारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए पालिसीधारकों को उनकी आकांक्षाओं के संबंध में भ्रमित न किया जाए, नियत बीमांककों के उत्तरदायित्वों को सम्मिलित करने वाले वृत्तिक मानक हैं।

(ix) प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेश, आदेश और विनियम

प्राधिकरण, बीमाकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करने और बीमाकर्त्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का स्पष्टीकरण देने के विचार से, समय-समय पर निदेश और आदेश जारी करता रहता है। इन आदेशों/निदेशों का सार नीचे दिया गया है :

- बीमाकर्त्ताओं को, उनके मुख्य कार्यपालकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति/पदच्युत करने के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह देने वाला आदेश, और ऐसा अनुमोदन पदावधि, नियुक्ति की शर्तें पारिश्रमिक, आदि की विशिष्टियों के साथ प्राप्त किया जाएगा।
- प्रवर्तक कंपनी से दूरी बनाए रखने के विचार से प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्त्ताओं को यह निदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रवर्तक/शेयरधारक का कोई अधिकारी/कर्मचारीवृंद बीमाकर्त्ता के पास तदर्थ पर न हो। प्राधिकरण ने यह निदेश दिया कि प्राधिकरण की अभिव्यक्त अनुमति के बिना बीमाकर्त्ता द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32क के निबंधनों में कोई सामुहिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीमाकर्त्ता अपने मूल बीमा कारबार के संचालन के

लिए प्रबंध अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं कर सकता।

- साधारण बीमाकर्त्ताओं को यह उपदर्शित करते हुए आदेश जारी किए गए कि किसी मध्यवर्ती द्वारा वितरित किए जा रहे सभी उत्पादों की बाबत बीमाकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त मध्यवर्ती बीमाकर्ता का आवरण न ओढ़ ले और वह केवल अभिकर्ता के रूप में ही रजिस्ट्रीकृत हो। उसके अतिरिक्त किसी उत्पाद के संबंध में जारी विज्ञापनों को विज्ञापन विनियमों के अनुरूप होना चाहिए।
- ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में यह स्पष्टीकरण देना कि कौन सा उत्पाद ग्रामीण अथवा सामाजिक है या ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र कारबार कौन सा है और ग्रामीण क्षेत्र क्या है। विनियमों का आशय और प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बीमा रक्षा और उन क्षेत्रों में उनकी आस्तियों को बीमा कवर प्रदान करना है। बीमाकर्त्ता की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताओं पर विनियमों के अब संशोधित किया गया है।
- ऐसा कोई अतिरिक्त पदभार न ग्रहण करें जो बीमाकर्त्ता के कार्य के हित का विरोधी हो।
- बीमाकर्त्ता इस बात की पुष्टि करें कि उनके द्वारा विपणन किए जाने से पूर्व सभी गैर-टैरिफ उत्पाद प्राधिकरण को और सभी टैरिफ उत्पाद टी ए सी को फाइल किए जाएं। इसके अतिरिक्त बीमाकर्त्ताओं को प्राधिकरण द्वारा यह प्रमाणित करने की सलाह दी गई थी कि सभी उत्पादों का विपणन केवल तभी किया जाए, जब प्राधिकरण की सभी शंकाओं का समाधान हो जाए।
- बीमाकर्त्ता कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र आदेश जारी किए गए हो कि कारबार प्राप्त करते समय अच्छे बाजार व्यवहार को अपनाया जाए। साथ ही उनका ध्यान बीमा उद्योग में विद्यमान किसी ऐसे कदाचार की ओर भी आकृष्ट किया गया था, जो कपट के समतुल्य हो और जिसके कारण बीमाकर्त्ताओं को विषम दावा समाधान के मद्दे हानि निम्नांकित हो।
- बीमाकर्त्ताओं को अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति में गलत व्यवहार अपनाने के प्रति चेतावनी दी गई थी और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि प्रशिक्षण और परीक्षा की अपेक्षाओं को ईमानदारी से पूरा किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बीमाकर्त्ता द्वारा तैयार किया गया अभिकरण दल बीमा कराने वाली जनता को वस्तुगत रूप से सलाह देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो, गलत विक्रय-मिथ्या अभ्यावेदनों और बीमा उत्पादों के विक्रय में बढ़ रहे गलत व्यवहारों से बचे।
- प्राधिकरण ने, बीमाकर्त्ता के कारबार के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए उसमें निहित निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिकरण को दलाली के संदाय पर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अधीन निदेश जारी किए। प्राधिकरण ने गैर जीवन बीमा कारबार की बाबत टी ए सी द्वारा बनाए गए टैरिफ द्वारा शासित दलाली संदाय की निम्नलिखित सीमाएं विहित की :

बीमाकृत की समादत्त पूंजी	साधारण बीमाकर्त्ता द्वारा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित :दलाल ;:द्ध
10 करोड़ रुपए तक	5%
10 करोड़ से 25 करोड़ तक	2.5%
25 करोड़ से अधिक	0%

छूट : ऐसे सभी मामलों में, जिनमें अभिकरण दलाली का संदाय नहीं किया गया है, प्रीमियम पर 5% की छूट दी जा सकती है और उसे पालिसी दस्तावेज में भी उपदर्शित किया जा सकता है। उस दशा में जहां बीमाकृत सीधे बीमाकर्त्ता के साथ कार्यवाही करने को अधिमानता देता है, वहां बीमाकर्त्ता उसे ऊपर विहित विशेष छूट दे सकता है।

अवक्रय कंपनियों या बैंकों से गृह संपत्ति और यान के क्रय के लिए प्राप्त किए गए व्यष्टि ऋण से होने वाला कारबार, दलाली संरचना के अधीन नहीं आता। यदि बीमाकृत कोई कंपनी/फर्म/सहकारी सोसायटी है और वह किसी ऐसी आस्ति की स्वामी है, जिसका बीमा किया गया है तो ऊपर दी गई दलाली संरचना लागू होगी।

व्यष्टियों द्वारा अपनी आस्तियों का, चाहे वे अवक्रय वित्तपोषण के अधीन हों या अन्यथा हों, और/या निजी दुर्घटना और बीमारी के लिए बीमा कराता है तो बीमाकर्त्ता अधिकतम 15% की सीमा के अधीन रहते हुए संदेय दलाली के संबंध में विनिश्चि कर सकता है।

प्राधिकरण निदेश जारी करते समय बीमाकर्त्ताओं को यह चेतावनी दी थी कि टैरिफ के और गैर टैरिफ के लिए व्यक्तिगत रूपरेखा के कारबार में 15% तक के स्तर की दलाली से खुदरा कारबार बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं और कारबार प्राप्त करने में कदाचार की और दलाली को अन्य लेखा-शीर्षों के अधीन दर्शित करने के शिकायतों पर प्राधिकरण दांडिक कार्रवाई कर सकता है प्राधिकरण, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे कदाचारों का निराकरण करने के लिए स्थल पर निरीक्षण का सहारा ले सकता है।

- अग्नि और इंजीनियरी में आतंकवाद जोखिम-बीमाकर्त्ताओं को टी ए सी द्वारा विहित दरों और निबंधनों पर आतंकवाद बीमा का प्रस्ताव करने की सलाह दी गई थी। बीमाकर्त्ताओं को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई थी कि पालिसियों का नवीकरण 1 अप्रैल, 2002 से लागू आतंकवाद बीमा की पुनरीक्षित दरों पर होना चाहिए। तथापि आतंकवाद जोखिम के लिए टी ए सी द्वारा सुझाव की गई दरें किसी दलाली/छूट को सम्मिलित नहीं करेंगी।

- यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक बीमाकर्त्ता की निवेश नीति कंपनी के बोर्ड द्वारा छमाही रूप से अनुमोदित हो। नीति बनाए जाने के पश्चात् उसे बीमाकर्त्ता के विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। निवेश समिति निवेशों पर दिन-प्रतिदिन के विनिश्चयों में सम्मिलित नहीं होगी।
- तृतीय पक्षकार मोटर यान प्रीमियम की बाबत मामला दर मामला विनिश्चिय किया जाएगा। बीमाकर्त्ता प्रथम वर्ष में आधारिक दर के 100 प्रतिशत तक प्रीमियम नियत कर सकता है और यदि दूसरे वर्ष में कार्यपालन समान रूप से खराब हो तो दूसरे वर्ष भी यह 100 प्रतिशत हो सकेगा तथापि हमारे पास यह रिपोर्ट है कि बीमाकर्त्ता प्रीमियम को आधारिक दर के 300-400 प्रतिशत तक बढ़ा रहे हैं। बीमाकर्त्ताओं को प्राधिकरण और टी ए सी द्वारा जारी निदेशों की रूपरेखा पर पालिसियां जारी करने के लिए आगाह किया गया था और यह चेतावनी दी गई थी कि निदेशों के अनुपालन पर दांडिक कार्रवाई की जाएगी।
- कुछेक मामलों में, पक्षकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हाने पर, दावों के समाधान के लिए निदेश जारी किए गए थे।

(x) प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण ने अभिकर्त्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया को सामने रखा है और बीमाकर्त्ताओं ने इस सुविधा के लिए अपने ऐसे विनिर्दिष्ट अधिकारियों को पदाभिहित किया है, जो बी.वि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर जा सकें। इसके अतिरिक्त प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में, जहां नवीकरण आवेदन फाइल करने में विलंब हुआ है और बीमाकर्त्ता का यह समाधान हो गया है कि विलंब के लिए वास्तविक कारण थे, अनुज्ञप्तियों को नियमित करने की शक्तियां बीमाकर्त्ताओं को प्रत्यायोजित की हैं। केवल ऐसे मामलों में जहां बीमाकर्त्ता का इस संबंध में समाधान नहीं होता, वहां आवेदनों को प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाता है।

(xi) प्राधिकरण के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली अन्य नीतियां और कार्यक्रम

नीचे दिए गए पैरों में ऐसी विभिन्न पहलों को उपदर्शित किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में बीमा उद्योग के कार्यपालन पर प्रभाव डाला है और यह संभावना है कि वे आने वाले समय में जीवन और गैर जीवन, दोनों बीमाकर्त्ताओं के संकर्मों को प्रभावित करेंगे। बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 की अधिसूचना इस दिशा में एक प्रभावी कदम था। फसल और ऋण बीमा के संबंध में भी पहल की गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उपभोक्ता समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उपभोक्ता सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसके अलावा बीमा अधिनियम, 1938 का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य, बीमा पर्यवेक्षकों की अंतरराष्ट्रीय सभा द्वारा यथा विहित सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए देश के बीमा क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक प्राप्त करना है।

(क) बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 में महत्वपूर्ण विषय

चिर प्रतिक्षित बीमा (संशोधन) विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और इसे 23 सितम्बर, 2002 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम में समाविष्ट किए गए मुख्य संशोधन निम्न हैं :

1. बीमा कारबार करने के लिए सहकारी सोसायटियों को मान्यता

संशोधन अनन्य रूप से बीमा कारबार करने के लिए सहकारी सोसायटियों के गठन का उपबंध करता है, सहकारिता, समादत्त पूंजी, शोधन क्षमता, भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप, लेखों का रखा जाना, लेखा परीक्षा, आदि की उन्हीं अपेक्षाओं के अधीन होगी, जो अन्य आवेदकों के संबंध में लागू हैं।

सहकारितायों से, उनके ऋण देने के क्रियाकलाप में लिप्त होने के और ग्रामीणबाजार से निकट होने के कारण, यह आशा की जाती है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का प्रसार करेंगी।

2. निगम अभिकरणों के लिए उपांतरित प्रशिक्षण अपेक्षा

निगम अभिकरण कारबार आरंभ करने वाली कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों या प्रधान अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करने वाले निदेशों को उपांतरित किया गया है जिससे कि निगम अभिकरण के एक पदाभिहित अधिकारी को अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाए। संशोधन को निगम अभिकरण कारबार के विकास के रास्ते में रूकावटों को हटाने के लिए समाविष्ट किया गया था और इससे बैंक बीमा मध्यवर्ती के रूप में प्रवेश कर सकेंगे और साथ ही कम विक्रय और वितरण लागतों पर बीमा उत्पादों का वितरण हो सकेगा। निगम अभिकरण प्रणाली से वाणिज्यिक स्थापनों से कारबार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार इनसे गैर जीवन कारबार का विकास होगा।

3. बीमा बाजार में दलालों का प्रवेश

बीमा अधिनियम की धारा 40 को, बीमाकृतों से प्राप्त प्रीमियम के एक भाग को, बीमा दलाल और परामर्शी सहित किसी ''बीमा मध्यवर्ती'' को पारिश्रमिक के रूप में संदाय करने की अनुज्ञा देने के लिए रूपांतरित किया गया। दलालों से यह आशा की जाती है कि वे विश्व के सर्वोत्तम व्यवहारों और अनुभवों के आधार पर आदर्श पालिसियों की डिजाइनिंग और विपणन को संभव बनाकर बीमा बाजार की पकड़ को बढ़ाएंगें। चूंकि अभिकरण दलाली या दलाली केवल संव्यवहारों पर ही संदेय होगी इसलिए संव्यवहार लागत कम होने के कारण बीमा कारबार के संचालन में दक्षता की वृद्धि होने की संभावना है। चूंकि जोखिम बीमा व्यापक अनुसंधान और जोखिम विश्लेषण पर आधारित होगा और दलाल बीमाकर्त्ता के लिए ग्राहक का प्रतिनिधि होगा, इसलिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिसके अंतर्गत दावों का शीघ्र और वैज्ञानिक समाधान भी है।

4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 का उपांतरण

इस धारा को पालिसीधारकों और शेयरधारकों को साम्यापूर्ण फायदे सुनिश्चित करने के लिए उपांतरित किया गया है। संशोधन शेयरधारकों के लिए भागीदारी न करने वाली पालिसियों की दशा में 100 प्रतिशत और भागीदारी करने वाली पालिसियों की दशा में 10 प्रतिशत अनधिक (संशोधन से पूर्व 7.5 प्रतिशत) बीमांकिक अधिशेष की हकदारी का उपबंध करता है।

5. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 फ ख में संशोधन

प्राधिकरण को इस आधारिक अपेक्षा में परिवर्तन किए बिना कि प्रीमियम बीमाकर्त्ता द्वारा उसे बीमा कवर प्रदान किए जाने से पूर्व संदत्त किया जाना चाहिए, प्रीमियम के संदाय के ढंग को विहित करने में समर्थ बनाने के लिए इस धारा का संशोधन किया गया है यह संशोधन बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्डों या इंटरनेट के माध्यम से प्रीमियमों का संदाय अनुज्ञात करेगा और बीमा ग्राहकों को प्रीमियम संदाय के आसान तरीके उपलब्ध कराएगा।

नया बीमा विधान

दो वर्ष पूर्व बीमा क्षेत्र के उदारीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, उससे बाजार में नए बीमाकर्त्ताओं के प्रवेश के साथ आमूल परिवर्तन हुए हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इन बीमाकर्त्ताओं के लिए विनियामक और वातावरण के पुनर्विलोकन की आवश्यकता सामने आई है। इस उद्देश्य से विधि आयोग ने बीमा अधिनियम, 1938 का पुनर्विलोकन आरंभ किया है। इसके अंतर्गत आयोग बीमा उद्योग के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता का भी निर्धारण करेगा। आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है और वह इस विषय पर व्यापक लोक चर्चाएं कराने के लिएअगले कुछ मासों में इस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करेगा। प्राधिकरण ने आयोग की सहायता के लिए एक महत्वूपर्ण समूह गठित किया है।

(ख) आतंकवाद बीमा कवर

अमरीका में विश्व व्यापार केन्द्र पर 11 सितम्बर को हमले से भारत के बीमा क्षेत्र और विश्व के पुन: बीमा बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। विद्यमान और नए पालिसीधारकों में अचानक आतंकवाद बीमा बवर की मांग बढ़ी। टी ए सी ने अधिसूचित किया कि सभी गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा जारी विद्यमान और नई अग्नि और इंजीनियरी पालिसियों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम अधिरोपित किया जाए। आतंकवाद बीमा कवर की परिभाषा, शब्दों और मूल्यांकन को नियत करने के लिए टी ए सी ने एक समिति गठित की। दुर्घटना का तुरंत प्रभाव यह था कि दरें बढ़ गई और पुन: बीमाकर्त्ता आतंकवाद जोखिम को कवर करने में हिचकिचा रहे थे। पुन: बीमा दरें तीन गुणा बढ़ गई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीमाकर्त्ताओं के लिए आतंकवाद बीमा कवर के पुन: बीमा के लिए बहुत कम बीमाकर्त्ता उपलब्ध थे और वे भी अधिक दामों पर और अधिकतम सीमा के साथ इसके अलावा पुन: बीमाकर्त्ताओं ने ''आतंकवाद'' की परिभाषा में परिवर्तन भी किए।

विशेषकर भारतीय बीमाकर्त्ताओं पर बहुत खराब असर पड़ा था। पुन: बीमाकर्त्ता भारत में अवस्थिति जोखिमों के आतंकवाद बीमाकवर से बचने लगे। विमानन और कारबार के अन्य वर्गों के लिए पुन: बीमा दरें काफी बढ़ गई हैं और भारतीय बीमाकर्त्ताओं को भारतीय प्रचालकों के विमानों का बीमा करने के लिए पुन: बीमाकर्त्ता नहीं मिल पा रहे हैं।

प्राधिकरण ने इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श आरंभ किया है। पुन: बीमाकर्त्ताओं, बीमाकर्त्ताओं, भारतीय पुन: बीमाकर्त्ता और पुन: बीमाकर्त्ता दलालों से बैठकें की गई हैं। एकमत से यह विचार सामने आया कि आतंकवाद बीमाकवर को दंगे, हड़ताल, दुर्भावपूर्ण नुकसान और आतंकवाद खंड से पृथक करके एकल बीमा कवर के रूप में आरंभ करना चाहिए और इसके लिए पृथक दर निर्धारित करनी चाहिए।

प्राधिकरण ने अंतिम रूप से यह प्रस्ताव किया था कि सभी बीमाकर्त्ताओं की ओर से स्वैच्छिक बाजारोन्मुख पहल के रूप में आतंकवाद बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक पूल स्थापित किया जाए। यह प्रस्ताव किया गया था कि यह पूल जी आई सी द्वारा प्रशासित हो। इस आधार पर एक स्कीम तैयार की जा रही है।

(ग) फसल बीमा

भारत में जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए कृषि मात्र एक कारबार उद्यम नहीं है अपितु जीवन का अभिन्न अंग है। कारबार उद्यम के रूप में यह सामाजिक आर्थिक अनिश्चितताओं के अधीन है। जीवन पद्धति के रूप में इसमें व्यक्तिगत जोखिम हैं। किन्तु कृषि मुख्यत: प्राकृतिक स्थितियों की अनिश्चितताओं के अधीन है, क्योंकि यह व्यापक, सीधे और निरंतर प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर है। यह तथ्य कृषि को जोखिम भरा उद्यम बनाते हैं।

विकसित देशों ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन की विचारधारा को अपनाया है, जिसके अंतर्गत कृषि उद्योग के स्थिरीकरण के लिए लोक और निजी दोनों प्रकार के बीमा का उपयोग है। एक ओर बीमा, सिंचाई, अपवहन, भूमि उद्धार और कृषि उत्पादन बढ़ाने के अन्य उपायों जैसे कृषि के आधारों को दृढ़ करने के लिए डिजाइन किए गए क्रियाकलापों को और दूसरी ओर मूल्य निर्धारत और आय का समर्थन करने वाले उपायों को अनुपूरित करता है। चूंकि भारत में न केवल कृषि क्षेत्र का जी डी पी में योगदान अपेक्षाकृत अधिक है अपितु अधिकांश लोक कृषि और संबंधित व्यवसायों से जुड़े हैं इसलिए भारत में कृषि बीमा की भूमिका काफी विस्तृत है।

अभी तक आरंभ की गई सभी फसल बीमा स्कीमें समूह बीमा स्कीमें है, जिनका लक्ष्य बैंक से फसल ऋण लेने वाले कृषक हैं।

प्रीमियम 1 से 3 प्रतिशत पर न्यूनतम हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार जोखिम का अंश भाजन करती थी और स्कीमों का प्रशासन साधारण बीमा निगम के अधीन था। स्कीमों के वित्तीय परिणाम यह उपदर्शित करते हैं कि इनमें से कोई भी स्कीम बीमा किए गए जोखिम की बीमांकिक संभाव्यता कस ठीक ठीक प्राक्कलन करने में समर्थ नहीं हुई है। संदत्त दावों की रकम एकत्रित प्रीमियमों से छः गुणा है।

फसल बीमा स्कीम के सामूहिक होने की विशेषता और इस तथ्य ने कि प्रीमियम बीमांकन पर आधारित नहीं थे, स्कीमों की कारबार विशेषता को समाप्त कर दिया और यह अवसर का खेल बन गई और इससे स्कीमों का अनुचित लाभ लेने वालों को बढ़ावा मिला। कई मामलों में जहां क्षति गंभीर थी, न के बराबर क्षतिपूर्ति की गई और ऐसे कई मामले हैं जहां कम क्षति पर वृहत क्षतिपूर्ति हुई।

आज भारत में कृषि का स्तर विश्व स्तर का हो रहा है और यह निरंतर बाजारोन्मुख हो रही है, एक विश्वसनीय फसल बीमा स्कीम की आवश्यकता है कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है, जो अपनी अनिश्चितता के लिए विख्यात है। इसके अतिरिक्त पूंजी का कम उपयोजन और धृतियों का छोटा आकार भारतीय कृषि में जोखिम को बढ़ाता है।

यदि बीमांकिक प्रीमियम 30प्रतिशत तक हो तो किसी फसल बीमा कंपनी को एल आई सी से कई गुना बड़ा होना होगा और वह तब तक साध्य नहीं होगी, जब तब कि सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता में और मौसम भविष्यवाणी की पद्धति में सुधार करके, जोखिम को सारवान रूप से कम न किया जाए।

यदि उत्पादन लागत की गणना में बीमांकिक जोखिम तथ्य को भी संगणित किया जाए और परिणामस्वरूप ऐसे वर्षों में, जिनमें आकस्मिक जोखिम नहीं आता, कानूनी न्यूनतम मूल्य में भी उसे संगठित किया जाए तो, कृषक, जबकि आकस्मिक जोखिम वास्तव में आता है तब तक ऐसी राशियों को एक ओर रख सकता है, जो समयानुसार वृद्धि फायदा देंगी।

सरकार ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन पैकेज के रूप में निजी और लोक बीमा प्रयासों के एक न्यायसंगत मिश्रण को ढूंढने की पहल की है और वह कृषकों के लिए देश में फसल संबंधी बीमा क्रियाकलापों का प्रबंध करने और उनहें उपलब्ध कराने के लिए एक स्वतंत्र कंपनी राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी आरंभ कर रही है। 250 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी वाली (जिसे बाद में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाएगा) इस कंपनी में जो आई सी और नाबार्ड की 35 प्रतिशत धृति होगी और शेष 30 प्रतिशत धृति नेशनल इंश्यारेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और युनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा धारण की जाएगी।

इस नई कंपनी का मुख्य उद्देश्य फसल बीमा होगा, किन्तु बाद में ट्रैक्टरों, पंप सेटों और यहां तक कि झोपड़ियों के लिए भी बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। जी आई सी और नाबार्ड के विद्यमान कार्यालयों के अतिरिक्त देश में कार्यालयों के एक नए नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। नाबार्ड प्रबंधन का भाग होगा और वह तकनीकी सलाह देगा। जी आई सी केवल इस नई कंपनी का पुनः बीमाकर्त्ता होगा। इस समय निगम अपनी राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के साथ देश का एकमात्र फसल बीमाकर्त्ता है।

(घ) ऋण बीमा

नवीन उत्पादों की संभावनाएं इस तथ्य के कारण कम हो जाती हैं कि कई विकसित देशों में, कारबार विशेषज्ञता और जोखिम तथा दावा विशेषताओं के आधार पर, काफी विस्तृत रूप से कारबार का वर्गीकरण किया जाता है, जिनमें कुछ खंडों में केवल आला बीमाकर्त्ता ही कार्य करते हैं उदाहरणार्थ, जीवन और गैर जीवन बीमा पर यूरोपीय निदेश स्वतंत्र अनुमोदन के लिए कारबार को वर्गों (जिनके अंतर्गत यूनिट लिंक्ड बीमा और पेंशन भी है) और गैर जीवन बीमा को 17 वर्गों (जिनमें ऋण बीमा भी है) में वर्गीकृत करते हैं। यद्यपि भारत में बीमा कारबार बीमा अधिनियम द्वारा जीवन और साधारण दो भागों में बांटा गया है, बीमा कंपनियां कई प्रकार के कारबार, कर रही हैं।

यह प्रशंसनीय है कि बीमा पहुंच और सस्ते प्रीमियमों के निबंधनों में उदारीकरण के फायदे सगर्भता विलंब के साथ पहुंचने की संभावना है। ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद नवीनता द्वारा मांग सृजन करने की चुनौतियां पहले ही विद्यमान हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा यूरोपीय क्रेडिट गारंटी (प्रा.) लि. के सहयोजन से आरंभ की गई कारबार ऋण शील्ड इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह तथ्य कि यह उत्पाद किसी नए बीमाकर्त्ता की बजाए विद्यमान बीमाकर्त्ता द्वारा आरंभ किया जा रहा है उदारीकरण की अनिवार्यताओं और प्रतियोगिता का सबूत है।

ऋण बीमा कारबार जो घरेलु ऋणों, निर्यात ऋणों और राजनीतिक जोखिम के मामलों में व्यष्टिक और विस्तृत रूप से, मालों और सेवाओं को उपलब्ध कराने वालों को ऋण लेने वालों की शोधन क्षमता के प्रति संरक्षण का प्रस्ताव करता है, पिछले तीन दशकों में विशषकर यूरोप में बहुत तेजी से विकसित हुआ है और अंतरराष्ट्रीय ऋण बीमा सभा द्वारा हाल ही में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार पूरे विश्व में इसका प्रीमियम लगभग 5 अरब डालर है। बार-बार के आर्थिक संकटों ने ऋण बीमा की, इसकी विस्तृत ऋणें और वित्तीय प्रबंधन के एक अनिवार्य भाग को प्राप्य लेखाओं में जोखिम युक्त पूंजी को संरक्षण देने की मूल भूमिका की संभावनाओं को काफी बढ़ा दिया है ऋण बीमा में विकास। निजी और पब्लिक सेक्टर, दोनों के नए बीमाकर्त्ताओं और नए उत्पादों के निबंधनों में हुआ है। ऋण बीमा को अभी हाल ही में आस्ति सुरक्षात्मक व्यवहारों को बढ़ाने में उपयोग किया गया है।

उदाहरणार्थ इंग्लैंड में ऋण बीमा कारबार जो अब लगभग दो दशक पुराना है,संपूर्ण और भागिक आवर्त का बीमा करने के विकल्प

सहित विलंब संदायों और ऋण प्राप्त करने वालों के दिवालिया होने के प्रति बीमा करता है और कतिपय मामलों में प्रदायकर्त्ता के व्यतिक्रम के लिए भी बीमा करता है। इसके साथ ऋण बीमाकर्त्ता, ऋण सतर्कता और ऋण प्रबंधन प्रसुविधाएं भी, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऋण एकत्रण भी हैं, उपलब्ध कराते हैं। बर्तानती बीमाकर्त्ता सभा इस ओर ध्यान दिलाती है कि इंग्लैंड में ऋण बीमा एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार है और ऐसा केवल बीमाकर्त्ताओं की बड़ी संख्या और बहुराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं है अपितु 'स्व: बीमा'' या उपबंधन (जो केवल बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है) और गुणन जैसे प्रतिस्पर्धात्मक प्रकार के घरेलु बीमा कवरों के कारण भी है।

कारबार ऋण शील्ड, यदि सफल हुई तो निर्यातकों को प्रतिस्पध र्ातमक उत्पादों, विशेषकर बाजार के निम्नतर अंत की ओर के उत्पादों का प्रस्ताव भी किया जाएगा। दिवालियापन के और दीर्घकालिक व्यतिक्रम प्रति बीमाकवर (विवेकी ऋण सीमा सुविध ाओं सहित), निर्यातकों के लिए राजनीतिक जोखिम, सहमत हानि के 90 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति, जैसी उत्पाद की विशेषताएं अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों की रूपरेखा पर हैं। न्यूनतम आवर्त सीमाएं, न्यूनतम डी सी एल अपेक्षाएं और दृढ़ ऋण प्रबंधन पर बल देना भी समान रूप से अनिवार्य हैं, विशेषकर कारबार संरक्षण के लिए।

निस्संदेह, जोखिम प्रबंधन की पूर्वापेक्षा सूचना है। ऋण संबंधी सूचना को शेयर करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का विकास करने के लिए, भारतीस स्टेट बैंक द्वारा एच डी एफ सी लिमिटिड और विदेशी तकनीकी भागीदारों के सहयोग से ऋण सूचना ब्यूरों की स्थापना की गई है। जैसे-जैसे बीमा कारबार नए-नए क्षेत्रों में फैल रहा है, उसे देखते हुए विशिष्ट जोखिम और दावा विशेषताओं के एक सहकारी डाटाबेस की स्थापना एक अच्छा विचार है। उदाहरणार्थ, ऋण बीमा के मामले में, ब्रतानती ऋण बीमाकर्त्ता एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय डाटाबेस को सहयोग देते हैं, जिसके माध्यम से उद्योग के अन्य व्यक्तियों से सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है और जो बीमाकर्त्ताओं को अपने ग्राहकों को कम लागत पर ऋण सतर्कता उपलब्ध कराने में समर्थ बनाता है।

क्रियाकलापवार प्रोफाइलों के ऐसे डाटाबेस में, यदि ऐसी प्रणाली को विकसित न किया जाए, जिसमें न्यूनतम पूंजी और अन्य विवेकपूर्ण अपेक्षाएं, सकल कारबार की बजाए विशिष्ट जोखिम और दावा विशेषताओं पर निर्भर रहते हुए विशेष कारबार प्रोफाइलों पर आध ारित हों, जैसा कि कई देशों के मामले में है, बाहरीपन आ सकता है इससे अधिक दक्षतापूर्ण रूप से (विद्यमान आमने-सामने की अपेक्षा के स्थान पर) अनुबंधनों (जैसे कि न्यूनतम पूंजी स्तर) को नियत किया जा सकेगा और विविधता के बढ़ावा मिलेगा।

विश्व में आर्थिक परिस्थितियां नई जटिलताओं के साथ उत्तरोतर अनिश्चित होती जा रही हैं। अनिशिचितताओं में वृद्धि के साथ जोखिम के आर्थिक बोझ को घटाने की आवश्यकताएं भी महसूस हो रही हैं। कारबार फर्मों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मूल मुद्दों की पहचान करें, लिए जा सकने वाले जोखिम की रकम बताएं, जोखिम कम करने वाले विकल्पों की पहचान करें और ऐसे विकल्पों में से उचित विकल्पों का चयन करें। सभी कारबारों में एक समान मूल जोखिम मुद्दा है, ऋण लेने वालों द्वारा व्यतिक्रम या संदाय न करने का जोखिम। आशा है कि भारतीय बाजार में ऋण बीमा आरंभ होना इस संबंध में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

(ङ) उपभोक्ता सलाहकार समिति

प्राधिकरण ने एक उपभोक्ता सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। समिति में विभिन्न जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। यह समिति एक बैठक कर चुकी है।

(च) बीमा सभा और बीमा परिषदें

देश में बीमा कारबार के संचालन में दक्षता का संवर्धन करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सभी जीवन और गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं की एक बीमा सभा का गठन किया गया था। सभा की दो परिषदों, अर्थात् जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद् में क्रमश: जीवन और साधारण बीमाकर्त्ताओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। प्राधिकरण के दो पदाभिहित सदस्य, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी-अपनी परिषदों की कार्यपालन समितियों के सदस्य हैं। परिषदों ने, बाजार आचार, अपनाए जाने वाले नैतिक व्यवहार, मध्यवर्तियों का व्यवहार और बीमा संबंधी सांख्यिकियों का प्रसार, जैसे विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। परिषदों को प्राधिकरण और बीमाकर्त्ताओं, दोनों द्वारा ही, उद्योग में मुद्दों की संगतता पर विचार-विमर्श करने के मंच रूप, में प्रयोग किया जा रहा है। परिषदें, प्राधिकरण को दलालियों की बाबत बीमाकर्त्ताओं के व्यय को निर्बंधित करने, जैसे मुद्दों पर सलाह देती हैं और साथ ही बीमाकर्त्ताओं द्वारा पालिसी धारकों के हितों के विरुद्ध किए जाने वाले किसी कार्य की सूचना प्राधिकरण को देती हैं।

(छ) घरेलू संस्थाओं से भागीदारी

प्राधिकरण ने सभी विनियमों को तैयार करने का कार्य परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से किया है। यह कार्य इसके द्वारा, कॉनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रबंध और शैक्षिक संस्थानों, उपभोक्ता और स्वैच्छिक संगठनों, जैसे विभिन्न निकायों के साथ विचार-विमर्श करके किया गया। बीमा उद्योग द्वारा आयोजित विभिन्न संगोठियों/सम्मेलनों में भी विचार विमर्श के अवसर प्राप्त होते हैं। कुछ समय से प्राधिकरण भी उद्योग से सुसंगत विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित कर रहा है। ये सभी मंच प्राधिकरण के अधि ाकारियों को उदार आर्थिक वातावरण में अपने प्रतिबोधन शेयर करने में समर्थ बनाते हैं और साथ ही प्राधिकरण को समाज के विभिन्न तबकों की आकांक्षाओं के प्रति पुनर्विलोकन उपलब्ध कराते हैं।

भाग 2

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यकरण और संकर्मों का पुनर्विलोकन

(i) बीमा और पुन:बीमा कंपनियों का विनियमन

प्राधिकरण के कानूनी कृत्यों को बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 में प्रतिष्ठापित किया गया है। अधिनियम यह उपबंध करता है कि बीमा पालिसियों के धारकों के हितों का संरक्षण करने, विनियम करने, बीमा उद्योग के सुचारू विकास और उससे संबंधित तथा अनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण को स्थापित किया जाए। प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण (अनुज्ञापन), जिसमें उनके रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण भी सम्मिलित है।
- अभिकर्त्ताओं, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों, तीसरा पक्षकार प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा दलाल और निगम अभिकरण आदि जैसे बीमा मध्यवर्तियों को अनुज्ञापन।
- अभिकर्त्ताओं, तीसरा पक्षकार प्रशासकों-स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशिक्षण/परीक्षा संस्थाओं और बीमा दलालों की प्रशिक्षण संस्थाओं को अधिकृत करना।
- सभी गैर-टैरिफ उत्पादों (फाइल और उपयोग) को मानीटर करना, जिसके अंतर्गत उत्पादों के मूल्यों और उनके निबंधनों तथा शर्तों का नियतन भी है।
- जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा ''फाइल और उपयोग'' प्रक्रिया के अधीन आरंभ किए गए सभी उत्पादों को, उनकी अनुवृद्धियों सहित, मानीटर करना।
- कंपनियों और मध्यवर्तियों के कृत्यों का पर्यवेक्षण, जिसके अंतर्गत कंपनियों के वार्षिक विवरणों का पुनर्विलोकन भी है।
- विनियम तैयार करना।
- बाजार आचाराण की निगरानी।
- उपभोक्ताओं की शिक्षा और उनको सहयोग।

प्राधिकरण ने रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्त्ताओं के प्रति अपने विनियामक कृत्यों के निर्वहन के लिए और उनके कार्यपालन को मानीटर करने के लिए प्रवेश स्तर की अपेक्षाएं विहित की हैं, जिनके अंतर्गत न्यूनतम समादत पूंजी, उचित और संगत प्रबंध, 'फाइल और उपयोग' अपेक्षाओं, शोधन क्षमा में अंतर, प्राधिकरण को नियमित विवरणियां फाइल करना और निवेश विनियमों से संबंधित अपेक्षाएं हैं। प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए भी विनियम बनाए हैं। प्राधिकरण ने, विनियामक तंत्र की स्थापना करते हुए, उद्योग द्वारा स्व:विनियमन के वातावरण की कल्पना की है, जिसमें विनियामक हस्तक्षेप केवल अपवाद रूप में हो।

छूट प्राप्त बीमाकर्त्ताओं की स्थिति

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 118, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापार संघ को या ऐसी किसी भविष्य निधि को, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध लागू होते हैं अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है या यदि केन्द्रीय सरकार किसी मामले में ऐसा आदेश करती है तो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा उपबंधित किसी सरकारी कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी बीमा कारबार को, उस विस्तार तक या ऐसी शर्तों अथवा उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत में साधारण बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के समय साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 36 में, किसी राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे किसी साधारण बीमा कारबार के संबंध में, उस सीमा तक, जिस तक ऐसा बीमा कारबार उसके स्वामित्व की या राज्य सरकार के पूर्ण या मुख्यत: स्वामित्व वाले उद्यमों की संपत्तियों से या किसी अर्द्धसरकारी निकाय या राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अधीन स्थापित किसी बोर्ड या निगम निकाय या ऐसे किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्यम की संपत्तियों से संबंधित है, जिसमें राज्य सरकार के शेयरधारक ऋणदाता या प्रत्याभूतिदाता के रूप में सारवान वित्तीय हित हैं, इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान की थी।

छूट प्राप्त बीमाकर्त्ताओं की सूची उपबंध 2 पर है।

प्राधिकरण, छूट प्राप्त बीमाकर्त्ताओं की स्थिति की समीक्षा करता रहा है, उनके द्वारा अभिव्यक्त शंकाओं के आधार पर बीमा विधान के उन्हें लागू होने के संबंध में निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार संस्थाओं को निम्नलिखित लागू होंगे :-

- बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 10, 11, 12, 15, 21, 26, 32ख, 32ग, 41, 46, 102, 110ग और 110च।
- प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित सभी विनियम, जिनके अंतर्गत बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्त्ता की बाध्यताएं, बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण, निगम अभिकर्त्ताओं सहित बीमा अभिकर्त्ताओं का अनुज्ञापन, पुन: बीमा, टी पी ए-स्वास्थ्य सेवाएं, पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण और प्रीमियम प्राप्त करने की रीति पर विनियम भी है।

शोधन क्षमता में अंतर और वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करने संबंधी विनियम उस सीमा तक लागू हैं जिन तक इन छूट प्राप्त बीमाकर्त्ताओं की निधियां, उनके दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए पृथक रूप से रखी जाती हैं। इन

बीमाकर्त्ताओं से पृथक वित्तीय विवरण रखने और उन्हें प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। छूट प्राप्त बीमाकर्त्ताओं को एक निधि में से जीवन और गैर जीवन बीमा एक साथ करने की अनुज्ञा नहीं है और उनके क्रियाकलाप उन्हें दी गई छूट के भीतर ही निर्बंधित होने चाहिए।

टैरिफ सलाहकार समिति को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के सुसंगत उपबंधों का पालन किया जा रहा है, छूट प्राप्त बीमाकर्त्ताओं की प्रारंभिक जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ii) बीमा कारबार से सहबद्ध मध्यवर्ती

बीमा अभिकर्त्ता

पिछले दो वर्षों की उन उदार परिस्थितियों ने, जिनमें जीवन और गैर–जीवन बीमाकर्त्ता कार्य कर रहे हैं,मध्यवर्ती प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है। यद्यपि अभिकर्त्ताओं को बीमाकर्त्ताओं और बीमाकृतों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है, प्राधिकरण की स्थापना के साथ उन्हें अधिकाधिक वृत्तिक विशेषज्ञता दिए जाने पर बल दिया जा रहा है। प्राधिकरण ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अभिकर्त्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षण अपेक्षाएं विहित की हैं। अनुज्ञापन की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अभिकर्त्ताओं की ऑन लाइने परीक्षाएं संचालित करने की आज्ञा दी गई है। यह भारतीय बीमा संस्थान द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं के अतिरिक्त है। जीवन और गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं के व्यष्टि और निगम अभिकर्त्ताओं के लिए वितरण मार्ग संबंधी आंकड़े उपाबंध 3 और 4 पर हैं।

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

मध्यवर्त्तन एक ऐसा मापदंड है, जिस पर उद्योग की ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व की परीक्षा की जाती है। साधारण बीमा के मामले में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की रिपोर्ट से असहमति और दावों में विलंब की सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त होती थी। ऐसा तब था जब पिछले तीन दशकों से हानि निर्धारण में अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेक्षक बीमा कंपनियों की सहायता कर रहे थे। चूंकि अधिकांश सर्वेक्षकों को अपना कार्य करने में तकनीकी रूप से दोषी पाया गया था, प्राधिकरण ने, न्यूनतम अर्हताओं,व्यावहारिक प्रशिक्षण और पूर्व अनुभवों के आधार पर सर्वेक्षण और हानि निर्धारण का कार्य करने के पात्र होने के लिए सर्वेक्षकों के वर्गीकरण का कार्य आरंभ करने से पूर्व, सर्वेक्षक वृत्ति के सदस्यों से बैठकें की, जिनमें अर्हताओं के ब्यौरे, पिछले तीन वर्षों में किया गया कार्य, निर्धारित राशि के साथ किए गए सर्वेक्षण कार्य की मात्रा को समाविष्ट करते हुए अधारिक मानदंड विहित किए गए थे। वर्गीकरण का कार्य पूर्णत: कंप्यूटरीकृत था और इसे प्राधिकरण द्वारा पश्चिमी बंगाल के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूरा किया गया था। समिति के अन्य सदस्यों में बीमा कंपनियों, सर्वेक्षकों और उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधियों के साथ संयोजक के रूप में कार्य करने वाला प्राधिकरण का एक अधिकारी भी था। समिति ने कतिपय कार्यकारी नियमों को विहित किया, जिसके आधार पर सर्वेक्षकों के कार्य में मुख्य क्षेत्र समझे जाने वाले प्रत्येक पैरा मीटर के लिए अंक आबंटित किए गए थे। सर्वेक्षकों को दो या तीन विभागों के लिए वर्गीकृत किए जाने के लिए विकल्प दिए गए हो, और कुछ मामलों में, जहां सर्वेक्षक अर्हता प्राप्त थे, उन्हें अतिरिक्त रूप से लाभ की हानि सर्वेक्षणों के लिए भी अनुज्ञात किया गया था। वर्गीकरण के ब्यौरे प्राधिकरण की वेबसाइट पर रखे गए थे और सर्वेक्षकों को भी व्यष्टिक रूप से संसूचित किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2002 से सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के उपयोग के लिए विभागवार सीमाएं नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार तैयार की गई थी।

सारणी 44

वर्गीकृत सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की वित्तीय सीमाएं

विभाग	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग
एल ओ पी	50 लाख रुपए से अधिक	50 लाख रुपए तक	शून्य
अग्नि (बाढ़, चक्रवात भूकंप)	25 लाख रुपए से अधिक	25 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए तक
इंजीनयरी	10 लाश रुपए से अधिक	10 लाख रुपए तक	5 लाख रुपए तक
मोटर (निजी पब्लिक)	1.5 लाख रुपए से अधिक	1.5 लाख रुपए तक	75,000 रुपए तक
प्रकीर्ण (गैर–टैरिफ सहित)	3 लाख रुपए से अधिक	3 लाख रुपए तक	1 लाख रुपए तक
समुद्री स्थोरा	3 लाख रुपए से अधिक	3 लाख रुपए तक	1 लाख रुपए तक
समुद्री पेटा	10 लाख से अधिक	10 लाख रुपए तक	50,000 रुपए तक

टिप्पण :

1. वर्ग क सर्वेक्षक, वर्ग ख की वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार वर्ग ख सर्वेक्षक, वर्ग ग की वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए पात्र होंगे।
2. वर्ग ग सर्वेक्षक, वर्ग ख और क की सीमाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार वर्ग ख सर्वेक्षक, वर्ग क की सीमाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. वित्तीय सीमाएं, बीमाकर्त्ता की राय में हानि के अनुमानित मूल्य पर आधारित हैं।

नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए, स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी संस्थान द्वारा संचालित अर्हक परीक्षा के अतिरिक्त किसी 'क' और 'ख' वर्ग के विद्यमान सर्वेक्षक के पास कम से कम 12 मास व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा। प्राधिकरण को प्रशिक्षु सर्वेक्षक के रूप में पंजीयन के लिए 850 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और पहली परीक्षा जनवरी, 2003 में कराए जाने की संभावना है।

31.03.2002 तक विभिन्न विभागों में वर्गीकृत सर्वेक्षकों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

सारणी 45

वर्ग	31 मार्च, 2002 तक वर्गीकृत सर्वेक्षकों (व्यष्टि) की कुल संख्या						
	अग्नि	समुद्री स्थोरा	समुद्री पेटा	इंजीनियरी	मोटर	प्रकीण	एल ओ पी
क	379	179	24	225	916	310	58
ख	1213	1035	63	1954	3231	2055	138
ग	1586	2264	80	2090	2521	2688	60
योग	3178	3478	167	4269	6668	5053	256

सारणी 46

वर्ग	31 मार्च, 2002 तक वर्गीकृत सर्वेक्षकों (फर्मों) की कुल संख्या						
	अग्नि	समुद्री स्थोरा	समुद्री पेटा	इंजीनियरी	मोटर	प्रकीण	एल ओ पी
क	69	28	8	41	19	40	17
ख	89	88	20	83	54	121	32
ग	102	133	4	73	31	82	3
योग	260	249	32	197	104	243	52

तीसरा पक्षकार प्रशासक (टी पी ए)

इस वर्ष स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एक मध्यवर्ती अर्थात् तीसरा पक्षकार प्रशासक–स्वास्थ्य सेवाएं (टी पी ए) को लाया गया। बीस कंपनियों को (सूची उपाबंध 5 पर है) को टी पी ए के रूप में कार्य करने के लिएअनुज्ञप्ति मंजूर की गई है और उनसे आशा की जाती है कि वे पालिसीधारकों की अस्पतालों/नर्सिंग होमों के नेटवर्क तक पहुंच सुगम बनाएंगें। टी पी ए से संबंधित विनियम समादत्त पूंजी, कार्यपालक अधिकारियों की अर्हताओं और टी पी ए बोर्ड के गठन सहित न्यूनतम प्रवेश स्तर की अपेक्षाओं को उपबंधित करते हैं। किसी टी पी ए के मामले में किसी विदेशी भागीदार से 26 प्रतिशत तक का संयुक्त उद्यम अनुज्ञात है। प्राधिकरण ने टी पी ए के लिए आचार संहिता नियत करते समय उनके द्वारा लेखा बहियों को रखने और वार्षिक विवरणियों को प्रस्तुत करने संबंधी विनियम भी विहित किए हैं। टी पी ए बीमाकर्त्ताओं को अपने दावा प्रशासन के स्रोतों से आगे जाने में समर्थ बनाएंगे और इस प्रकार सेवा में दक्षता लाने और स्वास्थ्य बीमा को लोकप्रिय बनाने में मदद करेंगे। वे आदर्श उत्पाद तैयार करने और स्वास्थ्य सांख्यिकी डाटाबेस के सृजन में भी बीमाकर्त्ताओं की सहायता करेंगे।

निगम अभिकर्त्ता

प्राधिकरण ने हाल ही में निगम अभिकरण विनियमों को अधिसूचित किया है, जो निगमों को बीमा उत्पाद वितरण करने की अनुज्ञा देते हैं और भारत में 'बेंकाएश्योरेंस' को सुकर बनाते हैं। बेंकाएश्योरेंस, जिसके अंतर्गत मुख्यत: बैंक बीमाकर्त्ता के बीमा उत्पादों का वितरण करने में निगम अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं, कई देशों में एक मजबूत वितरण मार्ग के रूप में विकसित हुआ है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक और विशेषत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सूक्ष्म ऋण संस्थाएं, अपनी व्यापक पहुंचके माध्यम से देश में बीमा की व्यापक पहुंच के आधारिक उद्देश्य की पूर्ति में मदद कर सकते हैं। विनियम विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, और व्यावहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षाएं तथा आचारसंहिता विहित करते हैं। वृत्तिक रूप से अर्हक व्यक्तियों की दशा में प्रशिक्षण अपेक्षा में छूट दी गई है। यह आशा की जाती है कि बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारिताएं, पंचायतें, स्थानीय प्राधिकरण, एन बी एफ सी और एन जी ओ निगम अभिकर्त्ता के रूप में बीमा उद्योग में प्रवेश करेंगे।

बीमा दलाल

प्राधिकरण ने बीमा दलालों से संबंधित विनियमों को भी हाल ही में अधिसूचित किया है विनियम प्रत्यक्ष पुन: बीमा और संयुक्त दलालों के लिए उपबंध करते हैं और दलालों के प्रत्येक वर्ग के लिए पूंजी अपेक्षाएं अनुबंधित की गई हैं। विनियम दलालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षण अपेक्षाएं भी विहित करते हैं। बीमा दलालों के प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए पाठ्यचर्या को अंतिम रूप दिया गया है और बी.वि.वि.प्रा. (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के अध ीन राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआई ए), पुणे को प्राधिकृत संस्था के रूप में पदाभिहित किया गया है।

यह आशा की जाती है कि बीमा दलाल वृत्तिक के रूप में, ग्राहक की ओर से जोखिम का निर्धारण, विनिर्दिष्ट जोखिम को कम करने पर सलाह, अनुकूल बीमा पालिसी संरचना की पहचान करके, बीमाकृत और बीमाकर्त्ता को एक साथ लाकर, बीमा संविदा के लिए प्रारंभिक कार्य करके तथा जहां आवश्यक हो, विशेषत: जब दावा उदभूत हो, ऐसी संविदाओं के प्रशासन और कार्यपालन में सहयोग करके, ग्राहक की विनिर्दिष्ट बीमा आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेंगे। बीमा दलालों के आने के परिणामस्वरूप ग्राहक सेवा में सुधार आने तकनीकी और प्रबंधन तरीकों के अंतरण, बीमा बाजार के विस्तृत होने से बीमा कंपनियों को फायदा प्राप्त होने और अनुकूल पुन: बीमा द्वारा प्रतिधारण क्षमताओं में वृद्धि के सुकर होने की संभावना है।

(iii) बीमा शिक्षा से सहबद्ध वृत्तिक संस्थान

प्राधिकरण ने अभिकर्त्ताओं के प्रशिक्षण में सहयोग करने के लिए अभिकर्त्ताओं को पूर्व–अनुज्ञप्ति प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में अभी तक 833 अभिकर्त्ता प्रशिक्षण संस्थाओं को अधिकृत किया है। इस संख्या में बीमा कंपनियों द्वारा चलाई जा रही आंतरिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं। अधिकृत करने की प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी संभावी संस्थान को सक्षम संकाय, उचित अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धतां आदि जैसी शर्तों को पूरा करना होता है। अधिकृत करने से पूर्व ''अंक प्रणाली'' पर मूल्यांकन किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण के अधिकारी संस्थान का निरीक्षण भी करते है। प्राधिकरण सामन्यतया किसी संस्थान को तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिकृत करता है। संस्थानों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण कभी भी उसका निरीक्षण कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुमोदित संस्थान से प्राधिकरण को विहित प्ररूप ख के अनुसार कतिपय सूचनाएं देने की अपेक्षा की जाती हैं यह अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकरण को ऐसी सूचना तिमाही रूप से दी जाए।

वर्तमान परिस्थितियों में प्राधिकरण, बीमा कंपनियों से व्यक्तियों के चयन के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए सौंपने की अपेक्षा करने वाली अभिकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की प्रणाली को ठीक समझता है। अधिकृत अभिकर्त्ता प्रशिक्षण संस्थानों के तारीख 31. 03.2002 को यथा विद्यमान राज्यवार ब्यौरे उपदर्शित करने वाली सारणी नीचे दी गई है :

सारणी - 47
प्रत्यायित अभिकर्ताओं की प्रशिक्षण संस्थाओं का राज्यवार संख्या का विवरण : 31.3.2002

राज्य	अन्य	इन - हाउस
अंडमान और निकोबार	-	1
आंध्र प्रदेश	10	26
असम	02	24
बिहार	02	18
चंडीगढ	08	12
छत्तीसगढ	04	01
दिल्ली	19	12
गोआ	04	02
गुजरात	14	42
हरियाणा	16	13
हिमाचल प्रदेश	01	06
झारखंड	21	09
जम्मू और कश्मीर	02	01
कर्नाटक	9	29
केरल	5	26
मध्य प्रदेश	14	72
महाराष्ट्र	36	65
मणिपुर	-	01
उडीसा	07	23
पंजाब	18	17
राजस्थान	09	34
तमिलनाड	12	46
त्रिपुरा	-	01
उत्तरांचल	01	-
उत्तर प्रदेश	33	64
पश्चिम बंगाल	15	26
संपूर्ण भारत योग	**262**	**571**

कई अन्य संस्थाएँ भी बीमा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों से जुडी है। इनमें कुछ है - भारतीय बीमा संस्थान, राष्ट्रीय बीमा अकादमी, आई आई एम बैंगलोर का बीमा और जोखिम शिक्षा संस्थान, भारतीय बीमांक सोसायटी, बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान हैदराबाद।

सारणी - 48

प्राधिकरण के विरूद्ध दर्ज किये गये मामलों की प्रा-स्थिति प्राधिकरण के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किये गये मामलों की सूची

क्र.सं.	मामला संख्या और शीर्षक	मामले की पृष्ठभूमि	न्यायालय का नाम	प्रस्थिति
1	सी.डी.अपील सं. 146/94 पूर्ण चंद्र पन्ना बनाम जीवन बीमा निगम और अन्य	याचिकादाता ने मामला अपनी पत्नी की मृत्यु के दावे का निपटान न होने पर राज्य उपभोक्ता फोरम कटक में दायर किया	राज्य उपभोक्ता फोरम, कटक	माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि याचिकादाता तय रकम पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार है जिसे आदेश के एक मास के भीतर प्रदान कर दिया जाये। न्यायालय का आदेश आवश्यक कार्यवाही करने के लिये संबद्ध शाखा को भेज दिया गया है। मामला समाप्त
2	रिट याचिका सं. 1568/98 संजीव सक्सेना और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस, सी.ओ.आई और अन्य	जयपुर में सर्वेक्षकों ने 2000 आंकलित दावों के लिये इन-हाउस सर्वेक्षण के लिये प्रादेशिक कार्यालयों के मार्गदर्शन हेतु राष्ट्रीय बीमा के परिपत्र के विरूद्ध जयपुर उच्च न्यायालय में मामला दायर किया	जयपुर उच्च न्यायालय	हमारे वकील ने हमें सूचित किया है कि इस मामलें में सर्वेक्षकों को कोई स्थगन नही दिया गया है। मामला समाप्त
3	उपभोक्ता अपील सं. 1269 /98 जी.सी.जैन बनाम बीमा नियंत्रक	नवीकृत सर्वेक्षक अनुज्ञप्ति को भजने में सी.ओ.आई. कार्यालय द्वारा निलंब किया गया था। श्री जैन के सर्वेक्षक अनुज्ञप्ति के नवीकरण मंजूर करने में विलंब के लिये हुई हानि का दावा फोरम में फाइल किया। हमने राज्य फोरम में निर्णय के विरूद्ध अपील फाइल की।	राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम, भोपाल	राज्य उपभोक्ता फोरम ने जिला फोरम के आदेश को अयास्त किया। मामला समाप्त
4	नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्क्स द्वारा डाली गई 2000 की रिट याचिका सं. 3624	याचिका इस आधार पर अधिकर्ताओं के विनियमों को अभिखंडित करने और अपास्त करने के लिये फाइल की गयी थी कि वे नियम बनाने वाले प्राधिकरण की शक्तियों से परे हैं।	उच्च न्यायालय मुंबई	मामले की एल.आई.सी. द्वारा प्रतिरक्षा की गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने अगस्त 2000 में याचिका खारिज कर दी। मामला समाप्त
5	चेन्नई स्थिति उच्च न्यायालय में पी. के नागप्पन द्वारा फाइल की गई 1998 की रिट याचिका सं. 538	याचिका बीमा अधिनियम 1936 की धारा 64 यू.एम. (10) को हटाने के लिये दायर की गयी थी	उच्च न्यायालय चेन्नई	न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया है। मामला समाप्त
6	प्रकीर्ण आवेदन सं. 6/ 1956	मामला 1955 में पुणे स्थित जिला न्यायालय मे दायर किया गया था। मामला गैर विद्यमान कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही को समाप्त करने से संबंधित है।	जिला न्यायालय पुणे	याचिकाकर्ता ने मामले को वापस ले लिया है। मामला समाप्त

क्र.सं.	मामला संख्या और शीर्षक	मामले की पृष्ठभूमि	न्यायालय का नाम	प्रस्थिति
7	सी.डब्ल्यू जी सं. 514/ 2000 प्रदीप कुमार बनाम भारत संघ और अन्य	मामला बीमा लोकपाल, चंडीगढ के रूप में श्री एस. के. कंवर की नियुक्ति के विरूद्ध दायर किया गया था।	उच्च न्यायालय चंडीगढ	मामला याचिकादाता के द्वारा वापस ले लिया गया है।
8	रिट याचिका सं. 24507/ 96 और 24056/96 प्रकाश हार्ले और वी. आर. सुब्रहम्ण्यम बनाम बीमा नियंत्रक	याचिकादाता ने मामला सी.ओ.आई. के विरूद्ध अपनी अर्हताएँ, बी कॉम एक विषय बीमा सहित लाइसेंस के लिये अपने आवेदन को रद्ध करने के पश्चात दायर किया	कर्नाटक उच्च न्यायालय	कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलोर ने मामला पुनः विचार के लिये हमें भेजा, सम्यक विचार विमर्श के पश्चात लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। मामला समाप्त
9	सिविल रिट सं. 2951/98 रजत गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य	श्री रजत गुप्ता के सर्वेक्षक लाइसेंस के लिये आवेदन को रद्द करने हेतु उच्च न्यायालय में मामला दायर किया	दिल्ली उच्च न्यायालय	सी.सी.आई ने श्री गुप्ता को लाइसेंस प्रदान किया। इसको ध्यान में रखते हुये कि मामले को समाप्त माना गया है।
10	सी डब्ल्यू 9453 आर. पी. सिंग्ला बनाम बीमा नियंत्रक औ अन्य	श्री आर पी. सिंगला ने अपने सर्वेक्षक लाइसेंस का नवीकरण न करने के लिये मामला चंडीगढ स्थिति उच्च न्यायालय में दायर किया	चंडीगढ स्थित पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय	न्यायालय ने फैसला प्राधिकरण के हक में कर दिया है। मामला समाप्त
11	रिट याचिका सं. 3988/ 2000 अग्रिम वर्ग कल्याण महासंघ	प्रतिवादी सं. 5,6, और 7 की व्याापारिक गतिविधियों की जानकारी की ओर प्राधिकरण का ध्यान दिलाने के लिये याचिका दायर की गयी। याचिका जनहित मुकद्मा के रूप में दायर की गयी।	उच्च न्यायालय जलबपुर	लंबित
12	ओ.एस. सं. 32/2001 याचिका पेरियाकुलम स्थित जिला न्यायालय में दायर की गयी।	श्री ए. प्रभाकर ने एल.आई.सी द्वारा मृत्यु दावें का निपटान न करने के विरूद्ध मामला दायर किया।	उच्च न्यायालय जलबपुर जिला मुंसिफ न्यायालय पेरियाकुलम	लंबित
13	मैसर्स हरलालका मैन्यूफैक्चर्स इंटरप्राइजेज जिला घुबरी (असम) याचिका बनाम भारत संघ बीमा नियंत्रक द्वारा दायर की गयी नेशनल इंश्योरेंस क. रिट याचिका सं. 4051/2001	याचिका, याचिकादाता के बीमा पॉलिसियों के नवीकरण से इंकार करने के लिये निर्दिष्ट की गयी।	गुवाहटी उच्च न्यायालय	लंबित
14	रिट याचिका सं. 4481/97 (सी.एम. सं. 8480/97) विवेक कौशल बनाम भारत संघ और अन्य	हमने सर्वेक्षक लाइसेंस के लिये श्री विवेक कौशल का आवेदन रद्द किया क्योंकि उनके पास अपेक्षित अर्हता नही है।	उच्च न्यायालय दिल्ली.	लंबित
15	सिविल रिट याचिका सं. - नई दिल्ली स्थित उच्च न्यायालय	याचिका अभिकर्ताओं के द्वारा एल.आई.सी. के अभिकर्ताओं को वृत्तिका न देने के विनिश्चय के विरूद्ध दायर की गयी।	उच्च न्यायालय दिल्ली	लंबित

क्र.सं.	मामला संख्या और शीर्षक	मामले की पृष्ठभूमि	न्यायालय का नाम	प्रस्थिति
16	रिट याचिका सं. 1743/ 2001 रूचि वर्ल्ड वाइल्ड बनाम ओरियोंटल इंश्योरेंस कं. लि.	याचिका ओरियेंटल इंश्योरेंस द्वारा दावे का संदाय न करने के लिये दाखिल की गयी।	इंदौर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की शाखा	लंबित
17	रिट याचिका सं. 2509/ 2000 आभ असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन द्वारा दाखिल की गयी	मोटर टैरिफ के पुनर्विलोकन हेतु	उच्च न्यायालय गुवाहटी	लंबित
18	रिट याचिका सं. 3651/ 2000 ग्रेटर गुवाहटी युनाइटेड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन द्वारा दाखिल की गयी	मोटर टैरिफ के पुनर्विलोकन हेतु	उच्च न्यायालय गुवाहटी	लंबित
19	रिट याचिका सं. 18197 और 18198/2001 श्री के चंद्रा और सुश्री अरूल सिल्वी द्वारा दायर की गयी।	याचिका तमिलनाडु या दक्षिण क्षेत्र में किसी भी बीमा उद्योग में सहायक पद के लिये दायर की गयी।	मद्रास उच्च न्यायालय	लंबित
20	ओ.पी. सं. 33615/2001 के पी राघवन द्वारा दायर की गयी	याचिका प्रवर्गीकृत सर्वेक्षणों, हानि-निर्धारकों की सूची में शामिल होने के लिये दायर की गयी।	एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय	लंबित
21	डब्ल्यू पी. सी 04/2002 श्री एस. पी. शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य	याचिकादाता (सर्वेक्षक) ने वर्गीकरण के विरूद्ध मामला दायर किया	उच्च न्यायालय गुवाहटी	वापस ले लिया
22	सी.एम.पी. सं. 22842 /ओ पी बी आई 13452/2000 ए. श्रीधर बनाम आई आर डी ए और अन्य	याचिकाकर्ता ने एजेंटों के एजेंसी कमीशन की बाबत केरल उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया	उच्च न्यायालय पटना	लंबित
23	सी डब्ल्यू सी 16445/ 2001 राम बहादुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य	याचिकाकर्ता ने सर्वेक्षकों के वर्गीकरण के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय मे मामला दर्ज किया	उच्च न्यायालय पटना	वापस ले लिया
24	सी ओ पी सं. 8/20002 श्री अरोक्यासामी बनाम एलआईसी और आईआरडीए	याचिकाकर्ता ने एजेंट के लाइसेंस के लिये मामला दाखिल किया		लंबित
25	ओ.पी.न. 26861/2001 श्री टी.डी. जेम्स बनाम यूनाइटेड इंडिया	याचिकाकर्ता ने एजेंटों के एजेंसी कमीशन की बाबत केरल उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया	उच्च न्यायालय केरल	लंबित
26	डब्ल्यू पी सी 2679/2002 श्री डाल चंद्रदास, सर्वेक्षक बनाम भारत संघ और आई आर डी ए	याचिकादात सर्वेक्षकों के वर्गीकरण के लिये मामदा दाखिल किया	उच्च न्यायालय गुवाहटी	लंबित

(iv) मुकदमें, अपीलें और न्यायालय के निर्णय

क्र.सं.	मामला संख्या और शीर्षक	मामले की पृष्ठभूमि	न्यायालय का नाम	प्रस्थिति
27	मिनी बस ऑपरेटर कोरपोरेशन कमेटी बनाम भारत संघ	रीता सिन्हा, वकील ने हमारे पास रिट याचिका भेजी है जिसमें माननीय न्यायाधीश पिनाकी चंद्रघोष के सम्मुख प्रस्तुत असूचीगत प्रस्ताव का उल्लेख है	उच्च न्यायालय कोलकाता	लंबित
28	डब्ल्यू ए नं. 178/2002 और 311/2002 श्री सौंदर्यराजन बनाम आईआरडीए	याचिकादाता ने सर्वेक्षकों केवर्गीकरण के आधार पर बीमाकर्ताओं को सर्वेक्षकों के आबंटन के विषय में मामला दर्ज किया	उच्च न्यायालय मद्रास	लंबित
29	केस सं. 34/2002 श्री. के. पटनायक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन कटक उडीसा में मामला दाखिल किया	उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन कटक	लंबित
30	ओपी सं. 26263/2002 श्री बी.के मिल और अन्य	मोटर प्रीमियम की लोडिंग और मोटर कवर का बीमाकर्ताओं द्वारा मनाही	उच्च न्यायालय एर्नाकुलम केरल	लंबित
31	ओ पी नं. 26886/2002 श्री एम. सुब्रह्मण्यम और अन्य द्वारा दर्ज	मोटर प्रीमियम की लोडिंग	उच्च न्यायालय एर्नाकुलम केरल	लंबित
32	ओ पी नं. 27542/2002 श्री के यू वासन्नी द्वारा दाखिल	सर्वेक्षकों को दिये गये वर्गीकरण को बढाने के लिये मामला दर्ज किया।	उच्च न्यायालय एर्नाकुलम केरल	लंबित
33	डब्ल्यू पी नं. 35543 व 35544/2002 लॉरी , टैंकर और वैन ऑनर्स एसोसियेशन द्वारा दाखिल	मोटर प्रीमियम का लोडिंग और बीमाकर्ता के द्वारा मोटर कवर की मनाही	उच्च न्यायालय मद्रास	कोर्ट ने इस संदर्भ में निर्देश दिया है कि परिवहन वाहनों के लिये टी.पी. बीमा सुरक्षा दी जानी चाहिये। बशर्ते कि प्रस्ताव फार्म भरवाया तथा अपेक्षित प्रीमियम शुल्क अदा किया जाये
34	ओ पी सं. 26976/2002 श्री पी एल जोय, जिला यिह्सूर द्वारा दाखिल	मोटर बीमा टेरिफ प्रीमियम में बढोतरी	उच्च न्यायालय एर्नाकुलम केरल	लंबित
35	ओ पी सं. 27074/2002 श्री श्री सी पी गिरि और अन्य द्वारा दाखिल	मोटर वाहनों के प्रीमियम में बढोतरी	उच्च न्यायालय एर्नाकुलम केरल	लंबित लंबित
36	ओ पी सं. 27745/2002 श्री श्री टी. एम ससीन्द्रन और अन्य द्वारा दाखिल	मोटर वाहनों के प्रीमियम में बढोतरी	उच्च न्यायालय एर्नाकुलम केरल	लंबित
37	कडीजा टी.ए. द्वारा पिसमक इल फाइल 2002 की ओ.पी. सं. 26816	मोटर यानों के संबंध में लंबित प्रीमियम में वृद्धि	एर्नाकुलम स्थित केरल उच्चन्यायालय	

(v) बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

बीमा सर्वेक्षकों की अंतरराष्ट्रीय सभा (आई ए आई एस)

बी.वि.वि.प्रा., बीमा पर्यवेक्षकों की अंतरराष्ट्रीय सभा (आई ए आई एस) का सदस्य है, जिसे वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था और इसमें लगभग 100 देशों के पर्यवेक्षक प्राधिकरण हैं। आई ए आई एस बीमा विनियामकों के बीच और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। आई ए आई एस बीमा से संबंधित सिद्धांतों और मानकों को स्थापित करती है और नए उभरते बाजार में विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करती है। आई ए आई एस के क्रियाकलापों का लक्ष्य ऐसा स्थिर, विश्वसनीय और प्रभावी बाजार स्थापित करना है, जो बीमा पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा करें।

आई ए आई एस द्वारा जारी मार्गदर्शक पत्र बीमा पर्यवेक्षण संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण और समर्थन के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं। आई ए आई एस बीमा पर्यवेक्षकों के लिए बैठकों और संगोष्ठियों का भी आयोजन करती है। आई ए आई एस ने बीमा सभाओं, वृत्तिक सभाओं और बीमा तथा पुन: बीमा कंपनियों को भी सदस्यता देने का प्रस्ताव किया है। परामर्शियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सभाओं को संप्रेक्षक सदस्यों के रूप में सदस्यता दी गई है। इस समय 60 संप्रेक्षक सदस्य हैं।

सभा का प्रबंध 15 सदस्यों वाली एक कार्यपालक समिति द्वारा किया जाता है, जो विश्व के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यपालक समिति बाहरी विश्व के लिए आई ए आई एस का प्रतिनिधित्व करती है और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेती हैं भारत 1996 से आई ए आई एस का सदस्य है और उभरते बाजारों के बीमा विनियामकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और यह हाल ही में कार्यपालक समिति में निर्वाचित हुआ है। आई ए आई एस के कार्य, सेक्रेटरिण्ट, जिसकी पीठ बेसिल (स्विटजरलेंड) स्थित बैंक फार इंटरनेशनल सेटलमेंट (वी आई एस) भवन में स्थित है, द्वारा समर्थित हैं।

कार्यपालक समिति के अतिरिक्त, आई ए आई एस की नीतियों का निष्पादन करने के लिए तीन मुख्य समितियां हैं, अर्थात् तकनीकी समिति, जो सतर्क और प्रभावकारी बीमा विनियमसें मे को बनाने के लिए सिद्धांत और मानकों को विकसित करने के लिए उत्तरदायी हैं ; उभरते बाजार और शिक्षा समिति, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण मेनुअल बनाकर और क्षेत्रीय प्रशिक्षण का आयोजन करके बीमा विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में समुचित सिद्धांतों का संवर्धन करना है ; और बजट समिति, जो आई ए आई एस के वित्तीय मामलों के लिए उत्तरदायी है। ये समितियां आगे उपसमितियों और कार्यकारी समूहों में बंटी हैं। आई ए आई एस के सदस्य वार्षिक सम्मेलनों के दौरान बुलाए गए साधारण अधिवेशनों में संगठन के भावी कार्यों, संगम अनुच्छेदों में परिवर्तन और कार्यपालक समिति के सदस्यों का चयन, तथा दस्तावेजों (मानक, सिद्धांत और मार्गदर्शक पत्र) को अपनाए जाने सहित महत्वूपर्ण निर्णय लेते हैं। हम तकनीकी और उभरते बाजारों की समितियों के सदस्य हैं।

आई ए आई एस वित्तीय स्थिरीकरण मंच की सदस्य है और इस संगठन की काफी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त आई ए आई एस ने अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति (आई ए एस सी) के सहयोग से मानक स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आई ए आई एस को मई, 2000 में ओ ई सी डी की बीमा समिति में संप्रेक्षक हैसियत दी गई थी। अंकटेड और अंतरराष्ट्रीय फाऊंडेशन (आई आई एफ) के निकट सहयोग से उभरते बाजारों के लिए प्रशिक्षण संगाष्ठियां आयोजित की गई हैं। प्राधिकरण के अधिकारी, आई ए आई एस के अगुआई में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। हाल ही में आई ए आई एस ने विश्व व्यापार संगठन के साथ सहयोग की पहल की है।

प्राधिकरण निम्नलिखित समितियों/उप-समितियों के कार्यकरण से सक्रिय रूप से जुड़ा है और इसके सदस्य इन समितियों के सदस्य हैं :

सारणी 49
आई ए आई एस समितियां/उप-समितियां

क्र.सं.	समिति / उपसमिति	सदस्य
1	कार्यकारिणी समिति	रंगाचारी एन
2	विकासमान बाजार समिति	रंगाचारी एन
3	तकनीकी समिति	रंगाचारी एन
4	लेखा-उप समिति	रंगाचारी एन
5	बीमा आधार सिद्धांतो के परिपालन और निर्धारण के लिये कार्य दल	रंगाचारी एन
6	आई.ए.आई.एस के भविष्य और वित्तीय ढांचे के लिये कार्यसाधक समूह	रंगाचारी एन
7	प्रेक्षकता और सदस्यता निर्गम के लिये कार्यसाधक समूह	रंगाचारी एन
8	बीमा- कपट उप समिति	शर्मा आर. सी.
9	बीमा कानून, विनियम, व्यवहार और मानक उप-समिति	शर्मा आर. सी.
10	पुनर्बीमा उप -समिति	शर्मा आर. सी.

वास्तव में प्राधिकरण ने उभरते बाजार और शिक्षा समिति की अगुआई में सार्क देशों के बीमा विनियामकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्राधिकरण बीमा पर्यवेक्षण के मूल सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण उसके द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों और मार्गदर्शनों को इन सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण बीमा पर्यवेक्षकों की अंतरराष्ट्रीय सभा के सहयोग से बीमा कपट और प्रति धनशोधन उपाय विषय पर जनवरी 2003 में नई दिल्ली आई ए आई एस त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन कर रहा है।

बीमा आयुक्तों की राष्ट्रीय सभा

इसी प्रकार बी.वि.वि.प्रा. को बीमा आयुक्तों की राष्ट्रीय सभा, यू एस ए, जो (एन ए आई सी) अमरीकन बीमा विनियामकों का उच्चतम निकाय है, से अत्यधिक समर्थन मिल रहा है। एन ए आई सी ने बीमा के राज्य विनियामकों के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करके और विवेकपूर्ण विनियमों को प्रभावी करके उद्योग के विनियमन में एकीकृत विचारधारा को स्थापित किया है। एन आई सी आवधिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन करता है, जिसमें प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

दक्षिण एशियाई विनियामक मंच

क्षेत्र में सुचारू रूप से विनियमित और प्रगतिशील बीमा क्षेत्र को बनाए रखने और उसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए भुटान, नेपाल, भारत, मालदीव और श्रीलंका के दक्षिण एशियाई बीमा विनियामकों ने दक्षिण एशियाई विनियामक मंच का संवर्धन किया है। यह दक्षिण एशियाई विनियामकों के बीच बीमा पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण पहल है। मंच का मुख्य उद्देश्य, विनियामक क्रियाकलापों को सुकर बनाने, सूचना और अनुभवों का आदान-प्रदान करने, विनियामक कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण और यथा साध्य सीमा तक विधायी विचारधाराओं और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों में सामंजस्य लाने के लिए दक्षिण एशियाई विनियामकों में सहयोग को बढ़ावा देना है। दक्षिण एशियाई बीमा विनियामक मंच बनाने का प्रस्ताव भारत और श्रीलंका द्वारा आई ए आई एस के बॉन में वार्षिक सम्मेलन के दौरान किया गया था। मंच आई ए आई एस और बीमा क्षेत्र से जुड़े अन्य अंतरराष्ट्रीय, अंत:सरकारी और क्षेत्रीय संगठनों से संपर्क रखने का प्रस्ताव करता है। मंच धन शोधन, विलय और सीमा पार संकर्मों सहित अन्य विश्व स्तर की चिंताओं के विषयों पर भी ध्यान देता है। मंच की पहली बैठक दिसम्बर, 2001 में कोलम्बो, श्रीलंका में की गई थी। प्राधिकरण के अध्यक्ष को बैठक में उपाध्यक्ष-अध्यक्ष चयनित के रूप में पदाभिहित किया गया था।

दक्षिण एशियाई बीमा उद्योग वर्तमान और उभरते मुद्दों से अछूता नहीं रह सकता और क्षेत्र में विद्यमान वास्तविकताओं के लिए सर्वोत्तम रूप से उचित विचारधाराओं और समाधानों का विकास किए जाने की अवश्यकता है। यह आशा की जाती है कि मंच, क्षेत्र में दंगा, सिविल संक्षोभ, युद्ध और आतंकवाद निधि जैसी निधियों की स्थापना

की साध्यता पर विचार करने के लिए देशों की सहायता करेगा और साथ ही क्षेत्र के देशों में युद्ध और आतंकवाद संबंधी जोखिमों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई क्षेत्र-विशिष्ट पुन: बीमा कंपनी बनाने में भी सहयोग देगा।

एशिया विकास बैंक (ए डी बी)

ए डी बी ने देश में बीमा पर विद्यमान विधायी ढांचे, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों और बी.वि.वि.प्रा. द्वारा बीमा उद्योग के पर्यवेक्षण के लिए अपनाई जा रही विचारधारा का अध्ययन किया था। यह अध्ययन तीन मास तक चला था। ए डी बी ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें/सुझाव दिए हैं :

- बी.वि.वि.प्रा. को ऐसी उच्च स्तरीय स्वायतता में, जो अधिकारितंत्र से मुक्त हो, पारदर्शी हो तथा जिसे पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता हो, प्रभावकारी रूप से कार्य करने के लिए भावी विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से एक कथन करने के लिए एक कारबार योजना की आवश्यकता है।
- वृतिक कर्मचारिवृंद के एक स्थायी काडर के विकास पर सदस्यों की भूमिका पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- प्राधिकरण को वृत्ति में उच्च स्तर बनाए रखने के लिए, अपने कर्मचारियों हेतु एक वृत्तिक ग्रेड का प्रस्ताव करना चाहिए और एक मामला आधारित संगठनात्मक संरचना को अपनाना चाहिए।
- आधुनिक पर्येक्षण सिद्धांतों पर एक व्यापक और ससंजक बीमा विधान को अपनाना चाहिए।
- वित्तीय मानीटरिंग के संबंध में अनुगृहीत लाभों को, नियत बीमांकक की सिफारिशों पर पालिसी धारकों को बोनस प्रदान करने के लिए जारी किए जाने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए। वित्तीय विवरण फाईल करने की समय-सीमा को कम किया जाना चाहिए। नियत बीमांकिक प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- प्राधिकरण को प्रत्येक वृत्तिक ग्रेड के लिए आशायित दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए।
- प्राधिकरण की वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से ए डी बी दल की सिफारिशों को स्वीकार किया है और अधिकारियों के वृत्तिक ग्रेड का विकास करने, उनकी वृत्तिक दक्षताओं के उन्नयन के लिए अवसर उपलब्ध कराने और 'मामला आधारित' संगठनात्मक संरचना उपलब्ध कराने की दिशा में उपाय किए हैं।

अन्य वृत्तिक संस्थानों से अन्योन्य क्रियाएं

प्राधिकरण के अधिकारी और सदस्य कनाडा के बीमांकिक संस्थान की वृत्तिक बैठकों और संगोष्ठियों में भाग ले रहे हैं।

प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए आस्ट्रेलियाई अभिकरण, एशिया विकास बैंक, आस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ बैंक, ए एक्स ए एशिया पेसिफिक होल्डिंग और आस्ट्रेलियाई ए पी ई सी अध्ययन केन्द्र द्वारा 'जीवन बीमा और पेंशन में विनियामक परिवर्तनों का प्रबंध' पर आयोजित अभ्यास में भी भाग ले रहा है।

प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए क्षमता बढ़ाने हेतु यू एस ए ऐड कार्यक्रम ने कुछ अनुदान दिए हैं। बी.वि.वि.प्रा. ने इनका उपयोग, गैर-जीवन क्षेत्रों में, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा बीमांकिक वृत्ति के विकास के लिए और अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया है। विश्व बैंक ने भी प्राधिकरण को, इसके बीमा जागरूकता और समर्थन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने दक्षिण-एशिया में बीमा पर्यवेक्षकों के डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों से फायदा उठाया है और उन्हें गैर-जीवन के लिए सर्वोत्तम मामला प्रस्तुतिकरण के लिए पुरस्कार भी मिला है।

प्राधिकरण ने इस प्रकार स्वयं को विश्व में स्थापित किया है और कई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लिया है, जिनमें इसके अध्यक्ष और सदस्यों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सेवाओं में कारबार पर साधारण करार के अनुच्छेद (6) : 4 के अधीन आज्ञापक घरेलु विनियमों पर बीमा क्षेत्र की बाबत अनुशासन तैयार करना

वित्तीय सेवाओं में मुख्यत: दो प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं : (क) बीमा और बीमा संबंधी सेवाएं (ख) बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाएं। बीमा और बीमा संबंधी सेवाओं के अंतर्गत जीवन और गैर-जीवन बीमा, पुन: बीमा, दलालों और अभिकरण सेवाओं जैसे बीमा मध्यवर्ती और परामर्श तथा बीमांकिक सेवाओं जैसी बीमा की अनुषंगी सेवाएं हैं।

बातचीत के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1997 को गेट्स के अधीन वित्तीय सेवाओं में नई और उन्नत प्रतिबद्धताओं के प्रति करार किया गया था। आस्ति प्रबंध, उपबंधन और वित्तीय सूचना का अंतरण जैसी अन्य सेवाओं में भी, पुन: बीमा में लचीलापन लाकर और इसे विदेशों में करने की अनुज्ञा देकर, सुधार किया गया है, की गई प्रतिबद्धता के अनुसार विदेशी पुन:बीमाकर्त्ता के पास उस सीमा तक पुन: बीमा किया जा सकता है,जो भारतीय कंपनियों में घरेलू रूप से बाध्यकारी या कानूनी पुन: बीमा कराने के पश्चात् शेष रहे। (वित्तीय सेवाओं में) सभी प्रतिबद्धताएं घरेलू विधियों, नियमों, विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और भारत के अन्य सक्षम प्राधिकरणों की शर्तों और निबंधनों के अध्याधीन हैं।

इस बातचीत की आज्ञा को गेट्स के ''प्रगतिशील उदारीकरण'' शीर्ष वाले भाग 4 में विहित किया गया है। इन बातचीतों का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों का और सेवाओं के प्रदाय के चारों ढंगों का उदारीकरण करना है। बातचीत व्यापक होगी और सभी क्षेत्रों और प्रदाय के सभी ढंगों को समविष्ट करेगी और इनका उद्देश्य सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए एक संतुलन प्राप्त करना है और इसके लिए किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जाएगा।

(vi) लोक शिकायतें

अधिकांश कंपनियों ने किन्हीं शिकायतों के निवारण के लिए ग्राहक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। कई निजी बीमाकर्त्ताओं ने ग्राहक शिकायतों, दावों और शंकाओं के लिए 24 घंटे नि:शुल्क कॉल केन्द्रों की स्थापना की है। तथापि, ऐसे कुछ मामलों में जहां पालिसीधारक, बीमा कंपनियों से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने अपनी शिकायतों के समाधान के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में प्राधिकरण से संपर्क किया है। प्राधिकरण ने पालिसीधारकों की शिकायतों पर निरंतर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र को स्थापित किया है। सभी शिकायतों पर, बीमाकर्त्ता से उनकी जांच करके समय पर ध्यान दिया जाता है और बीमाकर्त्ताओं को शीघ्रता से दावा समाधान और शिकायत निवारण की सलाह दी जाती है। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों का सार उपाबंध 6 पर है। प्राधिकरण ने अपने लोक व्यथा और शिकायतों में अनुभव के आधार पर पालिसी धारकों के हितों के संरक्षण के लिए व्यापक विनियमों को अधिसूचित किया है।

(vii) सलाहकार समितियों का कार्यकरण

बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम के अधीन बीमा सलाहकार समिति का गठन प्राधिकरण को विनियम बनाने से संबंधित मामलों पर और अन्य विहित किए जाने वाले मामलों पर सलाह देने के लिए किया गया हैं प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी विनियमों को इस समिति के परामर्श सेअंतिम रूप दिया गया है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान समिति की एक बैठक हुई थी। अभी तक समिति द्वारा पांच बैठकें की गई हैं। यह 25 सदस्यीय समिति, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंचों, महिलाओं, सर्वेक्षकों, अभिकर्त्ताओं, मध्यवर्तियों, सुरक्षा और हानि निवारण में लगे संगठनों, अनुसंधान निकायों और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कर्मचारी सभाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची उपबंध 7 पर है।

(viii) ओमबड्समेन का कार्यकरण

पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण और प्रणाली में उनके विश्वास को बनाए रखने में ओमबड्समेन की संस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संस्था ने उपभोक्ताओं का बीमाकर्त्ताओं में विश्वास बनाने और उसे बनाए रखने में सहायता की है। बीमा परिषद ने जो एक प्रशासनिक निकाय है, देश में बारह ओमबड्समेन नियुक्त किए हैं और उन्हें आवश्यक अवसंरचना प्रदान की है। कंपनियों से तीन मास की अवधि के भीतर ओमबड्समेन द्वारा दिए गए पंचाट का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। पंचाट बीमा कंपनियों पर बाध्यकर हैं ; तथापि ग्राहक यदि वे ऐसा निर्णय करते हैं तो शिकायत समाधान के अन्य विकल्प ले सकते हैं। ओमबड्समेन को नियम के अधीन दो कार्य सौंपे गए हैं–एक सुलह करना और दूसरा पंचाट देना।

बीमा ओमबड्समेन, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसे शिकायत हो, बीमाकर्त्ता की वैयक्तिक रूपरेखा के संबंध में शिकायत प्राप्त करने और उस पर विचार करने के लिए सशक्त हैं। शिकायत लिखित में और उस शाखा कार्यालय के, जिसके विरुद्ध शिकायत है, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले ओमबड्समेन को संबोधित होनी चाहिए। शिकायत, बीमाकर्त्ता के विरुद्ध किसी भी व्यथा से संबंधित हो सकेगी जैसे बीमाकर्त्ता द्वारा दावों का भागिक या पूर्ण परित्याग, पालिसी के निबंधनों के अनुसार संदत्त या संदेय प्रीमियमों के संबंध में विवाद, दावों के समाधान में विलंब और प्रीमियम की प्राप्ति के पश्चात् ग्राहक को कोई बीमा दस्तावेज जारी न करना।

ओमबड्समेन की शक्तियों की वर्तमान सीमा 20 लाख रुपए है। लोक शिकायत निवारण नियम, जिनके अधीन बीमा ओमबड्समेन की नियुक्ति की गई है, प्राधिकरण के, जिसे पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की आज्ञा दी गई है, विनियामक कृत्यों के अनुपूरक हैं। ओमबड्समेन की संस्था का लोगों द्वारा स्वागत किया गया है।

उपाबंध 8 की सारणी ओमबड्समेन द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या उपदर्शित करती है। ओमबड्समेन द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर निपटाई गई शिकायतों का विश्लेषण यह उपदर्शित करता है कि ओमबड्समेन द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। ओमबड्समेन को वर्ष 2001-02 के दौरान, 2969 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो गैर-जीवन क्षेत्र से संबंधित थी और उनमें से 2141 का निपटारा कर दिया गया था। विभिन्न ओमबड्समेन द्वारा शिकायतकर्त्ताओं को 477.52 लाख रुपए के कुल दावों की सिफारिश/पंचाट दिया गया था। जीवन क्षेत्र में, 1967 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1506 का निपटारा कर दिया गया था, जिनमें 259.29 लाख रुपए के दावों की सिफारिश/पंचाट दिया गया था।

बीमा ओमबड्समेन के कार्यालय समय-समय पर, उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न मार्गों के विषय में शिक्षित करने के लिए पुस्तिकाएं छापते हैं।

तालिका - **50**

ओमबड्समैन के नाम और पते

31 मार्च **2002** तक खोले गये बीमा ओमबड्समैन के कार्यालय

ओमबड्समैन का कार्यालय	ओमबड्समैन	सचिव
अहमदाबाद		
द्वितीय तल, अंबिका हाउस, एन.आर.सी.यू.शाह कॉलेज, 5-नवयुग कॉलोनी, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद - 380 014 फैक्स : 079-7546142 ईमेल: insombahd@rediffmail.com	श्री ए.एन. पोद्दार (का) 7546150 (घर) 6843993	श्री पी. अशोक कुमार (का)7546139 (घर) 6401925
भोपाल		
पहला माला, 117, जोन -2, डीएम मोटर्स प्रा. लि. के ऊपर, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल - 462 011 फैक्स:0755-578103 ईमेल:insombmp@satyam.net.in	श्री तेज शंकर (का) 578100 (घर) 425093	श्री के वी राव (का) 578102
भुवनेश्वर		
62, फॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर -751 009 फैक्स:0674-531607 ईमेल:susantamishra@yahoo.com; ioobbsr@vsnl.net	श्री जगन्नाथ स्वाईन (का) 535220 (घर) 325168	श्री टी सी महापात्र (का) 533798 (घर) 432862
चंडीगढ		
एस.सी.ओ. नं. 101-103, दूसरा माला, बतरा बिल्डिंग, सेक्टर 17-डी, चंढीगड - 160 017 PBX: 0172-706468 फैक्स: 0172-708274	श्री धर्म वीर (का) 706196 (घर) 746580	श्री जे पी नाहर (का) 705861 (घर) 547890
चैन्नै		
फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथा माला, 453, अन्ना सलाई, चैन्नई -600 018 फैक्स: 044-4333664 ईमेल: ad:insombud@md4.vsnl.net.in	श्री वी जयरामन ** (का) 4333678 (घर) 4985051	श्री एन लक्ष्मी नारायण (का) 4333664 (घर) 2393666
दिल्ली		
2/2 ए, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसिफ अली रोड, नयी दिल्ली -110 002 फैक्स 011-3230858	श्री सी एस राव (स्थापन्न) *** (का) 3239611 (घर) 6877972	श्री एम के कपूर (का) 3230858 (घर) 5885697
गुवाहटी		
एक्रेरियस, भास्कर नगर, आर.जी. बरुहा नगर, गुवाहटी -781 021 PBX: 0361-415430 फैक्स 0361-414051	श्री एस के धर (का) 413525 (घर) 517921	

ओमबड्समैन का कार्यालय	ओमबड्समैन	सचिव
हैदराबाद 6-2-47, येतुरा टावर्स, सलीम फंक्शन हॉल के सामने वाली लेन, ए सी गार्डस, लकडी - का - पुल, हैदराबाद - 500 004. फैक्स: 040/3376599 ईमेल: insombud@hd2.vsnl.net.in	श्री सी एस राव (का) 6574325 (घर) 3745530	श्री पी एच खान (का) 6504122 (घर) 3538892
कोच्ची दूसरा माला, सीसी 27/2603, पुलिनत बिल्डिंग, कोचीन शिपयार्ड के सामने, एम जी रोड, एर्रनाकुलम - 682 015 फैक्स : 0484-373336 ईमेल:insuranceombudsmankochi@hclinfinet.com	श्री ई अच्युतान उन्नी (का)373334 (घर)373311	डॉ चिन्ना स्वामी (का)373338 (घर)361503
कोलकत्ता नार्थ ब्रिटीश बिल्डिंग, 29, एन एस रोड, तीसरा माला, कोलकता -700 001. फैक्स: 033-2212668	श्री डी के गंगोपाध्याय (का) 2212666 (घर) 3348319	श्री एस घोष (का) 2212667 (घर) 3593762
लखनऊ चिंतेलस हाउस, पहला माला, 16, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226 001 फैक्स:0522-636755 ईमेल: insomblko@sify.com	श्री आर एन त्रिपाठी (का) 635486 (घर) 301574	
मुंबई तीसरा माला, जीवन सेवा, एनेक्स (एमटीएनएल के ऊपर), एस वी रोड, सांताक्रूज (प), मुबंई - 400 054 पी.बी.एक्स: 022-6106889 फैक्स: 022-6106052 ईमेल: ombudsman.i@hclinfinet.com	श्री जी कृष्णमूर्ति (का)6106928 (घर)6243650	श्री बी डी बेनेगल (का) 6106360 (घर) 8997797

* सेवानिवृत्त - 4.4.02

** सेवानिवृत्त - 2.8.02

*** 17.6.02 को श्री एम. वेंकटेश्वरम अय्यर ने बीमा लोकपाल का कार्यभार संभाला।

\# भोपाल कार्यालय को श्री आर के त्रिपाठी लोकपाल बीमा लखनऊ द्वारा संचालित किया जा रहा है।

\## चैन्नै कार्यालय का मुंबई के बीमा लोकपाल श्री जी कृष्णामूर्ति संचालन कर रहे हैं।

(ix) बी.वि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर गठित विभिन्न समितियों के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन

प्राधिकरण ने अपने कार्य में सहयोग के लिए समय-समय विभिन्न समितियों का गठन किया है, इनमें बीमा सलाहकार समिति, पुनः बीमा सलाहकार समिति और उपभोक्ता सलाहकार समिति हैं। सर्वेक्षक और हानि निर्धारक समिति, विद्यमान सर्वेक्षकों के वर्गीकरण के लिए मानदंड तय करने के लिए गठित की गई थी। अभिकर्त्ताओं के लिए विद्यमान दलाली संरचना की समीक्षा करने और विकासशील बीमा उद्योग की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए उसमें उपांतरणों का सुझाव देने के लिए अभिकर्त्ता प्रतिकर स्कीम पुनर्विलोकन समिति का गठन किया गया हैं अभी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं की है। प्राधिकरण ने उसे बीमाकर्त्ता से बी.वि.वि.प्रा. (वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 पर प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए भी एक समिति का गठन किया है।

बीमा सलाहकार समिति एक ऐसा निकाय है, जिससे विनियमों की अधिसूचना से पूर्व परामर्श लिया जाता है।

हाल ही में प्राधिकरण ने विधि आयोग को बीमा अधिनियम, 1938 के पुनर्विलोकन में सहयोग करने के लिए दल की स्थापना की है।

(x) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निष्पादित सलाहकार कृत्यों का पुनर्विलोकन

पूंजी बाजार समिति :

वित्त मंत्रालय ने बी.वि.वि.प्रा., आर.बी.आई. और सेबी को, विनियामकों के बीच परस्पर महत्व के मामलों पर सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए, उद्योग में बीमाकर्त्ताओं के संकर्मों को मानीटर करने का निदेश देते हुए, वित्तीय क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने की पहल की है। इस संबंध में जिन विषयों पर विचार किया गया है, वे हैं बीमा कंपनियों द्वारा निवेश और बीमा कारबार में बैंकों/एन बी एफ सी के प्रवेश के लिए सन्नियम बनाना, आदि। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे संगठनों को बीमा कारबार में प्रवेश करने की अनुज्ञा केवल बी.वि.वि.प्रा. द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर दी है। तथापि, कानूनी निकाय एक दूरी बनाए रखने के लिए अनुबंध करता है, जिससे कि बीमा कारबार के जोखिमों का प्रभाव मूल निकाय पर न पड़े और बैंककारी कारबार पर बीमा कारबार में होने वाले जोखिमों का दुष्प्रभाव न पड़े। भारतीय रिजर्व बैंक भी प्राधिकरण को बीमा कंपनियों द्वारा, अन्य देशों में जहां वे कारबार कर रही हैं, पर्यवेक्षक निकायों की विनियामक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए, विदेशी मुद्रा के अंतरणों के विशेष अनुरोध के विषय में अवगत कराता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों, एफ आई पी बी अनुमोदनों, विभिन्न धाराओं का निर्वचन और रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं जैसे विषयों पर परस्पर परामर्श किया जाता है और विनियामक एक दूसरे को नीति विषयों पर भी अवगत कराते हैं। तथापि, विनियामक, ऐसे प्राधिकार और पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण का, जो विनिर्दिष्ट रूप से व्यष्टिक विनियामक के अधिकार क्षेत्र में हो, अतिक्रमण नहीं करते।

कुछ मामलों में, ऐसे निजी क्षेत्र के बैंकों में, जिन्हें देश में बीमा संयुक्त उद्यम/अनुषंगियों के रूप में स्थापित किया गया है, विदेशी साम्या निवेश किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन आशंकाओं के समाधान के लिए ऐसे बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को निर्बंधित/मानीटर करने के लिए उपाय किए हैं। भावी आवेदनों की बाबत आर.बी.आई., बीमा संयुक्त उद्यम के लिए आवेदन करने वाले निजी क्षेत्र के बैंकों में एफ. डी. आई. धृतियों पर प्राधिकरण को, संयुक्त उद्यम में बैंक के अनुज्ञेय निवेशों पर विचार करने से पूर्व सूचना देगा।

वित्तीय क्षेत्र में तीन विनियामकों के बीच अन्योन्यक्रिया करने के लिए औपचारिक मंच वित्तीय और पूंजी बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वयन समिति (एच एल सी सी एफ एम) द्वारा उपलब्ध कराया गया है। समिति की बैठकों की अध्यक्षता आर.बी.आई के गवर्नर द्वारा की जाती है। समिति, निवेशकों के, विशेषतः छोटे निवेशकों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

अन्य

प्राधिकरण, बीमा क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण और प्रसार के लिए केन्द्र बिन्दु है। यह संग्रहण, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। संगृहित किए जाने के लिए प्रस्तावित सांख्यिकी के अंतर्गत आय और व्यय, आस्तियां, दायित्व, निधियों के स्रोत और उनका उपयोग, संरचना और बीमा कंपनियों के, जीवन और गैर-जीवन टर्म बीमा, पुनः बीमा, पेंशन, अधिवर्षिता, स्वास्थय बीमा तथा फसल बीमा, जैसे पहलुओं को सम्मिलित करते हुए, अनिवासी संकर्म भी हैं। आयोग की अपेक्षा के अनुसार संग्रहण की जाने वाली सांख्यिकी में डाक जीवन, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवा और अन्य समूह बीमा स्कीमों, पेंशन और अधिवर्षित स्कीमों से संबंधित सांख्यिकी भी है।

प्राधिकरण के अधिकारियों को स्वास्थ्य अर्थशास्त्र पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी उपसमूह में नामनर्दिष्ट किया गया है जिसमें स्वास्थ्य बीमा के विस्तार से संबंधित मुद्दों पर, कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा की गई थी। इससे पूर्व अधिकारियों को कृषि मंत्रालय की अगुआई में प्राकृतिक और मानव निर्मित महाविपदाओं पर महाविपदा प्रबंधन पर उप-समूह के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया था। इसी प्रकार सेवाओं में व्यापार पर साधारण करार से सबंधित मुद्दों के संबंध में, मानक तैयार करने और प्राकृतिक व्यक्तियों के संचलन की बाबत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से अन्योन्यक्रिया के लिए अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट किया गया था।

जीवन बीमा के क्षेत्र में बी.वि.वि.प्रा. के सदस्यों को सरकार द्वारा, सिविल सेवकों के लिए वैकल्पी पेंशन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए सुझाव देने हेतु भट्टाचार्य समिति और जीवन बीमा कंपनियों के कराधान पर ईराडी समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(xi) बीमा बाजार को प्रभावित करने वाले अन्य क्रियाकलाप

बीमा अधिनियम, बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण, बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणियों के आधार पर निरीक्षण करता रहा है। इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, प्राधिकरण विवरणियों को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रणाली स्थापित कर रहा है। इसके पूरा होने के पश्चात् यह प्राधिकरण को विभिन्न विवरणियां ऑन लाईन प्राप्त करने और उनका मूल्यांकन करने में समर्थ बनाएगी। हाल ही में प्राधिकरण ने स्थल पर निरीक्षण की प्रक्रिया आरंभ के की है। इस स्कीम के अधीन प्राधिकरण अधिकारियों का एक दल बीमाकर्त्ता के कार्यालय का दौरा करता है और विभिन्न प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति से, जिनके अंतर्गत बीमांकक की नियुक्ति भी है, संबंधित विभिन्न विनियमों, फाइल और उपयोग प्रक्रियाओं, बीमाकर्त्ता की निवेश नीति के अनुपालन, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताओं के पालन, विज्ञापन और प्रकटन विनियम के अनुसार विज्ञापन जारी करना, विभिन्न बोर्ड और साधारण अधिवेशनों से संबंधित अभिलेखों को रखने, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र, आदि जैसे पहलुओं की समीक्षा करता है। विचलनों, यदि कोई हों, के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाता है और बीमाकर्त्ता को उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है।

इसके अतिरिक्त बीमाकर्त्ता के कार्यपालन को मानीटर करने के लिए व्यष्टि कंपनी के प्रबंधन और नियत बीमांककों से आवधिक पुनर्विलोकन बैठकें की जाती हैं। प्राधिकरण ने, जीवन और गैर जीवन बीमाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत बीमांकक रिपोर्ट के पेनल पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरंभ की है। निवेश संपरीक्षा का भी प्रस्ताव किया गया है।

प्राधिकरण का दर्शन यह है कि उद्योग से जुड़े बीमाकर्त्ताओं, मध्यवर्तियों और वृत्तिकों को स्व:विनियामक की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिसे भले निगम शासन सिद्धांतों को अपना कर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बीमाकर्त्ता परिषदों, भारतीय बीमांकिक सोसायटी, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक सभा जैसे स्वत: विनियामक निकाय वृत्तिक मानक और विवेकपूर्ण प्रबंध व्यवहार अपनाते और क्रियान्वित करते हैं।

भाग 3

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की धारा 14 में अधिष्ठापित प्राधिकरण के कानूनी कृत्य

(क) आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, उसे नवीकृत, उपांतरित, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द करना :

वित्तीय वर्ष 2001-02 उदारीकृत आर्थिक परिस्थितियों में बीमा कंपनियों के कार्यकरण का दूसरा वर्ष था। वर्ष के दौरान देश में छः नई बीमा कंपनियों को देश में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था, जिनमें से चार जीवन क्षेत्र में थी और दो गैर-जीवनक्षेत्र में। आज बीमा उद्योग में विश्व भर की, जैसे इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंडस, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और जापान की भागीदारी में उद्यम हैं। विदेशी भागीदार यह महसूस करते हैं कि भारतीय बाजार में विकास की अपार संभावना है और दीर्घ काल में कारबार अवसर उपलब्ध होंगे। विदेशी भागीदारों को बीमा बाजार का समृद्ध अनुभव है, जो देश में संवर्धित उद्यमों को पालिसीधारकों को नए उत्पाद और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएंगे। इसके साथ ही, भारतीय भागीदारों को भी औद्योगिक समूहों के रूप में पर्याप्त अनुभव हैं इस प्रकार ये संयुक्त उद्यम समृद्ध समूहों द्वारा संवर्धित हैं, जो दीर्घ काल में तकनीकी, आर्थिक और मानव संसाधनों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हैं। नई कंपनियों के प्रवेश के साथ-साथ कई बीमा कंपनियों ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी समादत्त पूंजी में भी वृद्धि की। बीमा कंपनियों के कार्य-पालन को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विनियमों में यथा उपबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

विनियम प्रत्येक बीमाकर्त्ता से यह अपेक्षा करते हैं कि वे प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण कराएं। जीवन और गैर-जीवन दोनों प्रकार की सभी बीमा कंपनियों ने विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुपालन पर अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन किया, जो प्राधिकरण द्वारा मंजूर किया गया था। इस अवधि ा के दौरान किसी अनुज्ञप्ति को उपांतरित, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द नहीं किया गया।

ख. पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारक द्वारा नामनिर्देशन, बीमा योग्य हितों, बीमा दावों के समाधान, पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य और बीमा संविदा के अन्य निबंधनों और शर्तों से संबंधि ात मामलों में पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण :

प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए विनियमों को सुदृढ़ करने के विचार से बी.वि.वि.प्रा. (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 को अधिसूचित किया। ये विनियम नए और विद्यमान दोनों प्रकार की बीमा संविदाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करते हुए, किसी बीमा उत्पाद की विवरणिका प्रस्तुत करने की रीति, उसमें ब्यौरे दर्शित करने का ढंग और जीवन तथा साधारण बीमा पालिसियों की बाबत दावा करने की प्रक्रिया भी उपबंधित करते हैं। विनियम यह भी अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक बीमाकर्त्ता एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करे, दावा समाधान की गति का पुनर्विलोकन करे और पालिसीध ाारकों को शीघ्र सेवाएं दे। विनियम, बीमाकर्त्ता द्वारा दावा रकम के समाधान में विलंब के मामलों में शास्ति का भी उपबंध करते हैं।

पालिसी धारकों के हितों के संरक्षण के लिए अन्य तंत्रों में, गैर टैरिफ उत्पादों के लिए ''फाइल और उपयोग'' अपेक्षा, विज्ञापन और प्रकटन विनियम, जो किसी बीमा कंपनी द्वारा किसी पालिसी के निबंधनों और शर्तों के साथ-साथ उसके फायदों के प्रकटन को भी आबद्धकर बनाते हैं, अभिकर्त्ताओं के लिए आचार संहिता, बीमा कंपनियों में शिकायत प्रकोष्ठ और शिकायत निवारण के लिए ओमबड्समेन स्कीम सम्मिलित हैं। विनियम, जीवन और गैर-जीवन दोनों क्षेत्रों में पालिसी धारकों की शिकायतों को कम करने और दूर करने में अपरिहार्य सिद्ध होंगे।

(ग) मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती और अभिकर्त्ता के लिए अपेक्षित अर्हताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना :

प्राधिकरण ने अभिकर्त्ताओं सहित मध्यवर्तियों के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं। प्राधिकरण ने विभिन्न मध्यवर्तियों को अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए विनियम अधिसूचित करते हुए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं, और मध्यवर्तियों के लिए, अनुज्ञप्ति मंजूर होने पर आचार संहिता को भी विहित किया है। इसने अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और परीक्षा अपेक्षाओं को भी अनुबंधित किया है।

(घ) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचार संहिता विनिर्दिष्ट करना

प्राधिकरण ने वर्ष 2000 में बीमा सर्वेक्षकों के अनुज्ञापन के लिए वृत्तिक अर्हताएं और आचार संहिता के लिए विनियम अधिसूचित किए थे। विनियम, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों को विहित करते हुए, उनसे समुचित अभिलेख रखने, प्रकटन नियमों, आचार संहिता का अनुपालन करने और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की भी अपेक्षा करते हैं।

(ङ) बीमा कारबार के संचालन में दक्षता का संवर्धन करना :

बीमा कारबार के संचालन में दक्षतापूर्वक अभिवृद्धि करने के लिए बीमा सभा, तथा जीवन बीमा और साधारण बीमा परिषदों को पुन: प्रवर्तित किया गया है और वे बाजार संचालन तथा बीमाकर्त्ताओं के सदाचारी व्यवहार के लिए सन्नियम बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। प्राधिकरण के सदस्य, जो उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं, इस व्यवस्था का भाग हैं।

ऐसे सभी मध्यवर्तियों के लिए प्रशिक्षण और निरंतर वृत्ति विकास भी अनुबद्ध किए गए हैं जिन्हें इन लोगों के आधारिक ज्ञान और सेवा स्तर में सुधार करने की दृष्टि से, प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापित किया जाएगा। इससे बाजार में प्रचालन करने में मध्यवर्तियों की दक्षता में वृद्धि होगी।

सेवा दक्षता में सुधार के लिए नए बीमाकर्ताओं के लिए केन्द्र स्थापित किया गया है तो 24/7 के आधार पर कार्य कर रहा हैं ग्राहक देखरेख में सुधार के लिए मानदंडों को स्वीकार किया गया है।

(च) बीमा और पुन: बीमा कारबार से जुड़े वृत्तिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन

प्राधिकरण, सभी स्तरों पर भली निगम शासन की विचारधारा को लाने के विचार से उद्योग में वृत्तिक संगठनों के संवर्धन का प्रयास कर रहा है। भारतीय बीमा संस्थान, जो बीमा शिक्षा देने के लिए नोडल संगठन के रूप में कार्य कर रहा है, बीमा उद्योग के विकास और उच्च शैक्षिक और वृत्तिक मानकों को बनाए रखने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार भारतीय बीमांकिक सोसायटी भी देश में बीमांकिक शास्त्र के वृत्ति के रूप में विकास से जुड़ी है। इन संगठनों को और सुदृढ़ करने के विचार से प्राधिकरण इन निकायों को कानूनी हैसियत प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है और भारतीय बीमांकक सोसायटी से संबंधित प्रारूप विधेयक को सरकार को पहले ही अग्रेषित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आई आई आर एम) का गठन किया है, जिसे बीमा और वित्तीय जोखिम के क्षेत्र में अनुसंधान करने की अनुज्ञा दी गई है। यह प्रस्ताव किया गया है कि संस्थान, बीमा कारबार से संबंधित वृत्तियों के विकास में सहयोग करने के साथ प्राधिकरण की बीमा कराने वाली जनता के प्रति बाध्यतओं को सुकर बनाने के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप करेगा। प्राधिकरण, देश में बीमांकक शास्त्र और जोखिम प्रबंध की वृत्ति के विकास में विशेष दिलचस्पी ले रहा है।

प्राधिकरण के बीमा अनुसंधान और शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान के साथ किए गए समझौता ज्ञापन की अधीन बीमा अनुसंधान और शिक्षा संस्थान का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने प्राधिकरण के अधिकारियों के सहयोग से, जीवन और गैर-जीवन कंपनियों की संपरीक्षा करने के लिए अपने सदस्यों हेतु मार्गदर्शन टिप्पण तैयार किए हैं।

प्राधिकरण, निजी क्षेत्र के बीमा वृत्ति के संवर्धन के लिए प्रयासों को भी बढ़ावा दे रहा है। इस दिशा में समुचित कदम के रूप में प्राधिकरण ने बीमा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम है चलाने वाले चार संस्थानों की पाठ्यचर्या को अनुमोदित किया है। ये संस्थान हैं आर एन आई एस, नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ अक्रेडिटिड लर्निंग इन मेनेजमेंट, नई दिल्ली, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट टेक्नालोजी, नई दिल्ली और जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, लखनऊ।

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए फीस और प्रभार उद्गृहीत करना

बीमाकर्ताओं, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों तथा अभिकर्ताओं, टी पी ए, दलालों और निगम अभिकर्ताओं सहित मध्यवर्तियों द्वारा आवेदन/प्रसंस्करण/रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय की अपेक्षा उनसे संबंधित विनियमों में स्पष्ट की गई है। विनियम नवीकरण फीसों के संदाय को भी उपबंधित करते हैं। संदेय फीसों का ब्यौरा उपाबंध-9 पर है। वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने एक बार के उपाय के रूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए उदग्रहण को वर्ष 2001-02 के लिए सकल प्रीमियम के 10 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया। अभी हाल ही में प्राधिकरण ने और दो वर्षों, अर्थात 2002-03 तथा 2003-04 के लिए कम दरों पर नवीकरण फीसों के उदग्रहण का विनिश्चय किया है। यह उल्लेखनीय है कि विनियम सकल प्रीमियम के 1 प्रतिशत के 20 प्रतिशत या पचास हजार रुपए के, इनमें जो भी अधिक हो, नवीकरण फीस उदग्रहण का उपबंध करते हैं,जो भारत में बीमा कारबार कर रहे बीमाकत्ताओं से प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के समय प्रभारित की जाएगी।

विनियम अपेक्षित फीसों के संदाय में विलंब पर शास्ति को भी उपबंधित करता है। तथापि, आज तक इन उपबंधों को उपयोग में नहीं लाया गया है।

(ज) बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा कारबार से जुड़े अन्य संगठनों से जानकारी प्राप्त करना, उनकी जांच और अन्वेषण करना, जिसके अंतर्गत उनकी लेखापरीक्षा भी है :

किसी भी विनियामक व्यवस्था में अच्छे बाजार व्यवहार स्थापित करने के लिए पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच आधारिक मानदंड

हैं। इसे सुनिश्चित करने के विचार से प्राधिकरण ने बीमाकर्त्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों के लिए सुस्पष्ट विनियम विहित किए हैं। ये विनियम प्रस्तुत की जाने वाली सूचना उसके लिए विहित प्ररूप और उसकी अवधि को ऐसी अन्य सूचना मांगने के लिए सशक्त करते हैं, जिसे वह उचित समझे। प्राधिकरण ने उद्योग के विभिन्न बीमाकर्त्ताओं के लिए विवरणियां प्रस्तुत करने के विनियमों को विहित करते समय, अपवाद द्वारा प्रबंध और अननुपालन की दशा में न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सूचना में स्पष्टता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। बीमाकर्त्ताओं से प्राधिकरण को अपने बोर्ड अधिवेशनों का कार्यवृत्त प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जाती है। प्राधिकरण ने विवरणियां प्राप्त करने के पारंपरिक ढंग के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में स्थल पर निरीक्षण करने का भी प्रस्ताव किया है। ये निरीक्षण, स्थल से परे निरीक्षणों के अनुपूरक हैं।

प्राधिकरण, वर्ष में दो बार होने वाली पुनर्विलोकन बैठकों के माध्यम से बीमाकर्त्ता के उच्च प्रबंधकों को भी एक मंच उपलब्ध कराता है।

(झ) साधारण बीमा कारबार की बाबत ऐसी दरों, फायदों, निबंधानों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन करना, जिनका बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्ताव किया जाए और जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64प के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित नहीं हैं :

प्राधिकरण ने एक फाइल और उपयोग प्रक्रिया विहित की है जिसके अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्त्ता से प्राधिकरण को मानक निबंधन, शर्तें और अन्य दस्तावेजों की प्रति के साथ उत्पाद और कीमत का ब्यौरा फाइल करने की अपेक्षा की जाती है। यदि प्राधिकरण फाइल करने के 30 दिन के भीतर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं करता है तो बीमाकर्ता बाजार में अपने उत्पाद को ला सकता है। जीवन और गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्राधिकरण को 'फाइल और उपयोग' प्रक्रिया के अधीन फाइलकिए गए उत्पादों के कंपनीवार ब्यौरे क्रमशः सारणी 16 और 32 में हैं।

टैरिफ उत्पादों की दशा में बीमाकर्त्ताओं से उत्पादों और कीमत के ब्यौरे टैरिफ सलाहकार समिति को फाइल करने के अपेक्षा की जाती है।

(ञ) वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना, जिनमें बीमाकर्त्ता और अन्य बीमा मध्यवर्ती लेखा बहियां रखेंगे तथा लेखा विवरण देंगे :

बीमा कंपनियों और मध्यवर्तियों से नीचे विहित विनियमों के अनुसार, अपनी लेखा बहियां बनाए रखने और प्राधिकरण को विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती हैं :-

1. बीमा कंपनी की वित्तीय विवरणियां और संपरीक्षक रिपोर्ट की तैयारी विनियमन, 2000
2. बीमांकिंक रिपोर्ट और सारांश विनियम, 2000
3. बीमाकर्ता की आस्तियां, दायित्व और शोधन क्षमता में अंतर विनियम, 2000 और बीमाकर्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधन क्षमता में अंतर (संशोधन) विनियम, 2000
4. बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (अनुज्ञप्ति, वृत्तिक अपेक्षा और आचार संहिता) विनियम, 2000
5. साधारण बीमा-पुनः बीमा विनियम, 2000
6. जीवन बीमा-पुनः बीमा विनियम, 2000
7. निवेश विनियम, 2000, निवेश (संशोधन) विनियम, 2001 और निवेश (संशोधन) विनियम, 2002
8. तीसरा पक्षकार प्रशासक-स्वास्थ्य सेवा, 2001
9. बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन विनियम, 2000; बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 2002
10. निगम अभिकर्त्ता विनियम, 2002
11. बीमा दलाल विनियम, 2002

इस समय प्राधिकरण बीमाकर्ताओं/मध्यवर्तियों द्वारा फाइल की जाने वाली विवरणियों को तैयार करने और उन्हें फाइल करने को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कार्यवाही तैयार कर रहा है।

पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं को नए विनियमों और अपेक्षाओं का अनुपालन प्रारंभ करने के लिए, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष का समय दिया गया है इस समय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी विनियम सभी बीमा कंपनियों पर समान रूप से लागू हैं।

(ट) बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन :

विनियम, बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध निधियों के निवेश के लिए ब्यौरेवार मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए हैं। इसके साथ ही किसी कंपनी/उद्योग/समूह में अभिदर्शन सन्नियम भी स्पष्ट रूप से विहित किए गए हैं। ब्यौरेवार विनियामक अपेक्षाओं का उद्देश्य, उपलब्ध निधियों के विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करना और साथ ही यह सुनिचित करना भी है कि वे समुचित हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं ने केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में लगभग 128813 करोड़ रुपए, राज्य सरकार और अन्य प्रत्याभू प्रतिभूतियों में 132177 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अवसंरचना क्षेत्र में

20741 करोड़ रुपए का, अनुमोदित निवेशों में 77450 करोड़ रुपए का और अनुमोदित से अन्य निवेशों में 16522 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 31 मार्च, 2002 तक जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा कुल 246869 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा फाइल की गई निवेश विवरणियों का विश्लेषण यह दर्शित करता है कि अनुमोदित निवेशों को अनुमोदित से भिन्न निवेशों की तुलना में अधिमानत दी जा रही है कुल निवेश में अनुमोदित निवेश का प्रतिशत 31 प्रतिशत है ; और कुल निवेशों में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश का प्रतिशत (लगभग) 8 प्रतिशत था।

गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं ने केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में 6908 करोड़ रुपए का और राज्य सरकारों की तथा अन्य प्रत्याभू प्रतिभूतियों में 9003 करोड़ रुपए का निवेश किया हैं गृह और अग्निशमन उपस्करों में 1893 करोड़ रुपए का और अवसंरचना क्षेत्र में 5146 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अनुमोदित और अनुमोदित से भिन्न निवेशों में क्रमश: 7359 करोड़ रुपए और 2972 करोड़ का निवेश किया गया। 31 मार्च, 2002 को गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा कुल निवेश 26373 करोड़ रुपए था।

(ठ) शोधन क्षमता में अंतर बनाए रखने को विनियमित करना :

प्राधिकरण जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों से शोधन क्षमता में विनिर्दिष्ट अंतर बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इससे संबंधित सूचना को, इस निमित्त विहित प्ररूपों के अनुसार प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। यह संतोषजनक है कि सभी बीमाकर्त्ताओं ने प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित शोधन क्षमताअपेक्षाओं का पालन किया है। पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं ने पहली बार शोधन क्षमता में अंतर से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है।

(ड) बीमाकर्त्ताओं और मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्याय निर्णयन :

जीवन और गैर जीवन बीमाकर्त्ताओं की परिषदें उन्हें ऐसा मंच उपलब्ध कराती हैं, जिस पर वे बीमा उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, और बीमाकर्त्ताओं ने इस संबंध में परामर्शो पर सकारात्मक रूख अपनाया है। इसके अलावा, बीमाकर्त्ता और मध्यवर्ती शिकायत की दशा में प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। प्राधिकरण उसको प्राप्त सभी शिकायतों पर संबंधित बीमाकर्त्ता से बातचीत करता है और उनके त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। प्राधिकरण केवल गंभीर मामलों में शिकायत समाधान के लिए निदेश जारी करता है। प्राधिकरण ने आज तक ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया है।

(ढ) टैरिफ सलाहकार समिति (टी ए सी) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण:

टी ए सी के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए, प्राधिकरण के अध्यक्ष, को टी ए सी का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है और इसका कार्यकरण प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। टैरिफ सलाहकार समिति, अग्नि, समुद्री (पेटा), मोटर, इंजीनियरी और कर्मकारों को प्रतिकर से संबंधित साधारण बीमा कारबार से जुड़े किसी बीमाकर्त्ता द्वारा प्रस्ताव किए जाने वाले फायदों, दरों, शर्तों और निबंधनों का नियंत्रण और विनियमन करती हैं समिति द्वारा नियंत्रित कारबार के विद्यमान टैरिफ सारणी 51 में हैं।

वर्ष 2001-02 में टी ए सी ने स्वयं को बीमा बाजार की व्यापक आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया और कई परिवर्तन किए। टी ए सी ने कारबार, इसकी पहुंच, वर्ग, क्षेत्र, प्रीमियम, संदत्त तथा बकाया दावों जैसे विषयों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण का कार्य आरंभ किया। टी ए सी निजी बीमाकर्त्ताओं को प्रतिनिधत्व देने के लिए अपनी विभिन्न समितियों के आधार को व्यापक बना रही है।

वर्ष के दौरान टी ए सी ने समुद्रगामी पोतों के लिए दर निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांतों का पुनरीक्षण किया, पुनरीक्षित मोटर टैरिफ को 1 जुलाई, 2002 से कार्यान्वित किया और पुनरीक्षित औद्योगिक पूर्ण जोखिम (आई ए आर) के प्रारूप पर टिप्पणियां आमंत्रित की। 11 सितम्बर की घटना के परिणामों को देखने के बाद भी 10 प्रतिशत का अधिभार लागू करके बिना सीमा के आतंकवाद बीमा कवर उपलब्ध कराते रहने की पहल की। टी ए सी इंजीनियरी, कर्मकारों को प्रतिकर, लाभ का नुकसान (अग्नि) और औद्योगिक पूर्ण जोखिम से संबंधित टैरिफों का सुव्यवस्थीकरण कर रही है।

विभिन्न बीमा उत्पादों के टैरिफ विनियमन के साथ-साथ समिति, अनुबंधित टैरिफों के उल्लंघन के मामलों को भी देखती है और व्यतिक्रम करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, जिसके अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करना भी है, भी की जाती है। विश्व के बीमाकर्त्ताओं के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए टी ए सी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डाटा प्रबंध प्रणालियों और आतंकवाद कवर के संबंध में क्रियाकलापों का अध्ययन करने के लिए अमरीका और इंग्लैंड का दौरा किया। मोटर समिति ने दर निर्धारण माडल विकसित करने में उनके अनुभवों से सीख लेने और उन्हें भारतीय बाजारों से सुसंगत बनाने के लिए, विदेशी बीमा दलालों से बैठकें की थी।

सारणी 51

टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित विद्यमान टैरिफ कारबार की सूची :-

अग्नि	ऑल इंडिया फायर टैरिफ, पेट्रोकैमिकल टैरिफ, इंडिस्ट्रयल आल रिस्क टैरिफ, पारिणामिक हानि (अग्नि) टैरिफ।
समुद्री	समुद्री पेटा टैरिफ, मछली यान टैरिफ, चाय टैरिफ।
इंजीनियरिंग	कांट्रेक्ट्र्स आल रिस्क टैरिफ (सी.ए.आर.), कांट्रेक्ट्र्स प्लांट और मशीनरी टैरिफ (सी.पी. एम.), इलैक्ट्रानिक्स ईक्विपमेंट इंश्योरेंस टैरिफ (ई.ई.आई.), मशीनरी ब्रेकडाउन टैरिफ (एम.बी.), सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीकेटेड रिस्क टैरिफ (सी.ई.सी.आर.), स्टोरेज कम इरेक्शन टैरिफ (एस.पी.ई.), लास आफ प्राफिट-बायलर और प्रेशर बैसल टैरिफ, डिटेरियोरेशन ऑफ स्टॉक (पोटेटो) टैरिफ।
मोटर	ऑल इंडिया मोटर टैरिफ।
विविध	कर्मकार क्षतिपूर्ति टेरिफ

(ण) खंड (च) में निर्दिष्ट वृत्तिक संगठनों का संवर्धन करने और उन्हें विनियमित करने के लिए वित्तीय स्कीमों में बीमाकर्त्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना :

प्राधिकरण, बीमा कारबार में वृतिक्ता के संवर्धन की महत्ता को समझता है। इस उद्देश्य से यह भारतीय बीमांकिक सोसायटी और सर्वेक्षक तथा हानि-निर्धारक संस्थान को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने के लिए प्रयासरत है बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान का प्रवर्तन इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है इसके अलावा, प्राधिकरण एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके अधीन बीमाकर्त्ता अपनी प्रीमियम आय का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत, ऐसे क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यित स्कीमों के वितपोषण के लिए देगा। इस दिशा में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(त) ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्त्ताओं द्वारा आरंभ किए जाने वाले जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना :

प्राधिकरण ने, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में, जीवन और गैर जीवन दोनों प्रकार के बीमाकर्त्ताओं द्वारा कारबार की अपेक्षा विहित की है। पिछले एक वर्ष में, प्राधिकरण को इन विनियमों के उपांतरण की आवश्य कता पर उद्योग को विभिन्न बीमाकर्त्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताओं से संबंधित विनियमों के संशोधनों को हाल ही में अधिसूचित किया गया है। संशोधनों में ''ग्रामीण क्षेत्र'' पद को पुन: परिभाषित किया गया है और ''कृषि उद्देश्यों'' का विस्तार किया गया है। संशोधन 'औपचारिक क्षेत्र' के संबंध में भी कार्यवाही करते हैं। इसके साथ ही जीवन बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति बाध्यताओं को बढ़ाया गया है। प्राधिकरण ने, बीमाकर्त्ताओं द्वारा समाज के प्रति बाध्यताओं को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए,यह विहित किया है कि कोई भी बीमाकर्त्ता, ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में अभिलिखित किए गए से कम कारबार नहीं करेगा। संशोधन वित्तीय वर्ष 2002-03 से प्रभावी होंगे।

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, जो विहित की जाएं :

प्राधिकरण, इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग के सुचारू विकास और पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निदेश, आदेश और विनियम जारी कर रहा है। जारी किए गए निदेशों में अभिकरण दलालों को संदाय, नियत बीमांककों, भले बाजार व्यवहारों को बनाए रखे और अधिकारियों/कर्मचारिवृंद की तदर्थ पर नियुक्ति से संबंधित निदेश सम्मिलित हैं।

भाग 4

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक विषय

(i) संगठन

वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान प्राधिकरण के संघटन में, कुछ सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के कारण परिवर्तन हुए। इस समय निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य हैं :

1. श्री एन रंगाचारी, अध्यक्ष
2. श्री एच.ओ. सोनिग, सदस्य
3. श्री आर.सी. शर्मा, सदस्य
4. श्री पी.ए. बालासुब्रामणियन, सदस्य

ये नियुक्तियां बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 की धारा 4 के निबंधानों में की गई। वर्ष के दौरान श्री हरभजन सिंह, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद बैंक, सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के अवसान पर 31 मार्च, 2002 को बी.वि.वि.प्रा. से सेवा निवृत्त हो गए। इससे पूर्व 26 फरवरी, 2002 को श्री एस.डी. मोहिले का देहावसान हो गया। श्री आर.सी. शर्मा ने जो पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड के महानिदेशक थे, 1 अक्टूबर, 2001 को सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में प्राधिकरण में प्रवेश किया। श्री पी.ए. बाला सुब्रह्मणियन ने 15 मार्च, 2002 को प्राधिकरण में सदस्य (बीमांकिक) के रूप में प्रवेश किया।

प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा निम्नलिखित अंशकालिक सदस्य हैं :

1. श्री टी.के. विश्वनाथन, विधि आयोग के सदस्य सचिव, भारत सरकार।
2. सुश्री मनीषा मोहन अंधनसरे।
3. श्री ए.आर. बर्वे, पूर्व उप-प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक।
4. श्री अशोक चंदक, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान।

इस समय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य हैं, जो जीवन, गैर-जीवन, बीमांकिक शास्त्र, वित्त, विधि, लेखा सहित सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और एक उपभोक्ता प्रतिनिधि भी है। अधिनियम से प्राधिकरण से पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्यों और एक अध्यक्ष होने की परिकल्पना की है।

प्राधिकरण को सलाहकारी समर्थन उपलब्ध कराने के लिए परामर्शी बीमांकक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के सेवानिवृत्त अध्यक्ष श्री एन.के. शिंकर की सेवाएं ली जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय साधारण बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक श्री सी.एन. एस. शास्त्री की सेवाएं भी प्राधिकरण द्वारा समान हैसियत में ली जा रही हैं।

प्राधिकरण नीति के रूप में स्वयं की परिकल्पना एक ऐसी संगठनात्मक संरचना के रूप में करता है, जो उद्योग से लिए गए तकनीकी रूप से अर्हक और सक्षम अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित है। इसके अतिरिक्त सतत बढ़ते विनियामक कृत्यों को देखते हुए, कर्मचारियों की पदसंख्या बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इस प्रकार हाल ही में अधिकारियों को भर्ती करके कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 38 किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण, अपने अधिकारियों को वित्तीय बाज़ारों में उभरते वित्तीय रूझानों से परिचित कराने और उनहें विश्व के बीमा उद्योगों में विनियामक रूझानों से अवगत कराने के लिए, अपने अधिकारियों की दक्षता और हूनर के निरंतर उन्नयन की नीति अपनाता है। तद्नुसार, प्राधिकरण के अधिकारियों को देश और विदेश दोनों में आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तैनात करके उनके प्रशिक्षण के लिए नियमित अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने, वर्ष के दौरान मानेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा एशियाई निदेशकों के लिए, आस्ट्रेलियाई ए पी ई सी अध्ययन केन्द्र द्वारा बीमा कारबार और पेंशन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, बीमा आयुक्तों की राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित ग्राहक सेवा और शोधन-क्षमता मुद्दों पर कार्यक्रम, जापान के वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थल पर निरीक्षण पर संगोष्ठि, लंदन के लॉयड द्वारा बीमा दलाली पर प्रशिक्षण ; आई ए आई एस द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आदि में भाग लिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों को, सार्क देशों के विनियामकों के लिए बी.वि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यम में भाग लेने का भी अवसर मिला। इसके अधिकारियों का विभन्न स्तर पर उदभासन प्राधिकरण को विश्व स्तर पर विनियामकों के अनुभवों से सीखने में समर्थ बनाता है और इसका लक्ष्य बीमा उद्योग के विनियमन में उच्चतम वृत्तिक मानक स्थापित करना है।

(ii) प्राधिकरण की बैठकें :

वर्ष 2001-02 (अप्रैल से मार्च) के दौरान प्राधिकरण की छः बैठकें हुई।

(iii) मानव संसाधन :

इस समय, इस रिपोर्ट के प्रकाशन की तारीख को प्राधिकरण में विभिन्न काडरों में 28 अधिकारी और 10 कर्मचारी हैं (कुल 38)।

(iv) राजभाषा का संवर्धन :

भारत सरकार की राजभाषा संवर्धन की नीति के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण ने एक हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की है। प्राधिकरण इसके द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न विनियमों, अधिसूचनाओं और अन्य उपयोगी सामग्रियों को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करा रहा है। भविष्य में विभिन्न प्रकाशनों के क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं में बीमा बाजार से संबंधित शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जा रही है।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी की प्रास्थिति :

इंटरनेट, ई-मेल, नेटवर्क प्रणालियां और डाटाबेस कारबार में संचार को परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए, प्राधिकरण, आधुनिक तकनीक को वर्चुअल, इलैक्ट्रानिक और पत्र स्रोतों के साथ, अधिक दक्षतापूर्ण सूचना आदान-प्रदान के लिए, नियोजित कर रहा है, जिससे कि सूचना के प्रसार, सांख्यिकियों को मिलाने और बीमाकर्त्ताओं तथा मध्यवर्त्तियों से अन्योन्यक्रिया करने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

नेटवर्क और संचार :

प्राधिकरण के आधुनिकीकरण के भाग रूप में, प्राधिकरण के कार्यालय के सभी कार्यस्थलों को लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) द्वारा जुड़े हैं और उन्हें क्लायंट-सर्वर संगणना परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। प्रत्येक अधिकारी को हाई एंड पेंटियम वर्कस्टेशन, जिसमें आधुनिकतम आफिस आटोमेशन साफ्टवेयर भी है, उपलब्ध कराया गया है।

प्रभावी/शीघ्र संचार के लिए और संपूर्ण विश्व से बीमा उद्योग के बारे में नवीनतम सूचना तक पहुंच बनाने के लिए, प्रत्येक अधिकारी को आई एस डी एन कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सुविधा दी गई है। मध्यवर्तियों/ जनता को अपनी शंकाएं/शिकायतें सीधे अधिकारियों को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए, उनके ई-मेल आई डी/संपर्क नंबरों को, उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों की सूचना सहित प्राधिकरण की वेबसाइट पर रखा गया है।

डाटाबेस :

बीमाकर्त्ताओं/मध्यवर्तियों की कानूनी विवरणियों और डाटाबेस के विकास की प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण प्रभावी विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण प्रबंधा सूचना प्रणाली (एम आई एस) की प्रक्रिया को विकास कर रहा है। एम आई एस पहलुओं के डिजाईन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके विकास/इसे लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

प्राधिकरण के भीतर और साथ ही जनता के संबंधित भाग के साथ जरूरी सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को, जो उसके द्वारा समय-समय पर जारी किए गए थे, अंतर्विष्ट करने वाला एक व्यापक डाटाबेस बना रहा है।

प्राधिकरण की वेबसाइट :

प्राधिकरण, बीमा उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इन क्रियाकलापों के भाग रूप में प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.irdaindia.org को (जो सभी बीमाकर्त्ताओं, मध्यवर्तियों और साधारण जनता के सूचना का प्रमुख स्रोत है) पूर्णर्तः सुव्यवस्थित किया गया है और निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है :

- सर्वेक्षकों के वर्गीकरण को, सर्वेक्षक का अनुज्ञप्ति सं. प्रविष्ट करके, देखने की सुविधा।
- प्राधिकरण के अंतिम लेखे।
- ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के साथ बीमाकर्त्ताओं के कारबार के आंकड़े।

वेबसाइट को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

अभिकर्त्ता रजिस्ट्रीकरण पोर्टल (www.irdaonline.org):

बीमा अभिकर्त्ताओं के अनुज्ञापन की प्रक्रिया की प्रणाली को अक्टूबर, 2000 से ही ऑनलाईन कर दिया गया था और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं को अंतर्विष्ट किया गया है :

- केयर साइट मेन्टेनेंस (पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के लिए-(डी पी))
- ऐसे पदाभिहित व्यक्तियों को, जो लाइन पर हैं, तत्काल संदेश/चेतावनी भेजने के लिए चेतावनी प्रबंध प्रणाली।
- रद्दकरण अनुरोध अनुमोदन वर्कफ्लो।
- विश्लेषण रिपोर्ट, अर्थात् ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों, आदि को जारी अनुज्ञप्तियां।
- नए डी.पी. के लिए परीक्षण (रजिस्ट्रीकरण) का बेहतर रूप।
- अभिकर्त्ताओं की कार्य समाप्ति और उनके आगे के रजिस्ट्रीकरणों को रोकना।

इलैक्ट्रानिक कार्यालय

संपूर्ण इलैक्ट्रानिक कार्यालय परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए नई तकनीकों को समझने हेतु आवधिक रूप से चर्चाओं, प्रस्तुतियों और प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दस्तावेज प्रबंध, वर्कफ्लो, वीडियो सम्मेलन और डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करने जैसी तकनीकों को भी, उनकी वहनीयता और प्राधिकरण में उन्हें स्थापित करने के लिए परखा जा रहा है।

(vi) लेखा :

31 मार्च, 2001 को समाप्त हुई अवधि के लिए प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा की गई है। संपरीक्षित लेखों को संसद के सदनों में रखे जाने के उनकी एक प्रति लिए भारत सरकार को भेज दी गई है। सी ए जी ने यह सुझाव दिया है कि प्राधिकरण की आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाए, जिसे पूरा कर लिया गया है। इस अवधि के लेखों की एक प्रति, सी ए जी की टिप्पणियों के साथ इस रिपोर्ट के उपाबंध 2 पर है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए प्राधिकरण के लेखों को अंतिम रूप दिया गया है और लेखा-परीक्षक मैसर्स विश्वनाथ सिंह एंड एसोसिएट्स द्वारा समीक्षा के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया। इन्हें भारत के महा लेखा परीक्षक को भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है। प्राधिकरण के इस वर्ष के लेखों की एक प्रति, उसके द्वारा पारित रूप में, जिसे सी ए जी को लेखा परीक्षा के लिए भेजा गया है, इस रिपार्ट में संलग्न है। (उपाबंध 12)

(vii) प्राधिकरण के मुख्यालय का स्थानांतरण :

भारत सरकार ने नवम्बर, 2001 में प्राधिकरण के मुख्यालय को नई दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। इस आदेश के कार्यान्वयन में अप्रैल 2002 में प्राधिकरण के बीमांकिक विभाग को हैदराबाद में अवस्थित किया गया था और अन्य विभाग भी अगस्त 2002 में हैदराबाद स्थानांतरित हो गए थे। प्राधिकरण का कार्यालय परिश्रम भवनम के तृतीय तल पर अवस्थित है, जो इसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किराया मुक्त आधार पर उपलब्ध कराया गया है। प्राधिकरण ने जीवन भारती भवन, नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय को भी रखा है, जहां सर्वेक्षक अनुज्ञप्तियों को जारी करने और नवीकरण करने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही मंत्रालयों और अन्य अभिकरणों से संपर्क कार्य भी किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद के वित्तीय जिले में 5 एकड़ भूमि आबंटित की है। प्राधिकरण इस समय, भवन योजना पर सलाह लेने के लिए वास्तुकारों की सूची तैयार कर रहा है। प्राधिकरण 2003 में भवन कार्य आरंभ करने और 2004 के आरंभ में इसे समाप्त करने के लिए आशावान है।

भाग 5

निष्कर्ष

बीमा उद्योग ने पिछले दो वर्षों में प्राधिकरण की अगुआई में, जो इस उद्योग के विनियामक की भूमिका में है, जिसमें वृहत अनुभव और उद्योग में गहरी पैठ रखने वाले पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं का और नवताज निजी उद्यमों का मिश्रण है, जो बीमा उद्योग में विशेषज्ञता रखने वाली विश्व की बड़ी कंपनियों के सहयोग से औद्योगिक, बैंकिंग, वित्त अनुभवों वाले समूहों द्वारा संप्रवर्तित हैं, महत्वपूर्ण विकास किया है। उद्योग का उदारीकरण ऐसे समय हुआ है, जब देश में करोड़ों लोगों की, उनमें सामाजिक और आर्थिक चेतना आने के साथ आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। इस प्रकार प्राधिकरण को,बीमा बाजार में विभिन्न खिलाड़ियों, जिनमें बीमाकर्त्ता, मध्यवर्ती और सर्वेक्षक तथा हानि-निर्धारक सम्मिलित हैं, को विनियमित करने तथा उनका मार्गदर्शन करने की चुनौतियों को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कमर कसने की आवश्यकता है कि चूंकि उद्योग की पहुंच एक बड़ी घरेलु बचत तक है, इसलिए यह पालिसीधारकों और अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं को पूरा करे।

जहां वर्ष 2000-01 में विनियामक ढांचे की स्थापना हुई, वहीं वर्ष 2001-02 में पूर्ववर्त्ती वर्ष में रखी गई नींव पर इसका सुदृढ़ीकरण हुआ। प्राधिकरण, पहले से स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण, सुदृढ़ मध्यवर्ती ढांचे के विकास, रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं को मजबूत करने और भारतीय बाजार में अपनाए जा रहे व्यवहारों और प्रक्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के सामंजस्य में लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और इसे तेज करने के प्रयासों में व्यस्त रहा। इस प्रकार प्राधिकरण ने देश में एक प्रगतिशील बीमा बाजार को स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

संक्षेप में, बीमा क्षेत्र को उच्चतर विकास की ओर अग्रसर करने वाले सुधार के मूल क्षेत्रों में निम्नलिखित हैं :

- विश्वसनीयता का सृजन करने के लिए बीमा बाजार और साथ ही जनता की पालिसियों के बारे में विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़ों और सूचना तक समय पर पहुंच।
- भारतीय बीमा बाजार के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम नीतियों के आधार पर मापदंडों का विकास।
- पर्यवेक्षक और विनियामक तंत्रों को मजबूत बनाना, यह भूमिका बी.वि.वि.प्रा. द्वारा बखूबी निभाई जा रही है।
- निर्णयों में बाजार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्व: विनियामक संगठनों का संवर्धन।
- स्थिरीकरण और उच्च शोधन क्षमता मानकों को समाविष्ट करना।
- बीमा बाजार के सुधार के लिए बीमा बाजार की संरचना में वैकल्पी मार्गों को अनुज्ञात करना।

इसके अतिरिक्त अन्य पहलें, जो बीमा क्षेत्र को विकास की ओर ले जा सकती हैं, निम्नानुसार हैं :

- असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा सुनिश्चित करने के लिए आने वाले मासों में पेंशन स्कीमें आरंभ करने की योजना है।
- कृषकों की, जो प्रकृति के ओर अन्य आपदाओं के रहमो-करम पर हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संकेन्द्रित विचारधारा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की एक फसल बीमा कंपनी गठित की जा रही है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां के लोगों के जीवन और आस्तियों का बीमा करके कारबार प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है।
- बीमाकर्त्ताओं को स्वास्थ्य बीमा कारबार का लेखांकन करने में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- बीमा क्षेत्र में सहकारिता का प्रवेश अनुज्ञात करने के लिए विद्यमान विधि का संशोधन किया जा रहा था।
- दीर्घ कालिक प्रतिभूतियों के उपलब्ध होने के साथ, जो अवसंरचना विकास में सहयोग देंगे, ऋण बाजार के विकास की भी काफी संभावनाएं हैं।
- नए बीमाकर्त्ता, व्यष्टियों और उद्योग दोनों को उत्कृष्ट समाधानों का प्रस्ताव करने के लिए उत्पादों को पुन: डिजाईन कर रहे हैं और उनमें नवीनता ला रहे हैं।

और अभी भी कुछ चिंताजनक विषय हैं। ऐसे विभिन्न मुद्दे, जो भविष्य में प्राधिकरण का ध्यान और समय आकृष्ट करेंगे, निम्नानुसार हैं :

- बीमाकर्त्ताओं द्वारा कारबार निम्नांकन करने के साथ स्व: विनियामक क्षेत्र को विकसित करना। कई बीमाकर्त्ताओं ने अपने अनुभवों का प्रयोग करके बीमा बाजार के किसी भाग पर अपनी पकड़ बनाने के लिए विवेकपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। गैर-जीवन बीमाकर्त्ता के लिए इसका विशिष्ट महत्व है क्योंकि इसमें कारबार का व्यष्टि क्षेत्र उनकी लाभप्राप्यता को प्रभावित करता है।

- बीमाकर्त्ताओं को अपने प्रबंध व्ययों पर ध्यान देना चाहिए (बाजार पर पकड़ बनाने के लिए आक्रामक प्रयास अक्सर व्यय दरों को भी बढ़ते हैं। यह विशेषकर निजी बीमाकर्त्ताओं के मामले में सत्य है। पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं की बाबत प्रबंध व्यय को, जो वर्षों से अधिक बना हुआ है, कम करके प्राधिकरण द्वारा अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप लाने की आवश्यकता है।
- हालांकि सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कारबार निम्नांकित करने की पहल की गई है, फिर भी बीमाकर्त्ताओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बीमाकवर बनाने होंगे। इस विशिष्ट क्षेत्र में आपार संभावनाएं हैं।
- प्राधिकरण, बीमाकर्त्ताओं को रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय, प्रवर्तक की उद्यम के प्रति लंबे समय तक संसाधन प्रतिबद्ध कने की क्षमता को सर्वाधिक महत्व देता है। यह इस बात को समझते हुए किया जाता है कि संकर्म के प्रारंभिक वर्षों में बीमाकर्त्ताओं को हानि होगी। इस प्रकार शोधनक्षमता अपेक्षाओं को पूरा करते हुए बीमाकर्त्ता को नियमित अंतरालों पर अतिरिक्त निधियां भी लाने की आवश्यकता होगी।
- ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां ब्याज दरें निरंतर घट रही हैं, बीमाकर्त्ताओं की, विशेषकर जीवन बीमा क्षेत्र में, आस्तियों और दायित्वों का संतुलन में न होना बीमाकर्त्ता की शोधन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विवेकपूर्ण निक्षेप समय की आवश्यकता है। विवेकशील निवेश निर्णयों के साथ-साथ, द्रवता, फायदे और सुरक्षा के आधारिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निवेश पोर्टफोलियों का निरंतर पुनर्विलोकन भी किया जाना चाहिए। निवेश संपरीक्षा में इस दिशा में पहल की गई है।
- पूरे विश्व में बीमाकर्त्ता, अपनी कंपनियों के कार्यपालन में सुधार लाने के लिए जोखिम आधारित पूंजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्राधिकरण देश के भीतर बीमाकर्त्ताओं के लिए भी इसे प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। जोखिम आधारित पूंजी विचारधारा बीमाकर्त्ताओं के सामने आ रहे विभिन्न जोखिमों, जिसके अंतर्गत आस्ति जोखिम, निम्नांकन जोखिम और कारबार जोखिम भी है, का समाधान करता है और बीमाकर्त्ता के दिवालिया होने की संभावनाओं को न्यूनतम करता है।

यद्यपि प्राधिकरण स्वयं को पुलिस वाले की भूमिका में नहीं देखता है,फिर भी ''विश्वास करो किन्तु सत्यापन भी करो'' सिद्धांत का अनुसरण करते हुए और चिंताजनक क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए,चालू वर्ष के दौरान स्थल पर निरीक्षण आरंभ किया गया है। यह निरीक्षण बीमाकर्त्ता द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई वित्तीय और अन्य सूचनाओं के पुनर्विलोकन का अनुपूरक है।

प्राधिकरण के देश भर में बीमा की पहुंच बनाने के प्रयासों के अतिरिक्त, सरकार ने भी इस संबंध में कई पहल की हैं। चिरप्रतिक्षित बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 ने निगम अभिकर्त्ताओं और दलालों के लिए मार्ग साफ किया है और प्रीमियम संदाय के कई ढंगों को अनुज्ञात किया है और जीवन बीमा कारबार के मामले में अधिशेष के वितरण से संबंधित उपबंधों को उपांतरित किया है। इसके अतिरिक्त विधि आयोग को बीमा विधियों से संबंधित विध ाानों के पुनर्विलोकन का कार्य सौंपा गया है।

बीमा क्षेत्र में विदेशी भागीदारों को, देश के भीतर प्रवर्तित संयुक्त उद्यमों में निवेश के 26 प्रतिशत तक की साम्या अनुज्ञात है। उद्योग की पूंजी उन्मुख प्रकृति को देखते हुए कई क्षेत्रों से इस सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की मांग सामने आई है। वस्तुत: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पुनर्विलोकन करने के लिए गठित एन. के. सिंह समिति ने भी यह सिफारिश की है। इस संबंध में प्राधि ाकरण के विचारों को सरकार को संसूचित कर दिया गया है।

पिछले दो वर्षों में प्राधिकरण द्वारा की गई पहल और विकास पर इसकी विचारधारा से, एक प्रगतिशील बीमा उद्योग की स्थाना की अपेक्षा है, जो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 10वीं योजना के दस्तावेजों में यथा प्रतिबिंबित उदारीकरण के प्रति सकारात्मक सोच के साथ मिलकर बीमा पहुंच और घनत्व में वृद्धि की नींव रखेंगे। आने वाले वर्षों में बीमा के रूप में, जैसाकि वह आज है, आमूल परिवर्तन होंगे, और उस समय बीमाकृत व्यक्तियों की आवश्यकताओं को बीमाकर्त्ता उत्पाद विकसित करके पूरा करने में सक्षम होंगे और बीमा क्षेत्र द्वारा सृजित संसाधनों का उपयोग, सामाजिक आर्थिक विज्ञान की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

उपाबंध – I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002

1. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकन रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण या सामाजिक सैक्टरों के प्रति बाध्यताएं) विनियम, 2000
3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटन) विनियम, 2000
4. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं के अनुज्ञापन) विनियम, 2000
5. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2000
6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
7. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधन क्षमता में मार्जिन) विनियम, 2000
8. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठकें) विनियम, 2000
9. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2000
10. बीमा सलाहकार समिति (बैठक) विनियम, 2000
11. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000
12. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
13. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अनुज्ञापन वृत्तिक अपेक्षाएं और आचार संहिता) विनियम, 2000
14. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000
15. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2001
17. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तीसरे पक्षकार प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001
18. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनः बीमाकर्त्ता सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसी-धारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
20. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002
21. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधन-क्षमता में अंतर) (संशोधन) विनियम, 2002
22. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगम अभिकर्त्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2002
23. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्त्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2002
24. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002
25. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रीमियम के संदाय की नीति) विनियम, 2002
26. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ताओं के ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताएं) (संशोधन) विनियम, 2002
27. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसी-धारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002

उपाबन्ध – **II**

विमुक्त बीमाकर्ता

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	गुजरात बीमा निधि
2	मध्य प्रदेश राज्य फसल बीमा
3	दमन व दीव फसल बीमा निधि
4	दादर नगर हवेली फसल बीमा
5	केरल राज्य बीमा विभाग
6	कर्नाटक राज्य बीमा विभाग
7	तमिलनाडु फसल बीमा निधि
8	पांडिचेरी फसल बीमा निधि
9	कर्नाटक सरकार फसल बीमा निधि
10	आंध्र प्रदेश फसल बीमा
11	राजस्थान राज्य बीमा निधि
12	दिल्ली राज्य फसल बीमा निधि
13	हरियाणा राज्य फसल बीमा निधि
14	हिमाचल प्रदेश राज्य फसल बीमा निधि
15	उत्तर प्रदेश फसल बीमा निधि
16	राजस्थान राज्य फसल बीमा निधि
17	सी एच एन एच बी समिति
18	प. बंगाल फसल बीमा निधि
19	उडीसा राज्य फसल बीमा निधि
20	बिहार फसल बीमा
21	त्रिपुरा फसल बीमा
22	असाम राज्य फसल बीमा
23	मेघालय राज्य फसल बीमा निधि
24	मणिपुर राज्य फसल बीमा निधि
25	महाराष्ट्र राज्य फसल बीमा निधि
26	अंडमान निकोबार प्रशासन निधि
27	महाराष्ट्र सरकार बीमा निधि
28	गोवा राज्य फसल बीमा

उपाबन्ध - **III**

वितरण मार्गों के आंकड़े–जीवन बीमाकर्त्ता–व्यष्टि अभिकर्ता

बीमाकर्ता का नाम	अभिकर्त्ताओं की संख्या	शहरी अभिकर्त्ता	ग्रामीण अभिकर्त्ता
एलाएंज बजाज जीवन बीमा कं. लि.	4377	4336	41
टाटा ए आई जी जीवन बीमा कंपनी लि.	7038	7026	12
ए एम पी सनमार बीमा कं. लि.	484	415	69
बिरला सनलाईफ	2009	2008	1
एचडीएफसी स्टेंडर्ड जीवन बीमा कं. लि.	3214	3154	60
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा	10861	10663	198
आई एन जी वैश्या जीवन बीमा कं. प्रा. लि.	1135	1131	4
भारतीय जीवन बीमा निगम	442680	251378	191302
मैक्स न्यू यार्क जीवन बीमा कं. लि.	2620	2615	5
मैटलाईफ भारतीय बीमा कं. लि.	417	417	0
ओम ओटक महेन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	1348	1259	89
एस बी आई जीवन बीमा कं. लि.	719	713	6
कुल योग	**476902**	**285115**	**191787**
वित्रण मार्गों के आंकड़े-गैर जीवन बीमाकर्त्ता - व्यष्टि अभिकर्त्ता			
टाटा ए आई जी साधारण बीमा कंपनी लि.	495	492	3
बजाज एलाएंज़ साधारण बीमा कं. लि.	353	353	0
आईसीआईसीआई लोमबर्ड साधारण बीमा कं. लि.	78	78	0
इफ्को–टोकियो साधारण बीमा कं. लि.	98	87	11
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	9755	8284	1471
नेशनल बीमा कं. लि.	7838	6731	1107
ओरियन्टल बीमा कं. लि.	6749	5439	1310
रिलायंस साधारण बीमा कंपनी लि.	149	146	3
रॉयल सुन्दरम एलाऐंस बीमा कं. लि.	68	59	9
यूनाइटिड इंडिया बीमा कं. लि.	7679	5738	1941
योग	**33262**	**27407**	**5855**
योग–जीवन और गैर जीवन व्यष्टि अभिकर्त्ता	**510164**	**312522**	**197642**

उपाबन्ध – **IV**

वित्रण मार्गो के आंकड़े–जीवन बीमाकर्त्ता–निगम अभिकर्त्ता

बीमाकर्ता का नाम	अभिकर्त्ताओं की संख्या	शहरी अभिकर्त्ता	ग्रामीण अभिकर्त्ता
एलाएंज बजाज जीवन बीमा कं. लि.	18	18	0
टाटा ए आई जी जीवन बीमा कंपनी लि.	68	68	0
ए एम पी सनमार बीमा कं. लि.	1	1	0
बिरला सनलाईफ	33	33	0
एचडीएफसी स्टेंडर्ड जीवन बीमा कं. लि.	35	35	0
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा	80	80	0
आई एन जी वैश्या जीवन बीमा कं. प्रा. लि.	3	3	0
भारतीय जीवन बीमा निगम	20	19	1
मैटलाईफ भारतीय बीमा कं. लि.	5	5	0
ओम ओटक महेन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	12	12	0
कुल योग	**275**	**274**	**1**
वित्रण मार्गो के आंकड़े–गैर जीवन बीमाकर्त्ता – निगम अभिकर्त्ता			
टाटा ए आई जी साधारण बीमा कंपनी लि.	121	120	1
बजाज एलाएंज़ साधारण बीमा कं. लि.	18	18	0
आईसीआईसीआई लोमबर्ड साधारण बीमा कं. लि.	1	1	0
इफ्को–टोकियो साधारण बीमा कं. लि.	13	13	0
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	5	5	0
नेशनल बीमा कं. लि.	12	11	1
ओरियन्टल बीमा कं. लि.	4	4	0
रिलायंस साधारण बीमा कंपनी लि.	28	28	0
रॉयल सुन्दरम एलाऐंस बीमा कं. लि.	3	3	0
यूनाइटिड इंडिया बीमा कं. लि.	3	2	1
कुल योग	208	205	3
योग–जीवन और गैर जीवन निगम अभिकर्त्ता	483	479	4

उपाबन्ध – V

तीसरा पक्षकार प्रशासक–स्वास्थ्य सेवाएं

क्रम.सं.	कंपनी	सम्पर्क व्यक्ति/पता	टेलीफोन सं.
1.	डॉन सर्विसिज़ प्रा. लि. (अनुज्ञप्ति सं. 001)	डा. आर. सुरेश कुमार प्रबंध निर्देषक और मुख्य कार्य पालक अधिकारी प्लॉट सं. 37, संतोषी मां कॉलोनी, पश्चिम मारेडपल्ली, सिकंदराबाद–500026	7808810 7808809
2.	फैमली हेल्थ प्लॉन लि. (अनुज्ञप्ति सं. 013)	श्री सी.वी. रामन्ना रेड्डी मुख्य कार्य पालक अधिकारी 34, साई एन्क्लेव, 1 ऐवेन्यू , रोड सं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500034	3371167 6510102 6629245
3.	मेडिकेयर टी.वी.ए. सर्विसिज़ (1) प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 012)	ब्रिगे. डी.जे. घोशाल (सेवानिवृत्त) निर्देशक फ्लैट सं. 10, पॉल मैंशन, 6, बिशप निफरे रोड, कोलकात्ता–700020	2873385
4.	पारिख हेल्थ मेनेज्मेंट (प्रा.) लि. (अनुज्ञप्ति सं. 002)	श्री निमिश आर.पारिख मुख्य कार्यपालक अधिकारी, द फोरम, दूसरा तल, रघुवंशी मील्स कम्पाऊंड, 11/12, सेनापति बापट मार्ग, महामक्ष्मी, मुम्बई–400013	4611022 से 24
5.	मेडिकल असिस्ट इंडिया प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 003)	श्री एस. सितारामू मुख्य कार्य पालक अधिकारी सं. 650, 11वां मेन (जे.पी. नगर मेन रोड), जयानगर, 5वां ब्लॉक, बंगलोर–560041	6597595
6.	गोवर्धन हेल्थ मेनेजमैंट प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 004)	डा. ओलिंडा टिक्स के एस सी एम एफ बिल्डिंग सं. 8, कनिंघम रोड, बंगलोर–560052	2204643 2265744
7.	एम डी इंडिया हेल्थकेयर सर्विसिज़ (प्रा.) लि. (अनुज्ञप्ति सं. 005)	श्री ब्रिज शर्मा मुख्य कार्यपालक अधिकारी 261/2/7, सिल्वर ओक पार्क, बेनर रोड, पुणे–411045	7292040–43
8.	आई सी ए एन हेल्थ सर्विसिज़ प्रा. लि. (अनुज्ञसप्ति सं.014)	डा. कर्नल, ओ.पी. अरोड़ा प्रबंध निर्देशक ए–1/2, मीरा नगर, कोहरेगांव पार्क, पुणे–411001	4001171 से 73
9.	पैरामाऊंट हेल्थ सर्विसिज़ प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति से. 006)	डा. नयन शाह प्रबंध निर्देशक 81, बरोदावाला मेंशन, डा. ऐनी बसंत रोड, वरली नाका, मुम्बई–400018	4620800
10.	ई मेडिटेक सोल्यूशन लि. (अनुज्ञप्ति सं. 007)	श्री गोपाल वर्मा प्रबंध निर्देशक बी–231 सी, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, नई दिल्ली–110048	6430885 6430884

क्रम.सं.	कंपनी	सम्पर्क व्यक्ति/पता	टेलीफोन सं.
11.	हैरिटेज़ हेल्थ सर्विसिज़ प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 008)	श्री दीपायन गुप्ता मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मेकलाई हाऊस, 3, नेताजी सुभाष रोड, कोलकात्ता-700001	4980776
12.	यूनिवर्सल मेडि-ऐंड सर्विसिज़ लि. (अनुज्ञप्ति सं. 009)	श्री जी.पी. सुरेखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी 230, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	7033440
13.	मेडिकेयर फाऊंडेशन प्रा. लि. (अनुज्ञप्ति सं. 010)	श्री अक्षय जैन मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाईमेंडस चैम्बर्स, पहला तल, शिक्षा विभाग के सामने, पंजिम-गोआ	423488 423489
14.	टॉवर इंश्योरेंस सर्विसिज़ प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 011)	सुश्री एम.एस.महिंद्रा, अध्यक्ष 519, मेकर चैम्बर 5, नरीमन पॉईंट, मुम्बई-400021	2844364 2835359
15.	मैसर्स रक्षा टी पी ए प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 015)	सुश्री रितू नंदा निर्देशक ए-1 फ्रेंडस कॉलोनी (ई) नई दिल्ली-110065	6821618 6447603
16.	मेसर्स टी टी के हेल्थ केयर सर्विसिज़ प्राईवेट लिमिटेड (अनुज्ञप्ति सं. 016)	श्री गिरिष रॉव कार्यपालक निर्देशक 37/1-1 आगा अब्बास अली, रोड बंगलौर-560042	080-5583641 080-5583632
17.	मेसर्स अन्युत पेडिनेट हेल्थकेयर प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 017)	डा. एन रविंदर शेट्टी निर्देशक 65, लॉवेले रोड, पचा क्रास, बंगलौर-560001	2214766 2210205
18.	मेसर्स ईस्ट वेस्ट अस्सिट प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 018)	डा. एन.पी.एस. चावला प्रबंध निर्देशक 37,पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011	4699229 4623738
19.	मेसर्स मेड सेव हेल्थकेयर (अनुज्ञप्ति सं. 019)	श्री राजन सुब्राह्मणयम मुख्य कार्यपालक अधिकारी एफ-701 ए लड्डो सराय, गोल्फ कोर्स के पीछे, नई दिल्ली-110030	6611061-66 फैक्स-6611067
20.	मेसर्स जेनिनस इंडिया लि. (अनुज्ञप्ति सं. 020)	श्री राकेश कपूर प्रबंध निर्देशक 41, अरून विहार, सेक्टर-37, नोएडा-201303	4430329/139

टिप्पण : दो कंपनियों को तीसरा पक्षकार प्रशासक (स्वस्थ्य सेवाएं) के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं।

1. मेसर्स अलंकृत हेल्थकेयर प्राईवेट लि.
2. मेसर्स भाईचंद अमोलक इंश्योरेंस सर्विसिज़ प्राईवेट लि.

उपाबन्ध – **VI**

प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का सारांश

(1.4.2001 से 24.7.2002 तक की अवधि के लिए)

शिकायतों की कुल संख्या	**428**
शिकायत	
कंपनी	156
व्यष्टि	272
विभागवार वित्रण	
अग्नि	80
समुद्री स्थोरा	16
समुद्री पेटा	4
इंजीनियरी	14
मोटर	100
मेडिकलेम	96
प्रकीर्ण	63
अन्य	55
शिकायत का प्रकार	
दावों का समाधान न करना/विलम्ब से करना	228
दावों का गलती से अधित्यजन/कम रकम पर दावा समाधान	51
पालिसी का नवीकरण न करना/रद्दकरण/जारी न करना/और उससे संबंधित अन्य मुद्दे	43
अधिकारियों का असहयोगी/गलत व्यवहार	46
अन्य कारण	60
की गई कार्रवाई	
कार्रवाई की गई और मामला समाप्त	96
पावती और उत्तर प्रतिक्षित है	34
कोई उत्तर नहीं	298
राज्यवार वित्रण	
आन्ध्र प्रदेश	16
असम	2
बिहार	6
छत्तीसगढ़	2
दिल्ली	66
गोआ	1
गुजरात	22
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	0
झारखंड	6
कर्नाटक	11
केरल	4
मध्य प्रदेश	19
महाराष्ट्र	130
उड़ीसा	5
पंजाब	8
राजस्थान	13
तमिलनाडु	26
उत्तर प्रदेश	45
उत्तरांचल	6
पश्चिमी बंगाल	31

उपाबन्ध – **VII**

बीमा सलाहकार समिति का सदस्य

तारीख 23 मई, 2000की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों को तारीख 1 जून, 2000 से नियुक्त किया गया

1. श्री वी.एस. व्याय, जयपुर
2. श्रीमति पुष्पा गिरिमाजी, नई दिल्ली
3. श्री ए.सी. मुखर्जी, कोलकात्ता
4. श्री टी.एस. विश्वनाथ, एफ सी ए, नई दिल्ली
5. डा. डी.एन. बूरागोइन, निदेशक, आई आई टी गुवाहाटी
6. श्री सी एन एस शास्त्री, पुट्टापार्ती (आंध्र प्रदेश)
7. श्री एस.वी. मोनी, चेन्नई
8. अध्यक्ष, एल आई सी ऑफ इंडिया, मुम्बई
9. अध्यक्ष, जी आई पी एस ए
10. निदेशक, एन आई ए पुणे
11. निदेशक, आई आई एम बंगलौर
12. श्री एस.पी. सुबेदार, बीमांकक, मुम्बई
13. अध्यक्ष, बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकात्ता
14. श्रीमति इला भट्ट, सी ई डब्ल्यू ए, अहमदाबाद
15. श्री टी. रामानन, जोखिम बीमा, मुम्बई
16. श्री फली पूंचा, मुम्बई
18. श्री ए.वी. त्यागी, महासचिव, एन एफ आई एफ डब्ल्यू, लखनऊ
19. श्री जॉनकोशी, अभिकर्त्ता कोचीन
20. श्री डी. वर्धराजन अधिवक्ता, नई दिल्ली
21. निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, पुणे
22. उपकुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
23. श्री लियाकत खान, लखनऊ
24. श्री ए.के. वेंकटसुब्रमण्यम, आई ए एस, सेवानिवृत्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार (बाद में सम्मिलित किए गए)
25. श्री वी.के. भसीन, संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली (बाद में सम्मिलित किए गए)

उपाबन्ध – **VIII (क)**

शासकीय बीमा काउंसिल का कार्यालय

वित्तीय वर्ष 2002 शिकायत निष्पादन का सारांश (जीवन बीमा)

बीमा लोकपाल केन्द्र	शिकायतों की कुल संख्या	शिकायत निष्पादन अद्योलिखित तरीके द्वारा :सं.			योग शिकायत निष्पादन	योग ओ/एस शिकायत	राशि द्वारा: रू. ००	अधिनिर्णय द्वारा राशि रू. ०००	योग राशि रू. ०००
		निपटान	अधिनिर्णय	असंबद्ध					
दिल्ली	473	196	33	45	274	199	3932	2873	6805
चैन्नई	183	-	43	138	181	2	-	841	841
लखनऊ	321	173	56	87	316	5	5255	2171	7426
हैदराबाद	77	-	35	24	59	18	-	-	-
कोच्ची	52	-	31	15	46	6	-	384	384
कोलकता	249	148	-	6	154	95	3773	-	3773
चंडीगढ	48	16	9	12	37	11	280	142	422
भोपाल	230	-	49	160	209	21	-	3537	3537
भुवनेश्वर	76	42	-	20	62	14	1557	-	1557
मुंबई	148	-	20	80	100	48	-	301	301
गुवाहटी	53	16	21	4	41	12	9	391	400
अहमदाबाद	57	7	6	14	27	30	-	483	483
योग	**1967**	**598**	**303**	**605**	**1506**	**461**	**14806**	**11123**	**25929**

उपाबन्ध – **VIII (ख)**

शासकीय बीमा काउंसिल का कार्यालय

वित्तीय वर्ष 2002 शिकायत निष्पादन का सारांश (साधारण बीमा)

बीमा लोकपाल केन्द्र	शिकायतों की कुल संख्या	शिकायत निष्पादन अद्योलिखित तरीके द्वारा :सं.			योग शिकायत निष्पादन	योग ओ/एस शिकायत	राशि द्वारा: रू. ००	अधिनिर्णय द्वारा राशि रू. ०००	योग राशि रू. ०००
		निपटान	अधिनिर्णय	असंबद्ध					
दिल्ली	615	255	72	109	436	179	2811	3368	6179
चैन्नई	202	-	82	93	175	27	-	619	619
लखनऊ	199	89	37	55	181	18	2733	523	3256
हैदराबाद	222	-	93	110	203	19	-	-	-
कोच्ची	95	-	42	35	77	18	-	2198	2198
कोलकता	357	248	-	14	262	95	9668	-	9668
चंडीगढ	109	32	36	18	86	23	686	829	1515
भोपाल	264	46	1	126	173	91	5589	1792	7381
भुवनेश्वर	236	115	-	23	138	98	6368	-	6368
मुंबई	285	-	85	92	177	108	-	3490	3490
गुवाहटी	60	9	31	7	47	13	398	2761	3159
अहमदाबाद	325	4	74	108	186	139	22	3897	3919
योग	**2969**	**798**	**553**	**790**	**2141**	**828**	**28275**	**19477**	**47752**

उपाबन्ध – **VIII (ग)**

शासकीय बीमा काउंसिल का कार्यालय
वित्तीय वर्ष 2002 शिकायत निष्पादन का सारांश

बीमा लोकपाल केन्द्र	शिकायतों की कुल संख्या	शिकायत निष्पादन अद्योलिखित तरीके द्वारा :सं.			योग शिकायत निष्पादन	योग ओ/एस शिकायत	राशि द्वारा: रू. ००	अधिनिर्णय द्वारा राशि रू. ०००	योग राशि रू. ०००
		निपटान	अधिनिर्णय	असंबद्ध					
दिल्ली	1,088	451	105	154	710	378	6743	6241	12984
चैन्नई	385	-	125	231	356	29	-	1460	1460
लखनऊ	520	262	93	142	497	23	7988	2694	10682
हैदराबाद	299	-	128	134	262	37	-	-	-
कोच्ची	147	-	73	50	123	24	-	2582	2582
कोलकता	606	396	-	20	416	190	13441	-	13441
चंडीगढ	157	48	45	30	123	34	966	971	1937
भोपाल	494	46	50	286	382	112	5589	5329	10918
भुवनेश्वर	312	157	-	43	200	112	7925	-	7925
मुंबई	433	-	105	172	277	156	-	3791	3791
गुवाहटी	113	25	52	11	88	25	407	3152	3559
अहमदाबाद	382	11	80	122	213	169	22	4380	4402
योग	**4936**	**1396**	**856**	**1395**	**3647**	**1289**	**43081**	**30600**	**73681**

उपाबन्ध – IX

बीमाकर्ता और विभिन्न मध्यस्थों के लिये शुल्क दरें

			प्रक्रिया शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की अवधि
1	बीमाकर्ता जीवन या गैर जीवन या पुनर्बीमा		-	रू. 50,000	20 प्रतिशत का 1 प्रतिशत का सकल प्रीमियम*	प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक
2	तृतीय पक्षकार प्रशासक		रू. 20,000	रू. 30,000	रू. 30,000	3 वर्ष
3	दलाल					
	सीधा दलाल		-	रू. 25,000	0.50 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित की गयी ब्रोकरेज रू. 25000 और रू. 10000 अधिकतम	प्रत्येक वर्ष
	पुनर्बीमा दलाल		-	रू. 75,000	0.50 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित की गयी ब्रोकरेज रू. 75000 और रू. 200000 अधिकतम	प्रत्येक वर्ष
	संयुक्त दलाल		-	रू. 1,25,000	0.50 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित की गयी ब्रोकरेज रू. 125000 और रू. 500000 अधिकतम	प्रत्येक वर्ष
4	सर्वेयर और हानि - निर्धारिक					
	व्यक्तिगत श्रेणी	ए	-	रू. 10,000	रू. 250/- प्रत्येक वर्ग के लिये	5 वर्ष
		बी	-	रू. 7,500		
		सी	-	रू. 5,000	रू. 250/- प्रत्येक वर्ग के लिये	5 वर्ष
	निगमित श्रेणी	ए	-	रू. 25,000		
		बी	-	रू. 20,000		
		सी	-	रू. 15,000		
5	निगमित अभिकर्ता		-	रू. 250 निगमित बीमा कार्यकारी के लिय रू. 500 व्यक्ति विशेष के लिये	अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्राधिकरण को अतिरिक्त देय शुल्क परिस्थितियों में रू. 100 है.	3 वर्ष

*2001-02 से 2002-04 के लिये तीन वर्ष के लिये 50 प्रतिशत कम किया गया।

उपाबन्ध – X

उन कंपनियों में विदेश सीधा निवेश जिन्हे पंजीकरण प्रदान किया गया

आर 1 आवेदन संख्या	दिनांक को जारी आर 1 आवेदन	कंपनी का नाम	देय पूंजी : करोड में	विदेश सीधा निवेश : करोड में	इक्विटी के प्रतिशत में	विदेशी साझेदारों का नाम	दिनांक को आर 1 की प्रस्तुति	दिनांक को पंजीकरण	पंजी-करण संख्या	दिनांक को व्यापार प्रारंभ	जीवन अथवा गैर जीवन
6	16/08/2000	एचडीएफ सी स्टैंडर्ड जीवन बीमा क. लि.	168	31.25	18.60%	स्टैंडर्ड जीवन	25.08.2000	23.10.2000	101	12.12.2000	जीवन
8	16/08/2000	मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा क. लि.	105 बढ गया जब 250 करोड (2001-02)	65.00	26.00%	न्यूयार्क जीवन	01.09.2000	15.11.2000	104	26.03.2001	जीवन
1	16/08/2000	आई सी आई सी आई प्रूडेंश्यिल	150 बढ गया जब 190 करोड (2001-2002)	49.40	26.00%	प्रूडेंश्यिल	16.08.2000	24.11.2000	105	19.12.2000	जीवन
14	30/08/2000	ओम कोटक महिन्द्रा जीवन बीमा क. लि..	101	26.26	26.00%	ओल्ड म्युचुअल	01.09.2000	10.01.2001	107	17.05.2001	जीवन
12	21/08/2000	बिरला सन लाइफ	120 बढ गया जब 150 करोड (2001-2002)	39.00	26.00%	सन लाइफ	28.09.2000	03.01.2001	109	19.03.2001	जीवन
11	21/08/2000	टाटा एआईजी जीवन बीमा क. लि..	125 बढ गया जब 185 करोड (2001-2002)	48.10	26.00%	ए आई जी	06.10.2000	12.02.2001	110	02.04.2001	जीवन
21	11/2000	एसबीआई जीवन बीमा क. लि..	125	32.50	26.00%	कोडिक	31.01.2001	30.3.2001	111	15.06.2001	जीवन
22	01/12/2000	आईएनजी वैश्या जीवन बीमा क. लि..	110	28.60	26.00%	आई एन जी	04.12.2000	02.8.2001	114	01.09.2001	जीवन
27	01/02/2001	बजाज अलायंस जीवन बीमा क. लि..	150	39.00	26.00%	अलायंस	20.02.2001	03.8.2001	116	28.09.2001	जीवन
15	08/2000	मैटलाइफ भारत जीवन बीमा क. लि..	110	28.59	25.99%	मैटलाइफ	25.04.2001	06.8.2001	117	04.01.2002	जीवन
32	01/06/2001	एएमपी सनमार जीवन बीमा क. लि..	125	32.50	26.00%	सनमार	11.06.2001	03.01.2002	121	03.01.2002	जीवन
30	29/05/2001	डाबर सीजीयू जीवन बीमा क. लि..	110	28.60	26.00%	सीजीयू	29.05.2001	14.05.2002	122	06.06.2002	जीवन
		कुल योग		**448.80**							

आर 1 आवेदन संख्या	दिनांक को जारी आर 1 आवेदन	कंपनी का नाम	देय पूंजी : करोड में	विदेश सीधा निवेश : करोड में	इक्विटी के प्रतिशत में	विदेशी साझेदारों का नाम	दिनांक को आर 1 की प्रस्तुति	दिनांक को पंजीकरण	पंजी-करण संख्या	दिनांक को व्यापार प्रारंभ	जीवन अथवा गैर जीवन
7	16/08/2000	रॉयल सुन्दरम अलायंस बीमा क. लि..	101 बढ गया जब 130 करोड 2001-02	33.80	26.00%	रायल सन लाइफ अलायंस	28.08.2000	23.10.2000	102	23.03.2001	गैर जीवन
4	16/08/2000	रिलायंस बीमा क. लि..	(102.0007)	Nil	Nil	भारतीय प्रवर्तक केवल	24.08.2000	23.10.2000	103	23.03.2001	गैर जीवन
9	16/08/2000	इफ्को टोकिया बीमा क. लि.	100	26.00	26.00%	टोकियो मैरिन	08.09.2000	04.12.2000	106	04.12.2000	गैर जीवन
10	21/08/2000	टाटा एआईजी बीमा क. लि.	125	32.50	26.00%	एआईजी	06.10.2000	22.01.2001	108	22.02.2001	गैर जीवन
13	18/09/2000	बजाज अलायंस बीमा क. लि.	110	28.60	26.00%	अलयांस	01.02.2001	02.05.2001	113	10.05.2001	गैर जीवन
24	20/12/2000	आई सी आई सी आई लंबार्ड बीमा क. लि.	110	28.60	26.00%	लंबार्ड	27.01.2001	03.08.2001	115	31.08.2001	गैर जीवन
34	02/11/2001	चोलोमंडलम बीमा क. लि.	100	Nil	Nil	भारतीय प्रवर्तक केवल	22.11.2001	15.07.2002	123	11.09.2002	गैर जीवन
35	04/04/2002	एच डी एफ सी - सी एच यू बी वी बीमा क. लि.	101	26.26	26.00%	सी एच यू बी बी	27.2.2002	27.09.2002	125	17.10.2002	गैर जीवन
		कुल योग- गैर जीवन		**175.76**							

उपाबन्ध – **XI**

31 मार्च 2001 को समाप्त अवधि के लिए प्राधिकरण का लेखा

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां और संदाय लेखा, आय और व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 2001 को यथा विद्यमान तुलन पत्र की परीक्षा की है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाओं ओर स्पष्टीकरणों को अभिप्राप्त कर लिया है और संलग्न लेखा परीक्षा में संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में ये लेखे और तुलनपत्र उचित रूप से बनाए गए हैं, जिससे कि ये मेरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों द्वारा यथा दर्शित रूप में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के मामलों को ठीक और सही रूप से दर्शित करते हैं।

ह/-

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 जुलाई, 2002

महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

अनुलग्नक

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्ष 2000-2001 के लेखों की लेखा परीक्षा

1. प्रारंभ

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1999 के अधीन तारीख 19 अप्रैल, 2000 को स्थापित किया गया था। प्राधिकरण की मुख्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित हैं :-

(क) बीमा पालिसी के धारकों के हितों का संरक्षण ;

(ख) बीमा उद्योग और उससे जुड़े तथा उसके अनुषंगिक मामलों का विनियमन तथा संवर्धन करना और उनका सुचारू विकास सुनिश्चित करना ;

(ग) किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, उसे नवीकृत, उपांतरित, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द करना ; और

(घ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, फीस और अन्य प्रभार उदगृहित करना।

प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन सौंपा गया था।

2. प्राप्तियों के स्रोत

प्राधिकरण को, वर्ष 2000-01 के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से दिन-प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति के लिए 1.50 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी। प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां (वित्त मंत्रालय से प्राप्त 1.50 करोड़ रुपए की राशि से भिन्न) 21.86 करोड़ रुपए थी। कुल व्यय 1.67 करोड़ रुपए था।

3. लेखों पर टिप्पणियां

3.1 आस्तियों का भौतिक

सत्यापन साधारण वित्तीय नियमों के नियम 112(ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनों में वर्ष में कम से कम एक बार नियत आस्तियों का सत्यापन किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणामों को सूची में अभिलिखित करना चाहिए। 31 मार्च, 2001 को तुलन पत्र के अनुसार प्राधिकरण के पास 22,69,754.68 रुपए मूल्य की नियत आस्तियां हैं। संपरीक्षा में इस लोप को इंगित किए जाने के पश्चात कि नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, प्राधिकरण ने (जनवरी 2002) में यह कथन किया था कि यह आगे से नियम आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को अपनाएगा।

3.2 2,75,21,432.50 रुपए की रजिस्ट्रीकरण प्राप्तियों को कैश-बुक के

माध्यम से प्राप्त न करना : एच डी एफ सी बैंक में रखे गए चालू खाते की समीक्षा यह प्रकट करती हे कि वर्ष के दौरान अभिकर्त्ताओं से रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में 2,75,21,532.50 रुपए की राशि प्राप्त की गई थी। इन प्राप्तियों की प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गई थी।

प्राधिकरण ने (फरवरी 2002) में यह कथन किया था कि 4 दिसम्बर 2001 से प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। रजिस्ट्रीकरण फीस की बाबत पिछली विधि के पृथक लेखा के संग्रहण को रखा जाना है और उसका अनुपालन आगामी संपरीक्षा में सत्यापित किया जाएगा।

3.3 संपरीक्षा के कहने पर लेखा का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने संपरीक्षा के कहने पर निम्नलिखित मामलों में अपने 2000-01 के लेखों का पुनरीक्षण किया था :

(i) प्राधिकरण ने वित्त मंत्रालय से प्राप्त 150,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता की राशि को अपने आय और व्यय लेखा में आय के रूप में उपदर्शित नहीं किया था। संपरीक्षा के कहने पर इसे आय के रूप में दर्शित किया गया था। परिणमस्वरूप ''व्यय आय से कितना अधिक है'' शीर्ष ''आय व्यय से कितनी अधिक है'' में परिवर्तित हो गया।

(ii) पहले कर्मचारियों द्वारा अभिदायी भविष्य निधि को किए गए अभिदाय की रकम को (उस पर ब्याज सहित) लेखों से बाहर रखा गया था। संपरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्राधिकरण ने तुलन पत्र का पुनरीक्षण किया। ''भविष्य निधि न्यास'' शीर्ष के अधीन 91062 रुपए की रकम को दायित्व के रूप में दर्शित किया गया था और एक तो समान रकम को ''बैंक में नियत आस्तियां'' शीर्ष के अधीन दर्शित किया गया था।''

ह/-

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 जुलाई, 2002

महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व
नई दिल्ली

प्ररूप क

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा
31मार्च, 2001 को यथा विद्यमान तुलन पत्र

दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु)
साधारण निधि		**नियत आस्तियां (टिप्पण देखें)**	
i) बी.वि.वि.प्रा. निधि (टिप्पण 4 देखें)		-सकल ब्लाक	2,269,754.68
-वर्ष के आरंभ में	-	-घटाएं : अवमूल्य	(697,331.62)
-वर्ष में प्राप्तियां	893,243.68	-शुद्ध ब्लॉक	1,572,423.06
-वर्ष के अंत में अतिशेष	893,243.68	-चालू पूंजी संकर्म	-
ii) **पूंजी निधि**		निवेश (टिप्पण 21 देखें)	
-पूंजी अनुदान	-	(मूल्यांकन की पद्धति लागत पर)	
-वर्ष के आरंभ में अतिशेष	-		
जोड़ें : वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त नियत आस्तियों का मूल्य	-	i) केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-
		ii) यूनिट	-
iii) **अधिशेष और निधियां**		iii) बैंकों में नियत निक्षेप	204,766,622.00
-अंतिम तुलनपत्र के अनुसार अतिशेष	-	(इसमें कर्मचारी भविष्य निधि न्यास का धन भी सम्मिलित है)	
जोड़ें : संलग्न आय और व्यय लेखा के अनुसार आय, व्यय से कितनी अधिक है	12,478,206.44	iv) अन्य	-
घटाएं : संलग्न आय और व्यय लेखा के अनुसार व्यय, लेखा के अनुसार व्यय, आय से कितना अधिक है।	-	**चालू आस्तियां (टिप्पण 3 देखें)**	
- वर्ष की समाप्ति पर अतिशेष	13,371,450.12	i) अभिकरणों में निक्षेप	31,500.00
		ii) नकदया वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम	1,335,759.50
iv) **उपहार और संदान**	-		266,192.88
		iii) अन्य चालू आस्तियां	
v) **अन्य अतिशेष**	-	iv) नकद और बैंक में जमा	15,000.00
		क. हाथ में नकद	12,190,515.18
		ख. बैंक में जमा	6,321,977.50
		v) विविध ऋण लेने वाले	
ऋण			
i) संरक्षित (इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संरक्षा का कथन करें)	-		
ii) असंरक्षित	-		
iii) भारत सरकार से ऋण	-		
iv) अन्य ऋण	-		

प्ररूप क

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा
31मार्च, 2001 को यथा विद्यमान तुलन पत्र

दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु)
i) विविध ऋणदाता :			
-अन्य मदों के लिए	-		
-अन्य मदों के लिए	18,962,541.00		
ii) उपबंध :			
-संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए उपबंध	-		
-निवेश के लिए कमी के लिए उपबंध	-		
iii) अन्य दायित्व			
-अव्यनित अनुदान	-		
-सरकार/अन्या ऋणों को संदेय ब्याज	-		
-भविष्यनिधि, सेवानिवृत्ति औरअन्य कल्याण निधियां			
(क) भविष्य निधि न्यास	91,062.00		
(ख) अन्य कल्याण निधियां	-		
(ग) सेवानिवृत्ति फायदा निधियां और कर्मचारिवृंद फायदा निधि :	-		
v) अन्य			
क. अन्य दायित्व	4,987,536.00		
ख. अग्रिम रूप में प्राप्त रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की फीस	189,087,401.00		
	226,499,990.12		**226,499,990.12**

लेखों का भाग बनने वाली महत्वूपर्ण लेखा नीतियां और टिप्पण-उपाबंध IX

टिप्पण

1. नियत आस्तियों से संबंधित जानकारी उपाबंध 1 में हैं।
2. निवेशों से संबंधित जानकारी उपाबंध 2 में है।
3. चालू आस्तियां, ऋणों और अग्रिमों से संबंधित जानकारी उपाबंध 3 में है।
4. बी.वि.वि.प्रा. निधि के ब्यौरे उपाबंध 4 में है (निधि में अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार, अन्य संगठनों और निकायों से प्राप्त आय सम्मिलित हों)
5. आकस्मिक दायित्वों के ब्यौरे उपाबंध 5 में हैं।
6. लेखों का भाग करनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पण की जानकारियां उपाबंध 1 में हैं।
7. मामलों के कथन के सभी उपाबंध और लेखा नीति से संबंधित टिप्पण/सूचना लेखों का भाग है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
आर.के. शर्मा	टी.के. विश्वनाथन	एच.ओ. सोनिग	एन. रंगाचारी
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

प्ररूप ख

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निधि का लेखा
31मार्च, 2001 को यथा विद्यमान तुलन पत्र

दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु)
अध्यक्ष और सदस्यों को संदाय	4,502,236.00	सहायत अनुदान	
कर्मचारीवृंद के सदस्यों को संदाय और उपबंध (टिप्पण 1 देखें)	728,403.30	प्राप्त	15,001,000.00
स्थापन व्यय (टिप्पण 2 देखें)	10,213,460.50	प्राप्य	-
किराया	24,300,031.60	घटाएं : पूंजीनिधि को अत्रंण	-
अनुसंधान और परामर्श फीस	-	रजिस्ट्रीकरण फीस	
संगोष्ठिया, सम्मेलन, प्रकाशन आदि	-	अभिकर्ता	33,743,663.00
ब्याज (टिप्पण 3 देखें)	-	सर्वेक्षक और बीमा मध्यवर्ती	552,565.00
अवमूल्यन	697,331.62	बीमा कंपनी	650,000.00
अपलिखित पूंजी आस्तियां	-	नवीकरण फीस	-
अपलिखित आस्तियों पर हानि	-	अन्य	-
संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए उपबंध	-	शास्तियां, जुर्माने आदि	-
विका व्यय	-	संगोष्ठियां, सम्मेलन और प्रकाश आदि	
समवर्धक व्यय	-	निवेश से आय-अनुसूचित बैंकों में निक्षेपों पर ब्याज	2,959,252.00
अन्य व्यय	-	निक्षेपों पर ब्याज	-
तुलन पत्र में ले जाया गया व्यय से आय का आधिक्य	12,478,206.44	अग्रिमों पर ब्याज	
		i) कर्मचारियों को गृह प्रयोजनों के लिए मंजूर	-
		कर्मचारियों को अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर	-
		ii) अन्य	-
		प्रकीर्ण व्यय	13,189.46
		तुलन पत्र ले जाया गया आय से व्यय का अधिकार	-
	52,919,669.46		**52,919,669.46**

महत्वूपर्ण लेखा नीतियां और टिप्पण, जो लेखा काभाग है-उपाबंध-9

टिप्पण :

6 आरक्षितियों और विधियों के ब्योरे उपाबंध 5 में हैं।

7 महत्वूपर्ण लेखा नीतियां और टिप्पण,जो लेखा का भाग है, कि सभी जानकारी उपाबंध 10 में हैं।

8 6(क) के सभी उपाबंध और लेखानीतियों से संबंधित तथा लेखों का भाग बनने वाले टिप्पण/सूचना।

1 कर्मचारियों को संदाय और उपबंधों की जानकारी उपाबंध 6 में है।

2 स्थापन व्ययों से जानकारी उपबंध 7 में है।

3 ब्याज की रकम से संबंधित जानकारी उपाबंध 8 में है।

4 आय और व्यय लेखा के सभी उपबंध और महत्वूपर्ण लेखा नीतियों से संबंधित टिप्पण/सूचनाएं लेखों का भाग है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
आर.के. शर्मा	टी.के. विश्वनाथन	एच.ओ. सोनिग	एन. रंगाचारी
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

प्ररूप ग

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निधि का लेखा
31 मार्च 2001 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और संदाय

क्रसं.	प्राप्तियां	राशियां (रु.)	क्रसं.	संदाय	राशियां (रु)
1.	अग्रनीत अतिशेषों को		1.	अनुसंधान और परामर्श फीस	–
	(i) बैंक पर नकदी	–	2.	संगाष्ठियों, सम्मेलन, प्रकाशन आदि	–
	(ii) हाथ में नकद	–	3.	किराया संदाय	1,812,126.60
	(iii) हाथ में चैक	–	4.	विकास व्यय	–
	(iv) ट्रसिट में नकद/चैक	–	5.	सम्वर्धक व्यय	–
2.	रजिस्ट्रीकरण फीस		6.	अध्यक्ष और सदस्यों को संदाय	
	–बीमा कंपनियां	650,000.00		(i) वेतन और भत्ते	1,179,067.00
	–बीमा दलाल	–		(ii) अन्य फायदे	247,616.00
	–बीमा सर्वेक्षक	552,565.00		(iii) यात्रा व्यय	3,042,715.00
	–बीमा अभिकर्त्ता	27,521,532.50	7.	स्थापन व्यय	
	–अन्य	–		(i) वेतन और भत्ते	728,403.00
3.	रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की फीस			(ii) अन्य फायदे	–
	–बीमा कंपनियां	188,026,302.00		(iii) यात्रा व्यय	1,528,397.00
	–बीमा दलाल	–		(iv) सेवा निवृत्ति फायदे	–
	–बीमा सर्वेक्षक	–	8.	कार्यालय व्यय	6,529,637.00
	–बीमा अभिकर्त्ता	–	9.	निम्नलिखित पर ब्याज	
4.	बीमाकर्त्ताओं और मध्यवर्त्तियों से शास्तियां, जुर्माने	–		(i) सरकारी ऋण	–
5.	संघोशतिया, सम्मेलन आदि	–		(ii) अन्य ऋण	–
6.	निवेशों से आय	–	10.	आस्तियों का क्रय	1,376,494.00
7.	निवेशों का क्रय	–	11.	चालू कार्य पूंजी	–
8.	अनुदान		12.	कर्मचारियों को अग्रिम और अन्य जिसमें यात्रा भत्ता भी है	296,440.87
	(i) भारत सरकार से प्रारम्भिक अनुदान	15,001,000.00	13.	निवेश	204,676,378.00
	(ii) उपहार और संदान	–	14.	सरकारी ऋणों का प्रतिदाय	–
9.	ऋण	–	15.	अन्य ऋणों का प्रतिदाय	–
10.	प्रकाशनों आदि का विक्रय	–	16.	अन्य व्यय	–

प्ररूप ग

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निधि का लेखा
31 मार्च 2001 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और संदाय

क्रसं.	प्राप्तियां	राशियां (रु.)	क्रसं.	संदाय	राशियां (रु)
11.	आस्तियों का विक्रय	–		अग्रनीत अतिशेष	
12.	निम्नलिखित पर पर्याप्त ब्याज			–बैंक में नकद	12,190,515.18
	–निक्षेप	1,858,200.99		–हाथ में नकद	15,000.00
	–अग्रिम	–		–हाथ में चैक	–
	–अन्य	–		–ट्रंसिट में नकद/चैक	–
13.	कर्मचारियों से वसूलियां				
	(क) ऋण ओर अग्रिम	–			
	(ख) ऋण और अग्रिम	–			
	(ग) प्रकीर्ण	–			
14.	अन्य प्राप्तियां	13,189.45			
		233,622,789.95			233,622,789.95

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
आर.के. शर्मा	टी.के. विश्वनाथन	एच.ओ. सोनिग	एन. रंगाचारी
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

उपाबन्ध – **I**

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण निधि

दिनांक **31** मार्च **2001** को तुलन पत्र के साथ संलग्न व उसका भाग

अचल संपत्ति अनूसूची

	सकल समूह			मूल्य ह्रास			शुद्ध समूह	
विवरण	1.4.2000 को लागत	वर्ष * में जोडे गये	31.3.2001 को	1.4.2000 को	वर्ष के लिये	31.3.2001 तक	31.3.2001 को	31.3.2000 को
वाहन	-	194,343.68	194,343.68	-	50,315.58	50,315.58	144,028.10	-
उपस्कर	-	710,081.05	710,081.05	-	216,345.59	216,345.59	493,735.46	-
फर्नीचर व फिक्सर	-	340,782.95	340,782.95	-	97,439.40	97,439.40	243,343.55	-
कंप्यूटर	-	1,024,547.00	1,024,547.00	-	333,231.05	333,231.05	691,315.95	-
कुल	**-**	**2,269,754.68**	**2,269,754.68**	**-**	**697,331.62**	**697,331.62**	**1,572,423.06**	**-**

* इसमें वह संपत्तियाँ शामिल है जिन्हें पहले से कार्यरत बीमा विनियमन प्राधिकरण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम व भारतीय औद्योगिक विकास निगम से लिया गया वह अधोलिखित है।

वाहन	194,343.68
उपस्कर	224,675.05
फर्नीचर व फिक्सर	68,975.95
कंप्यूटर	405,266.00
	893,260.68

उपबंध – II

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

31, मार्च 2001 को तुलन पत्र से जुडे और भाग बनने वाले

निवेश

विशिष्टियां							चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
अनुसूचित बैंकों में नियत निक्षेप							**204,856,866.00**
बैंक का नाम	**तारीख**	**राशि**	**ब्याज की दर**	**अवधि**	**भुगतान की तारीख**	**प्राप्त ब्याज**	**उपार्जित ब्याज**
इंडियन ओवरसीज बैंक	4-मार्च-01	185,676,378	6.25%	31 दिन	3-अप्रैल-01	-	890,229
एचडीएफसी बैंक	15-फर-01	19,000,000	9%	46 थ्दन	1-अप्रैल-01	-	210,822
कुल (क)		**204,676,378**					**1,101,051**
निम्नलिखित नियत निक्षेपों को साधारण निधि न्यास की ओर से बनाए रखा गया है।							
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	6-दिस.-00	10748	7.00%	6 मास	6-जून-01	-	241
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	5-जन-01	16248	7.00%	6 मास	5-जुलाई-01	-	270
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	5-फर-01	20780	7.50%	6 मास	5-अग.-01	-	213
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	9-मार्च-01	21234	7.00%	6 मास	9-सित.-01	-	94
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	31-मार्च-01	21234	7.00%	6 मास	30-सित.-01	-	-
कुल (ख)		**90244**					**818**
कुल योग (क+ख)		**204,766,622**					**1,101,869**
अन्य							
(क) कोट किए गए लागत और बाजार मूल्य							-
(ख) कोट नहीं किए गए							-

उपबंध – **III**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31, मार्च 2001 को तुलन पत्र से जुडे और भाग बनने वाले
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
निक्षेप	
-अभिकर्ताओं को	**31,500.00**
नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त होने वालों का मूल्य	
-पूर्व संदत्त व्यय	233,890.50
-प्रोदभूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज–बैंक निक्षेप	1,101,051.00
-प्रोदभूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज–भविष्य विधि की ओर से धारित बैंक निक्षेप	818.00
योग	**1,335,759.50**
अन्य चालू आस्तियां	
-विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों को ऋण	215,325.88
-अन्य–यात्रा अग्रिम	50,867.00
योग	**266,192.88**
नकद और बैंक में जमा	
-हाथ में नकद	15,000.00
-अनुसूचित बैंकों में अतिशेष	
चालू खाते में	12,190,515.18
योग	**12,205,515.18**
विविध उधार लेने वाले	
[असंरक्षित–अच्छे समझे गए]	
(6 मास से कम अवधि के लिए बकाया)	
अभिकर्त्ता	5,260,878.50
बीमा कंपनियां	1,061,099.00
योग	**6,321,977.50**

उपबंध – **IV**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31, मार्च 2001 को तुलन पत्र जुड़े और भाग बनने वाले
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
भारत सरकार से अनुदान	-

उपबंध – **V**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31, मार्च 2001 को तुलन पत्र जुड़े और भाग बनने वाले
आकस्मिक दायित्व

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
	-

उपाबन्ध– **VI**

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च 2001 की अवधि के लिये आय व्यय खाते का अनुलग्नक व भाग

कर्मचारियों के लिये भुगतान व प्रावधान

विवरण	चालू वर्ष केलिये आंकडे
वेतन, भत्ते, प्रतिदान व बोनस	670,489.90
बोनस	-
भविष्य निधि में अंशदान	45,913.40
उपदान	2,183.00
स्टाफ कल्याण खर्च	-
अन्य	3,805.00
पुस्तक चंदा	-
छुट्टी यात्रा भत्ता	-
बीमा	1,693.00
कैंटिन खर्च	3,903.00
वित्तीय पुरस्कार (शिक्षण)	-
समूह बीमा योजना में अंशदान	-
स्टाफ द्वारा उपार्जित खर्च का पुनः भुगतान	-
छुट्टी का वेतन	416.00
कुल	**728,403.30**

उपाबन्ध – **VII**

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च 2001 को आय व व्यय खाते का भाग तथा अनुलग्नक

प्रतिष्ठान खर्च

विवरण	चालू वर्ष केलिये आंकडे
भवन की मरम्मत तथा रखरखाव	787,324.00
हाउस कीपिंग (कार्यालय रखरखाव)	159,179.00
मरम्मत तथा उपस्कर रखरखाव	44,425.00
मरम्मत तथा रखरखाव अन्य (एल आईसी को देय रूपये 1350000)	1,356,290.00
विद्युत (एल आई सी को देय)	200,000.00
बीमा वाहन	6,524.00
दर व कर	-
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	2,050,100.00
पुस्तके / जर्नल इत्यादि	91,186.00
पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन (55000 रू. का प्रावधान)	721,662.00
आंतरिक यात्रा तथा वाहन खर्च	1,381,304.00
विदेशी यात्रा	147,093.00
कानूनी व व्यावसायिक खर्च	285,716.00
शिक्षा/प्रशिक्षण/आरबीडी/शिकायत निपटान खर्च	-
लेखा परीक्षा शुल्क	-
सॉफ्टवेयर	150,000.00
प्रचार व विज्ञापन	572,574.00
भर्ती	-
सलाहकार समिति तथा अन्य बैठकों के खर्च तथा दैनिक भत्ते समिति के सदस्यों को देय	767,758.00
सदस्यता तथा चंदा	244,664.50
सुरक्षा सेवा	167,369.00
वेब पोर्टल विकास (मारूति आई टी डॉट कॉम को 7500 रू.)	900,000.00
अन्य खर्च	180,292.00
योग	**10,213,460.50**

उपाबन्ध – **VIII**

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण निधि

आय व व्यय खाता के साथ संलग्न तथा उसका भाग 31 मार्च 2001 की अवधि के लिये

ब्याज

विवरण	चालू वर्ष के लिये आंकडे
सरकार	-
बैंक	-
अन्य	-
जोड	-

उपबंध – IX

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सभी रकमें रुपए में है)

1. पृष्ठभूमि

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसका गठन 19 अप्रैल, 2000 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके किया गया था। प्राधिकरण को बीमा पालिसियों के धारकों के हितों का संरक्षण करने के विचार से बीमा उद्योग, और उससे जुड़े या अनुषंगिक मामलों के विनियमन, संवर्धन करने और उनके सुचारू विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। प्राधिकरण में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (अधिनियम) की धारा 13 के निबंधनों में नियत तारीख, अर्थात् 19 अप्रैल, 2000 को आंतरिक बीमा विनियामक प्राधिकरण के पास यथा उपलब्ध आस्तियों और दायित्वों को निहित किया गया था। अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि (निधि) नामक एक निधि का गठन किया जाएगा।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को, इसमं नीचे स्पष्ट किए गए, नकद आधार पर राजस्व मान्यता को छोड़कर लेखा के प्रोदभूत आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण लेखानीतियां निम्नानुसार हैं :

(क) नियत आस्तियां और अवमूल्यन

नियत आस्तियों का कथन लागत रहित एकत्रित अवमूल्यन पर किया जाता है। नियत आस्तियों पर अवमूल्यन को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर अवधारित दरों का उपयोग करते हुए, कम होते बकाया की पद्धति पर, उपयोग की अवधि के यथानुपात उपबंधित किया जाता हैं 5,000 रुपए से कमलागत वाली आस्तियों का क्रय के वर्ष में 100 प्रतिशत अवमूल्यन किया जाता है।

(ख) निवेश

निवेशों का कथन लागत पर किया जाता है।

(ग) राजस्व

(i) रजिस्ट्रीकरण फीस

(क) बीमा कंपनी के रूप में पहली बार रजिस्ट्रीकरण कराने वाली कंपनियों से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण फीस को प्राप्ति के वर्ष की आय समझा जाता है :

(ख) विद्यमान बीमाकर्त्ताओं से पहले से मंजूर रजिस्ट्रीकरणों के नवीकरण के लिए अग्रिम रूप से प्राप्त फीस को उस वर्ष की आय समझा जाता है, जिससे वह संबंधित है।

(ii) अनुज्ञप्ति फीस :

बीमा अभिकर्त्ताओं, सर्वेक्षकों और अन्य बीमा मध्यवर्तियों से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस को प्राप्ति के वर्ष की आय समझा जाता है। अभिकर्त्ता, सर्वेक्षक और टी पी ए अनुज्ञप्तियां उनके जारी होने की तारीख से उन वर्षों के लिए चालू होती हैं और समाप्ति पर नवीकरण के अध्यधीन होती हैं। अनुज्ञप्ति फीसों को उन वर्षों में वितरित करना, जिनसे वे संबंधित हैं, व्यावहार्य नहीं है।

(घ) विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

गैर धनीय विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहारों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर लेखबद्ध किया जाता है। धनीय विदेशी मुद्रा आस्तियों और दायित्वों को तुलन पत्र की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर रुपए में परिवर्तित किया जाता है। नियत आस्तियों के उपार्जन से संबंधित विदेशी मुद्रा दायित्वों के परिवर्तन के अंतरों को नियत आस्तियों के ले जाए जाने वाले मूल्य में समायोजित किया जाता है। अन्य परिवर्तन अंतरों को आय और व्यय लेखा में दर्शित किया जाता है।

(ङ) वेब पोर्टल विकास और अनुरक्षण :

वेबपोर्टल के विकास और अनुरक्षण पर उपगत व्ययों को, उपगत होने वाले वर्षके आय और व्यय लेखा को प्रभारित किया जाता है।

(च) सेवा निवृत्ति फायदे :

(i) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में समुचित अभिदाय किया जाता है।

(ii) छुट्टी नकदीकरण को प्रोदभूत आधार पर, लेखे में लिया जाता है।

(ii) उपदान दायित्वों के लिए लेखों में आवश्यक उपबंध किए जाते हैं।

3. प्राधिकरण द्वारा, तत्कालीन अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण से अधिनियम की धारा 13 के निबंधनों में ली गई नियत आस्तियों में शून्य रूपए थे (वर्ष 2000-01 के लिए 8,93,260.68 रुपए)। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम लि. और भारतीय वित्त निगम लि. की कुछ आस्तियों को 1 रुपया प्रति आस्ति की दर से लिया गया है।

4. आय-कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 में, प्राधिकरण का, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 बी बी ई) के अधीन छूट प्राप्त होने के कारण कोई आयकर उपबंध नहीं किया गया।

5. पहले वर्ष से तुलना

पहला वर्ष होने के कारण तुलनात्मक आकडे उपलब्ध नही हैं

अनुलग्नक – XII
प्ररूप क

वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए बी.वि.वि.प्रा. के लेखे
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का निधि का लेखा
31 मार्च, 2002 को तुलन पत्र

पिछले वर्ष के आंकड़े (रुपए)	दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
	साधारण निधि			नियत आस्तियां (टिप्पण 1 देखे)	
	(i) बी.वि.वि.प्रा. निधि (टिप्पण 4 देखें)		2,269,754.68	-सकल ब्लाक	4,642,112.66
	-वर्ष के प्रारंभ में	893.243.68	697,331.62	-घटाए : अवमूल्यन	1,808,601.62
893.243.68	-वर्ष में प्राप्तियां	-	1,572,423.06	-शुद्ध ब्लाक	2,833,511.06
893,243.68	-वर्ष की समाप्ति पर अतिशेष	893,243.68		-चल रहा पूंजीकार्य	-
	(i) पूंजी निधि			निवेश (टिप्पण 2 देखे)	
	-पूंजी अनुदान	-		(मूल्यांकन की पद्धति-लागत पर)	
	-वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष	-			
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त नियत आस्तियों का मूल			(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	-
				(ii) यूनिट	-
	(iii) अधिशेष और निधि		204,766,622.00	(iii) बैंकों में नियत विक्षेपर (इसमें बनाए जाने वाले कर्मचारी	574,227,907.78
	-अन्तिम तुलन पत्र के अनुसार अधिशेष	12,478,206.44		(iv) अन्य	-
	जोड़े : संलग्न आय और व्यय लेखा के अनुसार आय व्यय			**चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम (टिप्पण 3 देखें**	
	से कितनी अधिक है	336,916,567.87			
12,478,206.44	घटाएं : संलग्न आय और व्यय लेखा के अनुसार व्यय आय				
	से कितनी अधिक है।	-	31,500.00	(i) अभिकरणों में जमा	57,840.00
12,478,206.44	-वर्ष की समाप्ति पर अतिशेष	349,394,774.31	266,192.88	(ii) कमचारियों को ऋण और अग्रिम	2,021,953.88
			6,321,977.50	(iii) बीमाकं. और अन्यों से शोध्य राशि	573,298.00
	(iv) उपहार और संदान		1,335,759.50	(iv) अन्य चालू आस्तियां	20,031,959.00
				(v) नकद और बैंक में जमा	
			15,000	(क) हाथ में नकद	18,998.00
			12,190,515.18	(ख) बैंक में जमा	5,558,629.27
	(v) अन्य अतिशेष				
	ऋण				
	(i) संरक्षित (इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संरक्षा का कथन करते हुए)	-			
	(ii) असंरक्षित	-			
	(iii) भारत सरकार से ऋण	-			
	(iv) अन्य ऋण	-			
	चालू दायित्व ओर उपबंध (टिप्पण 5 देखें)				
	(i) विविध ऋणदाता				
	- पूंजीमदों के लिए	-			
18,962,541.00	- अन्य मदों के लिए नवीकरण फीसों में परिवर्तन के कारण				
	89,641,595 रुपए का प्रतिदाय राशि सम्मिलित है	98,205,957.00			
	(ii) उपबंध				

बीमा विनियामक ओर विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमाविनियामक और विकास प्राधिकरण की निधि का लेखा
31 मार्च, 2002 को तुलन पत्र

पिछले वर्ष के आंकड़े (रुपए)	दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
-	-संदेहास्पद ऋण और अग्रिम के लिए उपबंध				
-	-निवेश के मूल्यों में कमी के लिए उपबंध				
	(iii) अन्य दायित्व				
-	1. अवयवित अनुदान				
-	2. सरकार को संदेय ब्याज/अन्य ऋण				
	3. भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति ओर अन्य कल्याण निधियां				
91,062.00	(क) भविष्य निधि	764,552.00			
-	(ख) अन्य कल्याण निधि	-			
-	(ग) सेवानिवृत्ति फायदा निधि और कर्मचारिवृन्द फायदा विधि				
	4. अन्य				
4,987,536.00	-अन्य दायित्व (टी डी एस)	1,292,305.00			
189,087,401.00	-अग्रिम में प्राप्त रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के फीस				
226,499,990.12		605.324,096.99	226,499,990.12		605,324,096.99

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पण, जो लेखा का भाग है-उपाबंध XI

1. नियत आस्तियों के संबंध में जानकारी उपाबंध-1 में है।
2. निवेश के संबंध में जानकारी उपाबंध-2 में है।
3. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम के संबंध में जानकारी उपबंध-3 में है।
4. बीवि वि प्रा. निधि की जानकारी उपबंध-4 में है (निधि में अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार अन्य संघटनों और निकायों से प्राप्त अनुदान सम्मिलित है)
5. आकस्मिक दायित्वों के ब्यौरे उपाबंध-5 में है।
6. महत्वूपर्ण लेखा नीतियों ओर टिप्पणों से संबंधित सभी जानकारी उपाबंध-9 में है।
7. मामलों के कथन के सभी उपबंध और लेखा नीतियों से संबंधित टिप्पण/सूचना लेखों का भाग है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
आर.के. शर्मा	आर.सी. शर्मा	एच.ओ. सोनिग	एन. रंगाचारी
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

प्ररूप ख

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का निधि
31 मार्च, 2002 को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय

पिछले वर्ष के आंकड़े (रुपए)	दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
1,388,813.00	अध्यक्ष और सदस्यों को संदाय	2,359,356.00		सहायत अनुदान	-
728,402.00	कर्मचारिवृंद के सदस्यों को संदाय और उपबंध	6,036,219.00	15,001,000.00	प्राप्त	-
13,326,883.90	स्थापन व्यय (टिप्पण 2 देखें)	21,601,397.77		प्राप्य	-
24,300,031.60	किराया	8,673,118.00		घटाएं : पूंजीनिधि को अंत्रण	-
	अनुसंधान और परामर्श फीस	-		रजिस्ट्रीकरण फीस	-
	संगोष्टियां, सम्मेलन, प्रकाशन आदि	-	33,743,663.00	अभिकर्त्ता	110,756,681.50
	ब्याज (टिप्पण 3 देखे)	-	-	सर्वेक्षक और बीमामध्यवर्ती	-
			-	टी पी ए	520,000.00
697,331.62	अवमूल्यन	1,111,270.00	650,000.00	बीमा कंपनी	300,000.00
	अपलिखित पूंजीआस्तियां	-		नवीकरण फीस	
	अपलिखित आस्तियों पर हानि	-	-	बीमा कंपनी	234,561,500.00
-	संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए उपबंध	229,485.00	552,565.00	सर्वेक्षक और बीमामध्यवर्ती	717,487.00
	विकास व्यय	-	-	टी पी ए	420,000.00
	समवर्धक व्यय	-		अन्य	-
-	अन्य व्यय	40,390.00		शास्तियां, जुर्माने आदि	-
12,478,206.44	तुलन पत्र में ले जाया गया व्यय से आय का आधिक्य	336,916,567.87		संगोष्टिया, सम्मेलन और प्रकाशन आदि	
			2,959,252.00	निवेश से आय-अनुसूचित बैंकों में निक्षेपों पर ब्याज	29,452,612.14
				निक्षेपों पर ब्याज	
				अग्रिम पर ब्याज	
				(i) कर्मचारियों को गृह प्रयोजनों के लिए मंजूर	16,578,00
			-	(ii) कर्मचारियों को अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर	2,562.00
			-	(iii) अन्य	220,383.00
			13,189.46	प्रकीर्ण आय	220,383.00
				तुलनपत्र में ले जाया गया आय से व्यय का आधिक्य	
52,919,669.46		376,967,803.64	52,919,669.46		376,967,803.64

महत्वूपर्ण लेखा नीतियां और टिप्पण जो लेखाका भाग है-उपाबंध-9

टिप्पण :

1. कर्मचारियों को संदाय और उपबंधों की जानकारी उपाबंध-6 में है।
2. स्थापन व्ययों से जानकारी उपबंध-7 में है
3. ब्याज की रकम से संबंधित जानकारी उपाबंध-8 में है।
4. आय और व्यय लेखा के सभी उपबंध और महत्वूपर्ण लेखा नीतियों से संबंधित टिप्पण/सूचनाएं लेखों का भाग है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
आर.के. शर्मा	आर.सी. शर्मा	एच.ओ. सोनिग	एन. रंगाचारी
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

प्ररूप ग

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निधि का लेखा
31 मार्च 2002 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और संदाय

क्रसं.	प्राप्तियां	राशियां (रु.)	क्रसं.	संदाय	राशियां (रु)
1.	अग्रनीत अतिशेषों को		1.	अनुसंधान और परामर्श फीस	–
	(i) बैंक पर नकदी	12,190,515.18	2.	संगाष्ठियों, सम्मेलन, प्रकाशन आदि	–
	(ii) हाथ में नकद	15,000.00	3.	किराया संदाय	27,095,405.00
	(iii) हाथ में चैक	–	4.	विकास व्यय	–
	(iv) ट्रसिट में नकद/चैक	–	5.	सम्वर्धक व्यय	–
2.	रजिस्ट्रीकरण फीस		6.	अध्यक्ष और सदस्यों को संदाय	
	–बीमा कंपनियां	300,000.00		(i) वेतन और भत्ते	1,817,631.00
	–तीसरा पक्षकार प्रशासक	520,000.00		(ii) अन्य फायदे	174,299.00
	–बीमा सर्वेक्षक	–		(iii) यात्रा व्यय	4,110,687.00
	–बीमा अभिकर्त्ता	120,042,916.90	7.	स्थापन व्यय	
	–अन्य	–		(i) वेतन और भत्ते	5,002,762.00
3.	रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की फीस			(ii) अन्य फायदे	178,012.00
	–बीमा कंपनियां	287,273,518.00		(iii) यात्रा व्यय	5,433,106.00
	–तीसरा पक्षकार प्रशासक	420,000.00		(iv) सेवा निवृत्ति फायदे	229,853.00
	–बीमा सर्वेक्षक	717,487.00	8.	कार्यालय व्यय	9,866,324.27
	–बीमा अभिकर्त्ता	–	9.	निम्नलिखित पर ब्याज	
4.	बीमाकर्त्ताओं और मध्यवर्त्तियों से शास्तियां, जुर्माने	–		(i) सरकारी ऋण	–
5.	संघोशतिया, सम्मेलन आदि	–		(ii) अन्य ऋण	–
6.	निवेशों से आय	–	10.	आस्तियों का क्रय	2,372,357.68
7.	निवेशों का क्रय	–	11.	चालू कार्य पूंजी	565,800.00
8.	अनुदान		12.	कर्मचारियों को अग्रिम और अन्य जिसमें यात्रा भत्ता भी है	1,971,690.00
	(i) भारत सरकार से प्रारम्भिक अनुदान	–	13.	निवेश	369,461,286.00
	(ii) उपहार और संदान	579,884.00	14.	सरकारी ऋणों का प्रतिदाय	–
9.	ऋण	–	15.	अन्य ऋणों का प्रतिदाय	–
10.	प्रकाशनों आदि का विक्रय	–	16.	अन्य व्यय	40,390.00

प्ररूप ग

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निधि का लेखा
31 मार्च 2002 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और संदाय

क्रसं.	प्राप्तियां	राशियां (रु.)	क्रसं.	संदाय	राशियां (रु)
11.	आस्तियों का विक्रय	–		अग्रनीत अतिशेष	
12.	निम्नलिखित पर पर्याप्त ब्याज			-बैंक में नकद	5,558,629.27
	-निक्षेप	11,478,804.14		-हाथ में नकद	18,998.00
	-अग्रिम	–		-हाथ में चैक	–
	-अन्य	–		-ट्रांसिट में नकद/चैक	–
13.	कर्मचारियों से वसूलियां				
	(क) ऋण ओर अग्रिम	138,722.00			
	(ख) ऋण और अग्रिम	–			
	(ग) प्रकीर्ण	–			
14.	अन्य प्राप्तियां	220,383.00			
		433,897,230.22			433,897,230.22

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
आर.के. शर्मा	आर.सी. शर्मा	एच.ओ. सोनिग	एन. रंगाचारी
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

उपाबंध-1

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2001 को तुलन पत्र से जुड़े हुए और उसका भाग बनने वाले
नियत आस्तियां अनुसूची

विशिष्टियां	निम्नलिखित तारीख को लागत 1.4.2000	वर्ष के दौरान वृद्धिया*	वर्ष के दौरान क्रय निपटाए गए	31.03.2002 को यथा विद्यमान	1.04.2001 को यथा विद्यमान	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2002 तक	31.03.2002 को	31.03.2001 को
कार्यालय परिसर										
(क) भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आवासिय फ्लेट										
(क) भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	194,344.00	-	-	194,343.68	50,315.58	37,289.00	-	87,604.58	106,739.10	144,028.10
उपस्कर	710,081.00	709,212.00	-	1,419,293.05	216,345.59	105,190.84	-	321,536.43	1,097,756.62	493,735.46
फर्निचर और फिक्सर	340,783.00	11,129.00	-	351,911.95	97,439.40	54,324.58	-	151,763.98	200,147.97	243,343.55
कम्पयूटर	1,024,547.00	1,652,017.00	-	2,676,564.00	333,231.05	914,465.81	-	1,247,696.86	1,428,867.14	691,315.95
योग	**2,269,755.00**	**2,372,358.00**	**-**	**4,642,112.68**	**697,331.62**	**1,111,270.23**	**-**	**1,808,601.85**	**2,833,510.83**	**1,572,423.06**

* तत्कालीन बीमा विनियामक प्राधिकरण और भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय वित निगम लि. से ली गई निम्नलिखित आस्तियां सम्मिलित हैं :

	2001-2002	2000-2001
वाहन	-	194,343.68
उपस्कर	-	224,675.05
फर्निचर और फिक्चर	-	68,975.95
कम्पयूटर	-	405,266.00
	-	893,260.68

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

उपबंध–II

31 मार्च, 2002 को तुलन पत्र से जुड़े हुए और उसका भाग बनने वाले

निवेश

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रु.	पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)
1	अनुसूचित बैंकों में नियत निक्षेप	574,227,907.78	204766622

बैंक का नाम	तारीख	रकम	ब्याज दर	अवधि	भुगतान की तारीख	प्राप्त ब्याज	प्रोदभूत ब्याज
भारतीय ओवरसीज़ बैंक	7-दिस.-01	300,000	8.25%	1096	7-दिस.-04		8654
	26-दिस.-01	50,000,000	8.50%	1096	26-दिस.-04		1243924
	27-दिस.-01	44,000,000	8.50%	1096	27-दिस.-04		1083130
	1-जन.-02	50,000,000	8.50%	1096	1-जन.-05		1165360
	1-जन.-02	50,000	8.25%	1096	1-जन.-05		1127
	1-जन.-02	3,968,102	8.25%	1096	1-जन.-05		89450
	29-दिस.-02	42,357,557	8.50%	1096	29-दिस.-04		1020514
	9-जन.-02	326,807	8.25%	1096	9-जन.-05	-	6705
	24-जन.-02	325,260	8.25%	1096	24-जन.-05		230654
		191,327,726					4,849,518
	3-अक्तू.-01	193,252,278	8.50%	365	3-अक्तू.-02		8316144
	2-अक्तू.-01	10,100,274	8.50%	365	2-अक्तू.-02		437069
	2-अक्तू.-01	10,100,274	8.50%	365	2-अक्तू.-02		437069
	2-अक्तू.-01	10,100,274	8.50%	365	2-अक्तू.-02		437069
	12-अक्तू.-01	4,485,596	8.00%	365	12-अक्तू.-02		172216
	28-दिस.-01	48,821,875	8.00%	365	28-दिस.-02		1025417
		276,860,571					10,824,984
एचडीएफसी	30-अग.-01	-	8.00%		1-मार्च-02		
	31-अग.-01	5,344,387.55	8.00%	365			35141
	31-अग.-01	-	8.00%		1-मार्च-02		
	1-मार्च-02	1,235,347.50	8.00%	185	2-सित.-02		8,206
	2-नव.-01	350,000.00	8.00%	182	3-मई-02		11,545
	25-अक्तू.-01	11,300,000.00	8.00%	183	26-अप्रैल-02		1,285,469
	7-नव.-01	50,000.00	8.00%	182	8-मई-02		1,594
	7-नव.-01	500,000.00	8.00%	183	9-मई-02		15,853
	13-नव.-01	5,350,000.00	8.00%	182	14-मई-02		163,450
	27-नव.-01	50,000.00	8.00%	182	28-मई-02		1,373
	4-दिस.-01	800,000.00	8.00%	183	5-जून-02		20,723
	29-नव.-01	5,000,000.00	8.00%	182	30-मई-02		135,061
	14-दिस.-01	500,000.00	8.00%	183	15-जून-02		11,845
	15-दिस.-01	5,000,000.00	8.00%	183	16-जून-02		117,342
	19-दिस.-01	300,000.00	8.00%	183	20-जून-02		6,775
	26-दिस.-01	50,000.00	8.00%	183	27-जून-02		1,052
	31-दिस.-01	-	8.00%	-	1-जुलाई-02		
	12-जन.-02	400,000.00	8.00%	182	13-जुलाई-02		6,907
	15-जन.-02	500,000.00	8.00%	182	16-जुलाई-02		8,302
	16-जन.-02	5,000,000.00	8.00%	182	17-जुलाई-02		81,914
	24-जन.-02	125,000.00	8.00%	182	25-जुलाई-02		1,826
	30-जन.-01	5,000,000.00	8.00%	182	31-जुलाई-02		66,416
	6-फर.-02	250,000.00	8.00%	182	7-अग.-02		2,933
	8-फर.-02	300,000.00	8.00%	182	9-अग.-02		3,387
	14-फर.-02	250,000.00	8.00%	182	15-अग.-02		2,491
	18-फर.-02	5,000,000.00	8.00%	182	19-अग.-02		46,817
	1-मार्च-02	5,000,000.00	8.00%	185	2-सित.-02		33,214
	28-फर.-02	200,000.00	8.00%	185	1-सित.-02		1,373
	13-मार्च-02	5,000,000.00	8.00%	185	14-सित.-02		19,928
	11-मार्च-02	550,000.00	8.00%	185	12-सित.-02		2,436
		63,404,735.05					2,093,373

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रु	पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)

बैंक का नाम	तारीख	रकम	ब्याज दर	अवधि	भुगतान की तारीख	प्राप्त ब्याज	प्रोदभूत ब्याज
	19-नव.-01	**25,169,680.11**	**8.00%**	**395**	**19-दिस.-02**		**753,212**
	1-नव.-01	**4,099,210.21**	**8.00%**	**395**	**1-दिस.-02**		**139,398.00**
	11-नव.-01	**1,537,203.82**	**8.00%**	**395**	**11-दिस.-02**		**48,789.00**
	16-नव.-01	**1,024,802.54**	**8.00%**	**395**	**16-दिस.-02**		**31,365.00**
	30-नव.-01	**1,024,802.54**	**8.00%**	**396**	**31-दिस.-02**		**28,115.00**
	20-अक्तू.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**396**	**20-नव.-02**		**37,176.00**
	20-अक्तू.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**396**	**20-नव.-02**		**37,176.00**
	30-अक्तू.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**396**	**30-नव.-02**		**34,881.00**
	31-अक्तू.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**395**	**30-नव.-02**		**34,648.00**
	3-नव.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**395**	**3-नव.-02**		**33,959.00**
	5-नव.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**395**	**5-नव.-02**		**33,500.00**
	8-नव.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**395**	**8-नव.-02**		**32,812.00**
	10-नव.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**395**	**10-नव.-02**		**32,353.00**
	22-नव.-01	**1,012,116.43**	8.00%	**395**	**22-नव.-02**		**29,600.00**
		41,964,747					**1,306,984**
		573,557,779.14					19,074,859

पी.एफ. वियास के लिए नियत निक्षेप

आई.औ.बी.	**6-दिस.-00**	**11,128**	7.00%	6 मास		**6-जून-2002**	11128	749
आई.औ.बी.	**5-जन.-01**	**16,822**	7.00%	6 मास		**5-जुलाई-2002**	16822	1022
आई.औ.बी.	**5-फर.-01**	**21,567**	7.50%	6 मास		**5-अग.-2002**	21567	1159
आई.औ.बी.	**9-मार्च-01**	**21,984**	7.00%	6 मास		**9-सित.-2002**	21984	1008
आई.औ.बी.	**31-मार्च-01**	**21,984**	7.00%	3 वर्ष		**30-सित.-2004**	21984	1049
आई.औ.बी.	**2-मई-01**	**26,836**	7.00%		3.51	**2-नव.-2004**	25920	2336
आई.औ.बी.	**31-मई-01**	**28,144**	8.00%	12 मास		**31-मई-2002**	30464	1,932
आई.औ.बी.	**7-जून-01**	**19,954**	8.00%	12 मास		**7-जून-2002**	21599	1,343
आई.औ.बी.	**19-जुलाई-01**	**32,294**	8.00%	12 मास		**3-जुलाई-2002**	34957	1,977
आई.औ.बी.	**31-जुलाई-01**	**42,750**	8.00%	12 मास		**31-जुलाई-2002**	46274	2,346
आई.औ.बी.	**12-सित.-01**	**38,464**	8.00%	12 मास		**12-सित.-2002**	41635	1,738
आई.औ.बी.	**11-अक्तू.-01**	**40,346**	8.00%	12 मास		**11-अक्तू.-2002**	43672	1,558
आई.औ.बी.	**5-नव.-01**	**58,118**	8.00%	12 मास		**5-नव.-2002**	62909	1,916
आई.औ.बी.	**28-नव.-01**	**66,926**	8.00%	12 मास		**28-नव.-2002**	72443	1,859
आई.औ.बी.	**1-जन.-02**	**69,144**	7.50%	12 मास		**1-जन.-2003**	74478	1,768
आई.औ.बी.	**29-जन.-02**	**65,022**	7.50%	12 मास		**29-जन.-2003**	70038	1,264
आई.औ.बी.	**27-फर.-02**	**67,202**	7.50%	12 मास		**27-फर.-2003**	72386	454
आई.औ.बी.	**18-मार्च-02**	**21,443**	7.50%	12 मास		**18-मार्च-2003**	23098	59
		670,128						25540

2 अन्य

(क) कोट की गई लागत और बाजार मूल्य	शून्य	शून्य
(ख) कोट नहीं की गई।		

उपबंध–III

31 मार्च, 2002 को तुलन पत्र से जुड़े हुए और उसका भाग बनने वाले

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पिछले वर्ष के आंकड़े रुपए
निक्षेप		
-परिसरों के लिए	22,500.00	-
-अन्य एम टी एन एल	35,340.00	31,500.00
	57,840.00	**31,500.00**
कर्मचारिवृंद ऋण और अग्रिम		
-कर्मचारिवृंद को गृह ऋण	1,209,600.00	-
-कर्मचारिवृंद को अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण	756,092.88	215,325.88
-अन्य अग्रिम त्यौहार	56,261.00	-
-अन्य–यात्रा के लिए अग्रिम	-	50,867.00
योग	**2,021,953.88**	**266,192.88**
बीमा कंपनियों और अन्य से शोध्य		
-राज्य बीमा कंपनियों से शोध्य रकमों को दर्शित करता है	229,485.00	1,061,099.00
-अभिकर्त्ताओं (अभिकर्त्ताओं से पूर्व में प्राप्त अवसान हो गए चैकों की रकम दर्शित करता है	343,813.00	5,260,878.50
योग	**573,298.00**	**6,321,977.50**
अन्य चालू आस्तियां		
-वसूलनीय व्यय	425.00	-
-पूर्वसंदत्त व्यय	346,195.00	233,890.50
-प्रोदभूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज–बैंक निक्षेप (बनाए जाने वाले पी एफ न्यास कीओर से धारित 25,540 रुपएके नियत निक्षेप सम्मिलित हैं)	19,100,399.00	1,101,869.00
-प्रोदभूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज कर्मचारिवृंद को ऋण	19,140.00	-
-पूंजी लेखा पर अग्रिम–(सॉफ्टवेयर विकास के लिए)	565,800.00	-
योग	**20,031,959.00**	**1,335,759.50**
नकद और बैंक में जमा		
-हाथ में नकद	18,998.00	15,000.00
-हाथ में चैक	-	-
-ट्रांसिट में नकद/चैक	-	-
-अनुसूचित बैंकों में अतिशेष		
(क) चालू खाते में	5,558,629.27	12,190,515.18
(ख) निक्षेप लेखा पर	-	-
योग	**5,577,627.27**	**12,205,515.18**
-अनुसूचित बैंकों में अतिशेष		
(क) चालू खाते में	-	-
(ख) निक्षेप लेखा में	-	-
योग		

उपबंध-IV

31 मार्च 2002 को तुलन-पत्र से जुड़े हुए और उसका भाग करने वाले (बिना लेखा परीक्षा के)
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पिछले वर्ष के आंकड़े रुपए
भारत सरकार से अनुदान	-	**893,243.68**

उपबंध-V

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2002 को तुलन पत्र से जुड़े हुए और उसका भाग करने वाले आकस्मिक दायित्व

विशिष्टियां	पिछले वर्ष के आंकड़े रुपए
	शून्य

उपबंध–VI

31 मार्च 2002 को तुलन–पत्र से जुड़े हुए और उसका भाग करने वाले (बिना लेखा परीक्षा के) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

	विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पिछले वर्ष के आंकड़े रुपए
i)	वेतन, भत्ते, मजदूरी और बोनस	4,975,533.00	670,489.90
ii)	बोनस	-	
iii)	साधारण भविष्य निधि, आदि को अभिदाय	298,737.00	45,913.00
iv)	उपदान	210,148.00	2,183.00
v)	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
vi)	अन्य		3,805.00
	-बही अनुदान	-	
	-अवकाश यात्रा छूट	14,045.00	
	-बीमा	1,693.00	
	-कैंटीन व्यय	-	3,903.00
	-आर्थिक पंचाट–अध्ययन	-	
	-समूह बीमा स्कीम को अभिदाय	21,770.00	-
	-कर्मचारियों द्वारा उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति	169,426.00	
	-अवकाश वेतन	346,560.00	416.00
	योग	**6,036,219.00**	**728,402.90**

उपबंध–VII

31 मार्च 2002 को आय व व्यय विवरण **से जुड़े हुए और उसका भाग करने वाले**
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पिछले वर्ष के आंकड़े रुपए
भवनों और परिसों की मरम्मत और अनुरक्षण	2,267,704.00	787,324.00
गृह देखभाल–कार्यालय अनुरक्षण	825,542.00	159,179.00
उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	-	44,425.00
मरम्मत और अनुरक्षण–अन्य	23,075.00	1,356,290.00
(एल आई सी को संदेय) विद्युत	803,258.00	200,000.00
बीमा–यान	15,300.00	6,524.00
दरे और कर	-	-
मुद्रण और लेखनसामग्री	690,481.00	2,050,100.00
पुस्तकें/जर्नल आदि	63,628.00	91,186.00
डाक, टेलिग्राम, टेलिफोन आदि	1,210,860.27	792,370.00
यात्रा और अंतरदेशीय वाहन प्रभार (इसमें एल आई सी को संदेय 711755/– रु. भी है	4,945,309.00	4,394,750.40
यात्रा–विदेश	5,367,184.00	147,093.00
विधिक और वृतिक प्रभार	1,440,279.00	285,716.00
शिक्षा/प्रशिक्षण/अनु और वि./शिकायत अनिवारण व्यय	-	-
संपरीक्षा फीस	99,520.00	-
सॉफ्टवेयर	-	150,000.00
प्रचार और विज्ञान	2,062,541.00	572,574.00
भर्ती	-	-
प्राधिकरण और सलाहकारी समितियों और अन्य की बैठकों के व्यय		
बैठक व्यय में समिति के सदस्यों को संदत्त	-	
दैनिक भत्ता सम्मिलित है	195,685.00	767,758.00
सदस्यता और अभिदाय	415,835.50	244,664.50
सुरक्षा सेवाएं	225,879.00	167,369.00
वैब पोर्टल विकास व्यय (मारूति आई टी. कॉम को संदेय 33215 रु.)	564,300.00	900,000.00
केन्टीन व्यय	143,523.00	-
कार मरम्मत और अनुरक्षण व्यय	52,560.00	29,269.00
अन्य व्यय	188,934.00	180,292.00
योग	**21,601,397.77**	**13,326,883.90**

उपबंध–VIII

31, मार्च 2002 को समाप्त हुई अवधि के लिए आय और व्ययलेखा से जुड़े और उसका भाग बनने वाले

ब्याज

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
सरकार	–
बैंक	–
अन्य	–
योग	–

अनुलग्नक IX

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण फंड लेखा
वित्तीय विवरण की टिप्पणी
जब तक वर्णित न किया गया हो सभी राशि रूपयों में हैं।

1. भूमिका

बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण)

प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2000 को भारत सरकार के राजपत्र द्वारा संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया। प्राधिकरण का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि बीमाधारक के हितों की सुरक्षा की जाये, विनियम, प्रोत्साहन तथा बीमा उद्योग का क्रमिक विकास किया जाये तथा उससे संबंधित विषयों को शामिल किया जाये। प्राधिकरण ने बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 13 के अनुसार अंतरिम बीमा विनियम प्राधिकरण की संपत्तियों तथा दायित्वों को जो अप्रैल 19, 2000 को उपलब्ध है को शामिल किया गया। अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत एक निधि का गठन (बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण निधि (निधि) नाम से किया गया।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत प्रथा के अनुसार तैयार किया गया है, उपार्जित आधार पर राजस्व की बचत जो नगदी आधार को अभिज्ञान प्रदान करती है तथा चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित मानकों के आधार पर तैयार की गयी है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ निम्नलिखित है।

ए. अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास

अचल संपत्तियों को लागत मूल्य में से मूल्य ह्रास घटा कर प्रदर्शित किया गया है। अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास अनुपातिक आधार पर घटते हुई शेष प्रणाली के अनुसार अनुलग्नक XIV में दिये गये मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिसका विवरण कंपनी अधिनियम 1956 मे किया गया है। ऐसी संपत्तियाँ जिनका मूल्य 5000 से कम है को उनको 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास खरीद वर्ष में किया गया है।

बी.निवेश

निवेश को लागत पर दर्शाया गया है

सी.राजस्व

1. पंजीकरण शुल्क

ए. ऐसी कंपनियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क जो पहली बार नयी कंपनी के रूप में पंजीकरण आवेदन कर रही है को वर्ष की आय में शामिल किया गया है।

ब. पहले से कार्यरत बीमाकर्ताओं से प्राप्त नवीकरण अग्रिम को उस वर्ष में शामिल किया गया है जिससे उनका संबंध है।

2. अनुज्ञाप्ति शुल्क

अभिकर्ताओं, सर्वेक्षक तथा अन्य बीमा मध्यस्थों से प्राप्त अनुज्ञाप्ति शुल्क उस वर्ष की आय में शामिल किया जाता है जिस वर्ष में वह प्राप्त होता है। अभिकर्ताओं, सर्वेक्षक तथा तृतीय पक्ष प्रशासकों के अनुज्ञप्ति पत्र जारी करने के वर्ष से उस वर्ष तक चालू रहते है जब तक उनका नवीकरण वर्ष देय न हो। यह संभव नही है कि यह शुल्क विभिन्न वर्षो में बांटा जाये जिससे वह संबंध रखता है।

डी. विदेशी मुद्रा कार्य विवरण

जिस कारोबार के दिन विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य हुआ उस दिन के गैर वित्तीय विदेशी मुद्रा की दर पर सौदे को अभिलेखित किया गया है। तुलना पत्र में दिनांक के दिन वित्तीय विदेशी मुद्रा दर के आधार पर संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन कर उन्हें रूपये में परिवर्तित कर शामिल किया गया है। अचल संपत्ति अर्जित करने मं हुये विदेशी मुद्रा भेद के दायित्वों को अचल संपत्तियों के मूल्य में सम्माहित किया गया है। अन्य भेदों को आय व्यय खाते में दिखाया गया है।

ई. वेब पोर्टल विकास व सम्पोषण

वेब पोर्टल के विकास व सम्पोषण के लिये गये व्यय को वर्ष के आय व व्यय खाते में शामिल किया गया है।

एफ. सेवानिवृत्त लाभ

कर्मचारीयों के सेवा निवृति लाभ में भविष्य निधि ,उपदान छुट्टी नकदीकरण शामिल है जिसका प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए विनियम में किया गया है छुट्टी नकदीकरण की गणना चालू नकदीकरण योग्य वेतन के अनुसार छुट्टी शेष के अनङ्कसार किया गया प्राधिकरण ने एक आई आर डी ए कर्मचारी भविष्य निधि न्यास की स्थापना की जिसका लाभ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वर्ष की समाप्ति पर मिलता है कर्मचारियों का अंशदान तथा प्राधिकरण का अंशदान किसी शैड्यूल बैंकमें जमा किया जाता है. वास्तविक बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार उपदान की गणना की जाती है जिसक्ष आधार प्राधिकरण द्वारा बनायी गई उपदान योजना है

3. आय कर

वर्ष 2001-02 कर निर्धारण वर्ष के लिये प्राधिकरण द्वारा आयकर के लिये कोई प्रावधान नही किया गया क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23 बी पी ई) के अनुसार प्राधिकरण को आयकर की परिधि से बाहर रखा गया है।

4 राज्य बीमा ऐजेंसियों से प्राप्त नवीकरण शुल्क को लेखाबध्द नही किया गया जिसका कारण सकल बीमा प्रिमियम कि सूचना की अनुपस्थिति था

5 17 जुलाई 2002 को प्राधिकरण को वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके अनुसार प्राधिकरण द्वारा अब तक प्राप्त धनराशि को भारत सरकार के लोक लेखा खाते में गैर ब्याज के अनुसार जाना था तथा अपने खर्च के लिए प्रत्येक वर्ष इस खाते से धनराशि निकालनी थी प्राधिकरण द्वारा ली गई विधि सलाह के अनुसार बीमाकर्त्ता तथा मध्यस्थों द्वारा एकत्र की गई घनराशि की प्रकृति सरकार के राजस्व की नही है इसलिए वह भारत सरकार की लोक निधि का भाग नही हो सकती इस तथ्य को प्राधिकरण ने भारत सरकार के साथ उठाया है

6 एजेंट अनुसार लाइसेंस फीस की अनुपस्थिति में प्राप्त की जाने वाली लाइसेंस फीस से अधिक को वर्ष अवधि में लाइसेंस फीस आय के रुप में शामिल किया गया है

7 पहले वर्ष से तुलना

पिछला वर्ष अप्रैल 19, 2000 की अवधि को बताता है (आई आर डी ए के गठन की दिनांक) पिछले वर्ष के आकडों को दुबारा वर्गीकृत किया गया है जिससे उनकी तुलना वर्तमान वर्ष से हो सके